

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S <i>No</i>	DUE DATE	SIGNATURE

फाइनेस एक्ट १९६३ के अनुसार

आयकर विधान के मूल तत्व

[Elements of Income Tax]

31230

RESERVED BOOK

डॉ० एस० आर० वाजपेयी, पी-एच० डी०
प्राध्यापक, घाणिव्य विभाग,
डी० ए० वी० कालेज, कानपुर

किताब घर, कानपुर

सर्वाधिकार सुरक्षित

प्रकाशक कित्ताब घर, आचार्यनगर, कानपुर

प्रकाशन-काल सितम्बर १९६३

मूल्य छ रुपये पच्चीस नये पैसे

मुद्रक अनूपम प्रेस, चन्द्रिकादेवी रोड, कानपुर

द्वितीय संस्करण की भूमिका

हमे पुस्तक का द्वितीय संस्करण पाठको के समक्ष रखने में अत्यन्त हर्ष हो रहा है। प्रस्तुत संस्करण में फाइनैस एक्ट १९६३ के अनुसार किए गए परिवर्तनों को स्यान् दिया गया है तथा पहले की अपेक्षा अधिक पठनीय सामग्री दी गई है। आशा है पुस्तक अपने नये रूप में पाठको को और भी अधिक लाभप्रद सिद्ध होगी।

१५ सितम्बर, १९६३

डी० ए० बी० कालेज,
कानपुर

एस० वार० वाजपेयी

प्रावकथन

आयकर की यह पुस्तक विशेष कर विद्यार्थियों के लिये लिखी गई है। समस्त पुस्तक में आयकर विधान १९६१ के आधार पर लिखी गई है, तथा फाइनेंस एक्ट १९६२ में किये गये परिवर्तन भी सम्मिलित किये गए हैं। प्रत्येक अध्याय के तीन भाग हैं। प्रथम भाग में वैधानिक विवेचना की गई है। प्रत्यक्ष इस बात का किया गया है कि कानूनी विशेषताओं को कायम रखते हुए जहाँ तक हो सके सरल से सरल भाषा में लिखा जाय। यथास्थान धाराओं के नम्बर भी दिये गये हैं, जिससे विद्यार्थियों को विधान से मिलाने या आग अध्ययन करने में सुविधा हो। दूसरे भाग में सारांश दिया गया है। सारांश अंग्रेजी में दिया है, क्योंकि प्रश्न प्रायः अंग्रेजी में ही पूछे जाते हैं। तीसरे भाग में उदाहरण व तीर पर हल किये हुये प्रश्न दिये हैं। अभ्यासार्थ प्रश्नों की संख्या काफी रखी गई है तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रश्नों का भी समावेश कर दिया गया है। सभी प्रश्न कर-देय वर्ष १९६२-६३ के आधार पर हल किये गये हैं। आशा है, पुस्तक विद्यार्थियों के लिये उपयोगी सिद्ध होगी।

पुस्तक की रचना में मैंने अपने मित्र श्री टी० एन० पाण्डेय से समय-समय पर परामर्श किया है, इसके लिये मैं उनका आभारी हूँ।

सितम्बर १, १९६२

डी० ए० बी० कानेर,
कानपुर

एस० आर० वाजपेयी

विषय सूची

- अध्याय १ - विषय प्रवेश [Introductory] १
१. आयकर का विकास, २. १९२२ का अधिनियम,
३ १९६१ का अधिनियम, ४. नये अधिनियम की विशेषतायें ।
- अध्याय २ - परिभाषायें [Definitions] ६
१ कृषि आय, २. कर दाता, ३. गत वर्ष, ४. कर देय प्रदेश
५. उपाजित आय, ६ आय, ७ व्यक्ति, ८ पूज्यगत सम्पत्ति,
९. कम्पनी ।
- अध्याय ३ - कर सम्बन्धी दायित्व [Tax Liability] . २०
१. कर दाता का निवास स्थान, २ कर देय आय ।
- अध्याय ४ - कर मुक्त आय [Exempted Income] ...५
१. परिचय, २ पूर्णतया कर मुक्त आय, ३ आयकर तथा अधिकर
से मुक्त आय जो कुल आय में जोड़ी जाती है, ४ केवल आयकर से
मुक्त आय ५ केवल अधिकर से मुक्त आय, ६. छूट ।
- अध्याय ५ - आय की मद्दे-वेतन [Salary] . ५१
१. वेतन में सम्मिलित रकमे, २. प्राविडेन्ट फण्ड, ३ सुपर
एन्युएशन फण्ड, ४. उद्गम स्थान पर कटौती, ५ वेतन पर
कर निर्धारण ।
- अध्याय ६ - आय की मद्दे-प्रतिभूतियों पर ब्याज [Interest on
Securities] ८१
१ परिचय, २ कर मुक्त प्रतिभूतियाँ, ३. सम्पूर्ण करना, ४. कर
मुक्त प्रतिभूतियाँ, ५. ब्याज सहित तथा ब्याज रहित खरीद
विक्री, ६ प्रति-भूतियाँ का नकली क्रय विक्रय ।
- अध्याय ७ - आय की मद्दे-गृह सम्पत्ति की आय [Income from
Property] ... ६५
१. परिभाषा, २. वार्षिक मूल्य, ३. घटाए जाने योग्य व्यय ।

- अध्याय ८ - आय की मद्दे-व्यापारिक लाभ [Income from Business and professions] १२६
 १ परिभाषाएँ, २ स्वीकृत व्यय, ३ अमान्य खर्च, ४ पूंजीगत व्यय औसत दर पर मिलने वाली छूट, ६ बर मुक्त आय, ७ कर देय आय निकालने की विधि ।
- अध्याय ९ - ह्रास [Depreciation] १६१
 १ परिभाषा, २ ह्रास का अधिकार, ३ विभिन्न प्रकार के ह्रास, ४ ह्रास की दरें ।
- अध्याय १० - आय की मद्दे-पूँजीगति लाभ [Capital gains] १८१
 १ परिभाषा, २ लाभ का निर्धारण, ३ उन्मुक्तियाँ, ४ कर निर्धारण की विधि ।
- अध्याय ११ - आय की मद्दे-अन्य साधनों की आय [Income from other sources] १९७
 १ आय के साधन, २ घटाने योग्य व्यय, ३ लाभांश ।
- अध्याय १२ - कर दाता-व्यक्ति तथा संयुक्त हिन्दू परिवार [Individual and H U F] २२८
 १ परिभाषा, २ अन्य लोगों की सम्मिलित आय, ३ हिन्दू परिवार, ४ समुक्त परिवार का बर निर्धारण, ५ संयुक्त परिवार का विभाजन, ६ कर की दरें ।
- अध्याय १३ - कर दाता-साम्बन्धी फर्म तथा समुदाय [Partnership Firms and Association] २२४
 १ परिभाषा, २ फर्म को रजिस्ट्री, ३ फर्म पर कर निर्धारण, ४ व्यक्तियों के समुदाय ।
- अध्याय १४-करदाता कम्पनी [Company] २७२
 १ परिभाषा, २. निवास स्थान, ३. कर सम्बन्धी दायित्व, ४ आय का विवरण, ५ कर निर्धारण, ६ धारा २०४ ।
- अध्याय १५ - आयकर अधिकारी [Income Tax Authorities] २७६
 १ इन्स्पेक्टर, २ इन्वर्मेन्स आफिसर, ३ अपीलेट ऑफिसर

४. इन्सपेक्टिंग असिस्टेण्ट कमिश्नर, ५ कमिश्नर,
६. डाइरेक्टर आफ इन्स्पेक्शन, ७. सेण्ट्रल बोर्ड आफ रेवेन्यू ।

अध्याय १६ - कर निर्धारण [Procedure of Assessment] २८६

- १ आयकर का नोटिश, २ आय का विवरण, ३ तात्कालिक
कर निर्धारण, ४. नियमित कर निर्धारण, ५ उत्तम निर्णय
के अनुसार कर निर्धारण, ६ असाधारण कर निर्धारण,
७ अतिरिक्त कर निर्धारण, ८ कर का अग्रिम प्रदान करना,
९ भूल सुधार, १० कर की वापसी, ११ कर की वसूली,
१२ उद्गम स्थान पर कटौती ।

अध्याय १७ - अपील [Appeal] ३०५

१. अपीलेट असिस्टेण्ट कमिश्नर, २ अपीलेट ट्रिब्यूनल,
३. हाईकोर्ट, ४ सुप्रीमकोर्ट ।

अध्याय १८ - आयकर से सम्बन्धित अन्य समस्यायें [Other
problems relating to Income Tax] ३११

१. हानि को अपलिखित करना तथा आगे ले जाना,
२. दुहरे कर से बचत, ३. कुल आय तथा कुल सस्यार
की आय, ४ विदेशियों पर कर निर्धारण, ५ कर की
बचत रोकने की विशेष व्यवस्था ।
-

विषय प्रवेश

आय कर का प्रारम्भ भारतवर्ष में सन् १८६० ई० से हुआ। उस समय सरजेम्स विल्सन ने पहली बार आय के आधार पर कर लगाया। यह कर १८६५ तक चला। परन्तु इसके बाद बन्द कर दिया गया। बाद में सरकार ने लाइसेंस टैक्स तथा सार्टिफिकेट टैक्स लगाए जो व्यक्तिगत कर तो थे परन्तु जिन्हें सच्चे अर्थ में आय कर नहीं कहा जा सकता। सन् १८८६ में आय कर फिर से लगाया गया। इसके लिये आय कर अधिनियम भी बना तथा प्रथम बार आय को चार शीर्षकों (वेतन, कम्पनियों का लाभ, प्रतिभूतियों पर व्याज तथा अन्य) में बाटा गया। अधिकर (Super tax) पहली बार १९१७ में लगाया गया। पुराना अधिनियम १९२२ तक चलता रहा यद्यपि उसमें १९१८ में पर्याप्त सुधार किए गए।

१९२२ का अधिनियम

१९२२ के अधिनियम का आय कर में विरोध महत्व है। यह आयकर के नियमों को विस्तृत रूप से लिपिबद्ध करने का पहला प्रयास था। पुराने अधिनियमों में विस्तृत नियमों की कमी थी जिसके कारण आय कर के निर्धारण में कठिनाई पड़ती थी। १९२२ के अधिनियम द्वारा इसे बदल दिया गया। १९६९ का अधिनियम बनने के पहले १९२२ का अधिनियम ही आय कर का आधार था, यद्यपि इस समय तक पुराने अधिनियम में पर्याप्त सुधार किए जा चुके थे। सबसे महत्वपूर्ण सुधार १९३९ में हुआ जब कि 'स्टेप प्रणाली' (Step system) के स्थान पर 'स्लैब प्रणाली' (Slab system) लागू की गई। इसके अलावा समय समय पर अनेक छोटे मोटे परिवर्तन होते रहे। १ अप्रैल १९४६ को व्यापार लाभ कर

(Excess profits tax) को इसमें सम्मिलित किया गया जो ३१ मार्च १९४६ तक चला । १९४६-४७ में पूजा लाभ (Capital gains) पर भी कर लगाया गया जो १९४७-४८ तक चलता रहा । १९५६ में उसे फिर से चालू किया गया ।

१९६१ का अधिनियम

१९६१ में आय कर अधिनियम में फिर से सर्वाङ्गीण परिवर्तन किया गया । परिवर्तन की आवश्यकता अनेक कारणों से पहले भी प्रतीत हो रही थी । वर्तमान अधिनियम १९२२ में बनाया गया था तब से अब तक देश के आर्थिक ढाँचे, कर प्रणाली तथा कर सम्बन्धी समस्याओं में बड़ा उलट फेर हो गया था । यद्यपि पुराने अधिनियम में आवश्यकतानुसार समय समय पर संशोधन किए गए थे परन्तु इन संशोधनों के कारण अधिनियम की जटिलता और भी बढ़ गई थी । सन् १९३६ से १९५६ तक इसमें करीब उनतीस बार संशोधन हुआ तथा हर बार संशोधन काफी महत्वपूर्ण थे । इन सुधारों के कारण विधान बड़ा ही असंतुलित हो गया था । एक ही प्रकार की आय से सम्बन्धित नियम समस्त अधिनियम में बिखरे पड़े थे । यद्यपि पुराने अधिनियम में धारायें कुल ६५ थीं फिर भी प्रत्येक की इतनी अधिक व्यवस्थाएँ (Provisos) तथा छूटें थीं कि मूल धारा का स्वरूप ही विकृत हो जाता था ।

इन कठिनाइयों के कारण आय कर अधिनियम के पुनर्सं गठन का काम 'ला कमीशन' को सौंपा गया । कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सितम्बर १९५८ में प्रस्तुत की । परन्तु इसी बीच में Direct Taxes Administration Enquiry Committee (त्यागी कमेटी) की स्थापना हो चुकी थी अतएव आय कर विधान में सुधार का काम स्थगित कर दिया गया । १९५६ में 'त्यागी कमेटी' की रिपोर्टें प्राप्त हुईं । इन दोनों रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए नए अधिनियम की रचना की गई ।

नए अधिनियम की विशेषताएँ

नए अधिनियम में सर्वाङ्गीण परिवर्तन कर दिया गया है । यह वास्तव में पुराने अधिनियम का पुनर्गठन मात्र नहीं है, अनेक स्थलों पर इसमें मौलिक परिवर्तन किए गए हैं । नए अधिनियम की मुख्य मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं ।

१ नए अधिनियम में कुल मिलाकर २६८ धारायें तथा ५ अनुसूचियाँ (Schedules) हैं । पुराने अधिनियम में कुल ६५ धारायें थीं ।

२ प्रथम अध्याय में परिभाषाएँ दी गई हैं । इसमें ३ धाराएँ हैं । धारा २ त्रिगम परिभाषाएँ दी हैं वद्वत ही विस्तृत है । इसमें अनेक ४८ उपधाराएँ दी हैं ।

इस प्रकार पहले एक्ट में जहाँ कुल २६ परिभाषाएँ दी थी अब नए एक्ट में ४८ परिभाषाएँ दी हैं। निम्नलिखित परिभाषाएँ नई सम्मिलित की गई हैं।

वार्षिक मूल्य (२), एपीलेट ट्रिव्यूनल (४), स्वीकृत ग्रेच्युटी फण्ड (५), स्वीकृत सुपर एग्युएशन फण्ड (६), कर निर्धारण (assessment) (८) कर देय वर्ष (assessment year (९), आयकर की औसत दर (१०), अधिकर की औसत दर (११), दानार्थ (charitable purpose) (१५), कम्पनी, जिसमें जनता का पर्याप्त हित है (१८), डायरेक्टर, मैनेजर तथा मैनेजिंग एजेन्ट (२०), वैधानिक प्रतिनिधि (Legal representative) (२६), विदेशी (३०), व्यक्ति जिसका कम्पनी में पर्याप्त हित है (२) व्यवसाय (profession), (१६), प्रमाणित प्राविडेंट फण्ड (३८), सम्बन्धी (relatine) (४१), कर वसूल करने का अधिकारी (recovery officer) (४४) तथा हस्तान्तरण (४७) * ऊपर दी हुई परिभाषाओं में कुछ तो विभिन्न स्थलों पर दी भी गई थी। परन्तु नए एक्ट में सबको एक स्थान पर कर दिया गया है।

३ द्वितीय अध्याय में ६ धाराएँ (४-९) हैं। इसमें आय कर का आधार तथा निवास स्थान के सम्बन्ध में दिया गया है। इसमें पुराने एक्ट की धारा ३, ४, ५८ तथा १२ में लिखित आवश्यक नियम एक स्थान पर दिए गए हैं। निम्नलिखित नई धाराओं का समावेश किया गया है।

(१) कर देयता (Charge of income tax)—पुराने एक्ट की धारा ३ को और विस्तृत कर दिया गया है तथा स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि नया विधान गत वर्ष के अलावा अन्य वर्षों पर भी लागू हो सकता है यदि एक्ट में ऐसा दिया हो। तथा जहाँ जहाँ एक्ट में वर्णित है आय कर या तो उद्गम स्थान में काटा जावेगा अथवा अग्रिम दिया जावेगा। [४ (२)]

(२) निवासियों का पुराना वर्गीकरण कायम रखा गया है और पुराने एक्ट की ही भाँति नए एक्ट में भी तीन वर्ग हैं (१) साधारण निवासी (Ordinarily Resident) (२) असाधारण निवासी (Not ordinarily resident) तथा (३) विदेशी (Non resident)। परन्तु निवास की शर्तों में कुछ परिवर्तन कर दिए गए हैं जो निम्नलिखित हैं।

(i) पुराने अधिनियम के अनुसार कोई व्यक्ति यदि १८२ दिन तक कर देश

*कोष्ठक में अंक नए अधिनियम की धारा २ की उपधाराएँ प्रकट करते हैं।

प्रदेश में निवास स्थान रखें तथा स्वयं कम से कम एक दिन के लिए रहे तो उसे निवासी माना जाता था। नए अधिनियम में निवास काल ३० दिन कर दिया गया है।

(ii) पुराने अधिनियम में यदि कोई व्यक्ति गत वर्ष से पहले ४ साल में ३६५ दिन कर देय प्रदेश में रहा हो तथा गत वर्ष में कम से कम एक दिन रहा हो तो वह निवासी माना जाता था, नए अधिनियम में निवास की अवधि बढ़ा कर कम से कम ६० दिन कर दी गई है।

(३) निवास के सम्बन्ध में निम्नलिखित वाक्य स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति गत वर्ष में किसी एक आय की अद के लिए निवासी समझा जाय तो समस्त मदों के लिए उस वर्ष निवासी समझा जावेगा। [६ (५)] साथ ही साथ इस बात का भी उल्लेख स्पष्ट कर दिया गया है कि धारा ६ (१), ६ (२) तथा ६ (३) में वाण्य शर्तों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति भारत का निवासी ही माना जावेगा जब तक गत वर्ष में उसके कार्य का प्रबन्ध तथा संचालन पूर्णतया बाहर से न हुआ हो। [६ (४)]

इस उपधारा का प्रभाव यह पड़ेगा कि ऐसे समस्त व्यक्ति जो एक्ट में लिखी शर्तों के अनुसार विदेशी या असाधारण निवासी नहीं साबित होते अब निवासी मान लिये जायेंगे। इसके अभाव में इस प्रकार के अनिश्चित लोग विदेशी की कोटि में आते थे।

४ कर मुक्त आय के सम्बन्ध में पर्याप्त परिवर्तन किया गया है। धारा १० से १३ तक ऐसी आय का वर्णन है जो आय कर से मुक्त है। जो आय अधिकर से मुक्त है उसका वर्णन अध्याय ११ में धारा ६६ में किया गया है। एक नया वर्गीकरण इस सम्बन्ध में आरम्भ किया गया है। बीमा, प्राविडेन्ट फण्ड में अशदान, दान इत्यादि को पहले 'कर मुक्त आय' के अन्तर्गत रखा जाता था परन्तु सैद्धान्तिक रूप से यह गलत था क्योंकि यह आय के साधन न होकर व्यय के साधन है तथा व्यय का कर मुक्त होना कोई अर्थ नहीं रखता। अतएव नये एक्ट में उसकी भाषा बदल कर उसका नाम 'छूट' (Rebate) कर दिया गया है तथा उसे अलग एक नए अध्याय में दे दिया गया है। अधिकर की छूट की धारायें अधिकर के साथ दी गई हैं।

५ आय कर से मुक्त आय में निम्नलिखित नई धारायें जोड़ी गई हैं।

(i) शिक्षा के व्यय को बहन करने के लिये दी हुई छात्रवृत्ति [१० (१६)] तथा विश्व विद्यालय और शिक्षा संस्थाओं की आय [१० (२२)] को कर मुक्त घोषित कर दिया गया है।

(ii) दानार्थ ट्रस्टो को जहाँ एक ओर प्रोत्साहन दिया गया है तथा धारा ११ के अन्तर्गत उनकी आय को कर मुक्त माना गया है वहाँ नई धारा १२ के द्वारा इस बात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है कि लोग इसका अनुचित लाभ न उठाएँ। इसलिये निम्नलिखित आय को कर मुक्त नहीं माना गया है।

(अ) यदि ट्रस्ट का उद्देश्य किसी व्यक्तिगत धार्मिक उद्देश्य की पूर्ति के लिये हो [१३ (a)]

(ब) यदि ट्रस्ट की स्थापना एक्ट के पास होने के बाद से हो तथा उसके द्वारा ट्रस्ट बनाने वाले को, अथवा उसके किसी सम्बन्धी को, अथवा यदि वह संयुक्त हिन्दू परिवार का सदस्य है तो उस परिवार के किसी सदस्य को, ट्रस्ट की आय का कोई अंश प्राप्त होता हो। [१३ (b)]

६ अधिनियम का सबसे विस्तृत अंग आय की मदों के सम्बन्ध में है इस भाग में कुल मिलाकर ४५ धाराएँ (धारा १५ से धारा ६६ तक) हैं। पुराने एक्ट में यह सब नियम कुल ५ धाराओं (धारा ७, ८, ९, १० तथा १२) में दिए हुए थे। धाराओं में सस्या वृद्धि इस प्रकार हुई है।

(१) बेटन सम्बन्धी नियम जहाँ पहले एक धारा ७ में दिये थे अब तीन धाराओं १५, १६, १७ के अन्तर्गत दिए हैं।

(२) प्रतिभूतियों की आय से सम्बन्धित नियम जहाँ पहले एक धारा ८ में दिये थे वहाँ अब वे चार धाराओं (धारा १८, १९, २०, २१) में दिये गये हैं।

(३) गृह सम्पत्ति सम्बन्धी आय के नियम जहाँ एक धारा ९ में दिये थे अब उनके स्थान पर ६ धाराएँ (धारा २२ से धारा २७ तक) रक्खी गई हैं।

(४) व्यापारिक लाभ से सम्बन्धित नियम जहाँ पहले एक धारा १० में दिये थे अब उसके स्थान पर १७ धाराएँ (धारा २८ से ४४ तक) दी गई हैं।

(५) अन्य साधनों से आय तथा पूंजी गत आय से सम्बन्धित नियम पहले एक धारा १२ के अन्तर्गत आते थे। अब उसके स्थान पर पूंजी गत आय में अकेले ११ धाराएँ (धारा ४५ से ५५ तक) हैं। अन्य साधनों की आय में चार धाराएँ (धारा ५६ से ५९ तक) हैं।

७ निम्नलिखित नई धाराएँ इस सम्बन्ध में जोड़ी गई हैं।

(१) गृह सम्पत्ति की आय के सम्बन्ध ३ नई उपधाराएँ जोड़ी गई हैं।

(क) यदि कोई व्यक्ति अपनी गृह सम्पत्ति बिना पर्याप्त प्रतिफल (Consi-

de के अपनी पत्नी अथवा नाबालिग सतान को हस्तांतरित कर देता है तो सम्पत्ति का स्वामी वह स्वयं ही माना जावेगा । [२७ (i)]

(ख) वार्षिक भार (annual charge) के सम्बन्ध में स्पष्ट कर दिया गया है कि इसमें कोई केन्द्रीय, प्रान्तीय अथवा स्थानीय सरकार का कर नहीं शामिल है [२७ (iv)]

(ग) 'पू जी गत भार' (capital charge) की परिभाषा स्पष्ट कर दी गई है ।

(२) व्यापारिक लाभ के अन्तर्गत, कर दाता द्वारा स्वीकृत ग्रेज्युटी फण्ड में दिया गया अदा दान धटाने योग्य व्यय मत लिया गया है । [३६ (१-५)]

(३) पू जी गत लाभ के सम्बन्ध में निम्नलिखित नई धाराय जोड़ी गई है ।

(अ) कम्पनियों तथा फर्मों के विघटन पर पू जी के वितरण के समय 'पू जी गत आय' के अन्तर्गत कर किस प्रकार लगना चाहिये, इस सम्बन्ध में विस्तृत नियम दिये गये हैं । [४६, ४७ (२)]

(ब) पू जी गत आय के निर्धारण में लागत तथा उसके सुधार में किये जाने वाले पू जीगत व्यय का बड़ा महत्व है । इससे स्पष्ट रूप से धारा ५५ में अलग से दिया गया है ।

८ अभी तक नकद साख (cash credit) के सम्बन्ध में कोई नियम नहीं था परन्तु आय कर अधिकारी परपरा के अनुसार उचित प्रमाण के अभाव में उसे आय मानकर उस पर कर लगा देते थे । अब इस सम्बन्ध में स्पष्ट नियम बना दिया गया है कि यदि किसी व्यक्ति का रुपया खाते में जमा दिखलाया जाय और उसका उचित प्रमाण न हो तो उस गत वर्ष की आय मान लिया जाय । [६८]

इसी प्रकार यदि किये हुये विनियोग के लिये प्राप्त पू जी का ठीक ठीक प्रमाण न दिया जा सके तो उस भी आय मान लिया जावेगा [६९] इन धाराओं के द्वारा आय कर अधिकारियों को कानूनी शक्ति प्राप्त हो गई है ।

९ वेतन के सम्बन्ध में मिलने वाली कृत्र मुविधाओं को अब प्रतिभूतियों के ब्याज पर भी लागू कर दिया गया है । नए अधिनियम के अनुसार यदि प्रतिभूतियों पर पुराना ब्याज दान से किसी व्यक्ति की किसी वर्ष आय बढ जाय और उसे ऊँची दर पर कर देना पडे तो इनकम टैक्स आफिसर उक्त उचित मुविधा (relief) दे सकता है । [८६ (२)]

१० अविभाजित लाभ पर कर लगाने के सम्बन्ध में धारा १०४ से १०६ तक दिया गया है। इस सम्बन्ध में विभाजन योग्य आय (Distributable income) तथा विनियोग कम्पनी की विस्तृत परिभाषायें दी गई हैं। इस प्रकार इसमें निश्चयात्मकता आ गई है। [१०६ (१) (२)]

इस भाग के अन्तर्गत करदाताओं को कुछ विशेष मुविधाएँ भी प्रदान की गई हैं। उदाहरणार्थ कम्पनियों को आय के विभाजन में किसी प्रकार की कमी को आगे पूरा करने का अवसर दिया गया है, धारा १०४ (अविभाजित लाभ पर सुपर टैक्स) के अन्तर्गत आर्डर निकालने की सीमा निर्धारित कर दी गई है और यह कर देय वर्ष से चार वर्ष के बाद नहीं दिया जा सकता। [१०६], विभाजित लाभ में दान की रकम भी सम्मिलित कर ली गई है।

१ आयकर अधिकारियों की नियुक्ति, कार्यक्षेत्र, अधिकार इत्यादि के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना अध्याय २३ में दी गई है। इसमें कुल मिलाकर २२ धारार्यें (११५ से १३८ तक) हैं। इसमें निम्नलिखित नवीन व्यवस्थाएँ की गई हैं।

(१) यदि कोई व्यक्ति समन निकालने पर गवाही देने या उचित प्रमाण देने के लिए उपस्थित नहीं होता तो आयकर अधिकारी उस पर ५०० रु० तक जुर्माना कर सकता है। [१३१ (२)]

(२) आयकर के लिए दिये गये समस्त कागजात गुप्त माने जाते हैं तथा उनकी सूचना दूसरों को नहीं दी जा सकती। अधिनियम में अनेक ऐसे अपवादों का वर्णन है जिनमें इस प्रकार की सूचना दी जा सकती है। अपवादों की संख्या काफी है। नए एक्ट में दो और भी व्यवस्थाएँ की गई हैं। एक तो इस प्रकार की सूचना अथवा साक्षी देने वाला स्वयं उसे दूसरों को बतला सकता है, [१३७ (५)], दूसरे यदि कोई व्यक्ति स्वीकृत फीस देकर लिखित प्रार्थना पत्र देता है तो कमिश्नर किसी करदाता के आयकर के सम्बन्ध में सूचना दे सकता है। [१३८]

(३) यह स्पष्ट कर दिया गया है कि करदाता को अपना कर निर्धारण किसी विशेष स्थान पर करवाने का अधिकार न होगा। आयकर के मामलों को हस्तांतरण करने के सम्बन्ध में भी अधिक विस्तृत नियम दिए गए हैं।

१२ आम नोटिस की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। करदाता अब कर निर्धारण के पहले 'किसी समय' आय का विवरण नहीं पेश कर सकता इसके लिए चार वर्ष की सीमा निर्धारित कर दी गई है।

१३ दुबारा कर निर्धारण (Reassessment) के सम्बन्ध में भी कुछ

परिवर्तन किए गए हैं। १६ साल से पहले के खातों को कर निर्धारण के लिए फिर से नहीं मांगा जा सकता।

१४ फर्मों की रजिस्ट्री के सम्बन्ध में बहुत सी सुविधाएँ प्रदान की गई हैं। पहले फर्मों की रजिस्ट्री का नवीनीकरण प्रति वर्ष होता था अब यह आवश्यक नहीं है। फर्म आय के विवरण के साथ ही एक घोषणापत्र दे सकती है कि उसके विधान (Constitution) में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। भग हो चुकी फर्म वाद में रजिस्ट्री के लिए प्रार्थना पत्र दे सकती है।

१५ आयकर की वसूली के सम्बन्ध में नियम अध्याय १७ में दिए गए हैं। इसमें निम्नलिखित नई व्यवस्थाएँ की गई हैं।

(१) कर जमा करने की नोटिस मिल जाने के ३५ दिन के अन्दर कर जमा करना आवश्यक है। [२२० (१)] इस समय के अन्दर रुपया न जमा करने पर ४% की दर से व्याज देना पड़ेगा। इसी प्रकार 'रिफण्ड' समय पर न होने पर सरकार को ४% की दर से व्याज देना भी पड़ेगा।

(२) कर की वसूली के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। पहले एक्ट के अनुसार आयकर अधिकारी को एक सर्टिफिकेट जिलाधीश के पास भेजना पड़ता था जो कर वसूल करने की व्यवस्था करता था। अब ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि रेवेन्यू विभाग का ही कोई अधिकारी (Recovery Officer) नियुक्त किया जा सकता है। तथा वह कर न देने वाले की सम्पत्ति को बँच कर स्वयं कर वसूल कर सकता है। [२२२, २२३]

वसूली के सम्बन्ध में पहले नियम हर राज्य में अलग-अलग थे अब उन्हें अधिनियम के अन्दर ही देकर उनका प्रमापीकरण कर दिया गया है।

१६ अपील इत्यादि के सम्बन्ध में सुविधाएँ बढ़ा दी गई हैं तथा जो मामले अपील के लिए पेश किए जा सकते हैं उनकी संख्या बढ़ा दी गई है।

प्रश्न

1. Give a brief history of Income Tax in India.
2. Why was Income Tax Act 1922 changed in 1961 Point out the main features of the new act.

परिभाषाएँ

१. कृषि-आय (Agricultural Income)

आय कर अधिनियम १९६१ की धारा २ (१) के अनुसार कृषि आय की परिभाषा निम्नलिखित प्रकार से दी गई है :

“कृषि आय से तात्पर्य ऐसी भूमि से प्राप्त होने वाले किराये अथवा अन्य प्रकार की आय से है, जिसे कृषि कार्य के लिए प्रयोग किया जाता हो तथा जिस पर भारतीय लगान लगता हो अथवा सरकार को स्थानीय कर देना पड़ना हो।”

इस प्रकार कृषि आय के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं ।

[१] आय भूमि से प्राप्त हुई हो ।

[२] आय भूमि पर किए जाने वाले कृषि कार्य द्वारा हुई हो । इस सम्बन्ध में कृषि सम्बन्धी आय को ५ भागों में बाँटा जा सकता है ।

(अ) कृषि कार्य द्वारा की हुई आय—भूमि पर फसल बोने से जो आय प्राप्त होती है उसे कृषि आय माना जावेगा । फसल खाद्यान्न, अथवा व्यापारिक फसल जैसे चाय, काफी, तम्बाकू, गन्ना, रबड़, जूट इत्यादि हो सकती है । यदि जंगल में वृक्षारोपण किया गया हो तो उसकी आय कृषि आय मानी जायेगी, परन्तु यदि वृक्ष अपने आप उगे हो तो उसकी आय को कृषि आय नहीं माना जावेगा ।

[C. I T Vs Raja Benoy Kumar Sahas Roy 1957]

(आ) तैयार फसल पर की जाने वाली अन्य क्रियाएँ—फसल तैयार होने के बाद भी फसल पर अनेक अन्य क्रियाएँ करनी पड़ती हैं, जैसे गल्ले का माडना, छाटना, बोरो में लगाना इत्यादि । ये सब कृषि कार्यों में ही सम्मिलित हैं । अधि-

नियम के अनुसार यह आवश्यक है कि कृषि पदार्थों में उतना ही काम किया गया हो, जिससे वे बाजार में बिकने लायक हो सकें, इसके अलावा जो काम किया जायेगा, उससे मिलने वाले लाभ को कृषि आय नहीं माना जावेगा। उदाहरण के लिए तम्बाकू उत्पन्न करने, तोड़ने तथा सुखाने का काम कृषि कार्य माना जायेगा और इससे होने वाली आय को कृषि आय कहेंगे, परन्तु यदि कोई तम्बाकू में खुशबू या मसाला मिला कर बचता है तो इस प्रकार अधिक मिलने वाली रकम कृषि आय नहीं मानी जावेगी। इसी प्रकार गेहूँ को पीस कर बेचना, रूई को ओटना, अथवा चाय को तैयार करना कृषि कार्य नहीं माना जा सकता।

(इ) कृषि पदार्थों की बिक्री से प्राप्त होने वाली आय—यदि कृषक अथवा वस्तु के रूप में लगान देने वाला स्वयं उसको बेचने की व्यवस्था करता है तो उसको मिलने वाला लाभ कृषि आय माना जावेगा, बशर्त कि कृषि पदार्थ पर ऊपर के भाग (आ) में वर्णित कार्यों के अतिरिक्त कोई कार्य न किया गया हो। उदाहरणार्थ यदि कोई किसान कपास उत्पन्न करता है और साथ ही साथ कपास की दुकान भी करता है, तो कपास बेचने से मिलने वाला लाभ कृषि आय माना जावेगा, परन्तु यदि वह उस कपास को ओट कर अथवा उसकी पूनी या सूत बना कर बेचता है तो उसे कृषि आय नहीं माना जावेगा। इसके लिए आवश्यक है कि कृषि पदार्थ पर उतना ही कार्य किया गया हो जितना कि वस्तु को बाजार में बेचने के लायक बनाने के लिए पर्याप्त हो सके।

(ई) भूमि से मिलने वाला लगान या अन्य कोई आय—यदि कोई भूमि का मालिक किसी अन्य व्यक्ति को कृषि कार्य के लिए जमीन देता है तो उससे मिलने वाला लगान या अन्य कोई रकम कृषि आय मानी जावेगी। भूमि का कृषि कार्य के लिए दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है। उदाहरणार्थ यदि भूमि कृषि में प्रयुक्त होने वाले जानवरों को चराने के लिए पट्टे पर दी जाय, तो इस प्रकार पट्टे से होने वाली आय को कृषि आय माना जावेगा, मले ही घास भूमि पर अपने आप उगी हो। [C. I T Vs Rai Shamsheerjang Bahadur 1953] यदि जमीन किसी वृक्षरक्षाने के जानवरों को चराने के लिए दी गई हो तो उसे कृषि आय नहीं माना जावेगा।

इसी प्रकार यदि कोई डेरी कंपनी अपनी निजी भूमि पर पशुओं को चराती है तो उसकी आय को कृषि आय माना जावेगा। [C. I T. Vs Vankat-swamy Naidu, 1956]

(उ) इमारतों से होने वाली आय—निम्नलिखित परिस्थितियों में इमारतों से होने वाली आय को भी कृषि आय माना जावेगा—

(१) इमारत खेतों के बीच में अथवा उनके पास हो (२) इमारत पर कृषक, खेतों के स्वामी अथवा वस्तु के रूप में लगान पाने वाले का स्वामित्व हो तथा किसी एक के अधिकार में हो। (३) इमारत का उपयोग कृषि-सहायक कार्य के लिए होता हो।

[३] भूमि पर भारतीय लगान लगता हो अथवा सरकार को स्थानीय कर देना पड़ता हो। इस प्रकार यदि किसी व्यक्ति के पास नेपाल में जमीन हो तो उसे कृषि आय नहीं माना जावेगा, क्योंकि उस पर भारतीय लगान नहीं देना पड़ता है। इसी प्रकार स्थानीय कर से तात्पर्य स्थानीय सस्थाओं द्वारा दिए गए कर से नहीं है। कर की वसूली प्रांतीय अथवा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा होनी चाहिए।

निम्नलिखित आय को कृषि-आय नहीं माना जावेगा—

- (१) नुमाइश, मेले अथवा बाजार के लिए दी हुई भूमि से आय।
- (२) पत्थर की खानों अथवा ईंट बनाने के लिए बेची हुई जमीन की आय।
- (३) खान खोदने के लिए दी गई जमीन से मिलने वाली आय, जैसे रायल्टी।
- (४) मत्स्यपालन, सिंचाई लगाने के लिए दिए हुए तालाबों की आय।
- (५) समुद्री जल को भूमि पर लाकर नमक बनाने से होने वाली आय।
- (६) सिंचाई के लिए दिए गए पानी से प्राप्त होने वाली आय।
- (७) लाख की खेती से होने वाली आय।
- (८) कृषि फार्म के मैनेजर को मिलने वाला वेतन।

अंशतः कृषि-आय (Partly Agricultural Income)

निम्नलिखित आय को आंशिक रूप से कृषि आय माना जाता है।

- (१) कर देय प्रदेश के विक्रेता द्वारा तैयार की हुई चाय—६०% कृषि आय मानी जाती है और उस पर कर नहीं लगता।
- (२) गन्ने की मिल अगर स्वयं अपने फार्म का गन्ना इस्तेमाल करे तो गन्ने की रकम को कृषि आय माना जावेगा।

कृषि-आय का अधिकारी कौन हो सकता है ?

केवल निम्नलिखित व्यक्ति ही कृषि आय के अधिकारी माने जा सकते हैं।

- (१) स्वयं कृषि कार्य करने वाला व्यक्ति।

(२) भूमि का मालिक जो उसे लगान पर उठा देता है ।

(३) भूमि को रेहन रखने वाला, यदि भूमि उसके अधिकार में दे दी गई है । यदि भूमि उसके अधिकार में न दी गई हो तो रेहन रखने वाला व्यक्ति कृषि आय का अधिकारी न होगा ।

(४) वस्तु के रूप में लगान पाने वाला व्यक्ति ।

निम्नलिखित लोगों को मिलने वाली आय कृषि आय नहीं मानी जावेगी ।

(१) यदि कोई व्यक्ति खड़ी फसल खरीद लेता है और बाद में उसे कटवा कर बिक्री की व्यवस्था करता है ।

(२) यदि कोई कृषि कार्य करने वाली कम्पनी लाभांश बांटती है तो लाभांश पाने वाले व्यक्ति के हाथ में वह कृषि आय नहीं मानी जायेगी । [C. I. T. Vs Bacha Guzdar—1955]

२. करदाता (Assessee)

आयकर अधिनियम १९६१ के अन्तर्गत करदाता की परिभाषा इस प्रकार दी गई है—

करदाता से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिनके द्वारा आयकर, सुपर टैक्स अथवा आय कर अधिनियम के मातहत कोई रकम देय हो । करदाताओं में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित किए जावेंगे—

१ जिन लोगों की आय का मूल्यांकन (assessment) करने की कार्यवाही की गई हो ।

२ किसी ऐसे व्यक्ति की आय का मूल्यांकन (assessment) करने की कार्यवाही की गई हो जिसके कर के लिये वे स्वयं उत्तरदायी हो ।

३ यदि किसी व्यक्ति को वसूल किये हुये कर की वापसी (refund) लेना हो, जैसे किसी अशुधारी को, जिसकी धाय मुक्त आय से बन्नी हो तथा कम्पनी द्वारा काटे हुये आयकर को वापस लेना हो ।

४ किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् उसका कानूनी प्रतिनिधि (legal representative) उसके समस्त करों के लिये उत्तरदायी होगा तथा उसके स्थान पर करदाता माना जावेगा । [धारा १५६]

५ किसी विदेशी (non-resident) की आय के लिये निम्नलिखित में से कोई व्यक्ति करदाता माना जा सकता है । [धारा-१६३]

- (क) विदेशी द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति ।
- (ख) जिस व्यक्ति का उस विदेशी से व्यापारिक सम्बन्ध हो ।
- (ग) जिसके द्वारा विदेशी को अपनी आय प्राप्त होनी है ।
- (घ) जो उस विदेशी का ट्रस्टी हो ।

६ किमी नाबालिग, पागल, मूढ़ (idiot) व्यक्ति के सम्बन्ध में उसका प्रबन्धक अथवा सरक्षक, जिसको उत्तरी आय पाने का अधिकार हो, उसके बदले करदाता माना जावेगा । [धारा १६० (०)]

७ कोर्ट आफ वाड्स के मातहत सम्पत्तियों में उसके प्रबन्धक को ही कर दाता समझा जायेगा [धारा १६० (३)]

८ किसी ट्रस्ट का ट्रस्टी अथवा मुसल्मानी वक्फ का प्रबन्धक उस ट्रस्ट अथवा वक्फ की आय के लिये करदाता समझा जावेगा [१६० (४)]

९ किसी मृत व्यक्ति की स्थायी सम्पत्ति के लिए उसका executor कर के लिये उत्तरदायी समझा जायेगा । [धारा-१६८]

१० यदि किसी व्यापार का उत्तराधिकार (मृत्यु के अलावा अन्य किसी कारण से) किसी व्यक्ति को प्राप्त हो जाय तो वह उत्तराधिकार प्राप्त होने की तिथि से बाद में होने वाली आय के लिये उत्तरदायी होगा, परन्तु यदि उसके पूर्व-विकारी का पता न हो तो पिछले वर्ष तथा इसके पहले वर्ष का कर भी उत्तराधिकारी को ही देना होगा । [धारा-१७०]

११ यदि किसी व्यक्ति को आयकर अधिनियम की किसी धारा के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को दी जाने वाली रकम पर आयकर काट लेना चाहिये और वह नहीं काटता या काट कर जमा नहीं करता तो उसे ही करदाता माना जायेगा । [धारा १०१ (१)]

३. गतवर्ष (Previous year)

आय कर हमेशा गत वर्ष की आय पर लगता है । गत वर्ष के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियम लागू होते हैं ।

१ साधारण तौर पर गत वर्ष ३१ मार्च के पहले १२ महीने को कहते हैं । उदाहरणार्थ सन् १९६२-६३ में कर उस आय पर लगेगा जो ३१ मार्च सन् १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में प्राप्त की गई है ।

२ यह कोई आवश्यक नहीं कि हर आदमी अपना खाता ३१ मार्च को ही बन्द करे । वह दशहरा, दीवाली, ३१ दिसम्बर या ३० जून या अन्य किसी दिन

बन्द कर सकता है। ऐसी दशा में जिस वित्तीय वर्ष में खाते बन्द किए जाय, उससे अगले वर्ष में उस पर कर लगेगा। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यक्ति ३० जून, १९६० को खाता बन्द करता है तो यह वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में पडता है, अतएव इस पर कर १९६१-६२ में लगेगा।

३. यदि किसी व्यक्ति को भिन्न-भिन्न साधनों से आय होती है तो प्रत्येक के लिये अलग-अलग गत वर्ष मान सकता है। परन्तु कुल आय के लिये समस्त साधनों की आय को जोड़ना पडगा।

४. फर्म से प्राप्त लाभ के लिये गत वर्ष वही माना जायेगा, जो फर्म ने स्वयं रखा है। परन्तु यह उमी समय लागू होगा जब कि फर्म को स्वयं कर देना पडा हो।

५. नये व्यापार के लिये अगली ३१ मार्च अथवा अन्य किसी तारीख को गत वर्ष के लिये प्रयोग किया जा सकता है। एक बार एक खाते बन्द करने का वर्ष चुन लेने के बाद उसे इनकम टैक्स अफसर की अनुमति से ही बदला जा सकता है।

६. साधारणतया वर्ष १२ महीने का माना जाता है, परन्तु विशेष परिस्थितियों में कमिश्नर ११ अथवा १३ महीने तक का वर्ष भी मान सकता है।

४. करदेय प्रदेश (Taxable Territories)

कर देय प्रदेश का जानना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि आयकर अधिनियम करदेय प्रदेश में ही लागू होगा। करदेय प्रदेश के क्षेत्र में समय समय पर परिवर्तन होता रहा है, परन्तु १२ अप्रैल १९५४ के पश्चात् उससे तात्पर्य समस्त भारतवर्ष से है। इस सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण तारीखें इस प्रकार हैं।

(१) १५ अगस्त १९४७ से पूर्व—ब्रिटिश भारत तथा बरार

(२) १५ अगस्त १९४७ से २५ जनवरी १९५० तक—भारत के प्रान्त (कूचबिहार को छोड़कर)

(३) २६ जनवरी १९५० से ३१ मार्च सन् १९५० तक—'पाटं ए' के प्रान्त (कूच बिहार को छोड़कर तथा 'पाटं सी' के प्रान्त) मनीपुर की रियासत को छोड़कर।

(४) १ अप्रैल १९५० में १२ अप्रैल १९५० तक—जम्मू काश्मीर, पटियाला तथा पेप्सू की रियासतों को छोड़कर समस्त भारतवर्ष

(५) १३ अप्रैल १९५० से १२ अप्रैल १९५४ तक—जम्मू तथा काश्मीर को छोड़कर समस्त भारतवर्ष

(६) १३ अप्रैल १९५४ से—समस्त भारतवर्ष

५. उपाजित आय (Earned Income)

आयकर के लिये उपाजित तथा अनुपाजित आय में भेद किया जाता है। उपाजित आय में मनुष्य का शारीरिक तथा मानसिक थम करना पड़ता है, इसलिये उस पर छूट देना चाहिये। वेतन, व्यापार से मिलने वाला लाभ तथा पेशी का गारिथ्रमिक उपाजित आय का उदाहरण है जब कि सम्पत्ति की आय, प्रतिभूतियों पर व्याज अनुपाजित आय का उदाहरण है। किसी कंपनी के संचालक को मिलने वाला पुरस्कार, लेखक को पुस्तक को पर मिलने वाली रायल्टी, अभिगोपन सम्बन्धी कमीशन (under writing commission) का उपाजित आय माना जाता है।

उपाजित आय की छूट (Earned Income Relief)

कर देय वर्ष १९५६-५७ तक उपाजित आय सम्बन्धी छूट दी जाती थी। यह छूट केवल आयकर पर मिलती थी अधिकर पर नहीं। सन् १९५७-५८ के कर देय वर्ष में छूट केवल वेतन पर दी गई। इसके पश्चात् छूट देन की विधि में परिवर्तन कर दिया गया। पहिले कर सभी प्रकार की आय पर एक ही दर से लिया जाता था बाद में उपाजित आय की छूट घटा दी जाती थी। अब सर चार्ज की दर उपाजित आय के लिए कम तथा अनुपाजित आय के लिए अधिक है। इस प्रकार छूट आय कर तथा अधिकर दोनों के लिए ही प्राप्त है।

छूट की दर

प्रायः कर पर छूट—वर्तमान समय में आय कर की दो दरें हैं। एक तो वार्षिक रेट जिसका निर्णय प्रति वर्ष फाइनेंस एक्ट द्वारा होता है, और दूसरा सर चार्ज (Sur charge) जो वार्षिक दर से निकाली हुई रकम पर प्रतिशत के रूप में लगता है। उपाजित आय पर छूट इस सर चार्ज द्वारा दी जाती है। सर चार्ज की दर उपाजित आय पर १ लाख रुपये तक वार्षिक आयकर का ५% है उसके आगे १५% है। अनुपाजित आय पर शुरू से ही १५% है। इस प्रकार उपाजित आय पर १० प्रतिशत सर चार्ज की छूट मिल जाती है।

सुपर टैक्स पर छूट—आय कर के समान ही सुपर टैक्स पर भी एक तो वार्षिक दर लगती है और दूसरा सर चार्ज। उपाजित आय पर दर १ लाख रुपये तक दर ५% तथा आगे १५% है। अनुपाजित आय पर दर आरम्भ से ही १५% है।

उपाजित आय का अधिकार किसे है ?

उपाजित आय का अधिकार व्यक्तियों, संयुक्त हिन्दू परिवारों, विना रजिस्ट्री सुदा फर्मों तथा व्यक्तियों की संस्थाओं को प्राप्त है। कम्पनियों, स्थानीय संस्थाओं, तथा रजिस्ट्री सुदा फर्मों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। रजिस्टर्ड फर्म में कर साझेदारों को देना पड़ता है तथा वे ही उपाजित आय की छूट के अधिकारी भी होते हैं। साझेदारों को उपाजित आय की छूट का अधिकार तभी होता है जब वे व्यापार के काम में सक्रिय भाग लेते हों। यदि किसी व्यक्ति की पत्नी तथा नाबालिग पुत्र किसी फर्म में साझेदार हों तो केवल उस व्यक्ति के सक्रिय भाग लेने से ही उसकी पत्नी तथा पुत्र को भी उपाजित आय की छूट मिल जायेगी।

६ आय (Income)

आयकर मुख्यतः आय पर लगने वाला कर है अतएव आय की सही-सही और पूर्ण परिभाषा का होना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। आय की अनेक परिभाषाएँ समय-समय पर विभिन्न निर्णयों में दी गई हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं।

(१) आय से तात्पर्य सामयिक द्रव्य की प्राप्ति से है जो किसी निश्चित श्रेणी से नियमित रूप से अथवा सम्भावित नियमितता से प्राप्त हो। (C I T Vs Shaw Wallace and Co 1932]

नियमितता से तात्पर्य यह नहीं है कि आय लगातार निश्चित समय बाद अथवा निश्चित माना में प्राप्त होती रहे। परन्तु साधन ऐसा होना चाहिए जिससे लगातार आय की सम्भावना हो।

(२) जस्टिस पिटनी (Justice Pitney) के मतानुसार आय, पूँजी में होने वाली वृद्धि अथवा विनियोग के मूल्य में होने वाली वृद्धि नहीं है बल्कि किसी प्राप्ति अथवा लाभ को कहते हैं। यह एक विनिमय शील मूल्य होता है जो किसी भी प्रकार से विनियोग की हुई सम्पत्ति से प्राप्त होता है तथा प्राप्तकर्ता को अपने निजी उपयोग के लिए मिल जाता है। (U S Eisner Vs Macober)

यह सच होने हुए भी आय की सही-सही परिभाषा देना अथवा समस्त प्रकार की आय की सूची बनाना अत्यन्त कठिन है। प्रिवी काउंसिल ने स्वयं निर्णय दिया है कि वर्तमान समय में आय के इतने अधिक रूप हो गए हैं कि उनकी गणना नहीं हो सकती। (Kamakhya Narain Singh Vs. C I, T 1943)

जहाँ तक भारतीय आयकर का सम्बन्ध है, पुराने अधिनियम में आय की कोई परिभाषा नहीं दी हुई थी। केवल धारा (२-६ c) में यह दिया हुआ था कि आय में क्या-क्या सम्मिलित किया जायेगा। नए अधिनियम में धारा २ (२४) में भी आय की परिभाषा न देकर केवल यही दिया हुआ है कि इसमें कौन-कौन सी पदे शामिल हैं। ये मर्दे निम्नलिखित हैं।

(१) लाभ तथा प्राप्ति (Profits and gains)

(२) लाभांश।

(३) धारा १७ (२), (३) के अन्तर्गत वेतन के स्थान पर मिलने वाला कोई अनुलाभ (Perquisite) अथवा लाभ।

(४) किसी डायरेक्टर, अन्य किसी व्यक्ति को जिसका कि कम्पनी में पर्याप्त हिस्सा है, अथवा डायरेक्टर के किसी सम्बन्धी को कम्पनी से प्राप्त होने वाली कोई सुविधा अथवा अनुलाभ चाहे उसको द्रव्य के रूप में बदला जा सकता हो अथवा नहीं। यदि कम्पनी किसी अन्य व्यक्ति को इन लोगों के बदले ऐसा भुगतान करती है जिसको यदि कम्पनी न देती तो इन्हें देना पड़ता, तो उसे भी आय में सम्मिलित किया जायेगा।

(५) व्यापार से प्राप्त होने वाला कोई अन्य लाभ, जिसका जिक्र धारा २८ (ii) तथा (iii), अथवा धारा ४१ या धारा ५९ में किया गया है।

(६) कोई पूज्यगत लाभ जो धारा ४५ के अन्तर्गत आ जाता है।

(७) किसी पारस्परिक (Mutual) बीमा कम्पनी अथवा सहकारी समिति का लाभ जिसे धारा ४४ के अनुसार निकाला गया हो।

७. व्यक्ति (Person)

धारा २ (३१) व्यक्ति में निम्नलिखित व्यक्ति तथा सस्थाएँ सम्मिलित किए गए हैं।

(१) व्यक्ति।

(२) संयुक्त हिन्दू परिवार।

(३) कम्पनी।

(४) फर्म।

(५) व्यक्तियों का समुदाय।

(६) स्थानीय संस्था।

(७) प्रत्येक कृत्रिम व्यक्ति जिसको ऊपर के वर्गों में नहीं रखा जा सकता।
उदाहरणार्थ, स्कूल, कालेज, सस्थाएँ।

(८) व्यक्ति में नाबालिग को भी सम्मिलित किया जाता है। [Rex Vs New Market Commissioners]

८ पूंजीगत सम्पत्ति (Capital Asset)

आयकर विधान में अनेक स्थानों पर पूंजीगत सम्पत्ति का जिक्र आया है। इसलिए नए अधिनियम में उसकी भी परिभाषा अलग से दी गई है। [धारा २(१४)] उसके अनुसार पूंजीगत सम्पत्ति में सभी प्रकार की सम्पत्ति (Property) सम्मिलित है, चाहे व्यापार से उसका सम्बन्ध हो या न हो। निम्नलिखित सम्पत्तियाँ उसमें सम्मिलित नहीं हैं।

(१) व्यापारिक स्टॉक, स्टोर, कच्चा माल जिससे व्यापार अथवा पेशे के लिए रक्खा गया हो।

(२) व्यक्तिगत पदार्थ तथा चल सम्पत्ति (वस्त्र, जवाहरात, फर्नीचर आदि) जो व्यक्तिगत उपयोग में आते हैं।

(३) भारत में कृषि भूमि।

९. कम्पनी

नए विधान में कम्पनी की पर्याप्त विस्तृत परिभाषा दी गई है तथा उसमें निम्नलिखित को सम्मिलित किया गया है।

(१) कोई भारतीय कम्पनी।

(२) कोई भी समुदाय, (चाहे उसका इनकारपोरेशन हुआ हो या नहीं, वह भारतीय हो अथवा विदेशी) जिस पर १ अप्रैल १९४७ से तथा बाद में आयकर विधान १९२२ के अन्तर्गत कम्पनी के रूप में कर लग चुका है।

निम्नलिखित प्रकार की कम्पनियाँ ऐसी मानी जायेंगी जिनमें जनता का पर्याप्त हिस्सा है।

(१) सरकारी कम्पनी अथवा ऐसी कम्पनी जिसमें कम से कम ४० प्रतिशत अंश सरकार के पास हों।

(२) जो प्राइवेट कम्पनी नहीं हो तथा,

(क) कम से कम ५० प्रतिशत मताधिकार वाले अंश (निश्चित दर से लाभान्वित वाले अंशों को छोड़कर) गत वर्ष में सरकार, केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के किसी कारपोरेशन अथवा जनता (डायरेक्टरों अथवा ऐसी कम्पनियों को छोड़कर जिन पर ऊपर की शर्त नहीं लागू होती) के हाथ में है। तथा

(क) गत वर्ष में उपरोक्त अंशों की किसी स्वीकृत स्टॉक एक्सचेंज में खरीद-विक्री होती थी तथा

(ग) कम्पनी का ५० प्रतिशत से अधिक मतदाधिकार तथा नियंत्रण किसी भी समय ५ या कम लोगों के हाथ में नहीं रहा।

प्रश्न

I Write short notes on the following —

- (i) Agricultural income [Agra B Com 1948 55 57 60]
[Raj B Com 1950 52, 59]
- (ii) Previous year [Agra B Com 1949 51 55 56 59 60]
[Raj B Com 1952, 9]
[All India B Com 1953]
- (iii) Earned Income [Agra B Com 1956]
- (iv) Earned Income Relief [Agra B Com 1959]
- (v) Taxable Territory [Raj B Com 1951]
-

कर सम्बन्धी दायित्व

[Tax Liability]

आयकर के सम्बन्ध में सबसे महत्वपूर्ण भाग कर के दायित्व का निर्धारण है। प्रत्येक व्यक्ति को सभी प्रकार की आय पर कर नहीं देना पड़ता है। इस सम्बन्ध में दो बातें विशेष महत्व की हैं। (१) करदाता का निवास स्थान तथा (२) आय के उपाजित होने का स्थान।

१. करदाता का निवास स्थान (Residence of Assessee)

आयकर के लिए करदाता के निवास स्थान को निर्धारित करने वाले विशेष नियम होते हैं। निवास स्थान प्रत्येक वर्ष के लिये अलग-अलग निर्धारित किया जाता है। हो सकता है कि एक व्यक्ति एक वर्ष तो निवासी माना जाय, दूसरे वर्ष विदेशी हो। नए अधिनियम में निवास के सम्बन्ध में कुछ आवश्यक सुधार किए गए हैं। १९२२ के एक्ट के अनुसार निवासी ३ प्रकार के माने गये थे। [१] साधारण निवासी (Resident) [२] असाधारण निवासी (Not ordinarily resident) तथा [३] विदेशी (Non resident) 'ला कमीशन' ने सिफारिस की थी कि नए एक्ट में ३ वं स्थान पर कुल दो ही वर्ग रखे जाय निवासी, और विदेशी। परन्तु संसद ने तैयारी में तीनों वर्ग कायम रखे, यद्यपि उनकी शर्तों में कुछ परिवर्तन कर दिया है।

निवास की शर्तें व्यक्ति, संयुक्त हिन्दू परिवार, व्यापारिक फर्म अथवा संस्था तथा कंपनी के लिए अलग-अलग हैं।

व्यक्ति

किसी व्यक्ति के लिए निवास की शर्तें इस प्रकार हैं ।

असाधारण निवासी	साधारण निवासी	विदेशी
<p>निम्नलिखित में किसी एक शर्तें को पूरा करने पर—</p> <p>[१] गत वर्ष में १=२ दिन या अधिक भारत में रहा हो ।</p> <p>[२] गत वर्ष में भारत में १=२ दिन या अधिक के लिये निवास स्थान रखता हो तथा स्वयं कम से कम ३० दिन रहा हो ।</p> <p>[३] गत वर्ष के पहले के चार वर्षों में कम से कम ३१५ दिन भारत में रहा हो तथा गत वर्ष में कम से कम ६० दिन रहा हो ।</p> <p>[४] वह गत वर्ष भारत में आया हो तथा इनकम टैक्स आफिसर को विश्वास हो कि वह कम से कम ३ वर्ष तक भारत में ठहरने के इराद से आया है ।</p>	<p>असाधारण निवासी के लिये दी हुई शर्तों में से किसी एक को पूरा करता हो तथा निम्न-लिखित में दोनों शर्तों को पूरा करता हो ।</p> <p>[१] गत वर्ष के पहले के १० वर्षों में कम से कम ६ वर्ष भारत में निवासी (साधारण अथवा असाधारण) रहा हो ।</p> <p>[२] गत वर्ष के पहले के ७ वर्षों में कम से कम २ वर्ष भारत में निवास किया हो ।</p>	<p>कोई भी व्यक्ति जो साधारण या असाधारण निवासी की कोटि में नहीं आता विदेशी कहलायगा ।</p>

१९२२ के एकट से तुलना

असाधारण निवासी के लिए दी गई शर्तों में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं ।

१९२२ का एक्ट

१ गत वर्ष १८२ दिन या अधिक समय के लिए भारत में निवास स्थान की व्यवस्था तथा कम से कम १ दिन के लिए भारत में निवास ।

२ गत वर्ष से पहले के चार वर्षों में ३६५ दिन तक भारत में निवास तथा गत वर्ष कम से कम १ दिन का निवास । यह निवास आकस्मिक न हो ।

१९६१ का एक्ट

१ गत वर्ष १८२ दिन या अधिक के लिए भारत में निवास स्थान की व्यवस्था तथा कम से कम ३० दिन के लिये भारत में निवास ।

२ गत वर्ष से पहले के चार वर्षों में ३६५ दिन तक भारत में निवास तथा गत वर्ष कम से कम ६० दिन तक भारत में निवास ।

'आकस्मिक निवास' की शर्त हटा दी गई है ।

निवास तथा निवास स्थान के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें ध्यान देने योग्य हैं ।

(१) जहाँ एक से अधिक दिनों तक निवास की शर्त है, वहाँ यह आवश्यक नहीं है कि निवास लगातार हो अथवा एक ही स्थान पर निवास हो ।

(२) निवास स्थान के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह उसका निजी मकान हो । यदि निजी मकान भी पूर्णतया किराये पर उठा है तो 'निवास स्थान रखना नहीं माना जावेगा । इसके विपरीत यदि किराये का मकान भी खाली रखा जाता है तो उसे 'निवास स्थान रखना' मान लिया जावेगा ।

सयुक्त हिन्दू परिवार

सयुक्त हिन्दू परिवार में निवास की स्थिति कर्ता के निवास की स्थिति तथा परिवार के प्रबन्ध और संचालन के आधार पर रहती है । इसकी शर्तें इस प्रकार हैं ।

प्रसाधारण निवासी	साधारण निवासी	विदेशी
१ गत वर्ष में प्रबन्ध तथा नियंत्रण का कोई भाग भारत से संचालित हुआ हो ।	१ यदि प्रबन्धक अथवा कर्ता व्यक्ति के लिए वर्णित शर्तों के अनुसार साधारण निवासी है ।	१ यदि प्रबन्ध तथा संचालन पूर्णतया बाहर से हुआ है ।
२. प्रबन्धक अथवा कर्ता प्रसाधारण निवासी है ।		

नियंत्रण तथा संचालन से तात्पर्य यह है कि कना उस स्थान से परिवार की व्यवस्था करता है। यदि किसी समुक्त हिन्दू परिवार व्यापार की कई शाखाएँ हो जो देश के बाहर भी हो तो उसका प्रबन्ध तथा संचालन पूर्णरूप से भारत में नहीं हो सकता। यदि समस्त परिवार भारत में हो तथा किसी वर्ष कर्ता लगातार साल भर देश में बाहर रहे तो भी उसका संचालन बाहर से नहीं माना जायेगा क्योंकि परिवार का संचालन, कर्ता के अलावा ऐसी अवस्था में अन्य लोग करने लगते हैं।

फर्म तथा व्यक्तियों के सघ

फर्म तथा व्यक्तियों के सघों में दो ही वर्ग होते हैं (१) साधारण निवासी तथा (२) विदेशी। इसका निवास व्यापार के संचालन तथा प्रबन्ध के आधार पर माना जाता है।

असाधारण निवासी	साधारण निवासी	विदेशी
यह वर्ग नहीं होता। फर्म या तो साधारण निवासी होगी या विदेशी।	१ गत वर्ष में प्रबन्ध तथा नियंत्रण का कोई भाग भारत से हुआ हो।	१ गत वर्ष में प्रबन्ध तथा संचालन पूर्णतया बाहर से हुआ है।

कम्पनी

कम्पनियों का निवास उनके रजिस्ट्रेशन के स्थान तथा प्रबन्ध और संचालन के आधार पर होता है। कम्पनियाँ भी या तो साधारण निवासी होती हैं अथवा विदेशी।

असाधारण निवासी	साधारण निवासी	विदेशी
यह वर्ग नहीं होता। कंपनी या तो साधारण निवासी होगी या विदेशी।	१ कम्पनी एक भारतीय कम्पनी है। अथवा २ गत वर्ष में उसका प्रबन्ध तथा संचालन पूर्णतया भारत से हुआ है।	१ यह विदेशी कम्पनी है। तथा २ प्रबन्ध तथा संचालन का कोई भी भाग भारत के बाहर से हुआ है।

(१) भारतीय कम्पनी से तात्पर्य यह है कि कम्पनी को रजिस्ट्री भारतीय कपनी अधिनियम के अन्तर्गत अथवा अन्य किसी भारतीय अधिनियम के अन्तर्गत भारत में हुई है।

(२) प्रबन्ध तथा संचालन से तात्पर्य यह है कि डायरेक्टर लोग भारत में सभा करते हैं तथा व्यापार सम्बन्धी नीति निर्धारित करते हैं।

यदि किसी व्यक्ति को कई साधनों में आय प्राप्त होती है तथा गत वर्ष में किसी एक साधन से प्राप्त आय के अनुसार वह निवासी समझा जाय तो उस वर्ष सभी साधनों से प्राप्त आय पर निवासी के सम्मान ही कर लयेगा। यह धारा पुराने अधिनियम में नहीं थी। [६ (५)]

व्यक्ति के निवास स्थान का पता लगाने के लिए निम्नलिखित क्रम से चलना चाहिए।

(१) सब से पहले मालूम करो कि गत वर्ष में उसका निवास कितने दिन हुआ। यदि निवास १८२ दिन या अधिक है तो वह असाधारण निवासी ही जावेगा।

(२) यदि निवास १८२ दिन से कम है परन्तु ३० दिन से ऊपर है तो मालूम करो कि उसने गत वर्ष १८२ दिन से ऊपर निवास स्थान तो नहीं रक्खा।

(३) यदि ऊपर दी हुई दोनों शर्तें न लागू हों तथा निवास काल ६० दिन से ऊपर हो तो मालूम करो कि गत वर्ष से पहले के चार वर्षों में ३६५ दिन तक उसका निवास तो नहीं रहा है।

(४) यदि वह इस शर्त के अन्दर भी नहीं आता तो उसे विदेशी समझना चाहिए।

(५) यदि ऊपर दी हुई किसी शर्त के अन्दर आ जाता है तो निम्नलिखित बातों का और पता लगाओ।

(क) पिछले १० साल में वह कितने वर्ष निवासी रहा।

(ख) पिछले ७ साल में उसका निवास काल कितना रहा।

यदि वह १० साल में ६ साल निवासी अथवा असाधारण निवासी रहा है तथा ७ साल में २ साल भारत में उपस्थित रहा है तो वह साधारण निवासी माना जायेगा वरना असाधारण निवासी रहेगा।

करदेय आय (Taxable Income)

निवास स्थान के अनुसार विभिन्न वर्गों की कर देय आय निम्नलिखित प्रकार से निर्धारित की जायेगी । [५]

साधारण निवासी के लिए

(१) वह आय जो भारत में प्राप्त की गई हो अथवा जिसे भारत में प्राप्त समझा जाय, वह चाहे कहीं भी उपाजित की गई हो ।

(२) वह आय जो भारत में उपाजित की गई हो अथवा जिसे भारत में उपाजित समझा जाय, वह चाहे जहाँ प्राप्त की गई हो ।

(३) भारत के बाहर उपाजित आय जो बाहर ही प्राप्त की गई हो, उसका संचालन तथा नियंत्रण चाहे जहाँ से हुआ हो । इस प्रकार साधारण निवासियों की समस्त आय वह चाहे जहाँ पर अजित हो, करदेय होती है । सन् १९५६ तक ऐसी आय जो भारत के बाहर उपाजित हो तथा बाहर ही रक्खी जाय ४५०० रु० तक आय कर से मुक्त रहती थी । १९५६ से यह सुविधा समाप्त कर दी गई । अतएव अब देश के अन्दर अथवा विदेशों में प्राप्त कोई भी आय ऐसी नहीं है, जिस पर कर न लगता हो ।

असाधारण निवासी के लिए

(१) भारत में प्राप्त आय ।

(२) भारत में उपाजित आय ।

(३) विदेश में उपाजित आय, जो बाहर ही प्राप्त की जाय । यदि उसका संचालन तथा नियंत्रण भारत से हुआ हो ।

विदेशी के लिए

(१) भारत में प्राप्त आय ।

(२) भारत में उपाजित आय ।

प्राप्त आय

(१) आय के प्राप्त होने से तात्पर्य द्रव्य अथवा वस्तु के मिलने में है । यदि कोई गिरोत्ता कर्मचारी के बदले उसके कर्ज का भुगतान कर देता है अथवा स्वयं अपने कर्ज को कम कर देता है तो उसे प्राप्त आय ही माना जायेगा ।

(२) यह कोई आवश्यक नहीं कि करदाता ने स्वयं ही आय प्राप्त की हो। यदि किसी अन्य व्यक्ति ने उसके बदले प्राप्त किया है तो भी उसे प्राप्त माना जावेगा। उदाहरणार्थ यदि बाहर काम करने वाले किसी कर्मचारी का वेतन उसकी पत्नी को भारत में मिल जाता है तो वेतन भारत में प्राप्त माना जावेगा।

आयकर विधान की धारा ७ में इसका उल्लेख है। उसके अनुसार निम्नलिखित दो प्रकार की आय यद्यपि प्राप्त नहीं होती, फिर भी प्राप्त मान ली जाती हैं।

(१) मान्यता प्राप्त प्राविडेंट फण्ड में नियोजित द्वारा दी हुई रकम जो कर्मचारी के वेतन के १० प्रतिशत से अधिक हो। तथा प्राविडेंट फण्ड के विनियोग पर प्राप्त वह रकम जो वेतन के एक तिहाई से अधिक हो अथवा जिस पर ब्याज दर ६% से अधिक हो। इस प्रकार की आय यद्यपि कर्मचारी को प्राप्त नहीं होती, फिर भी उसकी कुल आय में जोड़ दी जाती है।

(२) यदि अमान्य प्राविडेंट फण्ड को बाद में मान्यता प्राप्त हो जाय तो पुराने प्राविडेंट फण्ड की जमा रकम, नये फण्ड में भेजी जाती है। ऐसी दशा में इनकमटैक्स आफिसर यह हिसाब लगाता है कि यदि फण्ड शुरू से ही मान्य होता तो कितनी रकम पर आय कर लगता। यह सब रकम यद्यपि उसको प्राप्त नहीं होती फिर भी प्राप्त मान ली जाती है।

यदि भुगतान चेक द्वारा किया जाय तो जहाँ के लिये चेक पोस्ट की जाय वही उसका प्राप्ति स्थान माना जायेगा। इस प्रकार यदि इंग्लैंड का एक व्यापारी भारत के किसी व्यक्ति के पाम चेक भेजता है तो उसका प्राप्ति स्थान भारत माना जायेगा। [C I T. Vs Ogale Glass Works—1954]

अर्जित आय

अर्जित आय के सम्बन्ध में दो बातें ध्यान देने योग्य हैं अर्जन का स्थान तथा अर्जन का समय। ऐसा सम्भव है कि आय एक स्थान पर अर्जित हो, परन्तु दूसरे स्थान पर प्राप्त हो एभी अबस्था में वह कहाँ अर्जित मानी जायगी? इसकी सबसे बड़ी पहिचान यह है कि जिस स्थान पर सेवाएं अर्पित की जाय अथवा जहाँ पर काम किया जाय वही अर्जन का स्थान माना जाता है। उदाहरणार्थ,

(१) 'क ने मूगफली खरीदकर गायचूर में अपने मिल में उसका तेल निकाला। बाद में कुछ तेल ब्रिटिश भारत में बेचा। ऐसी दशा में लाभ के अर्जन का स्थान आशिक रूप से गायचूर माना गया। [C I T Vs Ahmad Bhai Umar Bhai, 1950]

(२) अर्जन के समय के बारे में नियम यह है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में आय अर्जित मान ली जायेगी चाहे वह प्राप्त न हुई हो अथवा उसका निर्धारण भी न हुआ हो। उदाहरणार्थ, एक मैनेजिंग एजेंसी का कमीशन अर्जित मान लिया जायगा जब प्रबन्धित कम्पनी का लखा वर्ष (accounting year) समाप्त हो जाय चाहे कम्पनी के खाते उस समय तक न बने हों और कमीशन का निर्धारण भी सम्भव न हो। [E D Sason & Co Ltd Vs C. I T]

अर्जित आय के स्थान के सम्बन्ध में आयकर विधान की धारा ६ में इस प्रकार उल्लेख है। उसके अनुसार निम्नलिखित प्रकार की आय भारत में अर्जित मानी जायेगी।

(१) जो आय भारत में व्यापारिक सम्बन्ध द्वारा प्राप्त हुई है।

(२) जो आय भारत में स्थित अचल सम्पत्ति से प्राप्त हुई है।

(३) जो भारत में स्थित किसी अन्य सम्पत्ति (asset) अथवा आय के स्रोत से प्राप्त हुई हो।

(४) उधार दी हुई रकम पर व्याज, जो भारत से नकद अथवा वस्तु के रूप में लाया जाय।

(५) भारत में स्थित किसी पूंजीगत सम्पत्ति (capital asset) के हस्तान्तरण द्वारा प्राप्त रकम।

(६) यदि किसी व्यापार की समस्त क्रियाएँ भारत में नहीं की जाती तो अर्जित लाभ का उतना ही अंश भारत में अर्जित माना जायेगा जितना कि भारत में की गई क्रियाओं के फलस्वरूप प्राप्त होता है।

(७) यदि कोई विदेशी निर्यात करने के लिये भारत में माल खरीदता है तो उसकी आय भारत में अर्जित नहीं मानी जायेगी। परन्तु शर्त यह है कि भारत में उसका कोई दफ्तर या एजेंसी न हो तथा माल खरीद कर उस पर कोई निर्माण सम्बन्धी काम न किया गया हो।

(८) भारत सरकार यदि भारत के किसी नागरिक को भारत के बाहर सेवा करने के लिये वेतन देती है तो वह वेतन भारत में अर्जित माना जायेगा।

(९) यदि कोई भारतीय कम्पनी भारत के बाहर लाभांश बांटती है, तो लाभांश की रकम भारत में अर्जित मानी जायेगी।

भारत में लायी हुई विदेशी आय

सन् १९२९ के पहले 'निवासियों' की भी विदेशी आय पर कोई कर नहीं

पढता था जब तक वह भारत में न लायी जाय। इसके बाद निवासियों की विदेशी आय पर भी कर लगने लगा चाहे वह भारत में लाई जाय या न लाई जाय। परन्तु १ अप्रैल सन् १९४६ तक ४५०० रु० की छूट रही। इसके बाद यह छूट भी समाप्त हो गई तथा अब समस्त विदेशी आय पर कर देना पढता है चाहे वह भारत में लायी जाय या न लाई जाय। फिर भी निम्नलिखित प्रकार की विदेशी आय हो सकती है जिस पर टैक्स न पढा हो।

(१) अप्रैल १९३३ तथा अप्रैल १९३६ के बीच में उपाजित विदेशी आय।

(२) १९३३ से १ अप्रैल १९५६ तक ४५०० रु० छूट की रकम। यदि किसी व्यक्ति की विदेशी आय प्रतिवर्ष ४५०० से अधिक हो और वह भारत में १९४६ से १९५६ तक न लाया हो तो उसके पास ४५००० रु० की आय ऐसी हो जायेगी जिस पर कर नहीं दिया गया है। इसे भारत में लाने पर कर देना पड़ेगा।

(३) १९५६ के पश्चात् 'निवासियों' के पास बिना टैक्स की कोई विदेशी आय नहीं होगी।

करदेय आय को संक्षिप्त रूप में इस प्रकार रक्खा जा सकता है।

आय का प्रकार	निवासी, जिनको कर देना पड़ेगा।
१ भारत में उपाजित आय।	साधारण निवासी, असाधारण निवासी, विदेशी।
२ भारत में प्राप्त आय।	साधारण निवासी, असाधारण निवासी, विदेशी।
३ विदेशी आय जो भारत में नहीं लाई गई।	
(क) प्रबन्ध तथा संचालन भारत से।	साधारण निवासी, असाधारण निवासी।
(ख) प्रबन्ध तथा संचालन बाहर से।	साधारण निवासी।
४ बिना टैक्स दी हुई विदेशी आय जो भारत लाई गई।	साधारण निवासी, असाधारण निवासी।

SUMMARY

Residence

<i>Not Ordinarily resident</i>	<i>Ordinarily Resident</i>	<i>Non resident</i>
1 Individuals		
1 Stay 182 days or more,	1 A not ordinarily resident through one of four conditions	1 All the remaining persons
or	and	
2 Stay 30 days or more + dwelling 182 days or more	2 Resident for 9 out of 10 yrs	
or	and	
3 Stay 60 days or more in previous year and 365 days or more during 4 yrs prior to it	3 Stay for 2 years or more during past 7 years	
or		
4 Arrival with intention to stay for 3 yrs or more		
2 H U F		
1 Any part of control and management from India	1 Karta an ordinary resident	2 Control and management wholly from outside
or		
2 Karta a 'not ordinarily resident'		

<i>Not Ordinarily resident</i>	<i>Ordinarily Resident</i>	<i>Non resident</i>
3 Forms and Associations		
x	1 Any part of control and management from India	1 Control and management entirely from out of India
4 Company		
x	1 An Indian Company	1 A foreign Company and
x	2 Control and management wholly from India	2 Any part of control and management out of India

Tax Incidence

<i>Ordinary Resident</i>	<i>Not ordinarily resident</i>	<i>Non resident</i>
1 Income accrued in India	1 Income accrued in India	1 Income accrued in India
2 Income received in India	2 Income received in India	2 Income received in India
3 All foreign income	4 Foreign income—if controlled from India	

Illustration 1

- 1 A German engineer was appointed by an Indian firm on 1st April 1961. He stayed in India till 31st July 1961, when he went on leave. He came back again on Jan 1 1962. What will be his position as regards residence for 1961-62.

[He is a resident but not ordinarily resident, because he stayed in India for more than 182 days]

- 2 A technician who worked with an Indian firm for two years went on leave to his home country on May 1, 1961, leaving his family in India. He did not come back till June 1962. What will be his position as resident during 1961-62

[He is a resident but not ordinarily resident as he maintained a dwelling house for more than 182 days and was in India for more than 30 days during 1961-62]

- 3 Mr X of England has some business connections in India and for that purpose he maintains a dwelling house. During 1960-61 he was in India personally for 10 days. During 1961-62 also he was here for same number of days. What will be his position as a resident for previous year 1960-61 and 1961-62

[He is resident but not ordinarily resident for 1960-61, He is non resident for 1961-62 because according to provisions of new act stay for 30 days or more is required]

- 4 An Afghan trader comes to India every winter for 4 months and then goes back to his native country without keeping any establishment here. What will be his position as resident for the first four years

First year — Non resident

Second year — Non resident

Third year — Non resident

Fourth year — Resident but not ordinarily resident, because he stayed in India for 1 year during past four years and was here for more than 60 days during the previous year

- 5 Mr B, a British National worked with an Indian Mill for 15 years. Then he goes home on leave on 31st March 1959. On 1st Jan 1962 he comes back to India. What will be his residence during 1961-62

[For the year 1961-62 he is resident but not ordinarily resident because he stayed for more than a year in the past four years and was in India for more than 60 days during 1961-62]

He can not be a resident and ordinarily resident because he was not resident during 1959-60 and 1960-61. Thus during the previous ten years he was resident only for 8 years

- 6 Mr A, formerly an Indian citizen has now settled in London. He has some landed property in India which is let out. He came to India during 1961-62 for about a month to realise the rent

[He is not a resident. Although he was here for 30 days he did not maintain a dwelling place. His own property can not be regarded as a dwelling place because it is let out]

Illustration 2

- 1 Y is a member of Hindu undivided family that has some business and landed property in Pakistan. During 1961-62 he sent members of his family to India while he himself stayed at Pakistan and sent part of income to India. What is the position of the family regarding residence during 1961-62

[The family is non-resident. Although the family lives in India the property is managed from Pakistan and Karta is also a resident of Pakistan]

- 2 Mr Jones of England and Ramdas of India are partners in a firm. Ramdas exports goods to Jones in England who arranges for sale there. What is the position of the firm as resident

[The firm is resident in India because a part of business is carried on from India]

- 3 A company incorporated in U S A carries on the business of mica export from India. The head office of the company is Newyork and business in India is looked after by a manager

[The company is a non resident because it is not an Indian company and also because its affairs are directed from New York]

- 4 X company Ltd was registered in India in 1960. It has coal mines in South Africa. During 1961-62 all its directors were in South Africa and all the meetings of the directors were held there. What is the residence of the company?

[The company is resident because it is registered in India]

Illustration 3

The following are the details regarding the income of Mr. A for the year 1961-62

- 1 Income accrued from his business in India Rs 10,000
- 2 Income accrued from his property in England but received in India Rs 4,600
- 3 Income from his business in Denmark which was managed from India Rs 6,000. It was not brought to India.
- 4 Income from his business in Japan which was managed from Japan Rs 8,000. The income was not brought to India.

What will be his taxable income if he is a resident, a 'not ordinarily resident' or a non resident?

Solution

- 1 When he is resident—

	Rs
(1) Income accrued in India	10,000
(2) Income received in India (accrued in England)	4,600
(3) Foreign Income accruing outside India	
(a) Income from Denmark Rs 6,000	14,000
(b) Income from Japan Rs 8,000	14,000
	28,600

2. When he is 'not ordinarily resident,—

	Rs.
(1) Income accrued in India.	10,000
(2) Income received in India.	4,600
(3) Foreign income received from business controlled from India.	6,000
	20,600

Foreign income that is controlled from out side India, is not taxable in the hands of an assessee who is 'not ordinarily resident'.

3 When he is non-resident—

	Rs
(1) Income accrued in India	10,000
(2) Income received in India	4,600
	14,600

प्रश्न

1. What are the different categories into which the assessee are divided with regard to residence. Give a brief account of each of them.

Agra B Com 1956, All India B. Com. 1955.

2. The residence of an assessee is determined according to the provisions of Section 4-A and 4-B of Income Tax Act. Discuss the provision as briefly and clearly as possible (Residence in the New Act is determined according to Section 6).

Agra B Com. 1953.

3. How is residence of assessee determined for Income Tax purposes Explain the incidence of residence on tax liability

Raj B. Com. 1955.

4. Explain how you would decide the question of residence of an assessee for income tax purposes Give illustrations.

All India B Com. 1954, 59.

5. Write short notes on

(i) Non-resident

Agra B. Com. 1942, 47, 50, 57

Raj B Com. 1953

(ii) Resident

Agra B. Com. 1945, 46, 51

Raj B Com. 1951

(iii) Ordinary resident

Agra B. Com 1945, 46, 51

Raj B. Com. 1951.

कर मुक्त आय [Exempted Income]

कर मुक्त आय का आयकर के दृष्टि कोण से बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि इसके द्वारा ही कर की मात्रा निर्धारित होती है। नये अग्रिनियम में इन प्रकार की उन्मुक्तियाँ विभिन्न स्थलों पर दी गई हैं। एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विभेद इस सम्बन्ध में कर मुक्त आय (Exempted Income) तथा छूट (Rebate) के सम्बन्ध में किया गया है। उदाहरण के लिए दान, प्राविडेन्ट फण्ड में कर्मचारी का अक्ष दान, बीमे का प्रीमियम पहले कर मुक्त आय के अन्तर्गत आता था परन्तु सैद्धान्तिक रूप से यह गलत था क्योंकि बीमे का प्रीमियम आय न होकर व्यय है। अतएव ऐसी समस्त मदों को कर मुक्त आय के अन्तर्गत न रख कर छूट के अन्तर्गत रखा गया है। जहाँ तक कर निर्धारण तथा बहीखातो का सवाल है इस विभेद से उसमें कोई अन्तर नहीं पड़ता। उदाहरणार्थ ऐसी आय जो आय कर से मुक्त है परन्तु कुल आय में जोड़ी जाती है तथा ऐसा व्यय जिस पर आय कर की छूट है व्यवहारिक दृष्टिकोण से समान है। कर मुक्त आय के निम्नलिखित विभेद किये गये हैं।

(१) वह आय जो पूर्णतया कर मुक्त है। अर्थात् जिस पर आयकर, अधिकर नहीं लगता और न कुल आय में जोड़ी जाती है।

(२) वह आय जो आयकर तथा अधिकर से मुक्त है परन्तु कुल आय में जोड़ी जाती है। ऐसी आय पहले तो कुल आय में सम्मिलित कर ली जाती है, बाद में औसत दर से उस पर छूट दी जाती है।

(३) वह आय जो केवल आयकर से मुक्त है, अधिकर से नहीं तथा कुल आय में जोड़ी जाती है। इस पर भी छूट ऊपर भाग दो के समान ही मिलती है।

(४) वह आय जो केवल अधिकर से मुक्त है (आयकर से नहीं) तथा कुल आय में जोड़ी जाती है।

छूट (Rebate)के सम्बन्ध में भी तीन विभाग किये जा सकते हैं।

(१) वह रकम जिस पर आयकर तथा अधिकर दोनों की छूट है। इसका कर निर्धारण ऊपर भाग दो में वर्णित विधि के अनुसार होता है।

(६) वह रकम जिस पर आयकर की ही छूट है, अधिकर की नहीं। इनका कर निर्धारण ऊपर भाग तीन में वर्णित विधि के अनुसार होगा।

(७) वह रकम जिस पर केवल अधिकर की छूट है है। इसमें कर निर्धारण ऊपर भाग चार में वर्णित विधि के अनुसार होगा।

१. आय जो पूर्णतया कर मुक्त है

निम्नलिखित प्रकार की आय पूर्णतया कर मुक्त है। उस पर न तो आयकर पड़ता है, न अधिकर तथा वह कुल आय में जोड़ी भी नहीं जाती।

१ कृषि आय [१० (१)]

अध्याय २ में वर्णित कृषि आयकर से पूर्णतया कर मुक्त रहती है।

२ समुक्त हिन्दू परिवार की आय का हिस्सा [१० (२)] .

यदि कोई व्यक्ति समुक्त हिन्दू परिवार का सदस्य है और उसे परिवार की आय से कोई रकम प्राप्त होती है, अथवा परिवार की कोई समुक्त सम्पत्ति है उससे प्राप्त होती है तो ऐसी आय पूर्णतया कर मुक्त रहेगी।

३ आकस्मिक आय [१० (३)]

आयकर विधान में आकस्मिक आय की कोई परिभाषा नहीं दी है, परन्तु परम्परा के आधार पर ऐसा माना जा सकता है कि जिस आय का कोई निश्चित स्रोत न हो तथा जो त्रिक रूप से न प्राप्य होती हो उसे आकस्मिक आय माना जावेगा। आकस्मिक आय के निम्नलिखित उदाहरण दिए जा सकते हैं।

(१) दान में प्राप्त रकम। परन्तु यदि दान नियमित रूप से मिलता है तो उसे आकस्मिक आय नहीं माना जा सकता।

(२) पडा हुआ धन।

(३) लाटरी, घुड दौड इत्यादि में प्राप्त धन

(४) किसी प्रकार का इनाम, बक्षशीश इत्यादि । परन्तु यदि इनाम अपने नियोक्ता से कर्मचारी को मिलता है तो उसे आकस्मिक आय नहीं माना जा सकता ।

आयकर विधान में निम्नलिखित प्रकार की आय को स्पष्ट रूप से आकस्मिक नहीं माना गया है ।

(१) पूजा गत लाभ जो धारा ४२ के अन्तर्गत आते हैं । अर्थात् किसी सम्पत्ति को बेचने से मिलने वाला लाभ । [१० (३-1)]

(२) किसी व्यापार, व्यवसाय अथवा पेशे से मिलने वाली आय । उदाहरणार्थ अध्यापक को निरीक्षक का काम करने अथवा उत्तर पुस्तकें जाँचने में मिली हुई आय, अथवा खाली समय में किसी पुनीम द्वारा दलाली करने में प्राप्त आय । [१० (३-ii)]

(३) किसी कर्मचारी की वेतन वृद्धि । [१० (३-iii)] उदाहरणार्थ किसी कर्मचारी को मिलने वाला वानस, ग्रेच्युटी, वेतन वृद्धि । आकस्मिक रूप से मिलने पर भी इसे आकस्मिक आय नहीं माना जा सकता क्योंकि आयका स्रोत निश्चित है ।

४ विदेशियों की आय

विदेशी नागरिकों को मिलने वाली निम्नलिखित प्रकार की आय करमुक्त होती है ।

(१) कुछ विशेष प्रकार की प्रतिभूतियों पर ध्याज—यदि कोई ऋण पत्र विश्वबैंक अथवा डेवलपमेंट लोन फण्ड (Development Loan Fund) के समझौते के अन्तर्गत निकाले गये हैं तथा उन्हें किसी विदेशी ने खरीदा है तो उसे आयकर नहीं देना पड़ेगा । इस प्रकार के ऋण पत्रों को निकालने का अधिकार केन्द्रीय सरकार, अथवा उसकी गारण्टी पर किसी औद्योगिक संस्थान अथवा वित्तीय कारपोरेशन को है । [१० (४)]

(२) वापसी का किराया—यदि कोई विदेशी जो भारत में काम करता है घर वापस जा रहा हो और उसका नियोक्ता उसे वापस जाने का भाड़ा दे तो यह उसकी आय में नहीं जोड़ा जावेगा यह सुविधा स्वयं उसके, पत्नी तथा सतान के लिये दिये गये भाड़े पर ही प्राप्त है । [१० (६-i)]

इसी प्रकार की सुविधा भारतीय नागरिकों को जो विदेश में काम करते हैं, घर वापस आते समय भाडा मिलने पर प्राप्त होती है।

(३) राजदूत इत्यादि का वेतन—भारत में स्थित विदेशी राजदूतों, उनके सलाहकारों, ट्रेड कमिश्नरों, तथा अन्य समकक्ष अधिकारियों का वेतन कर मुक्त है [१० (६-11, 11i, 1v)]

(४) विदेशी राजदूतावासों के कर्मचारियों का वेतन—ऊपर बतलाये हुये अधिकारियों के दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन भी कर मुक्त होता है इसमें शर्त यह है कि,

(1) कर्मचारी उसी देश का हो।

(ii) भारत में अन्य किसी रोजगार या धंधे में न लगा हो।

(iii) विदेशी सरकार अपने यहाँ के भारतीय कर्मचारियों को इसी प्रकार की सुविधा देनी हो। [१० (६-v)]

(५) किसी विदेशी सस्था के विदेशी कर्मचारी को मिलने वाला वेतन—इसके लिए आवश्यक है कि—

(1) वह विदेशी सस्था भारत में कोई रोजगार न करती हो।

(ii) गत वर्ष में वह कर्मचारी भारत में ६० दिन से अधिक नहीं रहा हो।

(iii) इस वेतन की रकम नियोक्ता की कुल रकम से, यदि उस पर आय कर पड़ता है, नहीं घटाई गयी है। [१० (६-vi)]

(६) विदेशी टेकनीशियन को मिलने वाला वेतन—इसके लिये शर्त यह है कि वह जिस वित्तीय वर्ष में आया हो उसक पहले के चार वित्तीय वर्षों में कभी भी भारत का नागरिक न रहा हो। १० (६-vii)]

(७) किसी विदेशी जहाज के कर्मचारी का वेतन—इसकी शर्त यह है कि वह कर्मचारी विदेशी हो तथा गत वर्ष भारत में ६० दिन से अधिक न रहा हो।

५ प्राविडेन्ट फण्ड, पेंशन इत्यादि की आय

(१) किसी व्यक्ति की मृत्यु पर अथवा रिटायर होने पर मिलने वाली डेथ ग्रैजुटी (Death cum-retirement gratuity) जो भारत सरकार के नवीन

पेंशन नियमों के अन्तर्गत दी जाती है। किसी राज्य सरकार अथवा स्थानीय सन्धा या कारपोरेशन द्वारा दी गई इन प्रकार की प्रेच्युटी कर मुक्त होती है।

[१० (१०)]

(२) ऐसे प्राविडेन्ट फण्ड से मिलने वाली रकम जिस पर प्राविडेन्ट फण्ड एक्ट १९२५ लागू होता हो। [१० (११)]

(३) किसी स्वीकृत प्राविडेन्ट फण्ड में जमा रकम। [१० (१२)]

(४) किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर सुपर एन्नुएशन फण्ड (Super annuation Fund) से मिलने वाली रकम। यदि वार्षिक वृत्ति (Annuity) के एवज में इस प्रकार की रकम प्राप्त हो तो भी वह कर मुक्त होगी। [१० (१३)]

६ सरकारी विनियोगों पर व्याज [१० (१५)]

निम्नलिखित प्रकार के सरकारी विनियोगों से प्राप्त होने वाली राय भी कर मुक्त होती है।

(१) केन्द्रीय सरकार की आज्ञानुसार निकाली हुई १५ वर्षीय (Annuity Certificates) पर मिलने वाली मासिक रकम।

(२) ट्रेजरी सेविंग्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट, पोस्ट ऑफिस कैश सर्टिफिकेट, पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, नेशनल प्लान सर्टिफिकेट, २० वर्षीय नेशनल प्लान सेविंग्स सर्टिफिकेट, तथा अन्य इसी प्रकार के ऋण।

(३) पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक खाते का व्याज।

(४) सेंट्रल बैंक ऑफ सीलोन द्वारा रक्खी जाने वाली प्रतिभूतियों पर व्याज।

(५) १ अप्रैल सन् १९६० से ५) और १००) वाले इनामी बाण्डों पर इनाम की रकम।

७ भारत के विशिष्ट प्रकार के लोगों को मिलने वाला वेतन, पारिश्रमिक इत्यादि।

भारत के निवासियों में भी कुछ विशिष्ट लोगों को आय पर छूट दी जाती है, इसकी मुख्य मुख्य मद इस प्रकार है।

(१) पार्लियामेंट अथवा राज्य के विधान मण्डल के सदस्य अथवा उसकी किसी समिती के सदस्य को मिलने वाला दैनिक भत्ता।

(२) केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये बीरतापूर्ण कार्य के लिये पुरस्कार ।

(३) देशी रियासतों के पूर्व राजाओं को मिलने वाला त्रिवीपत्त ।

(४) अनुसूचित जन जाति (Scheduled Tribe) के किसी व्यक्ति को मिलने वाली आय जो जन-जातियों के अनुसूचित क्षेत्र में ही उपाजित हो । प्रतिभूतियों पर मिलने वाले व्याज पर स्थान सम्बन्धी यह शर्त नहीं लागू होती है । (इस क्षेत्र की सूची सविधान की ६ठी अनुसूची की A और B सारिणियों में दी है, इसमें मनीपुर तथा त्रिपुरा की रियासतें और शामिल हैं) । [१० (२६)]

८. विशिष्ट सस्याओं की आय

कछ विशेष प्रकार की सस्याएँ ऐसी हैं जिनकी आय को भी कर मुक्त रक्खा गया है । इसका उद्देश्य जन-हितकारी तथा शिक्षा और अनुसंधान सम्बन्धी कामों को बढ़ावा देना है । ये सस्याएँ निम्नलिखित हैं ।

(१) स्थानीय सस्याएँ—स्थानीय सस्याओं की—'व्याज' 'मकानों की आय' पूँजीगत आय तथा 'अन्य साधनों की आय'—कर मुक्त होती है । उनकी व्यापार की आय भी कर मुक्त होती है, बशर्त कि व्यापार का क्षेत्र उनके निजी कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत हो । [१० (२०)]

(२) वैज्ञानिक अनुसंधान सस्याएँ—यह आवश्यक है कि यह सस्याएँ स्वीकृत हों तथा अपनी आय को पूर्ण रूप से अनुसंधान कार्य में ही व्यय करती हों । [१० (२१)]

(३) विश्व-विद्यालय तथा शिक्षा सस्याएँ—सस्याओं का एकमात्र उद्देश्य शिक्षा प्रचार होना चाहिए, लाभ कमाना नहीं । [१० (४२)]

(४) खेल कूद को प्रोत्साहन देने वाली सस्याएँ—शर्त यह है कि सस्या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, अपनी आय पूर्णतया खेलकूद के प्रोत्साहन के लिये लगाती हो, तथा सदस्यों में किसी प्रकार लाभ का विभाजन न करती हो ।

(५) ट्रेडयूनियन—शर्त यह है कि यूनियन ट्रेडयूनियन एक्ट १९२६ के अन्तर्गत रजिस्टर्ड हो, उसकी स्थापना कर्मचारियों तथा नियोक्ताओं के बीच उत्तम सम्बन्ध बनाने के लिए की गई हो । ऐसी सस्याओं की यदि 'व्यापारिक लाभ' के अन्तर्गत आने वाली कोई आय हो तो उस पर छूट नहीं मिलेगी । [१० (२४)]

(६) धार्मिक तथा दान सम्बन्धी सस्याएँ—ऐसी सस्याओं की सम्पत्ति से प्राप्त होने वाली कर मुक्त होती है । उनकी शर्तें इस प्रकार हैं ।

(i) सम्पत्ति ट्रस्ट के अधिकार में होनी चाहिए।

(ii) सम्पत्ति पूर्णतया धार्मिक तथा दान सम्बन्धी कामों के लिये हो।

(iii) उसके कामों का क्षेत्र भारत के अन्दर हो।

(iv) कर मुक्त आय की सीमा १०,००० अथवा सम्पत्ति से मिलने वाली आय के २५% में से जो भी अधिक हो उसके बराबर होनी चाहिये।

(v) यदि ट्रस्ट का निर्माण इस कानून से पहिले हुआ हो तथा उसकी आय को केवल आशिक रूप से ही दान-धर्म के कामों में लगाया जाता हो तो जिस सीमा तक ऐसी रकम दान कर्म में लगाई जायेगी वही कर मुक्त होगी। इनमें भी कर मुक्त आय २५% से अधिक नहीं हो सकती।

(vi) सम्पत्ति में व्यापारिक सस्थान भी शामिल है। परन्तु इनकम टैक्स आफिसर को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे व्यापार की वास्तविक आय का पता लगावे। यदि उसकी आय वास्तविक आय से कम दिखाई गई है तो I T O उसे ऐसी आय मान सकता है जिसका उपयोग धर्मार्थ नहीं किया गया है और उस पर टैक्स लगा सकता है। [१० (१-४)]

(७) चन्दे पर चलने वाले ट्रस्ट या सस्थायें—किसी धर्मार्थ सस्था को जो चन्दे या दान से आय प्राप्त होती है वह कर मुक्त मानी जायेगी बशर्ते उनका उपयोग धर्मार्थ काम के लिए किया गया हो। [१२ (१)]

९. अन्य प्रकार की आय

(१) छात्रवृत्ति, जो शिक्षा के व्यय के लिये उपयोग में आती है।

(२) यदि भारत के किसी नागरिक को, जो बाहर काम कर रहा हो, घर वापस आने के लिए अपने, पत्नी, तथा पुत्रों के लिए प्राप्त यात्रा व्यय।

२. आय जो आयकर तथा अधिकार से मुक्त है परन्तु कुल आय में जोड़ी जाती है।

१. सहकारी समितियों की आय [८१]

(१) सहकारी समिति द्वारा किये जाने वाले व्यापार से लाभ, यदि समिति निम्नलिखित कामों में से कोई काम करती है।

(i) सदस्यों को साख प्रदान करना।

- (ii) कुटीर उद्योग का काम ।
- (iii) सदस्यों के कृषि पदार्थों की बिक्री का काम ।
- (iv) सदस्यों के लिये कृषि औजार, बीज, पशु तथा अन्य कृषि सामग्री की खरीद करना ।
- (v) कृषि पदार्थों की Processing का काम । परन्तु शक्ति का प्रयोग न होता हो ।
- (vi) सदस्यों का दूध एकत्र करके सहकारी सघ के हाथ बिकवाना ।

(२) यदि सहकारी समिति उपरोक्त काम नहीं करती है तो भी ₹५०००) तक की आय करमुक्त होगी ।

(३) यदि समिति उपर्युक्त कामों के अलावा अन्य काम करती है तो अन्य कामों की आय करमुक्त नहीं है, परन्तु ₹५००० तक की छूट यहाँ भी मिलती है ।

(४) यदि समिति किसी अन्य सोसाइटी के अंशों में ख़रीद लगाती है तो उससे मिलने वाला लाभार्जित कर मुक्त होगा ।

(५) यदि समिति के पास कोई गोदाम या भण्डारघर है तो उसे किराये पर उठाने से होने वाली आय ।

(६) प्रतिभूतियों से मिलने वाला ब्याज तथा सम्पत्ति से होने वाली आय । इसकी शर्त यह है कि,

(1) समिति की कुल आय २०,००० रु० से अधिक नहीं है ।

(ii) समिति गृह समिति, शहरी उपभोक्ता समिति, यानायात समिति अथवा शक्ति का उपयोग करके उत्पादन करने वाली समिति नहीं है ।

(७) उपर लिखी हुई कोई भी छूट सहकारी बीमा कम्पनियों को प्राप्त नहीं होगी ।

२. सहकारी समिति के अंशों पर लाभार्जित [८२]

यदि किसी व्यक्ति अथवा सस्था के पास किसी सहकारी समिति के अंश हैं तो ऊपर मिलने वाला लाभार्जित कर मुक्त होता है ।

३. विक्रय सस्था की आय [८३]

यदि कानून द्वारा किसी सस्था को वस्तुओं के विपणन का अधिकार दे दिया गया है तो उसकी निम्नलिखित प्रकार की आय कर मुक्त होगी ।

- (१) गोदाम या भण्डारघर किराये पर उठाने से होने वाली आय ।
- (२) Processing की क्रियाओं से होने वाला लाभ ।
- (३) विपणन के कार्य में सहायता देने के लिये मिलने वाली आय ।

बिना रजिस्ट्री की फर्म में लाभ का हिस्सा [८६ (३)], [९९ (१)]

यदि करदाता किसी बिना रजिस्ट्री की फर्म का साझेदार है तथा फर्म आय कर और अधिकार दे चुकी है तो साझेदार को उस पर आयकर तथा अधिकार नहीं देना पड़ेगा ।

५ अन्य लाभ का हिस्सा, जिस पर कर दिया जा चुका है

[८६ (५)] तथा [९९ (२)]

यदि कोई करदाता किसी व्यक्तियों व समुदाय (Association of persons) (संयुक्त परिवार को छोड़कर) अथवा कम्पनी या फर्म का सदस्य है तथा समुदाय, कपनी अथवा फर्म आय पर कर दे चुकी है तो करदाता को उसके हिस्से पर कर नहीं देना पड़ेगा ।

२ नए स्थापित औद्योगिक संस्थानों तथा होटलों की आय ।

[८४] तथा [१०१ (१)]

नये औद्योगिक संस्थानों तथा होटलों की आय जो प्रयुक्त पूंजी के ६% से अधिक न हो, आयकर से मुक्त होती है । इसकी अन्य शर्तें इस प्रकार हैं ।

(क) औद्योगिक संस्था के लिए

(१) वह किसी पुरानी संस्था को विभाजित करके अथवा पुनर्सं गठित करके नहीं बनाई गई है ।

(२) उसका निर्माण किसी पुरानी इमारत, मरीन अथवा कल को स्थानान्तरित करके नहीं किया गया है ।

(३) वह १ अप्रैल १९४८ से १८ साल के अन्दर भारत के किसी भाग में वस्तुओं का निर्माण कार्य आरम्भ कर देनी है ।

(४) यदि वह शक्ति का प्रयोग करती है तो १० या अधिक लोगों को नौकर रखती है, यदि वह शक्ति का प्रयोग नहीं करती तो कम से कम २० आदमी नौकर रखनी है ।

(ख) होटल के लिए

(१) वह १ अप्रैल १९६१ को अथवा उसके बाद कार्य आरम्भ करता है ।

(२) वह किसी पुराने व्यापार को विभाजित करके अथवा पुनर्संगठित करके नहीं बनाया गया है ।

(३) उसका स्वामित्व तथा संचालन भारतीय कम्पनी के हाथ में है तथा चुकता पूंजी ५ लाख से कम नहीं है ।

(४) होटल की इमारत स्वयं कम्पनी की है ।

(५) सरकारी निर्देश के अनुसार कमरे तथा ठहरने का प्रबन्ध है ।

(६) केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है ।

कर मुक्ति की सुविधा का समय इस प्रकार होगा ।

(१) यदि औद्योगिक सस्था एक सहकारी समिति है तो कार्य आरम्भ करने वाले वर्ष तथा उसके बाद ६ साल तक अर्थात् कुल मिलाकर ७ वर्ष तक ।

(२) यदि औद्योगिक सस्था अन्य कोई सस्था है तो कार्यारम्भ करने के साल तथा अगले ४ वर्ष तक अर्थात् कुल मिला कर ५ वर्ष तक ।

(३) होटल के लिए कार्यारम्भ करने वाले वर्ष तथा अगले चार वर्ष तक अर्थात् कुल मिलाकर ५ वर्ष तक ।

७ नई औद्योगिक सस्थाओ तथा होटलो का लाभांश [८५], [१०१ (२)]

धारा ८४ के अन्तर्गत जितनी रकम की छूट नई औद्योगिक सस्थाओ तथा होटलो को प्राप्त है, उसे लाभांश के रूप में बाटने पर अशुधारियों को भी उस पर आय कर नहीं देना पड़ेगा ।

३. आय जो केवल आयकर से मुक्त है, अधिकर से नहीं तथा कुल आय में जोड़ी जाती है

१. कर मुक्त प्रतिभूतियों पर ब्याज [८६ (१,२)]

केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा निकाली जाने वाली करमुक्त प्रतिभूतियों पर ब्याज आयकर से मुक्त होता है । राज्य सरकार द्वारा निकाली हुई ऐसी प्रतिभूतियों पर आयकर राज्य स्वयं देता है ।

२ रजिस्टर्ड फर्म क लाभ का हिस्सा [८६ (४)]

यदि करदाता किसी रजिस्टर्ड फर्म का साक्षीदार है तो निम्नलिखित रकमों का अन्तर करमुक्त रहेगा ;

(अ) फर्म की कुल आय में करदाता का हिस्सा ।

(आ) आयकर देने के बाद बची हुई आय में उसका हिस्सा ।

रजिस्टर्ड फर्म एक सीमा तक स्वयं कर नहीं देती । लाभ साझेदारों में बांट दिया जाता है वे ही कर देते हैं । परन्तु उस सीमा के बाद फर्म को स्वयं भी कर देना पड़ता है । १९६१-६२ तक यह सीमा ४०,००० रु० थी, परन्तु १९६२-६३ से इसे घटाकर २५००० हजार कर दिया गया है । अतएव साझेदार को फर्म से जो लाभ प्राप्त होता है उसके एक अंश पर कर दिया जा चुका होता है तथा एक अंश पर नहीं दिया होता है । जिस अंश पर कर दिया जा चुका है । वह करमुक्त होती है ।

रजिस्टर्ड फर्म के लाभ के हिस्से पर अधिकार की भी छूट है परन्तु उसकी गणना की विधि भिन्न है ।

आयकर के लिए तो ऐसी समस्त रकम पर छूट मिलती है जो आयकर के रूप में दी जा चुकी है परन्तु अधिकार में छूट केवल ऐसी रकम पर दिए जाने वाले आयकर के सम्बन्ध में मिलती है जो व्यापार के अलावा अन्य स्रोतों से प्राप्त हो ।

४. आय जो केवल अधिकार से मुक्त है

१ कुछ विशिष्ट प्रकार की कम्पनियों का लाभांश [९९ (८)]

यदि पाँचवीं अनुसूची में वर्णित कम्पनियों द्वारा विभाजित लाभांश किसी कम्पनी को प्राप्त होता है तो उसे (पाने वाली कम्पनी को) उस पर अधिकार नहीं देना पड़ता । पाँचवीं अनुसूची में कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची है जिनका निर्माण करने वाली कम्पनियों के लाभांश पर इस प्रकार की छूट है । १ अप्रैल १९६१ के बाद स्थापित की गई कम्पनियों के लिए छूट की वस्तुओं की संख्या बढ़ा दी गई है तथा वे अनुसूची के 'ब' भाग में दी गई हैं ।

छूट (Rebate)

नए अधिनियम में कुछ विशिष्ट प्रकार के खर्चों पर आयकर तथा अधिकार की छूट दी गई है । पहले उन्हें कर मुक्त आय में सम्मिलित किया जाता था, परन्तु सैद्धांतिक दृष्टिकोण से उन्हें आय में सम्मिलित करके करमुक्त आय घोषित करना ठीक नहीं था क्योंकि वे आय के अन्तर्गत न आते थे ।

जिन मद्दे पर इस प्रकार की छूट दी जाती है उन्हें पहले कुल आय में सम्मिलित कर लिया जाता है, बाद में औसत दर से छूट दी जाती है । छूट को भी निम्नलिखित भागों में बाँटा जा सकता है ।

५ ऐसी मर्दाने जिन पर आयकर तथा अधिकर दोनों की हा छूट है ।

१ दान (Donations for charitable purpose) [८८]

लोक हितकारी सस्थाओ को दिए जाने वाले दान पर औसत दर से आयकर तथा अधिकर दोनो की ही छूट मिलती है । इस सम्बन्ध मे मुख्य-मुख्य नियम इस प्रकार हैं ।

(१) दान निम्नलिखित सस्थाओं मे से किसी को दिया गया हो ।

(क) लोक हितकारी सस्था अथवा कोष ।

(ख) सरकार अथवा स्थानीय सस्थाओ द्वारा निर्मित कोई लोक हितकारी कोष जैसे बाढ पीडितो के सहायतार्थ कोष । छूट १ अप्रैल १९६० के बाद दिये हुये दान पर ही मिलेगी ।

(ग) किसी मन्दिर, मस्जिद, गुफ्टारा, चर्च इत्यादि की मरम्मत के लिये दिया हुआ दान यदि उसका ऐतिहासिक, कलात्मक अथवा पुरातत्व सम्बन्धी महत्व है ।

(२) लोक हितकारी सस्था निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती हो ।

(क) सस्था की आय धारा ११, १२ अथवा १० (२२) के अन्तर्गत कर मुक्त हो ।

(ख) धन का उपयोग केवल लोक हितकारी कामो मे हो ।

(ग) वह सस्था किसी विशेष फम समाज या जाति के लिए न हो । अनुसूचित जातियो, स्त्रियो अथवा बच्चो के लिए बनाई गई सस्थाओ पर यह बात लागू नही होती ।

(घ) सस्था ठीक ढग से आय व्यय का हिसाब रखती हो ।

(३) दान की रकम २५० रु० से कम नही होनी चाहिए ।

(४) दान की अधिकतम रकम करदाता की कुल आय का ३३% अथवा १ लाख ५० हजार रुपया (इनमे जो भी कम हो) हो सकती है । कुल आय निकालने मे कर मुक्त आय घटा दी जाती है ।

(५) आयकर तथा अधिकर मिलाकर दान की हुई रकम के भाघे से अधिक नही होना चाहिये ।

(६) कर निर्धारण वष (assessment year) १९६३-६४ से अधिकतम दान की रकम बढाकर कुल आय का १०% अथवा २ लाख ५ हजार रु० (जो भी कम हो) कर दी गई है । [फाइनल एक्ट १९६२]

कर मुक्त आय

(७) कम्पनी को केवल आयकर की छूट मिलती है अधिकर = अन्य करदाताओं को आयकर तथा अधिकर दोनों की ही छूट मिलती है।

६. ऐसी मदें जिन पर केवल आयकर की छूट है।

निम्नलिखित मदों पर केवल आयकर की ही छूट है अधिकर की नहीं।

१. जीवन बीमे का प्रीमियम

जीवन बीमे के प्रीमियम पर छूट की निम्नलिखित शर्तें हैं।

(१) बीमा स्वयं करदाता, उसकी पत्नी या अगर समुक्त हिन्दू परिवार है तो किसी भी पुरुष सदस्य अथवा उसकी पत्नी का किया गया हो।

(२) प्रीमियम की रकम कुल बीमे की रकम की १० प्रतिशत से अधिक न हो। बीमे की रकम निकालने में 'बोनस' नहीं जोड़ा जायेगा। यदि पालिसी लाभ सहित ली गई है तो बीमित रकम के अलावा कुछ रकम बोनस के रूप में भी मिलती है। इस रकम को छोड़ दिया जाता है। वास्तविक बीमित रकम का १० प्रतिशत लिया जाता है।

(३) प्रीमियम का भुगतान ऐसी रकम से होना चाहिए जिस पर कर पड़ता है। उदाहरणार्थ, यदि कोई प्राविडेन्ट फण्ड से रुपया लेकर प्रीमियम का भुगतान करता है तो उस पर छूट न मिलेगी।

२. स्थगित वार्षिक वृत्ति (Deferred Annuity) का चर्चा

वार्षिक वृत्ति स्वयं करदाता अथवा करदाता की पत्नी के जीवन के लिए हो। प्रीमियम के सम्बन्ध में लागू १०% का नियम वार्षिक वृत्ति पर नहीं लागू होता तथा दी जाने वाली रकम प्राप्त होने वाली रकम के १० प्रतिशत में अधिक हो सकती है।

३. वैधानिक प्राविडेन्ट फण्ड का चर्चा

करदाता यदि किसी वैधानिक प्राविडेन्ट फण्ड (जिस पर प्रा० फ० एक्ट १९२५ लागू होता है, का सदस्य है तो उसके द्वारा दी गई रकम पर छूट मिलती है।

४. सरकारी नौकरी की स्थगित वार्षिकी का चदा

यदि सरकार ने किसी कर्मचारी के वेतन से उसके बच्ची तथा पत्नी को स्थगित वार्षिक वृत्ति प्रदान करने के लिये उसके वेतन से कोई रकम काटी है तो उस पर आयकर की छूट मिलेगी। परन्तु यह रकम उसके वेतन के $1/5$ से अधिक नहीं होनी चाहिये।

५. प्रमाणित प्राविडेंट फण्ड में कर्मचारी का अशदान

यदि कर्मचारी किसी प्रमाणित प्राविडेंट फण्ड का सदस्य है तो फण्ड में उसके अशदान पर छूट मिलती है। परन्तु यह अशदान वेतन के $1/5$ से अधिक नहीं होना चाहिये।

छूट की रकम

छूट की रकम के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियम है।

(१) किसी व्यक्तिगत कर दाता के लिये ऊपर की पाँचो मदों को मिलाकर कुल रकम उसकी कुल आय के $1/4$ अथवा ८००० रु० (जो भी कम हो) से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(२) सयुक्त हिन्दू परिवार के लिए-ऊपर की पाँचो मदों को मिलाकर कुल छूट की रकम परिवार की कुल आय के $1/4$ अथवा १६००० (जो भी कम हो) से अधिक नहीं होना चाहिए।

(३) लेखक, नाटककार, कलाकार, संगीतकार, तथा एक्टर के लिए विशेष छूट की व्यवस्था की गई है जो समय समय पर प्रकाशित होगी।

१९६२-६३ के मुधार

फाइनेस एक्ट १९६२ में ऊपर बतलाई हुई ५ मदों में एक और जोड़ दी गई है।

(६) यदि करदाता कोई व्यक्ति है तथा वह पोस्ट आफिस के १० वर्षीय तथा १५ वर्षीय सचची टाइम डिपॉजिट (Cumulative deposit) में कुछ हफ्ता जमा करना है तो एमी जमा की गई रकम पर गत वर्ष में औसत दर पर छूट मिलेगी।

छूट की रकम

31230

छूट की रकम भी बड़ा दी गई है तथा अधिकतम सीमा सभी ६ मदों का मिलाकर व्यक्ति के लिये कुल आय के $\frac{1}{6}$ अथवा १००० रु० (जो भी कम हो) तथा समुक्त परिवार के लिए कुल आय का $\frac{1}{4}$ तथा २०,००० (जो भी कम हो) कर दिया गया है।

प्रश्न

- 1 (a) Certain classes of incomes are totally exempt (both from Income tax and Super tax and are not included in the total income Give four instances of such income
- (b) Give four instances of incomes which are exempt from income tax (not from super tax) but are to be included in the total income of an assessee
[Agra B Com 1960]
- 2 What are the classes of income to which Income Tax Act does not apply
[Agra B Com 1959]
3. The Indian Income Tax Act confers absolute exemption in respect of certain incomes while some incomes are included in the total income for determining the rate only Explain these provision fully
[Agra B Com 19०1]
- 4 Write short notes on
 - (a) Casual income
 - (b) Charitable donations
 [Agra B Com 1946,50 57]
- 5 State the provisions of Section 15 B (in respect of exemption of donations for charitable purposes) and Section 15 C in respect of exemptions from tax on newly established industrial undertakings
[Raj B Com 19०6]

Note —Provisions of Section 15 B are given in Section 88 and of Section 15 C in Section 84 and 85 in the New Act

- 6 What are the conditions to be satisfied by a charitable institution for obtaining exemption from Income tax and Super tax on its incomes
[Agra M Com 1960]
 - 7 State the incomes which though exempt from income tax are nevertheless included in finding out the total income
[Allahabad B. Com 1958]
 - 8 Enumerate with illustrations the classes of incomes which are exempt from both Income Tax and Super Tax
[Allahabad B. Com 1953]
-

आय की मदें — वेतन

[Heads of Income — Salary]

आयकर विधान में सुविधा के लिये आय को निम्नलिखित ६ भागों में बाँटा गया है।

- (१) वेतन (Salaries)
- (२) प्रतिभूतियों पर व्याज (Interest on Securities)
- (३) गृह सम्पत्ति से आय (Income from House Property)
- (४) व्यापार अथवा पेशे से लाभ या प्राप्ति (Profits and gains from business or profession)
- (५) पूंजीगत लाभ (Capital gain)
- (६) अन्य साधनों से आय (Income from other sources)

वेतन (Salary)

वेतन किसी कर्मचारी को उसके स्वामी से सेवाओं के बदले मिलने वाली आय को कहते हैं। इस प्रकार वेतन की सबसे पहली शर्त यह है कि रकम पाने वाले तथा देने वाले में सेवक तथा स्वामी का सम्बन्ध हो।

नये आयकर विधान की धारा १५ के अनुसार वेतन के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रकार की आय पर कर लगेगा।

(१) वर्तमान नियोक्ता अथवा भूतपूर्व नियोक्ता द्वारा देय वेतन । वेतन देय होना काफी है, भुगतान चाहे हुआ हो या नहीं ।

(२) कोई भी वेतन त्रिभक्त पेशगी भुगतान वर्तमान अथवा भूतपूर्व नियोक्ता द्वारा अथवा उनके बदले अन्य किसी व्यक्ति द्वारा किया गया हो ।

(३) कोई भी निम्नला बकाया वेतन, यदि उस पर आयकर न ले लिया गया हो ।

वेतन में सम्मिलित आय की दरों का और भी स्पष्टीकरण धारा १७ में किया गया है । इसके अनुसार आयकर में निम्नलिखित मदें शामिल हैं ।

(१) मजदूरी ।

(२) किसी प्रकार की वार्षिक वृत्ति (Annuity) अथवा पेंशन ।

(३) किसी प्रकार की ग्रेच्युटी । वर्तमान समय में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के कृषि विभागों तथा कृषि स्थानीय सस्थाओं ने Death cum-retirement Gratuity की योजनाएँ चलाई हैं । इन योजनाओं के अन्तर्गत कर्मचारी को मिलने वाली रकम कर मुक्त होती है । [धारा १० (१६)]

(४) किसी प्रकार की फीस अथवा कमीशन

(५) पेशगी वेतन

(६) साम्यता प्राप्त प्रोविडेंट फण्ड में वार्षिक वृद्धि—

(अ) नियोक्ता द्वारा दिया गया चन्द्रा जो कर्मचारी के वेतन के १० प्रतिशत से अधिक हो ।

(ब) जमा रकम पर व्याज जो वेतन के १/३ से अधिक हो अथवा व्याज की दर ६ प्रतिशत से अधिक हो ।

(७) किसी प्रकार का अनुदान (Perquisite) । इसमें आय की निम्नलिखित मदें सम्मिलित हैं ।

(i) नियोक्ता द्वारा रहने के लिये मिला हुआ बिना किराये का मकान । आय में जोड़ी जान वाली रकम के निर्धारण के लिए भाग के पृष्ठों में देखिये ।

(ii) यदि कोई मकान रियायती भाड़े पर मिला हो तो रियायत का मूल्य !

(iii) कोई अन्य प्रकार की सुविधा या सहूलियत जो मुफ्त अथवा रियायती दर पर निम्नलिखित लाभों को प्रदान की गई हो ।

(क) कम्पनी द्वारा ट्रांसरेक्टर को ।

(ख) कम्पनी द्वारा ऐसे व्यक्ति को जिसका उत्तमे पर्याप्त हिन हो *

(ग) नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को जिसका वार्षिक वेतन १८ हजार रुपये से अधिक है ।

(iv) नियोक्ता द्वारा भुगतान की हुई ऐसी रकम, जिसका भुगतान कर दाना को करना पडता । उदाहरणार्थ कर दाता के बदले चुकाया हुआ बज ।

(v) कर्मचारी के बदले नियोक्ता द्वारा अदा की गई धीमा की किशत अथवा वार्षिक वृत्ति (Annuity) की रकम ।

(८) वेतन के स्थान पर मिलने वाला लाभ । उदाहरणार्थ कोई क्षति पूर्ति की रकम जो वर्तमान अथवा भूत पूर्व नियोक्ता द्वारा तीकरी समाप्त करने अथवा उसकी क्षती मे परिवर्तन करने के लिए दी गई हो । [धारा ३ (-1)]

यद्यपि अधिनियम मे की भी इसका जिक्र नहीं है, परन्तु परम्परा के आधार पर प्रायः निम्नलिखित सुविधायें आय मे नहीं जोडी जाती ।

(१) किसी कर्मचारी, उसके परिवार के किसी सदस्य का प्रदान की जाने वाली मुफ्त चिकित्सा की सुविधा । यदि चिकित्सा पर व्यय नकद दे दिया जाय तो भी उसे नहीं जोडा जाता है ।

(२) यदि नियोक्ता ने कर्मचारी को दिये हुए मकान या ढगले के लिये कोई माली रक्खा है और उसका वेतन स्वयं नियोक्ता देना है तो माली का वेतन कर्मचारी की आय मे नहीं जोडा जायेगा ।

(३) यदि कर्मचारी अथवा कर्मचारियों के लिये मनोरजन सम्बन्धी सुविधायें प्रदान की गई हैं ।

(४) दफ्तर के कार्यकाल मे प्रदान की जाने वाली जलपान सम्बन्धी सुविधा । भोजन (lunch) की व्यवस्था इसमे नहीं आती ।

अनुलाभ का मूल्य निर्धारण

कर्मचारी को अनेक सुविधायें जैसे मुफ्त मकान इत्यादि मिलने हैं, दाय के रूप मे उसका मूल्यांकन क्या होगा यह जानना आवश्यक है । कुछ खास-खास अनुलाभों का मूल्यांकन निम्नलिखित प्रकार से होगा ।

* पर्याप्त हित से तात्पर्य २०% से अधिक मताधिकार से है ।

मकान के किराये का भत्ता—

(१) यदि भत्ता नकद रुपये में मिलता है तो पूरी रकम ।

(२) यदि मुफ्त मकान मिला है तो बिना फर्नीचर के होने पर वेतन के १०% के बराबर तथा फर्नीचर युक्त होने पर १२½ % के बराबर काटा जायेगा । यदि मकान का किराया इससे कम हो तो वास्तविक किराया लिया जायेगा ।

यदि मकान का उचित किराया वेतन के आधार पर निकाले हुए किराये के दूने से अधिक हो अर्थात् बिना साजसज्जा के मकान में वेतन के २०% तथा साज-सज्जा युक्त मकान में वेतन के २५% से अधिक हो तो इस सीमा में ऊपर का किराया आय में जुड़ जायेगा ।

उदाहरण—

(१) 'क' का मासिक वेतन २५० रु० प्रतिमास है । उसे ४० रु० प्रतिमास मकान के किराये का मिलता है । यद्यपि यह वेतन के ०% से अधिक है फिर भी पूरी रकम उसके वेतन की आय में जुड़ जायेगी ।

(२) राम प्रसाद को २४००० रु० वार्षिक वेतन मिलता है । साथ ही साथ उसे रहने का बंगला भी मिला है जिसका उचित किराया १५० रु० प्रतिमास है । बंगले का किराया अधिक से अधिक २४०० रु० हो सकता है । वास्तविक किराया १८०० रु० है जो इससे कम है अतएव १८०० रु० ही इसमें जोड़ा जायेगा ।

(३) एक कम्पनी के मैनेजर को साज सज्जा युक्त बंगला मिला है जिसका वार्षिक किराया १००० रु० साल है । यदि मैनेजर का वेतन ५०० रु० मासिक है तो किराये की कितनी रकम उसके वेतन में सम्मिलित होगी ?

$$\text{वेतन का } 12\frac{1}{2} \% = 6000 \times \frac{25}{200} = 750 \text{ रु०}$$

यह रकम वास्तविक किराये १००० रु० से कम है अतएव आय में ७५० रु० की रकम जोड़ी जायेगी ।

(४) एक ओवरसियर को २०० रु० प्रति माह वेतन मिलता है । उसे बिना फर्नीचर का एक बशर्ट मिला है जिसका किराया ५० रु० प्रतिमाह है । उसके वेतन में किराये की कितनी रकम शामिल होगी ?

$$\text{वार्षिक वेतन} = 2400 \text{ रु०}$$

$$\text{वार्षिक किराया} = 600 \text{ रु०}$$

$$\text{वेतन का १०\%} = 240 \text{ रु०}$$

$$\text{वेतन का २०\%} = 480 \text{ रु०}$$

$$\text{अतिरिक्त जोड़ी जाने वाली किराया की रकम} = 500 - 480 = 120$$

$$\text{कूल जोड़ी जाने वाली आय} = 240 + 120 = 360$$

(५) एक कर्मचारी का वार्षिक वेतन 5000 रु० है उसे एक बिना फरनीचर का बँगला रहने के लिए मिला है जिसका वार्षिक किराया उसे 500 रु० साल देना पड़ता है। बँगले का उचित किराया 1000 रु० साल है। वेतन में जोड़ी जाने वाली किराये की रकम बताओ।

$$\text{रिहायत की रकम} = 1000 - 500 = 500 \text{ रु०}$$

$$\text{किराये की अधिकतम रकम (वेतन 5000 का १०\%)} = 500 \text{ रु०}$$

$$\text{नकद दी हुई रकम} = 500 \text{ रु०}$$

$$\text{वेतन में जोड़ी जाने वाली रकम} = 500 - 500 = 0 \text{ रु०}$$

(६) किसी तेल मिल के मैनेजर का वेतन 6000 रु० साल है उसे एक मकान भी रहने के लिये मिला है जिसके लिए उसे 400 रु० वार्षिक देना पड़ता है। मकान का उचित किराया 550 रु० है। वेतन में जोड़ी जाने वाली रकम क्या होगी।

$$\text{किराये की अधिकतम रकम (6000 का १०\%)} = 600 \text{ रु०}$$

$$\text{नकद किराये की रकम} = 400 \text{ रु०}$$

$$\text{अन्तर} = 600 - 400 = 200 \text{ रु०}$$

उचित किराये तथा वास्तविक किराये का अन्तर = 550 - 400 = 150 रु०
यह रकम 200 रु० से कम है अतएव उसके वेतन में 150 रु० जोड़े जायेंगे।

मोटर कार—

यदि मालिक की तरफ से कर्मचारी को कोई मोटर कार मिली है, और उसका खर्चा मालिक को देना पड़ता है तो उसके अनुलाभ का निर्णय इस प्रकार होगा।

(१) यदि कार केवल मालिक के काम के लिए काम में आती है तो कुछ भी रकम नहीं जोड़ी जायेगी।

(२) यदि कार कर्मचारी के व्यक्तिगत काम के लिए काम आती है तो सब रकम जोड़ी जायेगी।

(३) यदि कार आधिक्य हटा से मानिक के काम के निचे तथा प्राणिक रूप से कर्मचारी के किसी काम मे आती है। तो सानुपातिक रूप से उसका विवरण कर कर लिया जायेगा और जितना भाग कर्मचारी के हिस्से का होगा उसकी आय मे जोड दिया जायेगा।

अन्य सुविधायें—

यदि मानिक द्वारा कर्मचारी को अन्य सुविधायें जैसे मुक्त तिकली, या यातायात की सुविधा (Transport), या बच्चों की शिक्षा की सुविधा प्रदान की गई है तो जितना हस्या मानिक इन काम के निचे खर्च करना है उतना उसकी आय मे जोड दिया जायेगा। यदि वह इन प्रकार की व्यवस्था अपने निज के साधनों मे करना है जैसे निजी गाडियो पर आने जाने की व्यवस्था, अथवा कर्मचारियों के निचे चलाये हुये स्कूल मे शिक्षा की व्यवस्था तो उसका मूल्य शून्य माना जायेगा, और वेतन में कटौती भी नहीं जोडा जायेगा।

वेतन मे घटाई जाने वाली रकमे

आयकर की धारा १६ मे उन समस्त मदों का उल्लेख है जिन्हें वेतन में से घटाकर कर देय आय निकाली जाती है।

(१) ५०० रु० तक की रकम जो कितानो अथवा आवश्यक साहित्य के खरीदने के निचे व्यय किया गया हो।

(२) यदि कर्मचारी को कोई मनोरंजन भत्ता (Entertainment allowance) मिलता है तो उसे निम्नलिखित प्रकार मे घटाया जायेगा।

(i) यदि कर दाता को सरकार से वेतन मिलता है तो वेतन (भत्ता इत्यादि को छोडकर) के १/५ अथवा ५००० रु० मे जो भी कम हो उसके बराबर।

(ii) यदि कर दाता गैर सरकारी कर्मचारी है तो वेतन (भत्ता इत्यादि को छोड कर) के १/५ अथवा ७५०० रु० में जो भी कम हो।

(iii) यदि कर दाता को १ अप्रैल १९५५ से पहले से इन्मी नियोक्ता द्वारा कोई रकम लगातार मिलनी आयी है तो वही रकम घटाई जायेगी चाहे वह ऊपर बताई हुई सीमाओं से अधिक ही क्यों न हो।

(३) यदि सरकार ने कर दाता के पेग, अथवा, रोजगार पर कोई कर लगाया है तो उस कर की रकम।

(४) यदि कर दाता को किसी प्रकार का यात्रा व्यय (Conveyance

allowance) नहीं मिलता है और अपने नौकरी के काम के लिए उसे कोई मवारी रखनी पडती है तो उसका उचित खर्चा ।

(५) अन्य कोई खर्चा जो कर दाता को अपनी नौकरी की धनों के हिसाब से करना पडता हो अथवा जिन्हे करना जरुरी हो ।

कटौती (Rebate)

वेतन सम्बन्धी आय में कुछ कटौती भी वापस मिलती है । ऊपर घटाई जाने वाली रकमों तथा कटौती में अन्तर यह है कि घटाई जाने वाली रकम कुल कर देय आय में घटा दी जाती है । जबकि कटौती की रकम कुल आय में नहीं घटाई जाती । उस पर औसत दर से कर निकाल कर बाद में घटाया जाता है । वेतन में निम्न-लिखित प्रकार की छूटें सम्मिलित हैं ।

(१) प्राविडेन्ट फण्ड सम्बन्धी छूट

(२) सुपर एन्गुएशन सम्बन्धी छूट

(३) जीवन बीमा सम्बन्धी छूट

(४) १० साल तथा १५ साल के पोस्ट आफिस के सचयी टाइम डिपाजिट सम्बन्धी छूट ।

प्राविडेन्ट फण्ड

प्राविडेन्ट फण्ड एक ऐसी योजना होती है जिसमें कर्मचारी अपने वेतन से कुछ रकम प्रतिमास बटवाता जाता है । उसका मालिक भी उसमें कुछ रकम देता है । समस्त रकम किसी विनियोग में लगा दी जाती है । जब कर्मचारी नौकरी छोडता है तो उसे कुल रकम जिसमें उसका अपना हिस्सा, मालिक का हिस्सा तथा व्याज सम्मिलित रहता है, मिल जाता है । इस प्रकार वृद्धावस्था में एक मुश्किल रकम प्राप्त हो जाती है जिससे वह अपने जीवन के अन्तिम दिन सुविधा से बिता सकता है ।

प्राविडेन्ट फण्ड तीन श्रेणियों में बाँटे जा सकते हैं ।

(१) वैधानिक प्राविडेन्ट फण्ड—(Statutory Provident Fund)

(२) प्रमाणित प्राविडेन्ट फण्ड (Recognised Provident Fund)

(३) अप्रमाणित प्राविडेन्ट फण्ड (Unrecognised Provident Fund)

वैधानिक प्राविडेन्ट फण्ड—

इस प्रकार के प्राविडेन्ट फण्ड, प्राविडेन्ट फण्ड एक्ट १९२५ के अनुसार संचालित होते हैं । वे प्रायः सरकारी दफतरो, रेलवे, विश्वविद्यालयों, स्कूलों इत्यादि में

प्रयोग किये जाते हैं। इस प्रकार के प्राविडेन्ट फण्ड की सुविधा मालिक को आवश्यक रूप से देनी पड़ती है।

आय कर पर प्रभाव

(१) मालिक द्वारा दिया गया चन्दा आयकर से मुक्त होना है तथा कर्मचारी की आय में नहीं जोड़ा जाता।

(२) कर्मचारी का चन्दा जो उसके वेतन में से कट जाता है, उसके कुल वेतन में तो जोड़ दिया जाता है, परन्तु बाद में औसत दर से उस पर छूट मिल जाती है।

(३) फण्ड पर मिलने वाला व्याज पूर्णतया कर मुक्त होता है तथा उसका कोई लेखा नहीं रखा जाता।

(४) रिटायर होते समय मिलनेवाली रकम पूर्णतया करमुक्त होती है।

प्रमाणित प्राविडेन्ट फण्ड—

जिन उद्योगों अथवा संस्थाओं में प्राविडेन्ट फण्ड वैधानिक रूप से आवश्यक है, उनके अलावा भी कोई संस्था अपने कर्मचारियों में इस प्रकार की योजना चला सकती है। कुछ आवश्यक शर्तें पूरी करने पर कमिश्नर उसे मान्यता प्रदान कर सकता है। ऐसी दशा में उसे प्रमाणित प्राविडेन्ट फण्ड कहेंगे। कमिश्नर यदि किसी समय समझे कि प्राविडेन्ट फण्ड का संचालन नियमों के विरुद्ध हो रहा है तो वह स्वीकृति वापस ले सकता है।

मान्यता की मुख्य मुख्य शर्तें इस प्रकार हैं

(१) सभी कर्मचारियों की नियुक्ति भारत में हो, अथवा निषेक्त का व्यापार मुख्यतः भारत से होता हो।

(२) प्रत्येक वेतन के भुगतान के समय कर्मचारी के वेतन का एक निश्चित भाग काट लिया जाय तथा उस कर्मचारी के प्राविडेन्ट फण्ड खाते में जमा कर लिया जाय।

(३) निषेक्त का चन्दा, कर्मचारी के चन्दे से अधिक न हो तथा अधिक से के अधिक एक साल में वह कर्मचारी के खाते में जमा कर दिया जाय।

(४) फण्ड का संचालन दो या अधिक ट्रस्टियों अथवा सरकारी ट्रस्टी के हाथ में हो। ट्रस्ट का प्रसविदा ऐसा हो कि उसे सदस्यों की अनुमति बिना वापस न किया जा सके।

(५) फण्ड की सम्पत्ति में कर्मचारियों तथा नियोक्ता का चदा, विनियोग पर मिलने वाला व्याज तथा अन्य कोई पूजोगत लाभ शामिल है जो उन विनियोगों को वेचने से प्राप्त हो ।

(६) नियोक्ता को जमा की हुई रकम में से कुछ भी वापस लेने का अधिकार न हो । यदि कर्मचारी दुर्घटन के कारण निकाल दिया जाता है, अथवा स्वयं निश्चित समय के पहले छोड़ देता है, तो नियोक्ता को इस प्रकार की सुविधा दी जा सकती है ।

(७) फण्ड की रकम कर्मचारी को उसके नौकरी छोड़ने ही देर हो जानी चाहिए ।

आयकर पर प्रभाव

प्रमाणित प्राविडेंट फण्ड का आयकर पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ना है ।

(१) नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों की आय के १० प्रतिशत तक दी हुई रकम पूर्ण-तया कर मुक्त है । इससे ऊपर उसे कर्मचारी के वेतन में जोड़ दिया जायेगा ।

(२) कर्मचारी द्वारा दिया गया अदादान उसके वेतन में जोड़ दिया जाता है । बाद में वेतन के $\frac{1}{4}$ अथवा ८००० (जो भी कम हो) को छूट औमत दर से दी जाती है ।

(३) कर्मचारी के खाते का व्याज, यदि वह उसके वेतन के $\frac{1}{3}$ से अधिक नहीं है तथा उस पर ६ प्रतिशत से अधिक व्याज दर नहीं है तो वह करमुक्त रहगा । वेतन के $\frac{1}{3}$ से अधिक व्याज अथवा ६ प्रतिशत में अधिक दर पर मिला हुआ व्याज उसके वेतन में जोड़ दिया जायेगा ।

(५) रिटायर होने अथवा नौकरी छोड़ने पर कर्मचारी को जो रकम मिलती है वह भी कर मुक्त होती है परन्तु उसमें निम्नलिखित शर्तें रहनी हैं ।

(i) यदि उसने कम से कम ५ साल तक लगातार सेवा की हो । अथवा

(ii) यदि उसे स्वास्थ्य के खराब होने, अथवा नियोक्ता का काम बंद हो जाने अथवा अन्य किसी ऐसे कारण से नौकरी छोड़नी पड़ी है, जो कर्मचारी के नियंत्रण के बाहर हो ।

फण्ड के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक शर्तें आयकर अधिनियम की चौथी अनुसूची (Fourth Schedule) में दी है ।

(iii) यदि ऊपर लिखी दोनों शर्तों के पूरी न होने का कारण वापस मिलने वाली जमा रकम पर कर देना पड़े तो सबसे पहले पिछले वर्षों में कर की रकम यह सोचकर निकालनी पड़ेगी जैसे प्राविडेन्ट फण्ड अप्रमाणित हो। इसके पश्चात् जितना कर उसे देना चाहिए तथा जितना कर वह दे चुका है उसका अंतर उसे करके रूप में देना पड़ेगा।

अप्रमाणित प्राविडेन्ट फण्ड

यदि प्राविडेन्ट फण्ड प्रमाणित नहीं है तो आय के सम्बन्ध में उसकी स्थिति इस प्रकार होगी।

(१) कर्मचारी द्वारा दिया हुआ चंदा उसकी आय में जुड़ जावेगा।

(२) मालिक का चंदा तथा व्याज कर मुक्त रहेगे।

(३) रिटायर होते समय अथवा फण्ड की रकम वापस मिलने पर कुल रकम में से कर्मचारी का प्राविडेन्ट फण्ड का चंदा तथा उसका व्याज घटा कर बाकी रकम पर कर लग जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि नियोक्ता द्वारा दिए गए अंशदान पर प्रतिवर्ष कर न लगाकर इकट्ठा रकम मिलने पर कर लग जाता है।

अप्रमाणित प्राविडेन्ट फण्ड को प्रमाणित करवाना

यदि अप्रमाणित प्राविडेन्ट फण्ड को बाद में मान्यता प्राप्त हो जाय तो प्राय कर्मचारी के खाते में जमा रकम पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से नए खाते में हस्तांतरित कर दी जाती है। आय कर पर उसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है।

(१) जो रकम नए खाते में नहीं डाली गई है वह कर देय होगी। परन्तु यदि उस पर कर दिया जा चुका है जैसे कर्मचारी का अंशदान तो उस पर दुबारा कर नहीं पड़ेगा।

(२) जो रकम नए खाते में हस्तांतरित की गई है उसमें यदि कोई ऐसी रकम सम्मिलित है, जिस पर यदि फण्ड आरम्भ से ही प्रमाणित होता तो कर देना पड़ता, तो ऐसी आय का एक साथ गतवर्ष की आय में जाड़ दिया जावेगा।

विभिन्न प्रकार के प्राविडेंट फण्ड का आयकर पर क्या प्रभव रड...
हम सक्षेप मे निम्नलिखित चाटे द्वारा समझ सकते है ।

वैधानिक	प्रमाणित	अप्रमाणित
<p><u>१. प्रतिवर्ष</u></p> <p>(क) कुल वेतन</p> <p>१. कर्मचारी का वेतन (उसका निजी अंशदान मिलाकर)</p> <p>(ख) छूट (ओसत दर पर)</p> <p>१. कर्मचारी का अंशदान</p> <p><u>२. धन वापस मिलने पर</u></p> <p>१. कोई कर नहीं । कुल आय मे भी नहीं जोडा जायगा ।</p>	<p><u>१. प्रतिवर्ष</u></p> <p>(क) कुल वेतन</p> <p>१ कर्मचारी का वेतन (उसका निजी अंशदान मिलाकर)</p> <p>२ मालिक का अंशदान (जो वेतन के १०% से अधिक हो)</p> <p>३. जमा रकन पर व्याज (जो वेतन के १/३ से अधिक हो अथवा दर ६% से अधिक हो)</p> <p>(ख) छूट (ओसत दर पर)</p> <p>१. कर्मचारी का अंशदान (वेतन के १/५ अथवा ५००० रु० तक)</p> <p><u>२. धन वापस मिलने पर</u></p> <p>१ कोई कर नहीं । कुल आय मे भी नहीं जोडा जायगा ।</p>	<p><u>१ प्रतिवर्ष</u></p> <p>(क) कुल वेतन</p> <p>१ कर्मचारी का वेतन (उसका निजी अंशदान मिलाकर)</p> <p>(ख) छूट (ओसत दर पर)</p> <p>१ कोई छूट नहीं ।</p> <p><u>२ धन वापस मिलने पर</u></p> <p>१ नियोजता का अंशदान तथा उस पर मिला हुआ व्याज आय मे जोडा जायेगा ।</p>

सुपर एन्युएशन फण्ड (Super annuation Fund)

यह व्यवस्था प्राविडेन्ट फण्ड की व्यवस्था से मिलती जुलती होती है। इसमें भी नियोक्ता तथा कर्मचारी दोनों ही अपना अशदान देते हैं। जो फण्ड इस प्रकार बनता है उसे कहीं विनियोग में लगा दिया जाता है। कर्मचारी के रिटायर होने अथवा अन्य कारणों से अवकाश ग्रहण करने पर उसे पेंशन, वार्षिक वृत्ति अथवा ऐसी अन्य प्रकार की सहायता दी जाती है। कभी कभी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रितों को भी सुविधा प्रदान की जाती है।

सुपर एन्युएशन फण्ड को मान्यता निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है।

(१) फण्ड का संचालन एक अप्रत्यावर्तनीय (Irrevocable Trust) के अधीन होगा।

(२) फण्ड चलाने वाली संस्था का कार्यक्षेत्र भारत में हो तथा कम से कम ६० प्रतिशत कर्मचारी भारत में काम करते हों।

(३) फण्ड का एक मात्र उद्देश्य कर्मचारियों को उनके अवकाश ग्रहण करने पर वार्षिक वृत्ति प्रदान करना हो। यह वृत्ति उनके रिटायर होने, एक निश्चित आयु के पश्चात् अवकाश ग्रहण करने अथवा उसके पहले काम करने के अयोग्य हो जाने पर देय होना चाहिये। कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रितों को भी इस प्रकार की वार्षिक वृत्ति देय हो सकती है।

(४) नियोक्ता भी फण्ड में अशदान करता हो।

(५) फण्ड द्वारा मिलने वाली सहायता का उपयोग भारत में ही हो।

आय कर पर प्रभाव

(१) कर्मचारी का अपना अशदान उसकी आय में जोड़ दिया जाता है परन्तु बाद में औसत दर से उस पर छूट मिल जाती है। [धारा ८७ (e)]

(२) नियोक्ता के अशदान पर कोई कर नहीं लगता और न वह आय में जोड़ा जाता है।

(३) यदि फण्ड में से कोई सहायता कर्मचारी को उसके जीवन काल में दी जाती है तो उसे दी जान वाली रकम में नियोक्ता के अशदान तथा उस पर मिली हुई ब्याज की रकम पर कर लगेगा। यह कर कर्मचारी द्वारा दी गई पिछले तीन वर्षों की आयकर की दर के अनुसार निर्वाला जायेगा। यदि कर्मचारी ने ३ साल से कम काम किया है तो कुल कार्य काल में कर की औसत दर पर लगाया जायेगा।

काटी जाती है तो इस रकम पर छूट दी जायेगी। अर्थात् पहले तो यह उसकी आय में जोड़ दी जाएगी बाद में उस पर औसत दर से छूट दी जायेगी।

(२) यदि करदाता व्यक्ति है तथा वह अपनी करदेय आय से पोस्ट आफिस के १० वर्ष अथवा १५ वर्षीय संचयी टाइम डिपॉजिट (Cumulative time Deposit) में रपया जमा करता है तो ऐसी रकम पर भी आयकर से औसत दर पर छूट दी जायेगी। यह छूट फाइनेंस एक्ट १९६२ से आरम्भ की गई है।

छूट की सीमा

१ ६२ से पहले छूट की सीमा इस प्रकार थी।

(१) वैधानिक तथा प्रमाणित प्राविडेंट फण्ड।

(२) स्वीकृत सुपर एन्युएशन फण्ड।

(३) जीवन बीमा की किश्त।

(४) सरकार द्वारा स्थगित वार्षिक के लिये काटी हुई रकम पर मिलने वाली छूट कुल मिलाकर निम्नलिखित हो सकती है।

व्यक्ति के लिए—आय के १/४ अथवा ८००० रु० में जो भी कम हो

समुक्त परिवार के लिए—आय के १/४ अथवा १६००० रु० में जो भी कम हो।

१९६२ से बाद में

ऊपर दी हुई चारों मदों तथा

(५) व्यक्ति द्वारा १० वर्षीय अथवा १५ वर्षीय (Post office Cumulative Time Deposits) में बचत से जमा की हुई रकम।

कुल मिला कर छूट की रकम इस प्रकार है।

व्यक्ति—कुल आय का १/४ अथवा १०००० रु० में जो भी कम हो।

समुक्त परिवार—कुल आय का १/४ अथवा २०,००० रु० में जो भी कम हो।

उद्गम स्थान पर कर की कटौती

बचत पर आयकर उद्गम स्थान पर ही काट लिया जाता है। प्रत्येक नियोजित का यह कर्तव्य है कि वह बचत खाते के पहले (यदि उस कर्मचारी का बचत करमुक्त सीमा से ऊपर है) उस पर कर की रकम काट ले तथा उसे सरकार के पास जमा करने की व्यवस्था करे। यदि किसी कारण से वह आयकर नहीं काटता तो वह स्वयं कर के लिए उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा उससे कर उसी प्रकार वसूल किया जा सकता है जैसे वह स्वयं करदाता हो।

पुराने अथवा अग्रिम वेतन से सम्बन्धित छूट

यदि किसी व्यक्ति को पुराना वेतन इकट्ठा प्राप्त हो अथवा अग्रिम वेतन प्राप्त हो जाय जिसके कारण उसकी आय पर लगने वाली कर की दर भी बढ़ जाय तो आय कर कमिश्नर उसको प्रार्थनापत्र देने पर दर सम्बन्धी उचित छूट दे सकता है। [८६ (१)]

वेतन पर कर निर्धारण

फाइनेंस एक्ट १९६३ में कर की दरें भी वृद्ध दी गई है परन्तु करदेय वर्ष १९६२-६३ में वेतन की आय पर कर १९६१-६२ की दर से ही लगेगा। अन्य आय की मदों पर कर १९६२-६३ की दर से लगेगा। इसलिए कर का निर्धारण निम्नलिखित प्रकार से होगा।

(१) पहिले कुल आय पर (वेतन को मिलाकर) १९६१-६२ की दर से आयकर तथा अधिकर निकालो। वेतन पर औसत दर से उतना ही कर लगेगा।

(२) कुल आय पर (वेतन को मिलाकर) १९६२-६३ की दर से आयकर तथा अधिकर निकालो। वेतन पर औसत दर से कर निकालो।

(३) ऊपर भाग (२) के अनुसार निकाले हुये समस्त कर में वेतन पर लगने वाला कर घटाओ तथा भाग (१) के अनुसार निकाला हुआ औसत कर जोडो।

SUMMARY

Total Salary

(1) Regular Salary including Dearness Allowance

(2) Advance Salary

(2) Past Salary (if untaxed)

(4) Annuity or pension

(5) Gratuity.

(6) Fee or Commission (from his own employer)

(7) In a Recognised P F.

(i) Employers contribution more than 10% of basic salary

(ii) Interest on accumulated balance exceeding $\frac{1}{3}$ of salary or higher interest rate than 6 %

- (8) House rent allowance or fair rent of free quarters
- (9) Payment by employer on behalf of assessee
- (10) Compensation for discontinuance of service
- (11) Any other benefit in cost or kind
- (12) In an unrecognised P F, at the time of repayment of accumulated balance, (Total money received—employee's contribution and interest on it)
- (13) Part of the entertainment allowance or any other allowance if not permitted for deduction under the act

Deductions allowed

- (1) Expenditure on books upto Rs 500
- (2) Entertainment allowance
 - (i) Government employee— $1/5$ of salary or Rs 5000
(whichever is less)
 - (ii) Other employees— $1/5$ of salary or Rs 7500
(whichever is less)
- (3) Expenditure on conveyance (if not paid)
- (4) Any tax levied by the Government upon the profession of assessee
- (5) Any other expenditure necessary for service

Exempted income

- (1) Free medical aid in cash or kind
- (2) Wages of the gardeners paid by the employer
- (3) Expenditure on entertainment paid by the the employer
- (4) Refreshment during office hours, but not lunch
- (5) Any other facility from the resources of the employer e.g. free education at their own school
- (6) Passage money for coming home (self, wife and children)
- (7) Allowance paid to any Citizen of India by Government for services outside the country
- (8) Payment received under Death cum retirement Gratuity

- (9) Repayment of accumulated balance of Statutory P F
- (10) Repayment of accumulated balance of Recognised P F.
- (11) Payment from Super Annuation Fund after the death of the employee
- (12) Any other allowance granted for meeting particular expenditure and actually paid

Rebate on average rate

- (1) Statutory P F —Employee's contribution
- (2) In a Recognised P F —Employee's contribution (upto 1/5 salary or Rs 8000 whichever is less)
- (3) Approved Super annuation Fund Employee's contribution
- (4) Life insurance premium
- (5) Amount deducted by Government for Deferred Annuity for helping the wife and children of assessee
- (6) Contribution to 10 yearly or 15 yearly Post office Cumulative Savings Deposits (available from 1962)

Limit of exemption —

Till Assessment year 1961 62

(From item 1 to 5 above)

Individual — $\frac{1}{4}$ of total income or Rs 8000

H U F — $\frac{1}{4}$ of total income or Rs 16000

From 1961-62

(From item 1 to 6 above)

Individual — $\frac{1}{4}$ of total income or Rs 10000

H U F — $\frac{1}{4}$ of total income or Rs 20000

PRACTICAL ILLUSTRATIONS

Illustration 1

Sri Ram Prakash is the manager of an oil mill getting a salary of Rs 1000 per month plus D A at 10% of salary. During the year he was paid bonus equal to 2 months salary. He has been allowed free bungalow, the rental value of which is Rs 150 per month. During the year he has taken a loan of Rs 4000 with a promise to get it deducted from his salary next year.

Calculate his income taxable under the head "Salary"

Solution

Total income from salary	Rs
1 Salary including D A	13,200
2 Bonus	2,000
3 Rental value of Bungalow (10% of salary)	<u>1,320</u>
Total	<u>16,520</u>

Note —1 The loan of Rs 4000 will not be included in the salary as it is not advance payment of salary

Illustration 2

Mr X is an employee in a firm at a salary of Rs 800 On 1st July 1961 the management terminated his services and paid him compensation Rs 2400 On 1st August 1961 he joined another firm as accountant with initial salary of Rs 600 plus 15% D A On 1st January 1962 he took as an advance 6 months salary What is his income from salary for the year ending 31st March 1962

Solution

Total income from salary —	Rs
1 Salary from previous employer	2400
2 Compensation from previous employer	2400
3 Salary including D A from new employer upto 1st January	3450
4 Advance salary (including D A)	2070
Total	<u>10320</u>

Illustration 3

Mr Bose is a University Professor getting a monthly salary of Rs 800 per month with 12½% D A Being the warden of the hostel he gets an allowance of Rs 100 per month His income

from examining answerbooks was Rs 2800 Due to certain financial difficulties in the University his pay for February and March 1961 remained unpaid As warden of the hostel he was allowed a furnished bungalow, the rental value of which is Rs 100 per month

Calculate his taxable income under Salary for the assessment year 1962-63

Total income from salary —	Rs
Salary for 12 months	9600
2 D A (12½% of salary)	1200
3 Warden's allowance	1200
4 House allowance (being less than or 12½% of 12000)	1200
Total	13 00

Note —It come from examinership is taxable under the head 'Income from other sources'

2 Salary for February and March although not received is taxable

3 For calculating house allowance all regular income under the head Salary viz pay + D A + warden's allowance will be taken into consideration

Illustration 4

A is an employee in a firm getting a salary of Rs 450 per month plus Rs 50 per month as dearness allowance He is a member of the provident fund to which he contributes 8% of his salary while his employer contributes 12% The amount is invested in the Government securities The interest on his accumulated balance was Rs 240

What will be his income taxable under the head salary if the provident fund is (1) Statutory (2) Recognised and (3) Unrecognised

Solution**When Provident Fund is Statutory**

Income from salary —

	Rs
Salary for 12 months	5400
Dearness Allowance	600
Total	<u>6000</u>

Rebate —

Employee's contribution to P F. 432

Income from salary —

	Rs
Salary for 12 months	5400
Dearness Allowance	600
Employer's contribution (above 10% of salary)	108
Total	<u>6108</u>

Rebate —

Employee's contribution to P F being less than 1/3 of salary and Rs 8700 432**When Provident Fund is Unrecognised**

Note — Interest on accumulated balance being less than 1/3 of salary and rate of interest assumed to be not more than 6% has been ignored

When Provident Fund is Recognised

Income from salary —

	Rs
Salary for 12 months	5400
Dearness Allowance	600
Total	<u>6000</u>

Rebate —

Illustration 5

Ram Prasad, an employee in a concern, has been a member of Provident Fund. He has been contributing 10% of his salary to which his employer has also contributed an equal sum. At the time of retirement he received Rs. 12000 from P. F. account. How will this amount be dealt for income tax purposes supposing that P. F. is (a) Statutory (b) Recognised and (c) Unrecognised.

Solution

(a) If the P. F. is statutory the sum of Rs. 12000 would be free from tax and will not be included in the total income either.

(b) If the P. F. is recognised the sum of Rs. 12000 would be free from tax and would not be included in the total income either.

(c) If it is unrecognised Rs. 6000 being the employer's contribution and interest thereon, will be taxable under the head 'salary'.

Illustration 6

Mr. Chaturvedi is an employee getting a salary of Rs. 4000 per month. He is a member of Approved Superannuation Fund to which he contributes 10% of his salary, the employer also contributing an equal sum. Supposing that he had no other source of income, what will be his taxable income under salary?

Solution

	Rs
Salary for the year	4800
	4800
Exempted income.—	
Employee's contribution to A. S. F.	480

Illustration 7

X having worked in a concern for 25 years retired from service on 31st March 1962. His salary during that year was Rs. 2500. He received a gratuity of Rs. 2000. He had also been a member of Approved Superannuation Fund out of which he was

paid Rs 860 as first instalment the employer having deducted Rs 20 for income tax on the portion of his own contribution

What is his income from salary What difference would it make if the amount had been paid to him on his death

Solution

Income from salary —	
	Rs
Basic salary	2500
Gratuity	2000
Receipt from S A Fund (employer's contribution)	440
	<hr/>
Total	4940
	<hr/>

If the amount had been paid to his successors after his death the amount of employers contribution would not have been included in his total income

Note — It has been assumed that contribution of the employer to S A Fund has been the same as that of the employee

Illustration 8

Mr Kohli is a gazetted officer in the Ministry of Finance getting a salary of Rs 1000 per month plus 10% D A He is also paid Rs 3000 as entertainment allowance Show how these sums will be treated for income tax purposes

Solution

Total income from salary

	Rs	
1. Basic salary	12000	
2 Dearness Allowance	1200	
3 Entertainment Allowance	3000	
	<hr/>	
	16200	16,00
	<hr/>	

बाय की मर्दे वेतन

Less—

1 Entertainment allowance 1/3 of the salary Rs 12000	2400
Taxable income	<u>13800</u>

Illustration 9

Sri A S Pillai is a manager of a well known bank with a salary of Rs 3500 per month. He is also allowed bonus equal to two months salary. Besides the above he is paid entertainment allowance of Rs 8000 per year. Show how this amount will be dealt with for income tax purposes.

Solution

	Rs
Salary	42000
Bonus	7000
Entertainment allowance	8000
	<u>57000</u>

Less—

Entertainment allowance	7500
Taxable income under salary	<u>49500</u>

Note —Maximum limit for entertainment allowance in case of an employee other than a government employee is 1/3 of salary or Rs 7500 whichever is less.

Illustration 10

Mr Chandola is an employee in a concern getting a salary of Rs 800 per month. He is a member of Provident Fund to which he contributes 12½% of his salary, the management contributing an equal sum. He gets D A at the rate of 10% of salary and two months salary as bonus. He has been allowed a rent free quarter the rental value of which is Rs 100 per month. He has also taken an insurance policy for Rs 30000 on which he pays Rs 3000 as

premium Interest accrued on the balance of P F account was Rs 110 His income from other sources is Rs 600 only

Calculate his income from salary and also his total taxable income supposing that Provident Fund is (a) Statutory (b) Recognised and (c) Unrecognised

Solution

When the P F is Statutory

Income from salary —

	Rs	
Basic salary	9600	
D A (10% of salary)	960	
Bonus equal to two month salary	1600	
House allowance (10% of salary including D A)	1056	13216

Other income

600

Total taxable income

13816

Rebate —

1 Employee's contribution to P F	1200
2 Insurance Premium	2254
Total	<u>3454</u>

Note — P F and insurance premium together should not exceed 1/4 of total income or Rs 10,000 which ever is less

When the P F is Recognised

Income from salary —

	Rs	
Basic salary	9600	
D A	960	
Bonus	1600	
House Allowance	1056	
Employer's contribution in excess of 10% of salary	240	13456

Other income

600

Total taxable income

14056

Rebate :—

1	Employee's contribution to P. F being less than 1/5 of salary	*	1200
2.	Insurance premium		2314
		Total	<u>3514</u>

When the P. F. is unrecognised

Income from salary —

		Rs	
	Basic salary	9600	
	D. A	960	
	Bonus	1600	
	House allowance	1056	13216
			<u>13216</u>
Other income			600
	Total taxable income		<u>13816</u>

Rebate —

1.	Insurance premium	3000
----	-------------------	------

Illustration II

Following are the particulars of income of Shri O P Varshney for the previous year ended 31st March 1962.

(1) Salary Rs 300 p m.

(2) His contribution towards P. F. @ 6¼% and his employers contribution at the same rate

(3) He is provided with rent free quarters of the annual value of Rs 400

(4) Interest credited to his P. F during the year was Rs 620

He paid Rs 450 Insurance Premium on his our policy Ascertain his total income and income exempted from tax.

(i) When P. F. is recognised.

(ii) When it is not recognised

Solution**1 When P. F is recognised**

Income from salary	Rs
Salary	3600
House allowance (10% of salary)	360
Total taxable income	<u>3960</u>

Rebate —

1 Employees contribution to P. F. (being less than 1/5 of salary and Rs 8000)	225
2 Insurance premium	450
	<u>675</u>

When P. F. is unrecognised

Income from salary —

Salary	3600
House allowance	360
Total	<u>3960</u>

Rebate —

3. Insurance premium	450
----------------------	-----

Illustration 12

An employee is in receipt of a salary of Rs 600 per month 8% of which he contributes to a provident fund to which his employer contributes 12%. He is provided with a rent free house by the employer, the rental value of his house being Rs 600 per annum and he also received from the employer Rs 1200 as bonus. The amount of interest credited to his provident fund account for the year at 5% per annum is Rs 450. He paid Rs 2000 as life insurance premium. Ascertain his total income and exempted income for the assessment year 1962-63 if the provident fund in question is —

- (a) a provident fund to which Provident Fund Act 1925 applies
 (b) a Recognised Provident Fund
 (c) an Unrecognised Provident fund

Agra B Com 1960

Solution

(a) *When the provident fund is such to which the Provident Fund Act 1925 is applicable*

Total Income—	Rs
1 Salary	7200
2 House allowance	600
3 Bonus	1200
Total	9000
Rebate	Rs
1. P. F Contribution (Employee's Share)	576
2. Life insurance premium	1674
	2250

The total exemption limit for P F and Life insurance premium is $\frac{1}{3}$ of total income or Rs 9000 i e Rs. 2250

(b) *When P F is Recognised P F*

Total Income	Rs
Salary	7200
House allowance	600
Bonus	1200
Employers contribution to P F (in excess of 10% of his salary of Rs 7200)	144
Interest credited to P F in excess of $\frac{1}{3}$ of salary and 6% per annum rate	Nil
	144
	9144

Rebate	Rs
P F Contribution (Employee's Share)	576
Life Insurance Premium	1710
	<u>2286</u>

Total exemption limit is $\frac{1}{4}$ of Rs 9144

(c) *When P F is Unrecognised P F*

Total Income--	Rs
Salary	7200
House allowance	600
Bonus	1200
	<u>9000</u>

Rebate	Rs
Life insurance premium	<u>2000</u>

Illustration—13

From the following information calculate the total income and exempted income of an individual for the assessment year 1962-63

- Salary after deduction of provident fund contribution and income tax Rs 14200
- Income tax deducted from salary Rs 2000
- His contribution to recognised provident fund Rs 1800
- Employers contribution to Provident fund Rs 1800
- Interest at 9% per annum credited to P F Rs 1200
- Dividends received Rs 4400 income tax deducted at source being Rs 1885 71
- Life insurance premium paid Rs 1800

(Agra B Com 1958 Adapted)

Soluton

1	Income from salary—	Rs	
	Net amount received	14200	
	Add		
	Income tax deducted	2000	
	Provident fund	1800	
		<hr/>	
		18000	
	Interest on P F being in excess of 6%	400	
		<hr/>	
	Taxable income from Salary	18400	18400
		<hr/>	
2	Income from other sources		
	Dividend (4400 + 1885 71)		6285.71
			<hr/>
	Total taxable income		24685 71
			<hr/>
	Rebate	Rs	
	P F (Employees Contribution)	1800	
	Life insurance premium	1800	
		<hr/>	
		3600	
		<hr/>	

Illustration—14

A is an employee of a limited company getting a salary of Rs 2000 per month and rent free quarters. He gets free lunch during office hours the cost of which is estimated to be Rs 50 p m. The annual premium on the assurance of his own life is Rs 5000 of which he pays Rs 3000 out of his own salary and company pays Rs 2000. Two gardeners are paid by the company to maintain the compound of the house in which A lives free of charge. Calculate A's taxable income from Salary.

Solution

Income from Salary	Rs
(1) Salary @ Rs 2000 p. m	24000
(2) Rent free quarter (10% of Salary)	2400
(3) Value of free lunch	600
(4) Insurance Prem paid by Company	2000
	<hr/>
Taxable income from salary	29000
	<hr/>
Rebate	
Life insurance premium Rs 5000	

Note

- 1 Refreshment during the office hours is free from tax but not lunch Therefore lunch has been added to the income
- 2 Expenditure on gardeners is free from tax under executive orders

आय की मदें-प्रतिभूतियों पर व्याज [Interest on Securities]

भायकर विधान की धारा १८ के अनुसार निम्नलिखित प्रकार की आय को प्रतिभूतियों पर व्याज—के मद में सम्मिलित किया जावेगा ।

(१) केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों पर व्याज ।

(२) स्थानीय सस्थाओं तथा अर्द्ध सरकारी कारपोरेशनों द्वारा निर्गमित ऋण पत्रों पर व्याज ।

(३) कम्पनियों द्वारा निर्गमित ऋण पत्रों तथा अन्य प्रतिभूतियों पर व्याज ।

(४) कम्पनियों द्वारा निराने हुए अंशों पर लाभांश इस मद के अन्तर्गत नहीं आता, चाहे वे साधारण अंश हो अथवा अधिमान अंश । लाभांश को 'अन्य साधनों से आय में सम्मिलित किया जाता है ।

(५) यदि कोई व्यापारिक सस्था प्रतिभूतियों की खरीद विक्री का काम करती है तो प्रतिभूतियाँ उसके लिए व्यापारिक स्टॉक का काम देंगी, मगर फिर भी ऊपर लिखी हुई प्रतिभूतियों पर व्याज के द्वारा होने वाली आय को 'प्रतिभूतियों पर व्याज' की मद में ही सम्मिलित किया जायगा ।

(६) इस मद में केवल व्याज से मिलने वाली रकम ही सम्मिलित की जाती है, प्रतिभूतियों को बेचने पर जो लाभ या हानि होती है उसे सम्मिलित नहीं किया जाता ।

घटाई जाने वाली रकमे

निम्नलिखित शर्तों की रकमे प्रतिभूतियों पर व्याज से होने वाली आय में घटा दी जाती है।

(१) व्याज की रकम एकत्र करने के लिये किया गया उचित खर्चा जैसे बैंक कमीशन इत्यादि।

(२) यदि कर दाता ने प्रतिभूतियों को खरीदने के लिये अपना उधार लिया है, तो उस उधार ली हुई रकम पर व्याज।

परन्तु यदि व्याज का भुगतान देग के बाहर करना हो अर्थात् यद्यपि किसी विदेशी व्यक्ति में किया गया हो तथा उसको मिलने वाली व्याज की रकम पर न तो टैक्स काटा गया हो, न पाने वाले ने कर दिया हो और न उसका कोई एजेंट भारत में हो त्रिपुसे कर बमुक्त किया जा सके, तो ऐसी व्याज की रकम प्रतिभूतियों पर मिलने वाली व्याज की रकम से नहीं घटाई जा सकती। [धारा २१]

यदि देण 'कर मुक्त सरकारी प्रतिभूतियों' को खरीदने के लिए लिया गया हो तो व्याज की रकम केवल करमुक्त व्याज की आय में ही घटाई जा सकती है। इस प्रकार यदि उधार ली हुई रकम पर व्याज मिलने वाले व्याज से अधिक हो तो उसे हानि होगी। इस हानि को ऐसी प्रतिभूतियों से मिलने वाली व्याज की आय से नहीं घटाया जा सकता जो कर मुक्त नहीं है।

कर मुक्त प्रतिभूतियाँ (Tax free Securities)

कर मुक्त प्रतिभूतियों में तात्पर्य यह होता है कि कर दाता को उस पर और कर नहीं देना पड़ेगा तथा वह उसकी विगुद्ध आय है। इस सम्बन्ध में कर मुक्त प्रतिभूतियों का निम्नलिखित भागों में बाँटा जा सकता है।

(१) वे प्रतिभूतियाँ जो आयकर से पूर्णतया मुक्त हैं [अधिकार से नहीं] तथा कुल आय में भी नहीं जोड़ी जाती।

इस प्रकार की प्रतिभूतियाँ निम्नलिखित हैं।

- (i) केन्द्रीय सरकार द्वारा निकाली हुई १५ वर्षीय एग्युटी सर्टिफिकेट पर मिलने वाली मासिक रकम।
- (ii) ट्रेजरी सर्विग्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट।
- (iii) पोस्ट ऑफिस बैंक सर्टिफिकेट।
- (iv) पोस्ट ऑफिस नेशनल सर्विग्स सर्टिफिकेट।

(v) नेशनल प्लान सर्टिफिकेट ।

(vi) १२ वर्षीय नेशनल प्लान सेविंग्स सर्टिफिकेट ।

(vii) पोस्ट आफिस सेविंग्स बैंक पर व्याज ।

(ख) वे प्रतिभूतियाँ जो आयकर से तो मुक्त हैं (सुपर टैक्स से नहीं) तथा जो कुल आय में जोड़ी जाती हैं ।

(१) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों की अन्य कर मुक्त प्रतिभूतियाँ । जिनका वर्णन ऊपर नहीं किया गया है ।

(२) कम्पनियों द्वारा निकाले हुए कर मुक्त ऋण पत्र ।

ऐसी प्रतिभूतियों पर मिलने वाले व्याज को पहले 'सम्पूर्ण' (Gross up) किया जाता है । अर्थात् मिली हुई नकद रकम में काटी हुई कर की रकम जोड़ दी जाती है । इसके पश्चात् उसे कुल आय में जोड़ दिया जाता है । अन्त में औसत दर पर उसमें कर की कटौती कर दी जाती है । इस प्रकार की कर मुक्त प्रतिभूतियों में ऐसा मान लिया जाता है कि कम्पनी अथवा सरकार ने प्रतिभूति के स्वामी के बदले स्वयं कर दे दिया है अतएव उन्हें प्रतिभूतियों के स्वामी की ही आय माना जावेगा ।

सम्पूर्ण करने की विधि (Method of Grossing up)

'सम्पूर्ण' करने की विधि तो हमेशा एक रहती है परन्तु वास्तविक रकम आय' कर की दर के हिसाब में बदलती रहती है । सन् १९६२ के फाइनेंस एक्ट में इस सम्बन्ध में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है तथा पुरानी दर २५% + ५% को कायम रखा गया है । इस प्रकार यदि किसी व्यक्ति को व्याज के १०० रु० देने हैं तो देने वाला कर के ३०% अर्थात् ३० रु० काट कर उमें ७० रु० भेज देगा । अतएव शुद्ध रकम का १/३ कर देने पर उससे कुल रकम मालूम हो जाती है ।

उदाहरणार्थ, यदि किसी व्यक्ति को १५० रु० प्रतिभूतियों पर व्याज के रूप में प्राप्त हुए तो उसकी कुल आय $१०५ \times \frac{१००}{७०} = १५०$ रु० मानी जायेगी ।

कर-युक्त प्रतिभूतियाँ (Less tax Securities)

कभी कभी प्रतिभूतियाँ कर युक्त (Less tax) के रूप में भी निकाली जाती हैं । यह कोई आवश्यक नहीं कि कर युक्त (Less tax) प्रतिभूतियों के साथ लिखा हो जाय । जो प्रतिभूतियाँ कर मुक्त नहीं होती हैं वे सभी कर युक्त होती हैं चाहे उन पर कर युक्त लिखा हो या न लिखा हो । कर युक्त प्रतिभूतियों में व्याज की जो

दर दी रहती है उस पर आयकर काटकर बाकी रकम प्रतिभूतियों के स्वामी के पास भेजी जाती है। उदाहरण के लिए यदि किसी के पास १००० रु० के ४% (Less tax debenture) हो तो उसे साल के अन्त में ४० रु० व्याज का नहीं मिलेगा बल्कि इस रकम में आयकर काट कर बाकी रकम उसको दी जायेगी। इसके विपरीत यदि वह ४% tax free होने तो उसके स्वामी को ४० रु० नकद दिया जाता, कम्पनी कर अपने पास से देनी। ऐसी दशा में व्याज की रकम को 'सम्पूर्ण' (Gross up), करन की भी आवश्यकता पड़ती और करदाता की वास्तविक आय ४० रु० के बराबर मानी जाती।

प्रतिभूतियों की व्याज सहित (Cum-interest) तथा व्याज रहित (Ex interest) खरीद विक्री--

प्रायः प्रतिभूतियाँ बराबर हस्तान्तरित होती हैं। यह हस्तान्तरण दो प्रकार का होता है। (१) व्याज सहित (Cum interest) जिसमें अगला व्याज खरीदार को मिलता है और दूसरा व्याज रहित (ex-interest) जिसमें अगला व्याज तो बिक्रेता को ही मिलता है पहली दशा में विक्रेता जितने दिन तक सिक्यूरिटी अपने पास रखता है उतने दिन का व्याज कीमत में जोड़ लेता है। दूसरी दशा में जितने दिन व्याज मिलने में बाकी रह जाते हैं उतने दिन का व्याज वह रकम में बाट देता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति ने १००० रु० के सरकारी ऋण २ महीने अपने पास रखने के बाद उसे व्याज सहित किसी को बेच दिया तो वह उस कीमत में एक प्रकार से २ महीने का व्याज शामिल कर लेगा और अगला व्याज नया का मिलेगा। इसके विपरीत यदि वह १० महीने अपने पास रखने के बाद उस व्याज रहित बेचना है तो अगला व्याज उसे स्वयं मिलेगा। इसलिए वह २ महीने का व्याज वास्तविक मूल्य में कम कर देगा।

आय कर के दृष्टिकोण में इन सब बातों का कोई महत्व नहीं है। उसमें कर उस व्यक्ति में लिया जाता है जिसको उसका रुपया मिलता है और व्याज की समस्त रकम एक ही व्यक्ति की आय मानी जाती है। उदाहरणार्थ एक व्यक्ति ने १०,००० रु० के ४% ऋण पत्र जिन पर व्याज ३१ दिसम्बर को देय था, १ जुलाई १९६१ को खरीदे। विक्रेता ने ६ मा० का व्याज २०० रु० कीमत में जोड़ दिया था। साल के अन्त में ३१ दिसम्बर १९६१ को उसे व्याज के ४०० रु० मिलेंगे। यद्यपि उसकी वास्तविक आय केवल २०० रु० है परन्तु ६०० रु० पर कर देना पड़ेगा।

प्रतिभूतियों का नकली क्रय विक्रय (Bond washing Transactions)

ऊपर बतलाया जा चुका है कि आयकर, प्रतिभूतियों के व्याज पर उसी समय पडता है जब व्याज देने वाली कम्पनी से उसे मिला हो। यदि किसी अन्य व्यक्ति को बेच कर उससे व्याज की रकम वसूल कर ली जाय तो उस पर कर नहीं देना पड़ेगा। कुछ लोग इसका उपयोग कर बचाने के लिये करते हैं। उसकी विधि इस प्रकार है।

वे व्याज की रकम देय होने के कुछ समय पहिले प्रतिभूतियों को व्याज सहित बेच देते हैं। इस प्रकार उन्हें प्रतिभूतियों की कीमत तथा व्याज की रकम मिल जाती है। व्याज की रकम देय हो जाने के बाद वे उन्हें फिर खरीद लेते हैं इस प्रकार वे आय कर से बच जाते हैं। इन सौदों को Bond Washing transaction कहते हैं।

Bond Washing Transactions की रोक-धाम के लिए नए अधिनियम की धारा ६४ में समुचित व्यवस्था की गई है जो इस प्रकार है।

(१) यदि कोई व्यक्ति प्रतिभूतियों को बेच देता है अथवा हस्तान्तरित कर देता है तथा कुछ समय बाद फिर खरीद लेता है अथवा प्राप्त कर लेता है तथा इस प्रकार आयकर बचाता है तो ऐसी प्रतिभूतियों पर मिलने वाले व्याज को उसकी आध में जोड़ा जावेगा चाहे कम्पनी स उसे व्याज न मिला हो।

(२) यह कोई आवश्यक नहीं है कि वह उन्हीं प्रतिभूतियों को खरीदता बेचता है। उसी प्रकार की प्रतिभूतियों के खरीदने बचने पर भी यही नियम लागू होगा।

(३) यदि कोई सस्था प्रतिभूतियों के खरीदने बेचने का काम करती है तथा इस प्रकार आयकर बचाने के लिए किए गए सौदों के दौरान में उसे कुछ हानि होती है, तो व्याज की रकम पर आयकर तो लग जावेगा परन्तु हानि का कोई मुआविजा न मिलेगा। उदाहरणार्थ यदि बेचने में उसे कुछ कम और खरीदने में कुछ अधिक दाम देने पडते हैं तो उसे हानि होगी परन्तु आयकर में इसका कोई ध्यान नहीं रक्खा जायेगा।

(४) आयकर अधिकारी कर दाता स किसी भी समय इस बात की सूचना मांग सकता है कि उसके पास किसी विशेष समय के अन्दर कौन-कौन सी प्रतिभूतियाँ थीं।

(५) यदि करदाता इनकमटैक्स आफिसर को सतुष्ट कर दे कि कर का बचना केवल आकस्मिक है तथा जान-बूझ कर नहीं किया गया है तथा सत वर्ष से पहले के तीन वर्षों में कभी इस प्रकार आय कर की बचत नहीं हुई है तो आयकर अधिकारी उसे व्याज की रकम को न शामिल करने की छूट दे सकता है।

SUMMARY

1 Types of Securities included—

- 1 Interest on Central Govt or State Govt loans, bonds etc
- 2 Interest on Debentures of Local bodies and Corporations
- 3 Interest on Debentures of Companies

2 Deduct the following —

- 1 Expenses on collection of tax
- 2 Interest on loan for purchasing securities

3 Following are not admissible

- 1 Expenses on purchase or sale
- 2 Profit or loss on purchase or sale
- 3 Interest on loan payable to a foreigner, if tax has not been deducted
- 4 Excess of interest on loan borrowed for purchasing tax free Govt Securities over interest received from such securities

4 Securities totally exempted from tax

- (1) 15 year Annuity Certificates
- (2) Treasury Savings Deposit Certificates
- (3) Post Office National Savings Certificates
- (4) Post Office Cash Certificates
- (5) National Plan Certificates
- (6) 12 yearly National Plan Savings Certificates
- (7) Interest on Post Office Savings Bank Account

5 Tax Liability—

- 1 Tax is payable in the hand of person who receives interest
- 2 All net interest must be grossed up

PRACTICAL ILLUSTRATIONS

Illustration 1

SR: Ram Prakash received income from various securities with him as under Calculate his income taxable under the head 'Interest on Securities' All sums represent gross income

	Rs
1 Interest on 3% Government Bond	600
2 Interest on 4½% Municipal Debentures	200 ✓
3 Interest on 3¼% U P Government Loan	500
4 Interest on Post Office Saving Bank Deposit	140
5 Dividend on 6% Preference Shares of a Company	800
6 Interest on 5% Debentures of the same Company	400
Total	<u>2640</u>

Solution

Total income from Securities

	Rs
1 Interest on 3% Govt Bond	600
2 Interest 4½% Municipal Debentures	200
3 Interest 3¼% U P Govt Loan	500
4 Interest on 5% Debentures	400
Total income taxable under the head	<u>1700</u>

Interest on Post Office Savings Bank Deposits will not be included in the income as it is tax free

Dividend on Preference Shares is not taxable under this head It is taxable under the head 'Income from other sources'

Illustration 2

Following is the income of Sri Bankey Lal from different securities Calculate his total income taxable under this head

	Rs
1 Interest on 4% Central Government loan	600
2 Income from 15 year Annuity Certificates	1200
3 Profit on sale of securities	140
4 Interest on National Savings Certificates	350

Solution

His income taxable under the head interest on securities—

	Rs
1 Interest on 4% Central Government Loan	600
Total	600

Items 2 and 4 are tax free Item 3 is a capital gain

Illustration 3

On 1st April 1961 A had following investments

- 1 Rs 10 000 in 4% Central Government Loan
- 2 Rs 30 000 in Kanpur Corporation 4½% bonds
- 3 Rs 20 000 in 6% Debentures of J. K. Rayon

He had borrowed Rs 20 000 to purchase 6% debentures, interest paid upon it being Rs 800 The bank had charged Rs 45 for purchasing these securities for him and Rs 15 for collecting interest upon them

Find his income taxable under the head interest on securities

Solution

	Rs
1 Interest on 4% Central Govt Loan	400
2 Interest on Kanpur Corporation bonds	1350
3 Interest on Debentures	1200
Total	2950

Less Deductions allowed

1	Interest on Loan borrowed 800	
2.	Charges of collection of interest 15	815
	Taxable Income	2135

Note —Rs 40 being the charges for purchasing securities is not a permissible deduction being in the nature of a capital expenditure

Illustration 4

The following is the record of B's transactions in various securities.

April 1, 1961—Purchased 3% Government Bond worth Rs 10,000

June 30, 1961—Bought Rs 5000 worth 6% Debentures of Hindustan Lever for Rs 7500 cum interest, Commission for purchase being Rs 10

July 1 1961—Sold 3% Govt Bonds at a profit of Rs 150 and purchased on the same date 5% Debentures of Dunlop Rubber Co, ex interest.

31st December 1961—Sold Rs 3000 worth 6% Debentures of Hindustan Lever at a loss of Rs 240 ex interest

Interest in each case is due on 31st March annually Calculate his income taxable under the head interest on securities for the assessment year 1962-63

Solution

Interest on Securities

		Rs.
1.	Interest on 6% Debentures	300
	Total income taxable under the head	300

Explanation

1 Interest on 3% Govt Bonds was not received by him as they were sold out before interest was received

2 Commission on purchase of bonds is not admissible expenditure

3 Interest on 5% Debentures of Dunlop Rubber was not received by him during 1961-62 as they were purchased ex interest

4 Although 6% Debentures worth Rs 3000 were sold off on 31st December, yet interest on the whole amount of Rs 5000 was received by him on 31st March 1962 as they were sold ex interest

5. Profit on the sale of Govt Bonds and loss on sale of Debentures will not be included under this head

Illustration 5

Sri Suresh Chandra had following securities with him on 1st April 1961

- 1 Rs 10,000 worth 4% U P Government Loans
- 2 Rs 6000 worth 6% Debentures of Rohtas Industries interest being payable on 30th June and 31st Dec
- 3 Rs 14000 worth 3% tax free Central Government Loans

Following were his transactions for the year

27th June 1961—Bought 5% Debenture of Bajaj Auto Ltd worth Rs 8000 ex interest, interest being payable on 30th June and 31st Dec

25th Nov 1961—Sold half of U P Govt loan at a loss of Rs 110

1st Dec—1961 Borrowed a loan of Rs 4000 for the marriage of daughter and pledged remaining U P Govt bonds Interest due on 31st March, 1962 was Rs 60

Jan 1 1962—Sold Debentures of Rohtas Industries and bought on the same date 5% Debentures of Orient Paper Mills worth Rs. 12000 ex-interest, interest payable on them was 31st Jan and 31st July

In order to procure finance for the purchase of these debentures he had borrowed from a friend in England. On 31st March interest amounting to Rs 50 had been paid to him without deducting income tax upon it. His friend had also paid no tax upon it.

He had borrowed a loan of Rs 10,000 for his daughter's marriage by pledging Securities. Interest payable on 31st March was Rs 150.

Calculate his total income taxable under the head 'Interest on Securities' for the assessment year 1962-63.

Solution

Interes on Securities

	Rs.
(1) Interest on Rs 5000, 4% U.P. Govt. Loan	200
(2) Interest on Debentures of Rohtas Industries Rs 6000, @ 6%	360
(3) Interest on Tax Free Govt Securities Rs 10,000, 3%	420
(4) Interest on Debentures of Bajaj Auto- Rs 8000, at 5% for 6 months	200
Total tarable income	1180

Exempted income—

Interest on Tax free Govt Securities Rs. 420

- Note —1. Although debentures in Rohtas Industries were sold on Jan. 1, two instalments of interest on 30th June and 31st Dec. were received.
2. Interest on loan for daughter's marriage will not be allowed as deduction because it was not taken for the purchase of Securities.
3. Interest on debentures of Orient Paper Mills has not been added as the same was not received till 31st March. The first instalment was due on 31st Jan. 1961, but as debentures were purchased ex-interest no interest was received.
4. Interest on loan borrowed from the foreigner on which neither the interest was deducted by person paying it

nor paid by the recipient is not admissible for deduction.

Illustration 6

Mr. A's investments are—

- (i) Rs 20000, 5% Govt Paper.
- (ii) Rs 10000, 4% Municipal Debentures.
- (iii) Rs. 10000, 6% Pref Shares

His bankers charged Rs. 25 as commission for collecting interest. He paid Rs. 500 as interest on loan which he had specially taken for purchasing securities. His other income from property in this period was Rs. 3000. Calculate his assessable income.

Solution

1. Interest on Securities.

	Rs.	
5% Govt. Paper	1000	
Interest on Municipal Debentures	400	
	1400	
Less—		
Collection charges	25	
Interest on loan	500	
	525	875
2 Income from property		3000
3. Income from other sources		
Dividends.		600
		4475
Total taxable income.		

Illustration 7

The following are the investments of the Upper India Trading Co You are required to calculate their income from Interest on Securities.

Investment on 1st April 1961

- (a) Rs. 60,000 4% U. P. Govt. Loan
- (b) Rs 30,000 5% Calcutta Improvement Trust Debenture.
- (c) Rs. 15,000 6% Preference shares of a Cotton Mills Co.
- (d) Rs 20,000 5% Free of Tax Government Loan.
- (e) Rs 40,000 6% Debentures of Imperial Trading Co.

On 1st Sept 1951 the company sold the above Rs. 40,000 6% Debentures of Imperial Trading Co cum interest and purchased Rs 70,000 6½% Debentures cum interest of the Eastern Bengal Jute mill Co Ltd. The additional sum of Rs 30,000 needed for the purpose was borrowed from the bank at ½% interest. The banker of the company charged commission for selling and buying of investment at the rate of 1 anna per cent and on collection of interest at the rate of 1/- per cent, calculated on the gross amount. Interest or dividend on investment is payable half yearly on 1st July and 1st Jan. each year.

Solution

Interest on securities—

	Rs
1. Rs. 60,000 4% U. P Govt. Loan	2400
2. Rs. 30,000 5% Calcutta I T Debentures	1500
3. Rs. 20,000 5% Free of Tax Govt Loan	1000
4. Rs. 40,000 6% Debenture of Imp Trading Co	1200
5. Rs. 70,000 6½% Debenture of Eastern Bengal Jute Mill	2275
	8375

Less—

1. Interest on Loan (Rs 30,000 for 7 months @ 7½%)	1312 50	
2. Bank Commission.	21 00	
	1333 5	7041 50
Taxable income—		7041 50

Note —1. Commission for purchase and sale of securities is not a permissible deduction, being a capital expenditure.

2. Dividend on shares of cotton mill company is taxable under the head 'income from other sources'.

Illustration 8

X is the holder of a number of securities, the interest on the same being as follows.

	Rs.
1 Interest on Tax free debentures of National Rayon	1750
2 Interest on 4% Tax free Govt. Bonds	200
3 Interest on 12 yearly National Plan Certificates	600
4 Interest on 3½% Tax free debentures worth 4000	140
5. Interest on Port Trust Bonds (Nett)	350
Collection charges	Rs. 20

Solution

Income from Securities—

1 Debentures of National Rayon (grossed)	2500
2 Interest on 4% Tax free Govt. Bonds	200
3. Interest on 3½% Debentures (grossed)	200
4 Interest on Port Trust Bonds (grossed)	500
Deductions—	<u>3400</u>
Collection charges	20
	<u>3380</u>
Taxable income	<u>3380</u>

Exempted income—

1 Tax free Govt. bonds	200
------------------------	-----

Note —Interest on National Plan Certificates is exempted from tax totally.

आय की मदै-गृह-सम्पत्ति की आय [Income from Property]

आयकर अधिनियम की धारा ३२ में गृह सम्पत्ति से मिलनेवाली आय का वर्णन इस प्रकार किया गया है ।

ऐसी सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य (Annual value) पर जिसमें इमारतें तथा उससे लगी हुई भूमि (ऐसे असा को छोड़कर जिसका प्रयोग ऐसे व्यापार के काम में होता है जिस पर कि आय कर देय है) सम्मिलित है तथा जिसका स्वामित्व कर दाता के पास है, 'गृह सम्पत्ति की आय' शीर्षक के अतर्गत आयकर लगाया ।

इस धारा के अनुसार गृह सम्पत्ति में निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं ।

(१) यह आय मकानों से प्राप्त होती है । खाली पड़ी हुई जमीन पर मिलने वाला किराया इसके अतर्गत नहीं आवेगा ।

(२) यदि मुख्य मकान से लगी हुई कोई खाली जमीन है तो उस पर मिलने वाला किराया मकान की ही आय समझा जावेगा ।

(३) मकान पर कर दाता का स्वामित्व होना चाहिए । यदि कोई किरायेदार मकान को एक साथ लेकर उसके किसी भाग को किराये पर उठा देना है तो किरायेदार की इस प्रकार की आय को गृह सम्पत्ति की आय के अतर्गत नहीं माना जावेगा । उस पर 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक के अतर्गत कर लगेगा ।

(४) यदि मकान का कोई हिस्सा व्यापार के लिए कर दाता द्वारा प्रयोग

किया जाता है तथा व्यापार की आय पर कर लगाता है तो उस हिस्से की किराये की रकम इस शीर्षक के अंतर्गत नहीं शामिल की जायेगी ।

(५) मकानों पर कर उसके वार्षिक मूल्य के आधार पर लगता है ।

वार्षिक मूल्य (Annual Value)

जैसा ऊपर बताया जा चुका है गृह सम्पत्ति में कर का आधार वार्षिक मूल्य होता है । वार्षिक मूल्य उससे मिलने वाली वास्तविक आय से भिन्न होता है । “यह एक ऐसी रकम होती है जिस पर वह मकान किराये पर उठाया जा सकता है” [धारा २३] वार्षिक मूल्य के निर्धारण में समय समय पर परिवर्तन हुआ है । उसे तीन भागों में बाँटा जा सकता है ।

(१) वे मकान जो १ अप्रैल १९५० से पहले बने हैं ।

(२) वे मकान जो १ अप्रैल १९५० से बाद मगर १ अप्रैल १९६१ से पहले बने हैं ।

(३) वे मकान जो १ अप्रैल १९६१ के बाद बनना आरम्भ हुए ।

[१] यदि मकान पूर्णतया किराये पर उठा है—

यदि मकान पूर्णतया किराये पर उठा है तथा १ अप्रैल १९५० से पहले का बना है तो साल भर के कुल किराये में म्युनिस्पल तथा स्थानीय कर जैसे हाउस टैक्स, वाटर टैक्स इत्यादि घटाने से वार्षिक मूल्य प्राप्त होता है ।
सक्षेप में—

वार्षिक मूल्य = वार्षिक किराया—स्थानीय कर

यदि मकान १ अप्रैल १९५० के बाद में तथा १ अप्रैल १९६१ के भीतर बना है—तो किराये की आय से स्थानीय करों का आधा घटाया जायेगा ।
सक्षेप में,

वार्षिक मूल्य = वार्षिक किराया— $\frac{1}{2}$ स्थानीय कर

[२] जब मकान में मालिक स्वयं रहता हो—

यदि मकान मालिक स्वयं मकान में रहता हो तो मकान का उचित किराया म्युनिस्पल बोर्ड अथवा अन्य स्थानीय संस्थाओं के मूल्यांकन के आधार पर माना जाता

हे। स्थानीय सस्थाएँ शहरो मे बने हुए मकान पर हाउस टैक्स लेती है जो मकान के किराये की आय पर लगाया जाता है। जहाँ मकान मालिक स्वयं रहता है वहाँ स्थानीय सस्थाएँ उसका उचित किराये का मूल्य लगा लेती है। इसे म्युनिस्पल मूल्याकन (Municipal Valuation) कहते हैं। अन्य किसी प्रमाण के अभाव मे म्युनिस्पल मूल्याकन ही उचित किराये का आधार माना जाता है।

यदि मकान मे स्वयं मालिक रहता है तो उसके वार्षिक मूल्य की दो सीमाएँ रहती है।

[१] पहले किराये के मकान के समान ही वार्षिक मूल्य निकाल कर उसमे से वार्षिक मूल्य का आधा अथवा १८०० रु० मे जो भी कम हो घटा दिया जायेगा।

सूत्र रूप मे इसे निम्नलिखित प्रकार से प्रकट कर सकते है।

(१) यदि मकान १ अप्रैल १९५० से पहले बना है।

सम्पूर्ण वार्षिक मूल्य = उचित वार्षिक किराया—स्थानीय कर

शुद्ध वार्षिक मूल्य = सम्पूर्ण वार्षिक मूल्य— $\left[\frac{1}{2}\right]$ सम्पूर्ण वार्षिक मूल्य

अथवा १८०० रु० मे जो भी कम हो]

(२) यदि मकान १ अप्रैल १९५० से बाद मे बना है।

सम्पूर्ण वार्षिक मूल्य = उचित वार्षिक किराया— $\frac{1}{2}$ स्थानीय कर

शुद्ध वार्षिक मूल्य = सम्पूर्ण वार्षिक मूल्य— $\left[\frac{1}{2}\right]$ सम्पूर्ण वार्षिक मूल्य

अथवा १८०० रु० मे जो भी कम हो]

[२] वार्षिक मूल्य करदाता की कुल आय के $\frac{1}{10}$ से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित सूत्र काम मे लाया जा सकता है।

वार्षिक मूल्य = (मकान को छोडकर अन्य आय—मकान से घटाए जाने वाले व्यय) $\times \frac{10}{11}$

इसकी विधि सक्षेप मे इस प्रकार है।

(i) पहिले मकान को छोडकर अन्य साधनो से प्राप्त होने वाली कर देय आय मालूम करो।

(ii) मकान मे घटाए जाने वाले व्यय (मरम्मत व्यय तथा स्थानीयकरो को छोडकर) मालूम करो। इस प्रकार के व्यय म जमीन का किराया, मकान के लिए, लिए हुए ऋण पर व्याज, मकान के बीमे की रकम इत्यादि मुश्क है।

(iii) भाग (i) की आय मे भाग (ii) का खर्चा घटाओ।

(iv) बची हुई रकम का $\frac{10}{11}$ भाग करो। वार्षिक मूल्य इससे अधिक नहीं होना चाहिए।

[३] यदि मकान आशिक रूप से उठा हो—

यदि मकान आशिक रूप से उठा हो तो तथा बाकी हिस्से में मकान मालिक स्वयं रहना हो ऐसी दशा में वार्षिक मूल्य निकालने की क्रिया उसी प्रकार होती है जैसे एक के बजाय दो मकान हो जिसमें से एक में मकान मालिक स्वयं रहता हो दूसरा किराये पर उठा हो। किराये का मूल्य तथा अन्य सब समानुपातिक रूप में बाँट लिए जाते हैं।

[१] यदि मकान का बनना १ अप्रैल १९६१ के बाद में शुरू हुआ है, तथा मकान किराये पर उठाया गया है

तो उसका वार्षिक मूल्य मकान पूरा होने के तीन साल तक निम्नलिखित प्रकार से निकाला जायेगा।

(१) यदि पहले बताये हुए नियम (वार्षिक किराया— $\frac{1}{2}$ म्युनिस्पल कर) के अनुसार वार्षिक मूल्य ६०० रु० अथवा उससे कम है तो उसका वार्षिक मूल्य शून्य माना जायेगा। [२३-(Proviso-i)]

(२) यदि इस प्रकार निकाला हुआ वार्षिक मूल्य ६०० रु० से अधिक है तो उसमें ६०० रु० घटाकर वार्षिक मूल्य निकाला जायेगा। [धारा-२३ (Proviso ii)]
सूत्र रूप में—

वार्षिक मूल्य = (वार्षिक किराया— $\frac{1}{2}$ म्युनिस्पल कर—६०० रु०)

[२] यदि मकान में मकान मालिक स्वयं रहता है—तो उसे वैधानिक छूट ही प्राप्त होगी, ६०० की छूट और न मिलेगी। इस प्रकार ऐसे मकानों का वार्षिक मूल्य पहले बताई हुई विधि के अनुसार ही लगेगा।

यदि करदाता को व्यापार अथवा रोजगार के कारण अन्य किसी स्थान पर किराये का मकान लकर रहना पड़ता है तथा वह अपने निजी मकान में नहीं रह पाता तथा वह साल भर खाली पड़ा रहता है तो वार्षिक मूल्य शून्य माना जायेगा।

यदि वह साल के कुछ महीने अपने मकान में भी रहता है तो वार्षिक मूल्य उतने महीनों के किराये के आधार पर माना जायेगा जितने दिन वह उसमें रहता है। इसमें शर्त यह है कि वार्षिक मूल्य में घटाने योग्य व्यय घटाकर कोई हानि नहीं होता चाहिए। अर्थात् इसमें अधिकतम रकम मूल्य के बराबर ही घटाई जा सकती है।

घटाए जाने वाले व्यय

१. मरम्मत सम्बन्धी व्यय

(१) यदि मकान की मरम्मत का भार स्वयं मकान मालिक पर हो तो वार्षिक मूल्य का $\frac{1}{2}$ मरम्मत के लिए काटा जावेगा, चाहे कुछ खर्च हुआ हो या न हुआ हो।

(२) यदि किराये दार ने मरम्मत का भार अपने ऊपर लिया है तो वार्षिक मूल्य के $\frac{1}{2}$ तथा वार्षिक मूल्य व वास्तविक किराये के अन्तर में जो भी कम हो माना जायेगा ।

२ मकान के बीमे की किश्त ।

३ यदि मकान को बिरबी रख कर कोई ऋण लिया गया है ता ऐसी ऋण की रकम पर ब्याज ।

४. यदि मकान पर अन्य कोई वार्षिक खर्च देना पडता है तो वह खर्च की रकम

५ यदि कोई भूमि कर (Ground rent) लगता हो तो ऐसी भूमि कर की रकम ।

६. यदि मकान खरीदने, बनवाने, अथवा मरम्मत कराने के लिए कर्ज लिया गया है तो उस पर ब्याज ।

७ भूमि पर दिया हुआ कोई लगान (Land revenue)

८ किराया वसूल करने के लिए किया हुआ खर्च । यह वार्षिक मूल्य के ६% से अधिक नहीं होना चाहिए ।

९. यदि वर्ष के कुछ भाग में मकान खाली पडा रहता है ता सानुपातिक रूप से उतने समय का वार्षिक मूल्य । उदाहरणार्थ यदि मकान तीन महीने खाली पडा रहा है तो वार्षिक मूल्य का $\frac{1}{4}$ भाग ।

१० यदि किराये का कुछ भाग वसूल नहीं किया जा सकता तो उस पर भी छूट दी जाती है ।

निम्नलिखित व्यय नहीं घटाया जा सकता

यदि ब्याज की रकम भारत के बाहर देय हो तथा,

(१) उस पर न तो कर दिया गया है और न कर काटा गया है, तथा

(२) ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे उसका प्रतिनिधि मानकर कर वसूल

किया जा सके तो ऐसी ब्याज की रकम नहीं घटाई जावेगी ।

निम्नलिखित दशाओं में गृह सम्पत्ति की आय पर कर नहीं लगता--

(१) यदि मकान खेतों के पास है तथा खेतों के काम के लिए ही उसका उपयोग होता है ।

(२) यदि मकान किसी धार्मिक अथवा पुण्यार्थ ट्रस्ट की सम्पत्ति है ।

(३) यदि उसका उपयोग मालिक द्वारा व्यापार अथवा पाने के लिए होता है।

(४) यदि मकान गादाम अथवा भण्डार घरों (ware houses) के रूप में है तथा वे सहकारी समिति की सम्पत्ति है।

(५) एसी सहकारी समिति की गृह सम्पत्ति से होनेवाली आय, जिसकी कुल आय २०,००० रु० से अधिक नहीं है, तथा जो हार्डवेयर सोसाइटी, अथवा चहरी उपभोक्ता समिति नहीं है।

(६) यदि कानून द्वारा किसी सस्था का निर्माण वस्तुओं के विपणन (marketing) के लिए हुआ है तो ऐसी सस्था की मोदामो से होने वाली आय।

SUMMARY

Calculation of Annual Value

Built before 1 4 1950 (A)	Built after 1 4 1950 (B)	Built after 1 4 1961 (C)
	Rented House	
A V = Rental Value Less M Tax	A V = Rental Value Less 1/2 M Tax	For first three years A V = [Rental Value - 1/2 M Tax] Less Above amount or Rs 600 which ever is less Afterwards Same as in (B)
	Residential House	
A. V = [R V - M Tax] Less 1/2 of above or Rs 1800 whichever is less	A V = [R V - 1/2 M Tax] Less 1/2 of above or Rs 1800 whichever is less	Same as in (B)
or 1/10 of total income whichever is less	or 1/10 of total income whichever is less	

Calculation of 1/10 of total income—

1/10 of Total income = [Total income excluding income of
residential house—Admissible expenditure not already deducted $\times \frac{1}{6}$]

Deductions allowed

1. Repairs—
 - (i) If done by the land lord, $[1/6 \text{ of } A \cdot V]$
 - (ii) If under taken by the tenant [Rental Value—Actual rent] or $[1/6 \text{ of } A \cdot V]$ whichever is less
2. Interest on loan—
 - (i) Taken for any purpose if house is mortgaged
 - (ii) Taken for construction, purchase, repairs of the house even if house is not mortgaged
3. Insurance premium on house
4. Any other annual charge
5. Ground rent
6. Land revenue.
7. Charges of rent collection up to 6% of $A \cdot V$
8. Vacancy allowance $\left[\frac{A \cdot V + \text{Vacancy Months}}{12} \right]$
9. Rent rendered unrealisable

Expenses not allowed

1. Interest paid outside the country if tax not paid or deducted
2. Any expenditure of a Capital nature

House income exempted from tax

1. Houses near agricultural land and used for agricultural purposes
2. Houses of religious trusts
3. Godowns and warehouses of Cooperative Societies
4. Income from property due to Coop Society with less than 20,000 income
5. Houses used by the landlord for trading purposes, the income of trade being taxable
6. Warehouses of authorised marketing institutions

Illustration 1

Sri T. N. Pandey is the owner of a house built in 1940. The house is wholly let out at monthly rent of Rs 100, municipal valuation for the same being Rs 1000. He pays 10% of municipal value as house and water tax and Rs 50 per year as ground rent. What is the annual value of the house.

Solution

	Rs.
Annual rent	1200
Less municipal taxes	100
	<hr/>
Annual value of the house	1100
	<hr/>

Ground rent will not be included in the municipal taxes for calculating annual value

Illustration 2

Mr A. K. Jain is the owner of a building built in 1954. It is let out to a tenant for Rs 400 per month, the municipal valuation of the same being Rs 4000. He pays Rs 450 for municipal taxes. Find out the annual value of the house

Solution

	Rs.
Rental value of the house	4800
Less 1/2 of municipal taxes	225
	<hr/>
Annual value of the house	4575
	<hr/>

Illustration 3

Sri Om Prakash is the owner of a house, built after April 1950. The house is occupied by himself, the municipal valuation of the same being Rs 3000. He pays house tax at the rate of 10% of annual value. The house is insured and insurance premium paid upon it is Rs 80. He paid further Rs 20 as ground rent.

His income from other sources is Rs 3400 What is the annual value of the house for 1961-62

Solution

Annual value on the basis of rental value

	Rs
Rental value	3000
Less 1/2 of Municipal taxes	150
	2850
Less statutory allowance (1/2 of 2850)	1425
Annual value	1425

2 Annual value on the basis of income

	Rs
Income from other sources	3400
Less admissible expenses on house (80+20)	100
Taxable income from other sources	3300

$$\begin{array}{l} 1/10 \text{ of total income including income} \\ \text{from the house occupied} \end{array} \quad 3300 \times \frac{6}{55} = \underline{\underline{360}}$$

Annual value of the house will therefore be Rs 360

Illustration 4

Sri Ram Prakash is the owner of a house built in 1954 which is solely occupied by himself. The rental value of the house according to Municipal valuation is Rs 50 per month on which he pays Rs 60 as municipal taxes. He is employed in an office and gets a salary of Rs 250 per month. What is the annual value of the house for 1961-62

Solution

Annual value on the basis of rent

	Rs
Annual letting value	600
Less 1/2 of municipal taxes	30
	570
Less statutory allowance (1/2 of 570)	285
	285
Annual value =	

As this is less than 1/10 of the salary it will also be less than 1/10 of total income

Annual value therefore will be taken as Rs 285

Illustration 5

A is the owner of a house $\frac{1}{3}$ of which is occupied by himself and remaining $\frac{2}{3}$ let out for Rs 200 per month. The municipal valuation of the house is Rs 3000 on which he pays municipal tax at the rate of $6\frac{1}{4}\%$ what is the annual value of the house

Solution

1	Annual value of the portion let out	Rs	
	Rental value	2400	
	Less, 1/2 of 2/3 M tax ($\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times 187$)	62	2338
2	Annual value of self occupied portion		
	Rental value (on the portion rented)	1200	
	Less $\frac{1}{2}$ of $\frac{1}{3}$ of M Taxes	31	
		1169	
	Less Statutory allowance	584	585
	Annual value of the whole house		2923

Note —Calculations have been made to the nearest rupee

Illustration 6

B is the owner of a house $\frac{2}{3}$ of which is occupied by him and the remaining let out on rent of Rs 120 per month. He pays

Rs. 520 as Municipal tax upon it His income from other sources is Rs. 4354. What is the annual value of the house

Solution

Annual value of the portion let out	Rs	
Rental value	1440	
Less $\frac{1}{2}$ of prop M tax ($\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} \times 520$)	65	1375
Annual value of the self occupied portion being 1/10 of the total income		600
Annual value of the whole building		1975

Calculation

Annual value of the self occupied portion has been arrived at in the following manner—

1. Annual value on the basis of rent.

	Rs.	
Rental value on the basis of portion let out	4320	
Less $\frac{1}{2}$ of Municipal taxes	195	
Less statutory allowance	4125	
	1800	
		2325

2. Annual value on the basis of 1/10 th of income.

Total income excluding income from self occupied house.	
Income from portion let out being annual value less $\frac{1}{4}$ for repairs [1375—229]	1146
Other Income	4354
	5500

$$\frac{1}{10} \text{ th of total income} = 5500 \times \frac{6}{55} = 600$$

As the amount of Rs 600 is less than Rs. 2325 calculated on the basis of rental value the same has been taken as annual value

Illustration 7¹

Y is the owner of a house the construction of which was started and completed after 1st April 1961. The house is let out for Rs. 200 per month, municipal taxes on the same being paid at the rate of 10%. What will the annual value of the house during the first year after completion

Solution

	Rs:
Rental value	2400
Less 1/2 of municipal taxes	120
	<hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>
	2280
Less allowance under Sec. 23 Proviso II	600
	<hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>
Annual value	1680
	<hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>

Illustration 8

Mr. X is a professor in a College at Kanpur. He has a residential house, the municipal valuation of which is Rs 1900. He pays Rs. 200 as municipal tax on it. During 1961-62 he was at Delhi as a member of a committee and could live in his house only for 3 months. What is the annual value of the house.

Solution

Annual value for the whole year.

Rental value	1900
Less 1/2 of municipal taxes	100
	<hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>
	1800
Less statutory allowance	900
	<hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>
	900
	<hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>

$$\text{Value for 3 months} = 900 \times \frac{3}{12} = 225$$

Note :—It is assumed that 900 is not more than 1/10 of his total income.

Illustration 9

Mr X is the owner of a house the construction of which started in May, 1961 and completed in June, 1961 and completed in June 1961. The municipal valuation of the house is Rs 600. Municipal tax paid upon it are Rs 80. The house is let out for an annual rent of Rs 620. Find out the annual value of the house for the assessment year 1963-64.

Solution

	Rs
Rental value of the house	620
Less 1/2 of Municipal Taxes	40
	580
Less allowance (under Sec 23 proviso I)	580
	Nil

Illustration 10

Mr R. P. Seth owns house property of the annual rental value of Rs 8000 which he has let to Mr Kamthan at Rs 7000 per annum, Mr Kamthan agreeing to bear the cost of repairs himself. The expenses of Mr Seth in connection with this property amount to Rs 250 excluding the cost of repairs. You are required to calculate his taxable income from property.

Would it make any difference if the house had been let out at Rs 6000 per annum instead of Rs 7000 per annum?

Solution

	Rs
(1) Annual Value	8000
Less Repairs	
(Annual Value—actual rent, Rs 8000 — Rs 7000)	1000
	7000
Taxable income from property	

The amount of Rs 1000 being the difference between annual value and actual rent has been taken because it is less than $1/6$ of the annual value Rs 8000, which would be Rs 1333

(u) When the house is let out for Rs. 6000

	Rs
Annual Value	8000
Less Repairs	
(being $1/6$ of 8000)	1333
Taxable income from property	6667

The difference between annual value and actual rent in the case is (8000—6000) Rs 2000 which is more than $1/6$ of annual value. Therefore repairs will be taken at $1/6$ of the annual value

Illustration 11

Mr Rama Nand is the owner of a house built in 1954. The municipal valuation of the house is Rs 3600 per annum. During 1961-62 following expenses were incurred in connection with the house

1	Municipal taxes	Rs 600
2	Ground rent	„ 20
3	Electric fitting	„ 150
4.	Insurance premium	„ 110
5	Repairs	„ 120

The house had remained vacant for two months.

Calculate the taxable income from property

Solution

Annual value of the house—

	Rs	
Rental value	3600	
Less $1/2$ of municipal taxes	300	3300

Less admissible deductions—

1. Repairs (1/6 of A V)		
2. Ground rent		
3. Insurance premium	1	
Vacancy allowance	55	12 0
	<hr/>	<hr/>
Income taxable under property		7
		<hr/>

Note —Expenses on electric fittings are not admissible only in the nature of capital expenditure

Illustration 12

Y is the owner of a house which he inherited from a widow on condition that she will be paid Rs 50 per month for maintenance. The municipal valuation of the house is Rs 4800 per annum and taxes paid upon it amount to Rs 600. During the rainy season he had to undertake some major repairs costing Rs 1200, which he borrowed from a banker. Interest due upon it was Rs 60. On 31st May 1961 he had borrowed Rs 1000 by mortgaging the house, interest being paid at the rate of 6% per annum. He engaged a servant on the monthly wages of Rs 30 for the collection of rent.

What will be his income from house property?

Solution

Annual value—		
	Rs	
Rental value of the house	4800	
Less Municipal taxes paid	600	4200
	<hr/>	<hr/>
Less Permissible deductions		
1. Repairs (1/6 of A V)	700	
2. Interest on loans (60+180)	240	
3. Collection charges (6% of A V)	252	
4. Annual charge on property (payment to widow)	600	1792
	<hr/>	<hr/>
Taxable income from property		2408
		<hr/>

Illustration 13

Sri K. K. Tewary is the manager of a firm getting Rs 500 per month as salary plus 10% D A. He is a member of Recognised Provident Fund to which he contributes 8%, his employer contributing 12%. Accrued interest on his balance during 1951-62 was Rs 50. He held following securities during the year

Rs 10,000 4% Government Bonds

Rs 4000 6% Debentures in Orient Paper Mills

Rs 1500 in Savings Bank Account Interest on the same being Rs 50

He had paid Rs 10 for purchasing securities and Rs 12 for collection of interest upon it. He had borrowed Rs 5000 for purchasing securities, interest payable at 5% per annum.

He is also the owner of a house half of which is let out at Rs 150 per month, municipal taxes upon the same being Rs 600. He paid Rs 50 on the insurance of the house and Rs 500 as premium on his own life.

What is his total taxable income.

Solution**1 Salary**

	Rs	Rs
1 Salary	6000	
2 D A	600	
3 Employers contribution more than 10% of salary	120	6720
	<u> </u>	

2 Income from Securities—

1 Interest on 4% Govt bonds	400
2 Interest on 6% Debentures	240
	<u> </u>
	640

Less,

Interest on loan	250		
Collection charges	<u>12</u>	<u>262</u>	5 3

3. Income from property

Annual value of portion let	1650		
Annual value of self-occupied part	<u>825</u>		
A. V. of the whole house		<u>2475</u>	

Less,

1/6 for repairs	412 50		
Insurance premium	<u>50 00</u>	<u>462 50</u>	<u>2012 50</u>
Total Taxable Income			<u>9110 50</u>

Rebate

1. Employees contribution to P. F.	480		
2. Insurance premium	<u>500</u>		
		<u>980</u>	

Calculations

1. Annual value of the portion let out.

Rental value	1800		
Less 1/2 of prop. M. Tax	<u>150</u>	<u>1650</u>	

2. Annual value of the self-occupied part.

Rental value	1800		
Less 1/2 of prop. M. Tax	<u>150</u>		
		<u>1650</u>	
Less Statutory allowance	<u>825</u>	<u>825</u>	

1/10 of income =

$$\begin{aligned} & \left[(6720 + 378 + 1650) - \left(\frac{1650}{6} + 50 \right) \right] \times \frac{6}{55} \\ & = [8748 - 325] \times \frac{6}{55} = 918 \end{aligned}$$

As this is greater than the annual value computed on the basis of rental value, Rs. 825 will be taken as annual value.

Illustration 13

Sri Lajpat Rai owns several properties the annual letting value of which amounts to Rs 25000 including Rs. 7000 for a bungalow where he resides. He claims the following expenses in addition to statutory allowance for repairs viz Rs. 100 insurance premium, Rs 700 for interest on mortgage, Rs. 500 for vacancy allowance, Rs. 25 ground rent, Rs. 10 land revenue and Rs. 1200 for rent collection charges.

Ascertain his taxable income from property.

Solution

Income from property

	Rs.
Annual value of property let (25000-7000)	18000
Annual value of residential house (1/10 of total income)	1373
Total annual value	<u>19373</u>

Less—

1.	½ for repairs	3229
2.	Insurance premium	100
3.	Interest on mortgage	700
4.	Vacancy allowance	500
5.	Ground rent	25
6.	Land revenue	10

7 Collection charges (6% of A V of rented property)	1080	
	5644	56
Taxable income from property		13729

Calculation

Annual value of residential house

(i) On the basis of rental value—

Rental value	7000	
Less Statutory allowance	3500	3500

(ii) On the basis of 1/10 of total income

$$[18000 - (100 + 700 + 500 + 25 + 10 + 1080 + \frac{1800}{6})] \times \frac{6}{55}$$

$$= (18000 - 5415) \times \frac{6}{55} = 1373$$

Illustration 14

A professor in a college gets a salary of Rs 300 per month. He contributes one anna per rupee of his salary to a Recognised Provident Fund to which the college also contributes an equal amount. The interest on his provident fund account for the year ended 31st March 1962 (at 5 per cent per annum) amounted to Rs 672.

He is also the owner of two houses one (municipal valuation Rs 800) occupied by him for his own residence and the other (municipal valuation Rs 1000) let at Rs 100 per month. His expenses for two houses were

Municipal taxes Rs 180, Land revenue for the house let Rs 40, Interest on loan taken to repair the residential house Rs 200, Fire insurance premium Rs 120, cost of extension of electric fittings in his residence Rs 250.

Ascertain his taxable income from the property, his total income and the amount exempt from income tax for the previous year ending 31st March 1952. Assume that the house let remained vacant for two months and that he paid Rs 850 as premium on his life policy for Rs 8000

(Adapted from Agra B Com 1959)

Solution

1 Salary

		Rs
Basic Salary	9600	
Other additions	Nil	9600
	<u> </u>	

2 Income from property

Annual value of the rented house	1150	
Annual value of residential house	460	
	<u> </u>	
Total annual value	1610	

Less—

	Rs		
$\frac{1}{8}$ for repairs	268 33		
Land revenue	40		
Interest on loan	200		
Fire insurance premium	120		
Vacancy allowance (2/12 of 1150)	191 67	820	
	<u> </u>	<u> </u>	
Taxable income from property		700	790
		<u> </u>	<u> </u>
Total taxable income			10390
			<u> </u>

Exempted income

	Rs
P F (Employees contribution)	600
Insurance premium	800
	<u> </u>
	1400
	<u> </u>

Calculation Work

1 Annual value of the rented house

	Rs
Rental value	1200
Less $\frac{1}{2}$ municipal tax	50
	1150

2 Annual value of residential house

(a) On the basis of rental value—

Rental value raised on the basis of house rented $\left(\frac{1200}{1000} \times 800 \right)$	Rs 960
Less $\frac{1}{2}$ of Municipal tax	40
	920
Less Statutory allowance ($\frac{1}{2}$ of 920)	460
	460

(b) On the basis of 10% income—

The annual value Rs 460 is much less than 10% of even income from salary. Therefore Rs 460 will be less than 10% of the total income, and the same will be taken as annual value of residential house.

Note —1 In case of insurance premium the amount of premium should not be more than 10% of the sum insured. Therefore only Rs 800 $\left(8000 \times \frac{10}{100} \right)$ will be exempted.

2 Cost of electric fitting is not admissible as it is a capital expenditure.

3 It is assumed that house was built after 1st April 1950.

4 Municipal tax in respect of two houses has been divided in the proportion of 800, 1000 i.e. Rs 80 and Rs 100.

Illustration 15

Sri Murli Manohar owns two bungalows, one of which is let at Rs 120 per month and the other is occupied by him for his residence the annual value of the same being Rs 960. He has paid Rs 200 as ground rent and insurance charges in respect of the first bungalow and Rs 150 in respect of the second. The municipal taxes paid by him in respect of the two bungalows amounted to Rs 150 and Rs 120 respectively and he spent Rs 300 on white washing and petty repairs in respect of both bungalows.

You are required to find out his taxable income from property assuming that both of these bungalows were constructed after 1st April 1950.

—Agra B Com 1958

Solution

1. Income from the rented bungalow—

	Rs
Annual rental value	1440
Less 1/2 Munic pal tax	75
Annual value	<u>1365</u>

Deduct—

	Rs	
1/6 for repairs	227 50	
Ground rent and insurance	200 0	427.50

Taxable income 937 50

2. Income from residential bungalow

	Rs
Annual value	85 90

Deduct—

1/3 for repairs	14 30	
Ground rent etc	150 00	164 30

Loss on the residential bungalow —78 40

Taxable income from property 859 10

Calculation

Annual value of residential bungalow

(a) On the basis of rental value —

Annual value	960
Less Statutory allowance	480
	480
	480

(b) 10 % of total income

$$(937.50 - 150) \times \frac{6}{55} = 85.90$$

Therefore rental value of Second Bungalow will be 85.90

Note —Municipal taxes have not been deducted from the residential bungalow as the annual value is given. It has been assumed that statutory allowance was not deducted but even if it were already deducted that would not have made any effect upon the annual value which is calculated on the basis of 10% of income.

Illustration 16

X is employed in a business office at Rs 300 per month. He owns Rs 20,000 4½% Govt Tax Free securities. He also owns a big house the municipal valuation of which is Rs 800. He has let out ½ of the house at Rs 50 while the remainder of the house is occupied by him. The house is mortgaged for a loan which he took for meeting the expenses of his sister's marriage. The interest on mortgage was Rs 200 for the year and municipal taxes paid in respect of the house amounted to Rs 150. Ascertain his taxable income from property and also his total income for the previous year ending 31st March 1962.

Solution

	Rs.
1. Income from salary—	3600
2. Income from property—	
Annual value of portion let out	562.50
Annual value of the portion occupied less $\frac{1}{2}$ statutory allowance	281.25
	843.75
Less—	
Repairs ($\frac{1}{8}$ of A. V.)	140.62
Interest on mortgage	250 00
	390 62
3 Interest on securities	900.00
Total taxable income	4953 13

Calculation

1. Annual value of the portion let out.

Rental value	600
Less $1/2$ of M. Taxes	37.50
	562.50

2. Annual value of the portion occupied by himself.

Rental value (less $1/2$ of M. Tax)	562.50
Less Statutory allowance	281 25
	. 81-25

This is less than $1/10$ of salary and therefore less than $1/10$ of total income.

Illustration 17

Following are the particulars of the income of Shri M V Mathur who is ordinary resident in the taxable territory for the year ended 31st March 1961. You are required to prepare his total income in proper form for the year 1961-62

(a) Salary Rs 300 per month, House rent allowance Rs 50 per month Employees contribution to Unrecognised provident fund 5% Interest on P F (5% per annum) Rs 300

(b) His investment during the year were

(i) Rs 5 000 in 6% preference shares of a company

(ii) Rs 2000 in 3% fixed deposit in a Bank

(iii) Rs 4000 in 4% Tax free Government Loan

(c) He owns a house $\frac{1}{2}$ of which is occupied by his son for his residence and other half is let at Rs 40 per month

(d) He paid a premium of Rs 240 on his life policy and Rs 120 on the policy of his wife

(Agra B Com 1955 Adapted)

Solution

1	Income from salary	Rs	Rs
	1 Salary	3600	
	2 House allowance	600	4200
		<hr/>	
2	Interest from Securities		
	1 4% Tax free Govt loan	160	160
		<hr/>	
3	Income from property—		
	Annual value of the house	720	
	Less, $\frac{1}{2}$ for repairs	120	600
		<hr/>	
4	Income from other sources		
	1 Dividend on Pref shares	300	
	2 Interest on bank deposits	60	360
		<hr/>	
	Total taxable income		5320

Exempted income—

1	Interest on tax free Govt loan	160	
2	Insurance premium	360	
		<u>Rs 520</u>	

Calculation

1	Annual value		
	(1) Annual value of the rented portion	480	
	Less $\frac{1}{2}$ of M Taxes		<u>Nil 480</u>
	(2) Annual value of the self occupied portion		
	Rental value	480	
	Less Statutory allowances	<u>240</u>	<u>240</u>
			<u>720</u>

Note —The house occupied by his son is deemed to be occupied by the assessee himself as there is no proof that the son is living separately from him

Illustration 18

Gopal is employed in a factory on a monthly salary of Rs 120. He is the owner of a big house whose municipal valuation is Rs 870 p a has let $\frac{1}{3}$ portion of his house on a monthly rent of Rs 30 and the remaining $\frac{2}{3}$ is occupied by his family. He has mortgaged the house for a loan of Rs 5000 taken at 6% p a for educating his son in America. The house is subject to local tax of Rs 150 p a. Gopal's taxable income from other sources during the previous year was Rs 1400. Find out Gopal's total income.

(B Com Agra 1954)

Solution

1.	Income from salary		
	Salary for 12 months	<u>1440</u>	1440

2	Income from property		
	Annual value of the house,	642 50	
	Less—		
	Repairs (1/6 of A V)	107 10	
	Interest on mortgage	300 00	235 40
		<u>407 10</u>	
3	Income from other sources		1400
	Total taxable income		<u>3075 40</u>

Calculation

1. Annual value			
	Annual value of the portion let	360	
	Less $\frac{1}{2}$ of M Tax ($150 \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{2}$)	25	335
		<u> </u>	
2. Annual value of self occupied portion—			
	Rental value (360×2)	720	
	Less $\frac{1}{2}$ of M Taxes ($150 \times 2/3 \times \frac{1}{2}$)	50	
		<u>670</u>	
	Less Statutory allowance	335	335
		<u> </u>	

10% income =

$$[(1440 + 1400 + 335) - (300 + \frac{335}{6})] \times \frac{6}{55}$$

$$= (3175 - 356) \times \frac{6}{55}$$

$$= 2819 \times \frac{6}{55}$$

$$= 307 50$$

As this is less than 335, Rs 307 50 will be taken as annual value of self occupied part	307.50
Annual value of the whole house	<u>642.50</u>

Illustration 19

X is employed as a Professor in a College on Rs 800 p. m. He contributes $5\frac{1}{2}\%$ of his salary to a recognised P. F. the college also contributing the same amount. The Interest on his P. F. account for the year amounted to Rs 672 He also owns house one (municipal valuation Rs 800) occupied by him for his residence and the other (municipal valuation Rs 1000) let at Rs. 100 p. m His expenses in respect of property were.

(a) Interest on Mortgage of house	1200
(b) Land revenue for both houses	40
(c) Premium for fire insurance	120
(d) Interest on loan taken to repair his residential house	105

The house which is let remained vacant for 2 months during the year. He paid Rs 850 as premium on his life policies

Ascertain his total income and exempted income.

(Agra B. Com 1946, Raj B Com. 1951)

Solution

	Rs.	Rs.
1. Income from salary	<u>9600</u>	9600

2. Income from property.

Annual value
Rented house 1200

Residential house—

Rental value $(\frac{1200}{1000} \times 800) = 960$

Less Statutory allowance 4 0 480
1680

Less

$\frac{1}{6}$ for repairs 280

Interest on Mortgage 1200

Land revenue 40

Prem. on Fire insurance 120

Interest on loan taken for
repairs of the house 105

Vacancy allowance $(1200 \times \frac{2}{12})$ 200 1945 —265
9335

Exempted income—

Employee's cont. to P. F. 528
Insurance premium 850
1378

Illustration 20

Mr X is the owner of a house its municipal valuation is Rs 3000 but he receives Rs 280 per month as rent He claims the following expenses

	Rs
(i) Repairs	1200
(ii) Interest on Mortgage of property	1500
(iii) Collection charges	185
(iv) Interest on loan taken to construct the house	1800
(v) Ground rent	120
(iv) Fire insurance premium	300

His income from interest on fixed deposits is Rs 4500 Ascertain his taxable liability

(Raj B Com 1952)

Solution

1 Income from property

Annual value of the house—

Rental value	3360	
Less $\frac{1}{2}$ M Taxes	<u>—</u>	3360

Less—

1 Repairs ($\frac{1}{8}$ of A V)	560
2 Interest of Mortgage	1500
3 Collection charges	185
4 Interest on loan for construction of the house	1800
5 Ground rent	120

आय की मद्धे-गृह-सम्पत्ति की आय			१२५
6. Fire insurance prem	<u>300</u>	<u>4365</u>	-1005
2. Income from other sources			
Interest on fixed deposits			<u>4500</u>
Total taxable income			<u>3495</u>

आय की सदे-व्यापारिक लाभ

[Income or Gains from Business or Professions]

पुराने अधिनियम में व्यापार, व्यवसाय तथा घषा (business, profession or vocation) को सम्मिलित किया गया था । नए एक्ट में केवल दो व्यापार तथा व्यवसाय रखे गये हैं । इसका कारण यह है कि व्यवसाय तथा घषे में कोई मौलिक अन्तर नहीं है तथा एक ही से काम चलाया जा सकता है ।

परिभाषाएँ

व्यापार (Business)—व्यापार का अर्थ केवल दूकानदारी ही नहीं है । आयकर के लिए इसका अर्थ अत्यन्त व्यापक रखा गया है । आयकर अधिनियम की धारा २ (१३) के अनुसार व्यापार में व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रवृत्ति का हो, सम्मिलित किया गया है । इस परिभाषा के अनुसार न केवल स्थायी व्यापार, व्यवसाय और उद्योग को इस मद में सम्मिलित किया जायगा बल्कि एक-आध सौदे को भी जो आकस्मिक रूप से किया गया है इस मद में सम्मिलित किया जायेगा ।

व्यवसाय (Profession)—आयकर विधान में व्यवसाय की कोई परिभाषा नहीं दी है, केवल इतना लिखा है कि व्यवसाय में घषा (vocation) भी सम्मिलित है । परन्तु प्रचलित उपयोग के अनुसार इसमें वे सब घषे आते हैं जिनमें बुद्धि तथा कौशल के द्वारा अपनी सेवाओं को बेचकर धनोपार्जन किया जाता है ।

इस प्रकार वकील, डाक्टर, लेखा परीक्षक, तान्त्रिक सलाहकार इत्यादि को इस श्रेणी में रखा जाता है। व्यवसाय के लिये यह आवश्यक है कि ये लोग अपना काम स्वतन्त्र रूप से करते हों तथा किसी एक व्यक्ति के नौकर न हों। जो डाक्टर किसी सस्था में नौकरी करता है उसे मिलने वाली रकम वेतन के अन्तर्गत आएगी, व्यवसाय के अन्तर्गत नहीं।

लाभ तथा प्राप्ति (Profits and gains)—अधिनियम में लाभ तथा प्राप्ति दोनों दिए गये हैं। यह केवल इसलिये है कि व्यवसाय द्वारा मिलने वाली रकम को लाभ नहीं कहा जा सकता। उसे 'प्राप्ति' कह सकते हैं।

आयकर अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित प्रकार की आय को इस मद के अन्तर्गत सम्मिलित किया जायेगा।

१ किसी व्यापार अथवा व्यवसाय की आय। [धारा २८ (१)]

२ प्रबन्ध अभिकर्ता को मिलने वाला लाभ।

३ यदि कोई व्यक्ति किसी भारतीय कम्पनी के कारोबार अथवा किसी अन्य कम्पनी के भारतीय कारोबार को पूर्ण रूप से सभाल रहा है तो उसके इस अधिकार को समाप्त करने अथवा उसमें परिवर्तन करने के कारण मिलने वाली क्षतिपूर्ति की रकम को इसी मद में सम्मिलित किया जाता है। [धारा २८ (१-a, b)]

४ यदि किसी व्यक्ति के पास कोई एजेन्सी का काम है तो उस एजेन्सी के समाप्त होने अथवा उसकी शर्तों में परिवर्तन होने के कारण मिलने वाली क्षतिपूर्ति की रकम। [धारा २८ (१-c)]

५. यदि कोई करदाता सट्टे का काम करता है तो इससे होने वाली आय को 'सट्टे की आय' कहा जायेगा तथा इसे साधारण व्यापारिक आय से भिन्न माना जायेगा।

निम्नलिखित प्रकार की आय परम्पराओं तथा निर्णयों के आधार पर व्यापारिक आय मानी जायेगी।

(१) व्यापार समाप्त करने पर अन्तिम स्टॉक को बेचने से प्राप्त होने वाला लाभ। अन्य स्थायी सम्पत्ति को बेचने से होने वाले लाभ को इसमें नहीं सम्मिलित किया जाता।

(२) साझेदार को फर्म से प्राप्त होने वाला लाभ का हिस्सा। [Mohan Lal Hira Lal Vs C I T -1952]

आशिक रूप से व्यापारिक आय

(१) चाय कम्पनियाँ—४० प्रतिशत व्यापारिक आय तथा ६० प्रतिशत कृषि आय ।

(२) शक्कर मिल—यदि स्वयं अपने फार्म का गन्ना इस्तेमाल करे तो गन्ने का मूल्य कृषि आय माना जायेगा, बाकी व्यापारिक आय ।

स्वीकृत व्यय

व्यापार के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का आवश्यक खर्चा स्वीकृत माना जाता है और उसे आय में से घटाया जाता है । यह बहुत कुछ व्यक्तिगत परिस्थितियों पर निर्भर रहता है । कुछ विशेष प्रकार व्यय की मदों का उल्लेख भायकर विधान में किया गया है जो इस प्रकार है ।

१. किराया—(१) यदि करदाता ने दूकान किराए पर ली है तो समस्त किराए की रकम तथा मरम्मत के लिए खर्च की गई रकम को स्वीकृत व्यय माना जायेगा । [३० (a-1)]

(२) यदि दूकान स्वयं करदाता की है तो सिर्फ मरम्मत का खर्चा । [३० (a-11)]

२ दूकान के सम्बन्ध में अन्य कोई खर्च जैसे बीमे की किशत । [३० (c)]

३ दूकान के लिये दिया हुआ लगान, स्थानीय कर, इत्यादि । [३० (b)]

यदि दूकान का कोई हिस्सा निवास स्थान के रूप में प्रयोग किया जाता है तो व्यापारिक व्यय के रूप में उसका सानुपातिक हिस्सा ही घटाया जायेगा । उदाहरणार्थ यदि मकान के आधे भाग को दूकान के रूप में तथा दोष आधे भाग को निवास स्थान के रूप में प्रयोग किया जाता है तो किराया, मरम्मत खर्च, बीमे की किशत अथवा स्थानीय करों का केवल आधा भाग ही घटाने योग्य व्यापारिक व्यय माना जा सकता है । [३८ (१)]

४ मशीनरी की चालू मरम्मत का खर्चा । [३१ (१)]

५ मशीनरी के बीमे की किशत । [३१ (२)]

६ मशीनरी इत्यादि की धिसावट । इस सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक आगे देखिये ।

७ धनुसंधान सम्बन्धी कार्य पर व्यय—(१) व्यापार से सम्बन्धित अनुसंधान पर कोई भी खालू व्यय जो वास्तव में किया गया हो । [३५ (१)]

(२) किसी भी वैज्ञानिक अनुसंधान सस्था, यूनिवर्सिटी अथवा कालेज को दी जाने वाली रकम । [३५ (१ ii)]

(३) व्यापार से सम्बन्धित अनुसंधान पर किया जाने वाला पू जीगत व्यय इस सम्बन्ध में निम्नलिखित नियम लागू होंगे ।

(i) पिछले वर्ष में जितना पू जीगत व्यय हुआ है उसका १/५ तो पिछले वर्ष ही स्वीकृत व्यय माना जायेगा । शेष अगले ४ वर्षों में बराबर बराबर घटाया जा सकता है । [३५ (२-१)]

यदि व्यापार आरम्भ करने के पहले सम्बन्धित अनुसंधान पर कोई व्यय किया गया है तो व्यापार आरम्भ करने से पहले तीन वर्षों का इस प्रकार का खर्चा पिछले वर्षों का खर्चा मान लिया जावेगा ।

(ii) यदि अनुसंधान कार्य के लिए खरीदा हुआ कोई सामान गत वर्ष में इस काम में न आवे तो केवल गत वर्ष में निम्नलिखित व्यय स्वीकृत माना जावेगा ।

स्वीकृत व्यय = [(वस्तु पर किया गया कुल खर्चा—छूट, जो पिछले वर्षों में दी जा चुकी है)—वस्तु का वर्तमान मूल्य]

अगले वर्षों में इस पर कोई छूट नहीं दी जावेगी ।

८ स्टॉक के बीमा की किश्त । [३६ (१-1)]

९. किसी कर्मचारी को दिया जाने वाला बोनस अथवा कमीशन । [३६ (१-ii)] बोनस की रकम कर्मचारी के वेतन तथा उसके कार्य, व्यापार के लाभ तथा अन्य उसी प्रकार की फर्मों की परम्परा के अनुसार उचित होना चाहिये ।

१० व्यापार अथवा व्यवसाय के लिये उधार ली गई पू जी पर व्याज । [३६ (१-iii)]

११ नियोक्ता के रूप में प्रमाणित प्राविडेन्ट फण्ड अथवा स्वीकृत सुपर एन्युएशन फण्ड में दिया गया अशदान । [३६ (१-iv)]

१२ नियोक्ता के रूप में कर्मचारियों के हित में रखे जाने वाले ग्रेच्युटी फण्ड में उसका अशदान । [३६ (१-v)]

१३ यदि व्यापार के काम में पशुओं का उपयोग होता है तो उनके मर जाने या काम के अयोग्य हो जाने पर उनकी लागत तथा घटी हुई कीमत में अंतर । यदि जानवर मर गया है तो कीमत में खालो से मिनने वाली रकम घटाई जावेगी । यदि सस्था जानवरों की खरीद-बिक्री करती है तो यह सुविधा न मिलेगी । [३६ (१-vi)]

१४. भारत में औद्योगिक विकास के लिए दीर्घ-कालीन ऋण देने वाली सस्था यदि किसी विशेष कोष (Special reserve) की रचना करती है तो उस कोष में डाली गई रकम । बशर्ते कि रकम कुल आय के १० प्रतिशत से अधिक न हो तथा पिछले वर्षों को मिलाकर ऐसी कुल रकम उसकी चुकता पूंजी से अधिक न हो । [३६ (१-viii)]

१५. अप्राप्य ऋण (Bad debts) । अदत्त ऋण को रकम घटाने योग्य व्यय माना जाता है परन्तु इस सम्बन्ध में निम्नलिखित शर्तें काम करती हैं ।

(१) कर्ज बही खातों में अप्राप्य (irrecoverable) लिख दिया गया है ।

(२) यदि समस्त ऋण का कोई अंश ही अपलिखित किया गया है तथा बाद में बची हुई रकम से भी कम वसूल होता है तो जो भी कमी हो उसे अप्राप्य ऋण माना जायेगा और स्वीकृत व्यय समझा जावेगा । [३६ (२-ii)] । उदाहरणार्थ यदि कुल ऋण १००० रु० है, उसमें से २०० रु० अप्राप्य लिख दिया गया, अगले वर्ष में उसमें से केवल ७०० रु० वसूल हुए तो अगले वर्ष $८०० - ७०० = १००$ रु० और घटाने योग्य व्यय माना जावेगा ।

(३) यदि कोई ऋण जिसे पहले अपलिखित किया जा चुका है बाद में वसूल हो जाता है, तो उसे उस वर्ष की व्यापारिक आय माना जायेगा जिस वर्ष वह वसूल हुआ है ।

(४) यदि पिछले वर्षों में फर्म ने किसी ऋण को अप्राप्य लिख दिया हो परन्तु इन्कम टैक्स आफिसर ने उसे स्वीकार न किया हो और घटाने की इजाजत न दी हो तो अगले वर्षों में जब उसका अप्राप्य होना सिद्ध हो जाय तो उसे घटाया जा सकता है । [३६ (२-iii)]

(५) यह आवश्यक है कि ऋण जिस वर्ष अपलिखित किया जाता है उसी वर्ष अप्राप्य हुआ हो । यदि इन्कमटैक्स आफिसर को मालूम हो जाय कि ऋण इसके पहले अप्राप्य हो चुका था तो उसे घटाने योग्य व्यय निम्नलिखित शर्त पर ही माना जा सकता है ।

(i) ऋण गत वर्ष से, जिसमें कि वह अपलिखित किया गया है, पहले के चार वर्षों के भीतर अप्राप्य हुआ है ।

(ii) करदाता इस बात के लिये तैयार है कि वह उसे सही वर्ष में अपलिखित करेगा तथा इस प्रकारलाभ में होने वाले परिवर्तन को उसी वर्ष में दर्ज करेगा । [१५५ (६)]

१६ सत्कार व्यय (Entertainment Expenditure)—प्रत्येक व्यापारिक सस्था कुछ सत्कार व्यय करती है उसके लिए स्वीकृत व्यय की सीमा निम्नलिखित है । [३७ (२)]

- (१) प्रथम १० लाख के लाभ पर—१% अथवा ५००० रु० में जो भी अधिक हो ।
- (२) अगले ४० लाख के लाभ पर—३/४% की दर से
- (३) अगले १२० लाख के लाभ पर—१/२% की दर से
- (४) अगले लाभ पर — कुछ नहीं ।

१७ यदि कोई सस्था अथवा व्यक्ति किसी कम्पनी का प्रबन्ध अभिकर्ता है तथा उसे प्राप्त कमीशन का कोई अंश किसी अन्य व्यक्ति को देना पड़ता है तो प्रबन्ध अभिकर्ता के लाभ में से ऐसी रकम जो दूसरे पक्ष को दी गई है घटा दी जाएगी । परन्तु इसकी शर्त यह है कि दोनों पक्षों के बीच में लिखित समझौता हो तथा दोनों पक्ष लिखित रूप से इन्कम टैक्स अधिकारी को अपने अपने हिस्से के बारे में बतलावें । [३६]

१८ अन्य कोई व्यय जो व्यक्तिगत व्यय अथवा पूजोगत व्यय नहीं है तथा पूर्णतया व्यापार अथवा व्यवसाय के लिये ही प्रयोग किया गया है । [३७ (१)]

इस धारा के अन्तर्गत सभी प्रकार के आवश्यक व्यय आ जाते हैं । उन सभी का लेखा देना यहाँ सम्भव नहीं है परन्तु कुछ खास खास व्यय इस प्रकार है ।

(१) वर्ष के आरम्भ में मूजान करने तथा नई बहियाँ बनाने का व्यय, अधिकतम २०० रु० तक ।

(२) खातों को रखने, आडिट कराने तथा आय के विवरण को आयकर अधिकारियों के सामने पेश करने का व्यय । परन्तु आयकर अथवा विक्री कर के खिलाफ अपील करने का खर्चा मान्य नहीं है ।

(३) व्यापार के सम्बन्ध में कोई कानूनी खर्चा । यदि कम्पनी के डायरेक्टर के चुनाव पर कोई आपत्ति करे तो उसकी रक्षा के लिये कानूनी व्यय मान्य समझा जावेगा ।

(४) विज्ञापन सम्बन्धी खर्चा ।

(५) कोई भी क्षतिपूर्ति की रकम यदि वह व्यापार के स्वाभाविक दौरान में दी गई है । जैसे किसी कर्मचारी को उसकी नोकरी से अलग करने अथवा उसकी शर्तों में परिवर्तन करने के लिए दिया हुआ हरजाना या किसी एजेंट को हटाने के लिए दिया गया हरजाना ।

(६) किसी कर्मचारी को किसी उत्तरदायित्व की पूर्ति के लिए दिया हुआ विशेष भत्ता ।

(७) माल बेचने के लिए दी गई दलाली ।

(८) Workmen's Compensation Act के अन्तर्गत दिया गया हरजाना ।

अप्रामाण्य खर्च (Inadmissible Expenditure)

निम्नलिखित खर्च अप्रामाण्य है तथा व्यापारिक खर्च के रूप में नहीं घटाये जा सकते ।

१ यदि उधार ली हुई रकम पर व्याज किसी विदेशी को देना है तथा न तो व्याज देने वाले ने उस पर आयकर घटाया है, न पाने वाले ने ही दिया है और न उसका कोई एजेंट भारत में है जिससे आयकर वसूल किया जा सके । [४० (a-1)] ।

२ कोई भी कर जो लाभ पर लगता हो जैसे आयकर । [४० (a-ii)]

३ कोई भी वेतन की रकम जो भारत के बाहर देय है तथा जिस पर कर नहीं काटा गया है । [४० (a-iii)]

४ कर्मचारियों के लिए स्थापित प्राविडेन्ट फण्ड अथवा अन्य किसी फण्ड में दिया हुआ अशदान जब इस बात का समुचित प्रबन्ध न हो उसमें से दी जाने वाली जो भी रकम करदेय हो उस पर उद्गम स्थान पर ही कर ले लिया जाय । [४० (a-iv)]

५ किसी फर्म द्वारा साक्षीदार को दिया हुआ व्याज, वेतन, बोनस, कमीशन अथवा अन्य कोई पुरस्कार । [४० (b)]

६ किसी कम्पनी द्वारा डायरेक्टर अथवा अन्य किसी व्यक्ति को जिसका कम्पनी में पक्षित हित हो अथवा उसके किसी रिश्तेदार को दी गई कोई सुविधा अथवा कोई रकम । [४० (c-1)]

७ किसी कम्पनी द्वारा ऊपर धारा ४० (c-1) में वर्णित व्यक्तियों द्वारा कम्पनी की किसी सम्पत्ति को उपयोग करने की सुविधा । उदाहरणार्थ कम्पनी की कार को किसी डायरेक्टर द्वारा निजी उपयोग में लाना ।

८. मालिक अथवा साक्षीदार द्वारा आहरण (drawings) अथवा अन्य निजी व्यय ।

६. प्राप्य ऋण के लिए सचिती अथवा अन्य कोई पण्ड ।

१०. यदि व्यापारी अपने निजी मकान मे व्यापार करता है तो मका । ३१ किराया ।

११ आयकर, अधिकर अथवा अन्य किसी कर की अपील का खर्चा ।

१२ अधिकर की रकम, यदि वह विक्री मे जोड कर नहीं दिखाई गई है ।

१३. किसी कम्पनी के सचालक को दिया जाने वाला आवश्यकता से अधिक पारिश्रमिक ।

१४ पूँजीगत व्यय अथवा पूँजीगत हानि ।

१५ नकद साख (Cash credit) यदि वहीम्वातो मे किसी व्यक्ति का रुपया जमा है अथवा कोई विनियोग किया गया है परन्तु उसके लिए रकम कहां से प्राप्त हुई इसका ठीक ठीक प्रमाण करदाता के पास न हो तो आयकर अधिकारी उसे आय मान कर गत वर्ष की आय मे जोड सकता है ।

पूँजीगत व्यय (Capital Expenditure)

ऊपर बतलाया जा चुका है कि पूँजीगत व्यय तथा पूँजीगत हानियाँ आय मे से नहीं घटाई जा सकती । अतएव पूँजीगत व्यय तथा व्यापारिक व्यय (revenue expenditure) मे अन्तर जानना आवश्यक है । आयकर विधान मे पूँजीगत व्यय की परिभाषा नहीं दी गई है अतएव उसका निर्णय कुछ मौलिक सिद्धान्तो तथा न्यायाधीशो के निर्णयो ँ आधार पर किया जाता है ।

पूँजीगत व्यय

पूँजीगत व्यय मे संज्ञातिक रूप से निम्नलिखित प्रकार के व्यय आते हैं ।

(१) किसी सम्पत्ति को खरीदने के लिये किये गये खर्च । उदाहरणार्थ, एक मशीन को खरीदने पर उससे सम्बन्धित कानूनी व्यय, भाडा, बीमा, मशीन लगवाने की मजदूरी । यदि पुरानी मशीन ली गई है और उसे चालू करने के लिये मरम्मत पर व्यय किया जाता है तो ऐसा व्यय पूँजीगत व्यय कहलाता है ।

(२) किसी स्थायी सम्पत्ति मे किया जाने वाला ऐसा परिवर्तन जिससे उसकी हैसियत बढ जाय जैसे किसी इमारत मे ब्रिजली या सैनिटरी फिटिंग लगवाना । सामान्य मरम्मत को व्यापारिक व्यय माना जाता है ।

(३) अश पूँजी अथवा अन्य प्रकार की पूँजी प्राप्त करने के लिये किया

हुआ खर्चा। उदाहरणार्थ अण्डर राइटर का कमीशन, कानूनी व्यय इत्यादि। उसपर दिया हुआ व्याज तथा लाभांश व्यापारिक व्यय है।

(४) कम्पनी को चालू करने पर प्रारम्भिक खर्च (Preliminary expenses)।

यदि कारखाने अथवा कार्यालय को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाया जाय तो उसका खर्चा पूँजीगत व्यय कहलायेगा।

(५) नई दूकान की सजावट इत्यादि पर किया हुआ व्यय।

(६) प्रकाशक द्वारा किसी पुस्तक के कापी राइट को खरीदने पर किया हुआ व्यय।

[Hira Lal Phool chand Vs C.I T. 1947]

निम्नलिखित प्रकार के व्यय व्यापारिक व्यय माने जावेंगे।

(१) यदि कोई व्यापारिक सस्था अपने व्यापारिक दायित्वों से छुटकारा पाने के लिये कोई व्यय करती है तो उसे व्यापारिक व्यय माना जावेगा। उदाहरण के लिए किसी कर्मचारी को निकालने पर उसे दिया हुआ मुआवजा।

(२) यदि कोई भूमि व्यापार के लिए प्रयोग की जाती है तो उसके स्वामिन् की रक्षा के लिए किया गया व्यय व्यापारिक व्यय माना जावेगा।

(३) यदि कोई व्यक्ति किसी व्यापारिक चिन्ह का उपयोग करता है तो उसके स्वामी द्वारा उसकी रक्षा के लिये किया हुआ व्यय, व्यापारिक व्यय माना जावेगा। [Central India Spinning Co Vs C. I. T.]

(४) व्यापारिक चिन्ह की रजिस्ट्री कराने का खर्चा भी व्यापारिक व्यय है। [Century Spinning and Weaving Co Vs C. I. T.]

पूँजीगत हानि

व्यापारिक हानि को घटाने योग्य व्यय माना जाता है परन्तु पूँजीगत हानि को नहीं। निम्नलिखित प्रकार की हानि पूँजीगत हानि कहलाती है।

(१) किसी पूँजीगत सम्पत्ति (Capital asset) के नष्ट हो जाने से होने वाली हानि। जैसे मकान का जल जाना या विजली से गिर जाना।

(२) डूब जाने वाला ऋण। यदि ऋणदाता कर्ज देने का काम करता है तो डूब जाने वाली रकम व्यापारिक हानि मानी जायेगी। अन्य लोगों के लिए यह पूँजीगत हानि है।

(३) यदि बैंक में जमा करने के लिए ले जाते समय रुपया चारों
जाय तो इसे पूँजीगत हानि माना जावेगा। [Mul chand Hir & La
C I T]

परन्तु यदि मूनीम अथवा सजान्ची रुपये का गवन करता है तो उसे
रिक्त हानि माना जावेगा। [Venkatachalapatery Iyer Vs C I T]

(४) दूकान से किसी पूँजीगत सम्पत्ति की चोरी पूँजीगत हानि है स्टॉक
की चोरी व्यापारिक हानि है। इसी प्रकार दूकान बन्द हो जाने के बाद की
चोरी (नकद, स्टॉक अथवा अन्य किसी वस्तु की) पूँजीगत हानि है।

(५) किसी एजेंसी या व्यापार की प्राप्ति के लिए यदि किसी को पेशगी
रुपया दिया जाय और बाद में यह रुपया डूब जाय तो इसे पूँजीगत हानि माना
जावेगा।

औसत दर से मिलने वाली छूट

निम्नलिखित मदों पर औसत दर से छूट मिलती है अतएव उनको खर्चों के
रूप में नहीं घटाया जा सकता।

(१) धर्मार्थ चन्दा (Donations for charitable purpose)।
चन्दे की रकम फाइनेंस एक्ट १९६२ के अनुसार कम से कम २५० रु० तथा अधिक
से अधिक कुल आय का १० प्रतिशत अथवा २ लाख रुपया (जो भी कम हो) हो
सकती है। कर देय वर्ष १९६२-६३ के लिये अधिकतम रकम आय का ७ $\frac{1}{2}$ % अथवा
१ लाख ५० हजार रु० है।

करमुक्त आय

निम्नलिखित आय करमुक्त होने के कारण कुल आय में नहीं जोड़ी जाती।

(१) आकस्मिक आय।

(२) पूँजीगत आय (इस पर कर निर्धारण अन्य प्रकार से होता है)

कर देय आय निकालने की विधि

व्यापारिक आय प्रायः लाभ हानि खाते के रूप में दी जाती है जिसमें आय
तथा व्यय की रकमें दी रहती हैं तथा शुद्ध लाभ जिस पर कर लगना है दिया
जाता है। आयकर के लिये इसमें कुछ सुधार करने पड़ते हैं। इसका कारण यह है
कि लाभ-हानि खाते में कुछ खर्चों की ऐसी मदें हो सकती हैं जो आयकर के अनुसार

स्वीकृत न हो, साथ ही साथ आय में ऐसी रकमें हो सकती हैं जिन पर व्यापारिक लाभ के अन्तर्गत कर न लगता हो। कर देय आय निकालने की विधि संक्षेप में इस प्रकार है।

१. लाभ हानि खाते के अनुसार शुद्ध लाभ।

२ घटाइये—

- (१) ऐसी आय जिस पर अन्य मदों के अन्तर्गत कर लगेगा। जैसे, गृह-सम्पत्ति की आय अथवा प्रतिभूतियों पर व्याज।
- (२) ऐसी आय जिस पर कर नहीं लगेगा, जैसे आकस्मिक आय।
- (३) पूर्णोपत आय।
- (४) ऐसा कोई व्यय जिसको घटाया जा सकता है, परन्तु घटाया नहीं गया है।

३ जोड़िये—

- (१) न घटाने योग्य व्यय।
- (२) स्वीकृत सीमा से ऊपर लिखा हुआ ह्रास।
- (३) ऐसी आय जिसे सम्मिलित करना चाहिए, मगर जोड़ी नहीं गई है।

SUMMARY

Type of incomes included under the head.

1. Income from any business, trade, industry or profession.
2. Profit of managing agents
3. Compensation received by manager of an Indian Company for termination of his post or change in terms.
4. Compensation for termination of agency or change in the terms
5. Profit on sale of stock at the time of liquidation.
6. Share of profit in the firm received by a partner.
7. Bad debts recovered.

Partly business profits

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | Tea companies | 40 % of total profits |
| 2 | Sugar mills— | Profit after deducting the profit fo
sugar cane grown in own farm |

Admissible expenditure

- 1 Rent and repairs to shop, if the shop is rented
- 2 Repairs only if the shop is owned
- 3 Other expenses on shop viz insurance premium
- 4 Any taxes paid on the shop
- 5 Current repairs to machinery
- 6 Insurance premium on machinery
- 7 Depreciation on machinery, building etc
- 8 Expenditure on scientific research
 - (1) Current expenditure—the whole amount spent
 - (2) Capital expenditure—in five equal instalments
- 9 Insurance of stock
- 10 Bonus or commission to any employee
- 11 Interest on capital borrowed
- 12 Contribution to recognised P F or approved Super Annuation Fund
- 13 Contribution to Gratuity Fund
- 14 Loss on death or disablement of animals used for the purpose of business
- 15 Transfer to special reserve from the profits, by a corporation supplying long term capital, upto 10% of total income
- 16 Bad debts actually written off
- 17 Entertainment allowance, to the extent of limits specified in the act
- 18 Expenses in connection with celebration of new accounting year to the extent of Rs 200
- 19 Any legal expenses in the normal course

20. Loss from embezzlement by cashier or employee of the shop
- 21 Compensation paid to retrenched employee, or agent
- 22 Commission for securing a contract
- 23 Suit filed for infringing trade mark

Expenses not allowed

1. Any tax on profit e.g. income tax
- 2 Any reserve e.g. reserve for bad debts, reserve for discounts etc
- 3 Salary payable outside India on which tax has not been deducted
- 4 Interest, salary, bonus, commission or remuneration paid by firm to a partner
- 5 Any benefit from company to a director, person with substantial interest in company or his relation
- 6 Use of the assets of company by any of the above mentioned persons
- 7 Interest on loan payable outside India, if tax not deducted or not paid upon it by the receiver
- 8 Drawings or personal expenses
- 9 Rent of the shop owned
- 10 Interest on capital if not borrowed
- 11 Expenses of the appeal for income tax or sales tax
- 12 Amount of sales tax if not included in sale*
- 13 Excessive remuneration paid to a director
- 14 Depreciation beyond the admissible limit
- 15 Any fine or penalty paid for non compliance of an order
- 16 *Brokerage for loans or under writing commission* But interest on loan is admissible
- 17 Loss of any capital asset through theft or fire etc
- 18 Loss of cash through robbery while being taken to bank
- 19 Gifts or presents given

- 20 Expenses of shifting a business
- 21 Special advertising expenses of a capital nature
- 22 Donation for charitable purpose

Practical Illustrations

Illustration 1

State whether the following expenses can be allowed as deductions

- (1) Income tax
- (2) Reserve for bad and doubtful debts
- (3) Embezzlement by the cashier
- (4) Contribution by the employer towards approved Super Annuation Fund
- (5) Compensation paid under Workmen's Compensation Act
- (6) Donation to a political party

Solution

- (1) Income tax is not admissible as it is not a part of trade expenses
- (2) Reserve for bad and doubtful debts is not admissible. Actual bad debts are, however admissible expenditure
- (3) It is admissible being a loss in the normal course of business
- (4) It is admissible
- (5) It is admissible being in the nature of normal expenditure in the course of business
- (6) It is not admissible

Illustration 2

State how the following items will be dealt for the sake of income tax

- 1 A company spent Rs 50 000 on establishing a research laboratory within the mill and paid Rs 2000 on staff and stores for carrying on research during the year

2. A company issued shares worth Rs 1,00,000 at a discount of 5% and also paid 1% as under writing commission
3. X, the owner of a shop carries on business in his own house. Half of the house is used for residential purpose. Municipal valuation of the house is Rs 2000 .
4. A sum of Rs 400 which had been written off as bad debt during 1960-61 was recovered in 1961-62.

Solution

1. Deductions will be allowed in respect of Rs 10,000 (1/5 of capital expenditure Rs 50,000) and the whole of Rs 2000
2. No deductions will be allowed either in respect of discount on issue of debentures or under writing commission upon them
3. Half of the rental value after permissible deductions will be treated as income from property. No account will be kept of the other half used for the shop
4. Rs 400 will be treated as income for the previous year 1961-62

Illustration 3

The following items are found debited to the Profit and Loss Account of a company for the year ended 31st December, 1960. Are these items deductible in computing the income of the company for income tax purposes, for the assessment year 1962-63

- (a) Rs 100,000 spent on reconditioning imperfect machinery purchased
- (b) Rs 10,000 commission paid by the company for securing a contract in the course of business
- (c) Rs 20,000 bad debts written off. These bad debts were sustained by the company in respect of loans advanced to customers and written off
- (d) Rs 80,000 loans on shares written off. The company had formed another company to take over its buying agency at Delhi and had taken up 80 shares of Rs 1,000 each therein

The new company being un successful the amount of Rs 80,000 paid on shares was lost and hence written off

(Adapted from Agra - B Com 19 6)

Solution

- [a] It is capital expenditure and hence not deductible
- [b] It is deductible The amount has been spent in the normal course of business
- [c] It is not deductible Granting loans to customers is not the part of business If it had been a banking firm the deduction would have been allowed
- [d] It is not deductible as it is a capital loss

Illustration 4

Advise your client about advisability or otherwise of the following claims, giving reason

- (1) Loss of cash by an employee who was robbed on his way to deposit money in the assessee's bank
- (2) Embezzlement of cash by an employee
- (3) Compensation paid to an employee for premature termination of service
- (4) Amount spent in successful suit filed against another firm for infringing the assessee's trade mark
- (5) Salary paid to an engineer for three months to supervise the erection of new machinery and plant
- (6) Fees paid to an advocate in connection with a reference application to High Court under Section 66 of Income Tax Act in respect of an earlier assessment
- (7) Penalty paid to Customs Authorities for importing prohibited goods which yielded a large margin of profit
- (8) Brokerage for raising a loan which was paid off during the accounting year

- (9) Travelling expenses of Director who went to Europe to negotiate the purchase of new heavy machinery which was eventually installed during the next year.
- (10) Cost of erecting a Medical Annexe to the factory for emergency treatment of the employees

(C A Nov 1956)

Solution

- 1 It is not deductible Such a loss is capital loss as it is not incidental to business [Mulchand Hira Lal Vs C I.T.]
2. It is admissible, as it is in the normal course of business
- 3 It is admissible It is assumed that removal of the employee was in the interest of business.
4. It is admissible, being in the normal course of business.
[C I T Vs Purushottam Dass Thakur Dass]
5. It is not admissible as it is a capital expenditure.
6. It not admissible Any expenditure for making appeal against tax is not allowed as deduction
- 7 Not admissible Penalty for illegal act is not allowed as it is not paid in the normal course of business.
- 8 Not admissible, as it is capital expenditure.
- 9 Not admissible It is in the nature of preliminary expense and hence a capital expenditure.
10. Not admissible It is a capital expenditure.

Illustration 5

The income of an individual (a resident and ordinary resident) for the year ending 31st March, 1962 is as follows:

- (a) Business profits (after setting off Rs. 5000 donation paid to a University and Rs 2000 life insurance premium) Rs 31,000
- (b) Interest on tax-free Government Securities Rs 8000
- (c) Dividend from a limited company which has paid tax on its entire income Rs 3000

Find out his total assessable income

(Adapted from B Com Agra 1956)

Solution

	Rs	Rs	Rs
1 Interest on Securities			8000
2. Profits from business			
Add—			
Profits as per P L A/c		31000	
Donations	5000		
Life Insurance Premium	2000	7000	38000
3. Income from other sources—			4285
Dividends (3000 × 10/7)			4285
Total taxable income			50,285

Rebate—

1. Life insurance premium	2000
2. Donations (7½% of total income—Insurance Premium)	3621
	5621

Illustration 6

Following is the Profit and Loss Account of Shri Ram Gopal for the year ending 31st December, 1961 What will be his taxable income under the head "Profit from business"

	Rs.		Rs.
Salaries	8300	Gross profit	40800
Travelling expenses	1600	Interest (trade)	200
Office expenses	1150	Commission	600
Insurance	450	Rent received	800
Stamp and Stationary	100	Interest on investment	600
Depreciation	1200		
Res. for bad debts	800		
Net profit	19200		
	<u>43000</u>		<u>43000</u>

Following further information was revealed

- Office expenses include the price of typewriter purchased for Rs 800.
- Depreciation allowable is Rs 900.

Solution

	Rs.
1. Net profit as per Profit and Loss Account	19200
Add expenditure not admissible	
Excess depreciation	300
Reserve for bad debts	800
Cost of typewriter (capital expenditure)	800
	<u>1900</u>
	21100
Less—	
Rent received (taxable under property)	800
Interest on investment (taxable under interest on Securities)	600
	<u>1400</u>
Taxable income under Profits from Business	<u>19700</u>

Illustration 7

From the following Profit and Loss Account of Sri Ram Nath, a general merchant of Kanpur find out the taxable income under the head Profits and gains from business

	Rs		Rs
General expenses	11200	Gross profit	56500
Salaries and wages	8000	Profit on sale of Securities	2500
Loss through fire	8400	Misc receipts	400
Rent	400		
Contribution to P F	2600		
Legal expenses	2800		
Bad debts	300		
Donations	2000		
Interest on capital	600		
Repairs and renewals	2500		
Income tax reserve	1400		
Depreciation	3200		
Net profit	16000		
	59400		59400

The following further information was revealed

- 1 Legal expenses include Rs 500 in respect of appeal against the higher assessment of income tax during the past year.
- 2 The shop is the personal property of Sri Ram Nath
3. P F is unrecognised
- 4 Donations include Rs 800 paid to a political party
- 5 Admissible depreciation is Rs 3000
6. Loss through fire pertains to a portion of building

Solution

		Rs.
1. Profit as per Profit and Loss Account		16000
Add Expenses not allowed—		
(1) Loss through fire (capital exp.)	8400	—
(2) Rent of self owned shop	400	·
(3) Contribution to P. F. (being un- recognised)	2600	.
(4) Legal expenses in connection with Income Tax appeal	500	.
(5) Donations	2000	
(6) Depreciation in excess of permi- ssible limit	200	
(7) Interest on capital	2500	
(8) Income tax reserve	1400	18000
Less—		34000
(1) Profit on Sale of Securities		2500
Taxable Income for Business Profit		31500

Illustration 8

Following is the Profit and Loss Account of *a/c* Company Ltd. for the year ending 31st March 1962.

	Rs.		Rs.
Salary	32000	Gross profit	163400
Office expenses	18400	Transfer fees	200
Travelling expenses	2500		
Interest & discount	1800		
Under writing commission	1200		
Directors, fee	2400		
Audit fee	800		

Expenses on Scientific- Research	Rs	Rs
Research	4800	
Donations	1200	
Depreciation including development rebate	14600	
Preliminary expenses	7500	
General Expenses	25000	
Income tax Reserve	2800	
Loss on investment	1300	
Net profit	47200	
	<u>163 600</u>	<u>163,600</u>

Compute the taxable income of the company for the assessment year 1962 63 after taking the following into consideration

- 1 Interest and discount includes Rs 1000 paid for discount on the issue of shares
- 2 Rs 4000 of the expenditure on Scientific Research is Capital Expenditure
- 3 Admissible depreciation is Rs 12000
- 4 Salary includes the following
 - (1) Rs 1000 paid to an employee as compensation for retrenchment
 - (2) Bonus paid to employees Rs 3600
 - (3) Contribution to Approved Gratuity Fund for employee. Rs 4000
- 5 Sales tax paid was Rs 7600 but the same had not been included in Gross Sales

Solution

		Rs.
1. Profit as per Profit and Loss Account		163400
Add Expenditure not allowed		
(1) Discount on issue of shares	1000	
(2) Under writing commission	1200	
(3) Expenses on Scientific Research (4/5 of capital expenditure Rs. 4000)	3200	
(4) Donations	1200	
(5) Excess Depreciation	2600	
(6) Preliminary expenses	7500	
(7) Income tax reserve	2800	
(8) Loss on investment	1300	20800
Taxable Income	<u> </u>	<u>184200</u>

Note:—1. Compensation paid to employee, bonus to employees and contribution to Gratuity Fund is admissible expenditure.

2. As the sales tax has not been included in the Gross sales no account will be made of the same. Sales tax is a permissible expenditure only when it is added to gross sales.

Illustration 9

Shri Radhey Lal, the proprietor of a flour mill has prepared the following P&L A/c for the year ending 31st March 1962 You are required to compute his total taxable income from business Also give reasons why you treat some of the expenses as in admissible.

Dr:		Cr	
	Rs		Rs
To Trade Expenses	450	By Gross Profit	22400
„ Establishment charges	2200	„ Profit on sale of investments	2600
„ Rent, rates and taxes	1400		
„ House hold expenses	1850		
„ Discount & allowances	200		
„ Income tax	700		
„ Advertisement	450		
„ Postage telegrams	100		
„ Gifts and presents	125		
„ Fire insurance premium	250		
„ Charities	375		
„ Donations	400		
„ Repairs and renewals	200		
„ Loss on sale of motor car	1400		
„ Life insurance premium	850		
„ Reserve for bad debts	600		
„ Interest on capital	150		
„ Salaries	250		
„ Net profit transferred to capital account	13000		
	25000		25000

Solution

		Rs
Profit as per Profit and Loss Account		13000
Add Expenditure not allowed —		
(1) House hold expenses	1850	
(2) Income tax	700	
(3) Gifts and presents	125	
(4) Charities	375	
(5) Donations	400	
(6) Loss on sale of Motor Car	1400	
(7) Reserve for bad debts	600	
(8) Interest on capital	150	
(9) Life insurance premiums	650	6450
		19450
Less—		
(1) Profit on sale of Investment		2600
		16850
Taxable income		

Illustration 10

The following is the Manufacturing and P & L Account of a Sugar Mill Company for the year ending March 31, 1962

	Rs		Rs.
To Opening Stock	182000	By sales	24,51,500
„ Cost of cane crushed	1257700	„ Misc. receipts	6,700
„ Manufacturing exp	798500	„ Closing stock	366,000
„ Repairs and renewals	40,700		
„ Establishment charges	41,600		
„ Miscellaneous Expenses	17,800		
„ Commission on Sales etc.	63,800		

	Rs		Rs.
„ Directors fees	1,600		
„ Auditors fees	2,000		
„ Managing Agents Allowance and Commission	78,600		
„ Depreciation written off	130,700		
„ Balance being Profit c/d	209,200		
	<u>28,24,200</u>		<u>28,24,200</u>
To Reserve Fund	25000	By Profit b/d	209,200
„ Reserve for Income Tax	90,000		
„ Balace c/d	94200		
	<u>209,200</u>		<u>209,200</u>

Prepare the companys assessment for the year 1962-63 after taking the following information into consideration.

- (a) Cane crushed includes Rs, 154,000 the cost of cane grown on company's own farms, the average market price of the same being Rs. 196,000.
- (b) Manufacturing expenses include.
 - (i) Rs. 426,000 for excise duty
 - (ii) Rs. 78,000 Spent on scientific Research as follows: Rs. 67,000 on Capital Expenditure on the fitting of a new Research Laboratory and Rs 11000 for current expenditure.
- (c) Establishment charges include Rs 3,200 for contribution towards Employee's Provident Fund which is unrecognised.

(d) Misc expenses include Rs 50,000 for donation to local educational institutions and Rs 2000 for donation to public hospital where the company's employees are treated free

(e) Sugar worth Rs 1000 was distributed free which is included in the misc expenses

(f) Rs 15000, cost of additions to factory building has been charged to repairs and renewals

(g) Amount of Depreciation admissible according to rules work out at Rs 98200

(Adapted from Agra B Com. 1949)

Solution

	Rs
Profit as per Profit and Loss Account	2,09,200
Add Expenses not deductible	Rs
(1) Contribution to P F (unrecognised)	3200
(2) Excess Depreciation	32500
(3) Expenditure on Scientific Research (4/5 of Capital Exp)	53600
(4) Donations	5000
(5) Sugar given in charity	1000
(6) Addition to factory building	15000
	<u>110,300</u>
Less—	319,500
Agricultural income	
Profit on cane (1,96,000—1,54,000)	42,000
	<u>2,77,500</u>
Taxable income	<u>2,77,500</u>

Illustration 11

Following is the Profit and Loss Account of Assam Tea Co. for the year ending 31st December 1961. Calculate its taxable income for the assessment year 1962-63.

	Rs.		Rs.
To opening stock	1,50,000	By Sales	3,10,000
„ Manufacturing Exp.	1,20,000	„ Stock	70,000
„ Gross Profit	1,10,000		
	3,80,000		3,80,000
To Salary	10,800	By Gross Profit	1,10,000
„ Office expenses	7,200		
„ General expenses	6,900		
„ Advertising	8,100		
„ Establishment charges	17,500		
„ Land tax	6,000		
„ Research expenditure	8,000		
„ Commission on sales	8,400		
„ Sales tax	6,400		
„ Directors fee	2,000		
„ Audit fee	1,400		
„ Net Profit	27,300		
	110,000		1,10,000

1. 50% of research expenditure is capital in nature.
2. Sales Tax has not been included in total sales.
3. Establishment charges include Rs. 5000 paid in connection with shifting of a plant.

Solution

	Rs
Profit as per profit and Loss Account	27,300
Add Expenses not allowed	
1 4/5 of capital exp on research ($4/5 \times 4000$)	3200
2 Sales Tax	6400
3 Expenses of shifting the plant	5000
	14,600
	41,900
Less—	
1 60% of 41900, being Agr income	29,140
Taxable income from business	12,760

Illustration 12

From the following Profit and Loss account of a merchant for the year ended 31st March 1962 find his taxable income from business

	Rs		Rs
To Office Salaries	7220	By Gross profit	27635
„ General Expenses	2640	„ Interest on Govt. Securities	1460
„ Interest—		„ Discount	365
Bank loan 480		„ Bad debts recovered	640
Capital 1580	2060	„ Profit on sale of investment	750
„ Fire insurance charges	775	„ Sundry receipts	350
„ Reserve for bad debts	835		
„ Audit Fee	400		
„ Income tax	1760		
„ Charity	485		
„ Law charges	370		
„ Compensation to retrenched employee	1500		
„ Rent	1155		
„ Net profit	12000		
	31200		31200

In computing the income following facts should be taken into consideration

- (a) In the item of rent Rs 600 is included in respect of the rent of office building which belongs to the proprietor himself
- (b) In the amount of salaries Rs 320 is included in respect of employer's contribution to P F which is recognised
- (c) General expenses include Rs 350 in respect of cost of new furniture purchased during the year
- (d) Amount of depreciation allowance according to rules on the assets used for business purpose is worked out at Rs 1475

Solution

	Rs	
Profit as per profit and Loss Account		12000
Add Expenses not admissible		
	Rs	
(1) Interest on capital	1580	
(2) Reserve for bad debts	335	
(3) Income tax	1760	
(4) Charity	480	
(5) Rent (building being self owned)	600	
(6) Cost of furniture	350	3610
	<hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>	<hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>
		17610
Less—		
(1) Interest on Securities	1460	
(2) Profit on Sale of Investment	750	
(3) Depreciation (not included)	1475	3685
	<hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>	<hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>
Taxable income		13925

Illustration 13

Given below is the Profit and Loss Account of the Bhatta Cotton Mill Co for the year ended 31st Decemb-r 1961

	Rs		Rs
Stock 1st Jan 1961	17,82,105	Sales	61,90,327
Cotton consumed	25,83,685	Rent of Staff Quarters	25,362
Manufacturing expenses	9,45,395	Stock 31st Dec 1961	13,59,480
Wages and salaries	8,65,972		
Marketing	61,215		
Insurance	27,156		
Establishment	2,79,762		
Welfare expenses	17,825		
Balance c/d	10,12,054		
	<u>75,75,169</u>		<u>75,75,169</u>
Directors fee	2500	Balance b/d	10,12,054
Auditors fee	2500	Transfer fees	1500
Law charges	3250		
Interest	105,250		
Repairs to building and machinery	14,640		
General charges	25,875		
Managing agents	60,420		
Contribution to War Fund	10,000		
Contribution to Staff P F.	20,000		
Debenture Sinking Fund	25000		
General reserve	100000		
Taxation reserve	300000		
Balance	344,119		
	<u>10,13,554</u>		<u>1013554</u>

You are required to compute company's taxable income from business and also its total income for the year 1961 after taking into consideration the following informations

- (a) Welfare expenses include Rs 825 the cost of pukka well built for the use of company workmen
- (b) Insurance Rs 1000, Repairs Rs 3750 and Municipal taxes Rs 2150 (included in General charges were in respect of staff quarters
- (c) Law charges amounting to Rs 1500 were incurred in connection with additional land purchased during the year
- (d) The staff P F is recognised
- (e) Amount of depreciation allowable is Rs 264,325

(Adapted from Agra B Com 1942)

Solution

Profit as per profit and Loss Account		Rs	
Add Expenses not admissible			3,44,119
	Rs		
(1) Contribution to war fund	10 000		
(2) Debenture Sinking Fund	25,000		
(3) General Reserve	1,00,000		
(4) Taxation Reserve	3,00,000		
(5) Cost of well	825		
(6) Law charges	1500		
(7) Expenses on staff quarters			
(i) Insurance	1000		
(ii) Repairs	3750		
(iii) M. Tax	2150	6900	4,44,225
			788,344
Less—			
(1) Rent of staff quarters	25,362		
(2) Depreciation	264,325		2,89,687
			4,98,657
Taxable income from business			4,98,657

Statement of Total income—

1 Income from property—

Annual value—

Rental value 25362

Less $\frac{1}{2}$ M Tax 1,07524287

Less—

Repairs (1/6 of A.V.) 4048

Insurance 1000

5048

19239

2 Profits from business

498,657

Total taxable income

5,17,896

Illustration 14

Mr Z requests you to ascertain his total assessable income and his income from business. His profit and loss account for the year is as follows

	Rs		Rs
To Salaries (including Z's salary Rs 2400	8400	By Gross profit	35000
„ Office Expenses	1500	„ Interest on Securities	1400
„ Reserve for doubtful debts	1200		
„ Fire insurance premium	300		
„ Bad debts	500		
„ Rent	3000		
„ Advertising	1000		
„ Income tax	600		
„ Discont	800		
„ Loss on sale of furniture	125		
„ Interest on bank over draft	350		

दाय की महँ-व्यापारिक लाभ		₹५६
	Rs.	Rs.
„ Interest on Z's Capital	450	
„ Depreciation allowable	400	
„ Net Profit transferred to capital account	17775	
	<u>36400</u>	<u>36,600</u>

There is a carried forward business loss of Rs. 1560 from the last assessment year.

(Patna B. Com. 1948)

Solution

Profit as per Profit and Loss Account		Rs.	17,775
Add Expenditure not allowed.			
	Rs.		
(1) Z's Salary	2400		
(2) Reserve for bad debts	1,200		
(3) Income Tax	600		
(4) Loss on sale of furniture	125		
(5) Interest on Capital	450		4,775
			<u>22,550</u>
Less—			
Interest from Securities			1,400
Taxable Income from business			<u>21,150</u>
Statement of Total income—			
		Rs.	
1. Interest on Securities ($1400 \times 10/7$)			2000
2. Profit from business	2,150		
Less loss carried forward from last year	1,560		19590
Total Taxable income			<u>21,590</u>

प्रश्न

1. What deductions are allowed to business in computing the profits. Specify the expenses disallowed, (Agra B. Com. 1944, 1954)
 2. In what circumstances are the following items allowed as deduction in computing the taxable income from business.
 - (a) Repairs.
 - (b) Insurance premium.
 - (c) Interest.
 - (d) Legal charges
 - (e) Depreciation of investment. (Agra B. Com. 1950)
 3. Define business and state the deductions that are expressly allowed in computing the taxable income from business. (Raj B. Com. 1960)
-

ह्रास

[Depreciation]

‘ह्रास’ को कोई परिभाषा आयकर विधान में नहीं दी गई है, परन्तु बही-खाता प्रणाली के सिद्धान्तों के अनुसार ह्रास से तात्पर्य उपयोग के कारण किसी सम्पत्ति में होने वाली घिसावट से है। ह्रास प्रायः इमारतों, मशीनरी, कल, तथा फरनीचर पर प्रदान किया जाता है। ‘ह्रास’ की उत्पत्ति सम्पत्ति के प्रयोग से उसमें होने वाली घिसावट के कारण होती है। यदि बाजार भाव गिर जाने से किसी सम्पत्ति का दाम गिर जाय तो उसे ह्रास नहीं माना जावेगा। इसीलिए स्टॉक, तथा प्रतिभूतियों पर ह्रास नहीं काटा जाता।

ह्रास का अधिकार किसे है

ह्रास का अधिकार केवल सम्पत्ति के स्वामी को होता है। यदि किसी व्यक्ति ने लीज पर किसी मशीन अथवा इमारत को लिया है, तो उसे ह्रास काटने का अधिकार न होगा। ह्रास की रकम को उसका मालिक ही घटा सकता है। यदि कर दाता ने दूसरे की सम्पत्ति में कोई पूँजीगत व्यय किया है तो भी उसे ह्रास काटने का अधिकार न होगा। [Poona Electric Co Vs C. I. T.]

यदि कोई सम्पत्ति हायर परचेज (Hire Purchase) प्रणाली के आधार पर ली गई है तो उसके सम्बन्ध में निम्नलिखित नियम लागू होंगे।

(१) प्रसविदे की नकल आयकर अधिकारी को दिखलाई जाय।

(२) इस पर दो प्रकार की कटौती मिलती है। पहला, हायर परचेज का व्यय और दूसरा ह्रास। इसका निर्णय इस प्रकार होगा।

जो भी चीज हायर परचेज पर दी जाती है, उसका मूल्य नकद दाम (Cash price) में अधिक रक्खा जाता है। इन दोनों का अन्तर ही हायर परचेज का व्यय समझना चाहिए। नकद मूल्य का उपयोग हास काटने के लिए होता है। उदाहरणार्थ, एक मशीन १० ००० रु० में हायर परचेज के आधार पर खरीदी गई उसका तात्कालिक बाजार भाव ९५०० रु० है। भुगतान ५ साल में बराबर किश्तों में किया जाता है। ऐसी दशा में ५०० रु० हायर परचेज का व्यय है जो ५ साल तक बराबर-बराबर (प्रतिवर्ष १०० रु०) घटाने योग्य व्यय माना जायेगा। हास ६५०० की रकम पर कटेगा।

(३) यदि कोई सम्पत्ति किश्त के आधार पर (Instalment Payment System) खरीदी गई है, तो समस्त मूल्य पर हास काटा जायेगा। किश्त के आधार पर खरीदने में सम्पत्ति पर खेता का अधिकार पहली किश्त से हो जाता है तथा बिधेता बकाया रकम का दावा तो कर सकता है, परन्तु सम्पत्ति को वापस नहीं ले सकता।

विभिन्न प्रकार के हास

हाम के नियमों में समय-समय पर परिवर्तन होना रहा है। अभी तक भारत में निम्नलिखित प्रकार के हास प्रदान किये गये हैं।

१ सामान्य हास (Normal Depreciation)

यह हाम मसम्मा सम्पत्तियों पर निश्चित दरों से काटा जाता है।

२ अतिरिक्त पाली का भत्ता (Extra-shift Allowance)

कुछ मशीनें एक से अधिक (दो या तीन) पाली में काम करती हैं। निश्चित ही उनमें पिसावट अधिक होती है। इसलिए उन पर सामान्य हास के अतिरिक्त और भी छूट मिलनी है। इस भत्ते की दरें इस प्रकार हैं।

हर श्रेय वर्ष १६५३-५४ तक

(क) दो पाली के लिये—सामान्य हास का ५०%

(ख) तीन पाली के लिये—सामान्य हास का १००%

यदि दो या तीन पाली का काम वर्ष के कुछ ही महीने हुआ है तो वर्ष ३०० दिन का माना जायेगा। इस दशा में अतिरिक्त हास का निर्धारण निम्नलिखित प्रकार से होगा।

दो शिफ्ट के लिए—

$$\text{वर्ष भर का सामान्य ह्रास} \times \frac{\text{दो शिफ्ट चलने का समय}}{३००} \times \frac{५०}{१००}$$

तीन शिफ्ट के लिए—

$$\text{वर्ष भर का सामान्य ह्रास} \times \frac{\text{तीन शिफ्ट चलने का समय}}{३००} \times \frac{१००}{१००}$$

कर देय वर्ष १९५४-५५ से—इस वर्ष से अतिरिक्त पाली के भत्ते में परिवर्तन कर दिया गया है। अब दो पाली तथा तीन पाली का भेद समाप्त कर दिया गया है। तथा दोनों के लिए सामान्य ह्रास का आधा प्रदान किया जायेगा। अब यदि कोई कारखाना १०० दिन २ शिफ्ट तथा अन्य १०० दिन तीन शिफ्ट चले तो अतिरिक्त शिफ्ट का भत्ता (सामान्य ह्रास $\times \frac{३००}{३००} \times \frac{५}{१००}$) के बराबर होगा।

३. अतिरिक्त ह्रास (Additional Depreciation)

यह ह्रास ३१ मार्च १९४८ से ३१ मार्च १९५६ तक दिया गया। यह ह्रास इमारतों तथा मशीनों पर दिया जाता था। यह सामान्य ह्रास के बराबर होता था तथा जिस वर्ष इमारत बनाई गई हो या मशीन खरीदी गई हो उसमें ५ साल तक लगातार दिया जाता था।

४. प्रारम्भिक ह्रास (Initial Depreciation)

यह १ अप्रैल १९४६ तथा ३१ मार्च १९५६ के बीच में दिया गया। यह ऐसे मकानों तथा मशीनों पर दिया जाता था, जिन पर डेबलपमेन्ट रिक्वेट प्राप्त नहीं था। यह छूट केवल प्रथम वर्ष तक ही प्राप्त थी। इसकी दरें इस प्रकार थीं।

- (i) उन इमारतों पर जो १ अप्रैल १९४६ तथा ३१ मार्च १९५६ के बीच बनाई गईं—लागत का १५%
- (ii) अन्य इमारतों पर—लागत का १०%
- (iii) मशीनों पर—लागत का २०%

३१ मार्च के बाद बनाई हुई निम्नलिखित प्रकार की इमारतों पर प्रारम्भिक ह्रास २०% की दर से दिया जावेगा।

(१) नियोक्ता द्वारा २०० ६० मासिक से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के निवास के लिए बनवाये हुये भवन ।

(२) ऐसे कर्मचारियों के लिए बनवाये हुए अस्पताल, स्कूल, कैंटीन, पुस्तकालय के भवन ।

३ डेवलपमेंट रिबेट (Development Rebate)

इस प्रकार की छूट औद्योगिक विकास के लिए नई मशीनों के लगाने को प्रोत्साहित करने के लिए दी जाती है । इसलिए इस प्रकार की छूट केवल उन्हीं मशीनों अथवा जहाजों पर दी जाती है जो नई नई लगाई गई हों । मशीनों में आफिस की मशीनें तथा मोटरें सम्मिलित नहीं हैं । [३३ (१)] यदि कोई पुरानी मशीन की मरम्मत करवा कर उसे लगवाता है तो इस प्रकार की छूट नहीं दी जायेगी । इस प्रकार की छूट उन मशीनों तथा जहाजों पर प्राप्त है जो ३१ मार्च १९५४ के बाद में खरीदे गये हैं तथा पूर्णतया व्यापार के काम में ही लाये जाते हैं ।

छूट की दरें इस प्रकार हैं--

(१) वे जलपोत (Ship) जो १ अप्रैल १९५४ तथा ३१ दिसम्बर १९५७ के बीच में खरीदे गये हैं—४०%

(२) वे जलपोत (Ship) जो इसके बाद में खरीदे गये—२५%

(३) मशीनें जो १ अप्रैल १९५४ तथा १ अप्रैल १९६१ के बीच में लगाई गईं—२५%

(४) मशीनें जो इसके बाद में लगाई गईं—२०%

सामान्यतः डेवलपमेंट रिबेट केवल पहले साल मिलती है, परन्तु यदि पहले साल इतना लाभ न हो कि सम्पूर्ण रिबेट की रकम घटाई जा सके तो जितनी रकम इस प्रकार घटाने से बच रहती है उसे अगले साल ले जाया जाता है तथा अगले साल के लाभ से घटाया जाता है । इस प्रकार उसकी रकम को ८ साल तक आगे ले जाया जा सकता है ।

‘डेवलपमेंट रिबेट’ निम्नलिखित शर्तों पर मिलती है ।

(१) गत वर्ष में ‘डेवलपमेंट रिबेट’ का ७५% लाभ हानि खाते में ‘डेबिट’ किया गया हो तथा विरोध रिजर्व के खाते में क्रेडिट किया गया हो, तथा उसे ८ साल

तक न तो लाभ के रूप में बाँटा जाय और न भारत के बाहर लाभ के रूप में या किसी सम्पत्ति को खरीदने के लिए भेजा जाय। [३४ (३a)]

यह नियम निम्नलिखित दशाओं में नहीं लागू होगा

(क) यदि करदाता विजली कम्पनी है तथा उसे १९४८ के अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेन्स मिला है।

(ख) यदि जलपोत अथवा मशीन १ जनवरी १९५८ के पहले ली गई है।

(२) गत वर्ष (जिसमें कि मशीन ली गई है) के बाद ८ साल तक उसे हस्तान्तरित न किया जाय। [३४ (३ b)]

यह नियम निम्नलिखित दशाओं में न लागू होगा।

(१) यदि जहाज अथवा मशीन १ जनवरी १९५८ से पहले ली गई है।

(२) यदि विक्री अथवा हस्तांतरण सरकार, स्थानीय सत्त्या, सरकारी कम्पनी अथवा सरकारी अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित कारपोरेशन को किया गया है।

(३) यदि हस्तांतरण उत्तराधिकार अथवा समामेलन (Amalgamation) के कारण हुआ है।

६. अशोषित ह्रास (Unabsorbed Depreciation)

यदि किसी वर्ष व्यापार में हानि हो अथवा लाभ कम हो तो ह्रास के द्वारा मिलने वाली आयकर की छूट नहीं मिल पाती। वास्तव में ह्रास की रकम आय की रकम को कम कर देती है। इस प्रकार उस पर कर की रकम कम हो जाती है और करदाता को उस सीमा तक लाभ होता है। परन्तु यदि आय 'कर मुक्त-सीमा' (exempted limit) के बराबर है तो उस पर कोई कर योही नहीं पड़ेगा। इससे ह्रास की रकम घटाने से कर दाता कोई छूट नहीं मिलेगी। अतएव जब आय शून्य हो जाती है तो उसमें ह्रास की रकम घटाने से कोई लाभ नहीं होता और जो ह्रास की रकम इस प्रकार बच जाती है उसे 'अशोषित ह्रास' कहते हैं।

अशोषित ह्रास की रकम को उसी वर्ष आय के अन्य साधनों से अपलिखित किया जा सकता है। परन्तु यदि आय के अन्य साधन न हों, या उनमें आय की

रकम इतनी न हो कि पूरी ह्रास की रकम घटाई जा सके तो उसे अगले साल ले जाया जाता है तथा अगले वर्ष उसी साधन की आय अथवा अन्य किसी आय से घटाया जाता है। परन्तु यदि वह व्यापार बन्द हो जाय तो ह्रास की रकम को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। यदि ह्रास के साथ साथ व्यापार की हानि को भी आगे बढ़ाया गया तो हानि की रकम को पहले अपलिखित किया जावेगा, बाद में हानि की रकम को।

७ अन्तिम ह्रास (Balancing Depreciation)

यदि कोई मशीन या भवन प्रकार हो जाय, या नष्ट हो जाय या बिक्रि जाने से काम के लायक न रह जाय तो उसे प्रायः बेच दिया जाता है। ऐसी दशा में उपरका मलबा (Scrap) बचन से कुछ दाम बसूल हो जाते हैं। यदि मशीन या भवन आग इत्यादि लगने से नष्ट हुई है तो थोड़ा कम्पनी से कुछ रुपया बसूल हो सकता है। ऐसी दशा में ह्रास की रकम सम्पत्ति के खाते में लिखे हुए मूल्य तथा प्राप्त होने वाली रकम के अन्तर के बराबर माना जायगा। ऐसा भी सम्भव है कि प्राप्त होने वाली रकम खाते में निम्न मूल्य से अधिक हो। ऐसी दशा में इस अधिक रकम का साधारण आय माना जावेगा और उस पर कर लगगा। यदि प्राप्त होने वाली रकम कम मूल्य में भी अधिक है तो उस अधिक्य को पूँजीगत आय माना जावेगा तथा उस पर कर नहीं लगगा।

अन्तिम ह्रास (Balancing Depreciation) निकालने की विधि इस प्रकार है।

१. लागत में उस तारीख तक अपलिखित ह्रास (प्रारम्भिक ह्रास को भी मिला कर) घटाओ। यदि ह्रासित मूल्य (W. D V) दिया है तो उसमें प्रारम्भिक ह्रास (Initial depreciation) यदि कोई हो तो उसे घटाओ।

२. इस नये ह्रासित मूल्य में बिक्री का दाम घटाओ। यही अन्तिम ह्रास होगा।

३. यदि बिक्रय मूल्य ह्रासित मूल्य से अधिक है तो उतनी रकम पर कर लगेगा। इसे Balancing charge कहते हैं।

४. यदि बिक्रय मूल्य लागत में भी अधिक है तो अधिक्य पूँजीगत आय (Capital gain) कहलाएगी। तथा लागत और ह्रासित मूल्य के अन्तर पर कर लगेगा।

८. ह्रासित शेष (Written Down Value)

आय कर की गणना जिस रकम पर की जाती है उसे ह्रासित शेष कहा जाता है। आय कर विधान १९६१ के अनुसार ह्रासित शेष के सम्बन्ध में नियम इस प्रकार है।

(१) यदि सम्पत्ति गत वर्ष में ही प्राप्त की गई है तो उसकी लागत ही ह्रासित शेष होगी। [४३ (६-a)]

(२) यदि सम्पत्ति गत वर्ष से पहले प्राप्त की गई हो तो लागत में उस समय तक के स्वीकृत ह्रास की रकम घटाने से ह्रासित शेष प्राप्त होगा। [४३ (६ b)]

(३) यदि व्यापार उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ है तो उत्तराधिकारी के लिए ह्रासित शेष वही रकम होगी जो पूर्वाधिकारी के लिए होती।

(४) यदि कोई सम्पत्ति किसी कम्पनी द्वारा सहायक कम्पनी (Subsidiary) को हस्तान्तरित कर दी जाती है, तो सहायक कम्पनी के लिए ह्रासित मूल्य वही होगा जो प्रमुख कम्पनी के लिए था।

(५) यदि किसी वर्ष पर्याप्त लाभ न होने के कारण ह्रास की रकम आगे बढ़ाई जाय तो ऐसी रकम को भी 'स्वीकृत ह्रास' मान लिया जावेगा और उसे पिछले ह्रासित शेष में घटा दिया जायेगा। उदाहरणार्थ, ३१ मार्च १९६१ को किसी मशीन का ह्रासित शेष २५०० रु० था। उस पर १०% कर लगता है परन्तु पर्याप्त लाभ न होने के कारण २५० रु० की रकम १९६०-६१ में नहीं घटाई जा सकी तथा उसे अगले वर्ष में ले जाया गया। फिर भी १९६१-६२ के लिए ह्रासित शेष $२५०० - २५० = २२५०$ रु० ही होगा तथा ह्रास इसी रकम पर लगाया जावेगा।

डेवलपमेंट रिवेट तथा प्रारम्भिक ह्रास (Initial depreciation) ह्रासित शेष निकालने के लिए नहीं घटाए जाते हैं। उसमें केवल सामान्य ह्रास, अतिरिक्त पाली की की छूट तथा अतिरिक्त ह्रास ही घटाए जाते हैं।

सक्षेप में,

ह्रासित शेष = आगत अथवा पुराना ह्रासित मूल्य

घटाया—(१) सामान्य ह्रास।

(२) अतिरिक्त पाली की छूट।

(३) अतिरिक्त ह्रास।

हास की दरें (Depreciation rates)

विभिन्न सम्पत्तियों पर हास की निश्चित दरें इस प्रकार हैं।

इमारत—

(१) प्रथम श्रेणी	२३%
(२) द्वितीय श्रेणी	५%
(३) तृतीय श्रेणी	७½%
(४) अस्थायी। कोई स्थायी दर नहीं। नवीनीकरण का खर्च मान्य होता है। कारखाने के लिए हास की दरें दूनी हैं।	

फरनीचर इत्यादि—

(१) सामान्य	१०%
(२) होटल, सिनेमा, बोडिंग इत्यादि में प्रयुक्त	१५%

मशीन और कल—

(१) सामान्य	७%
(२) माटा, चादल हड्डी, रावकर, बर्फ, दियासलाई, चाय तथा जूते के कारखाने	६%
(३) कागज, दपती, जहाज (जल) लोहा, ताँबा, तेल, मोटर की मरम्मत, सीमेन्ट के कारखाने	१०%
(४) रबर और प्लास्टिक के कारखाने	१२%
(५) सिल्क के कारखाने	१२%
(६) नमक के कारखाने	१५%
(७) बिजली की मशीनें—	
बैटरी	२०%
अन्य मशीनें	१०%
(८) सिनेमा की फिल्म के कारखाने	२०%
(९) बिजली की रेलें	६%
(१०) हवाई जहाज	३०%

(११) सूती मिल	१०%
(१२) जूट की मिलें	६%
(१३) ऊनी मिलें	१०%
(१४) ट्यूबवेल खोदने की मशीने	१२%
(१५) गणना करने की मशीन, टाइप मशीन, अन्य मशीने	१५%
(१६) मोटर कार	२०%
(१७) चीर फाड़ के औजार	१५%
(१८) शकर बनाने के कोल्हू	१८%
(१९) मोटर टैंकरी	२५%
(२०) रेलवे लाइन	७%
(२१) शीशे के कारखाने	२०%
(२२) वाष म प्रयोग होने वाले टैंक्टर	२५%
(२३) मोटर ट्रक	२५%

Depreciation

Type of Dep	Period when applicable	Assets upon which allowed	Rate
1 Normal	All times	All assets subject to depreciation and used for business or industry	Prescribed rates for different assets
2 Extra Shift allowance	All times	All plant, machinery, building etc <i>except following</i> x'ray apparatus, weighing machines, office machines, typewriter, wireless sets, Motor taxis, motor lorries, buses cars, cycles, aircraft, railway siding	Double Shift & Triple shift 50% of Normal Dep
3 Additional Dep	Assessment year 1949-50 to 1958-59	New building and new plant for 5 years	Equal to Normal Dep single shift

1	2	3	4	5
4	Initial Dep	Assessment year 1946-47 to 1955-56 Assessment year 1962-63 to—	Building, and machinery specially office equipment etc not entitled to Development rebate Available for 1 year when asset is purchased or constructed 1 Buildings for low paid employees with salary less than Rs. 200 p m built by the employer 2 Hospital, School, canteen, library etc. for them Construction after 31	Buildings— Constructions between 1 4 46--31 3 56, 15% other buildings 10% Machinery & Plant 20% 20% of cost 3 61
5	Development rebate	Assessment year 1955-56—	1 Machinery & Plant 2 Ships [office machines and motor cars etc not included]	Plant installed- 1 4 54 31. 3 61, 25% After this, 20% Ships, bought 1 4 54-31 12 57, 40% After this 25%
6	Balancing Dep	All times (Available when the asset is sold, destroyed or discarded)	All assets upon which depreciation is allowed	(Cost—Dep including initial dep) Less sales price. or (W.D V —Initial dep if any) Less sales price If sales price is more it will show a profit and subject to income tax

Practical Illustrations

Illustration 1

A factory installs a new plant worth Rs 40,000 on 1st July, accounts being closed on 31st December each year. What would be total depreciation allowable if the plant is purchased during (a) 1957 (b) 1958 (c) 1961. Rate of normal depreciation is 10%.

Solution

If purchased in 1957

	Rs
Normal depreciation—10% of 40,000 for 6 months	2000
Additional depreciation—Equal to Normal dep	2000
Development rebate 25% of 40,000	10 000
Total	14,000

If purchased in 1958

Normal depreciation	2000
Development rebate	10,000
	12,000

If purchased in 1961

Normal depreciation	2000
Development rebate 20% of 40,000	8,000
	10,000

Illustration 2

An assessee established a new industry on 1st Jan 1961 for which he purchased a new machinery for Rs 50,000 and new furniture for Rs 10,000. He also purchased a second hand machinery for Rs 20,000 on 1st April, 1961. His accounting year ends on 31st December each year. Find the allowable depreciation for the assessment year 1962-63 and written down value for 1963-64 taking the rate of normal depreciation to be 10% on machinery and 6 per cent on furniture.

Solution

<i>Asset</i>	<i>W D V for 1962-63</i>	<i>Rate</i>	<i>Period</i>	<i>Dep.</i>	<i>W.D.V for 1963 64</i>
1. Machinery (New)	50,000	10%	1 year	Rs. 500	50,000 — 5000 <hr/> 45,000
2. Machinery (Second hand)	20,000	10%	9 months	1500	20,000 — 1,500 <hr/> 18,500
3. Furniture	10,000	6%	1 year	600	10,000 — 600 <hr/> 9400
4. Development rebate on New Machinery	50,000	20%		7100 10,000	
			Total		<hr/> 17,100

Illustration 3

From the following particulars regarding the assets of a Jute Mill Co for the year ending 31st March, 1962, calculate the allowable depreciation for the assessment year 1962-63.

Buildings—

First class factory W. D. V. on 1. 4. 61	Rs. 80,000 @ 5%
Additions on 15. 10. 61	Rs. 40,000
First class non-factory W. D. V.	Rs. 50,000 @ 2½%

Plant and Machinery—

Old machinery W. D. V. 1. 4. 61	Rs. 2,00,000 @ 10%
Additions (New) 1. 10. 61	Rs. 50,000
Additions (Second hand) 1. 1. 62	Rs. 40,000

Furniture—

Old W. D V. on 1. 4. 61	Rs 10,000	6%
Additions on 1. 10. 61	Rs. 2,000	

Also calculate the W. D V. in each case.

Solution

Asset	W D V. 1. 4. 61	Rate	Period	Amt	W D V. 1 4 62
Building					
Old	80,000	5%	1 year	4000	72,000
New (cost)	10,000	5%	6 months	250	9,750
Non-factory	50,000	2½%	1 year	1250	48,750
Plant and Machinery					
Old	2,00,000	10%	1 year	20,000	1,80,000
Additions (New)	50,000	10%	6 months	2,500	47,500
Additions (Second hand)	40,000	10%	3 months	1000	39,000
Furniture :					
Old	10,000	6%	1 year	600	9,400
Additions	2,000	6%	6 months	60	1,940
Development rebate on New Plant	50,000	20%		10,000	—

Illustration 4

From the following information calculate the total depreciation allowable for the assessment year 1962-63.

1. Building (First class) W D.V.	40,000	Rate	5%
Additions 1-7-61	10,000		

2	Furniture	W D V.	8,000	Rate	6%
	Additions 1-4-61		1200		
3	Machinery	W.D V.	30,000	Rate	10%
	Additions 1 10-61		10,000		

Accounting year ends on 31st December each year

Solution

Asset	W D V (1-1 61)	Rate	Period	Dep Rs	W. D. V. (1-1-62)
1 Building—					
Old	40,000	5%	1 yr	2,000	38,000
Addition	10,000		6 months	250	9,750
2 Furniture—					
Old	8000	6%	1 yr	480	7,520
Additions	1200		9 months	54	1,146
3 Machinery—					
Old	30,000	10%	1 yr	3000	27,000
Additions	10,000		3 months	250	9,750
4 Develop rebate	10,000	25%	1 yr.	2500	

Illustration 5

A factory has machinery W D V 20,000 on 1st April, 1961. On the same date additions worth Rs 10,000 are made to it in the form of a new plant. The factory worked double shift for 100 days and triple shift for another 100 days. What will be depreciation and development rebate allowable for the year ending 31st March 1962. Rate of depreciation is 10%.

Solution

1. Normal Depreciation—

Old Machinery	2,000	
New Machinery	1,000	3 000

2 Extra shift allowance—

$$3000 \times \frac{200}{300} \times \frac{1}{2} = \frac{1000}{4000}$$

3. Development rebate—

20% on Rs 10,000 2,000

Illustration 6

A Jute Mills Co, closes its books on 31st December, each year. From the following information workout the amount of depreciation admissible for 1962-63 assessment year.

Total cost of machinery upto 31st December, 1961 is 9,00,000 which includes the cost of new machinery purchased on 1st January, 1960 Rs 1,00,000 and on 1st January 1961 Rs. 2,00,000. The total amount of depreciation claimed in respect of this asset upto and including 1961-62 assessment year is Rs. 1,50,000. The rate of depreciation on the asset is 10%. In the year 1961 the whole of the machinery was employed for double shift working for 100 days and triple shift for another 100 days.

[Raj B Com 1955-Adapted]

Solution

1. Normal Depreciation

	Rs	Rs
1 Old Machinery W. D V. 5,50,000 @ 10%	55,000	
2 New Machinery cost 2,00,000 @ 10%	20,000	75000
		1,50,000

2. Extra shift Allowance

$$\frac{200}{300} \times \frac{1}{2} \times 75000 = 25,000$$

3 Development rebate—

New Machinery @ 25% on 2,00,000	50,000
	1,50,000

Illustration 7

From the following particulars work out the amount of depreciation admissible for the assessment year 1962-63 to K Engineering Co which closes its books of account on 31st December each year

- (a) Machinery—Total cost upto 31st December 1961 Rs 4,50,000 which includes the cost of new machinery purchased on 1st January, 1958 Rs 50,000 and on 1st January 1961 Rs 1,00,000 The total amount of depreciation claimed in respect of this sum upto and including 196-62 assessment is Rs 1,00,000 The rate of depreciation on this asset is 10% In the year 1961 the whole machinery was employed double shift for 100 days and triple shift for another 100 days
- b) Building—Total cost upto 31st Dec 1961, Rs 300,000 which includes the cost of additions made on 1st Jan 1961 Rs 75,000 and on 1st July, 1961 Rs 25,000 The total amount of depreciation claimed in respect of this asset upto and including 1961-62 assessment is Rs 75,000 The rate of depreciation is 2½%

[Raj B Com 1953—Adapted]

Solution

1 Normal Depreciation (Plant)

Old machinery W D V

2,50,000 @ 10% 25,000

New machinery cost 1,00,000 @ 10% 10,000 35,000

2. Extra shift Allowance

$$35000 \times \frac{200}{300} \times \frac{1}{2}$$

11,667

3 Building—			
Old building W D V 2,00,000			
	@ 2½%	5000	
New building cost 25,000	@ 2½%		
(for 6 months)		312	5312
		<u> </u>	<u> </u>
			51,979
			<u> </u>
4 Development rebate			
New machinery @ 25% on 1,00,000			25,000
			<u> </u>

Illustration 8

A company started new business in Jan 1958 and purchased a second hand plant at the cost of Rs 40,00 and a new plant costing Rs 60,000 on July 10, 1958. In September 1961 both the plants were sold out for Rs 70,000. Calculate the depreciation allowable for all these years assuming that Rs 500 remained unabsorbed during the assessment year 1960-61. Rate of Depreciation is 10% and books are closed on 31 Dec each year.

Solution

Assessment year	Amt	W D V
<i>1959-60</i>		
Normal Depreciation on		
Rs 1,00,000 for 6 months @ 10%	5,000	
Development rebate on New plant		
on Rs 60,000 @ 25%	15,000	95,000
	<u> </u>	
	20,000	
	<u> </u>	
<i>1960-61</i>		
Normal Depreciation on		
Rs 95,000 @ 10%	9,500	
Less Amount unabsorbed	500	85,500
	<u> </u>	
	9,000	
	<u> </u>	

1961-62

Normal Depreciation on Rs 85,500 @ 10%	8,550	
Add amount unabsorbed last year	500	76,950
	<u>9,050</u>	

1962-63

Balancing Depreciation (76950—70,000)	<u>6,950</u>	
--	--------------	--

Illustration 9

A machinery cost Rs 2,00,000 Its, written down value on 31st Dec 1961 is Rs ,00,000 Initial depreciation provided is Rs 40,000 On 1st Jan 1962 it is destroyed by fire the scrap being sold for Rs 20,000 What would be the balancing depreciation if insurance money received were (a) Rs 30,000, (b) Rs 40,000, (c) Rs 1,00,000, (d) Rs 1,80,000 and Rs 2,20,000

[Adapted from Raj B Com 1956]

Solution

(a) When insurance money received is Rs 30,000

W D V		Rs
Less		1,00,000
Initial Depreciation	40,000	
Scrap value	20,000	
Insurance money	30,000	90,000
		<u>10,000</u>
Balancing Depreciation		

(b) When insurance money received is Rs 40,000

W. D. V		1,80,000
Less—		
Initial Depreciation	40,000	
Scrap value	20,000	
Insurance money	40,000	1,00,000
		<u>Nil</u>
Balancing Depreciation		

(c) When insurance money received is Rs 1,00,000

W D V		1,00,000
Less—		
Initial Depreciation	40,000	
Scrap value	20,000	
Insurance money	1,00,000	1,60,000
		<hr/>
Balancing charge		60,000
		<hr/>

(d) When Insurance money received is Rs 1,80 000

W D V		1,00,000
Less—		
Initial Depreciation	40,000	
Scrap value	20,000	
Insurance money	1,80,000	2,40,000
		<hr/>
Balancing charge		1,40,000
		<hr/>

(e) When insurance money is Rs 2,20 000

W D V		1,00,000
Less—		
Initial Depreciation	40,000	
Scrap value	20,000	
Insurance money	2,00,000	2,60,000
		<hr/>
Balancing charge		1,60,000
		<hr/>

Rs 20,000 (2,20,000—2,00 000) will be treated as capital gain

Note—It has been assumed that insurance money received is over and above the scrap value

Illustration 10

A machinery standing in the books of a company at Rs 6,000 was discarded on 1st Jan 1960. The scrap value was estimated to be Rs 2,000. How will you treat the amount of depreciation if the scrap was subsequently sold for (a) Rs 3,500 (b) Rs 1,000. Accounts are closed on 31st December each year

Solution

1961-62

Balancing Depreciation

Rs 4,000

1962-63

- (i) If scrap was sold for Rs. 3,500, there will be a deductible loss of Rs 1,500
- (ii) If scrap was sold for Rs 1,000, there will be a deductible loss of Rs 1,000

प्रश्न

1 What do you understand by the term depreciation? Explain how the unabsorbed depreciation of one year can be allowed subsequently. Does the carry forward of depreciation in any way differ from the carry forward of losses. Explain the provisions fully

[Raj B Com 1956]

2 Write short notes on —

- (1) Unabsorbed depreciation [Agra B Com 1945, 46, 49, 51, 55, 56]
[Ahd B Com 1955]
- (2) W D V [Agra B Com 1943, 44, 48, 50]
- (3) Extra shift Allowance [Agra B Com 1950, 55]
- (4) Initial Depreciation [Agra B Com 1953, 55]
- (5) Balancing charge [Agra B Com 1955, 60]
- (6) Depreciation Allowance [Raj B Com 1959]
- (7) Development rebate [Agra B Com 1950]
[Raj B Com, 1950]

आय की सदे-पूँजीगत लाभ

[Capital gains]

पूँजीगत लाभ

पूँजीगत लाभ पर कर पहली बार १९४६-४७ में लगाया गया, परन्तु विरोध होने के कारण उसे समाप्त कर दिया गया। सन् १९५६ में उसे फिर से लगाया गया। अधिनियम में पूँजीगत लाभ को परिभाषा इस प्रकार दी है।

“किसी भी पूँजीगत सम्पत्ति (Capital asset) के हस्तांतरण द्वारा प्राप्त होने वाले लाभ अथवा प्राप्त को पूँजीगत लाभ कहते हैं” [४५]

इस प्रकार इसमें दो विशेषताएँ हैं—

(१) लाभ की उत्पत्ति हस्तांतरण से होनी है। यदि सम्पत्ति करदाता के पास पहले से है तथा उसके मूल्य में वृद्धि हो गई है तो उसे आय नहीं माना जावेगा। पिछले एक्ट में हस्तांतरण के स्थान पर ‘बिनी, विनिमय, त्याग तथा हस्तांतरण’ शब्द का प्रयोग किया गया था। नये अधिनियम के हस्तांतरण में निम्नलिखित को सम्मिलित किया गया है—बिनी, विनिमय, सम्पत्ति से सम्बन्धित अधिकार त्याग तथा किसी नियम के अन्तर्गत सम्पत्ति को प्राप्त करना* [२(४७)]

* Transfer in relation to a Capital asset includes the sale, exchange, or relinquishment of the asset or extinguishment of any rights there in or compulsory acquisition thereof under any law

इस प्रकार नए अधिनियम में हस्तांतरण की परिभाषा काफी व्यापक बना दी गई है। उदाहरणार्थ एक मैनेजिंग एजेंसी के हस्तांतरण को पुराने अधिनियम के अन्तर्गत उसे पूँजीगत लाभ नहीं माना गया। [C.I.T. VS Provident Investment Co 1967] परन्तु नई परिभाषा के अन्तर्गत इस प्रकार के हस्तांतरण से होने वाला लाभ पूँजीगत लाभ की धरोड़ी में आ जावेगा।

(२) हस्तांतरण पूँजीगत सम्पत्ति का होता चाहिए। जायकर-विधान १९६१ की धारा २ (१४) में पूँजीगत सम्पत्ति की निम्नलिखित परिभाषा दी गई है।

‘पूँजीगत सम्पत्ति’ से तात्पर्य करदाता की किसी भी सम्पत्ति से है चाहे वह व्यापार अथवा व्यवसाय के लिए हो अथवा अन्य किसी कार्य के लिए पूँजीगत सम्पत्ति में निम्नलिखित प्रकार की सम्पत्ति सम्मिलित नहीं है—

(i) स्टॉक, स्टोर, कच्चा माल जो व्यापार अथवा व्यवसाय के लिए है।

(ii) व्यक्तिगत सम्पत्ति जैसे चल सम्पत्ति (फरनीचर, आभूषण, वस्त्र इ०) जो करदाता अपन प्रयोग के लिए रखता है अथवा उसके आश्रित किसी व्यक्ति के अधिकार में है।

(iii) भारत में स्थित कृषि भूमि।

निम्नलिखित सौदों का हस्तांतरण नहीं माना जायेगा

(१) किसी कम्पनी के विघटन पर उसकी सम्पत्ति का अद्यक्षारियों में विभाजन। विभाजन सम्पत्ति के रूप में होना चाहिये। यदि यह विभाजन द्रव्य के है तो उस पर पूँजीगत लाभ के अन्तर्गत कर लगाया जावेगा। परन्तु सम्पत्ति के मूल्य निर्धारण के लिए उसमें से एसी समस्त रकम घटा दी जावेगी जो कम्पनी के अविभाजित लाभ में से दी गई है। संक्षेप में,

सम्पत्ति का मूल्य = कुल प्राप्त द्रव्य अथवा सम्पत्ति का बाजार मूल्य—
अविभाजित लाभ में से दी हुई रकम। [४६(१,२)]

(२) किसी समुक्त हिन्दू-परिवार का पूर्ण अथवा आंशिक विभाजन होने पर सम्पत्ति का बंटवारा। [४७(1)]

(३) किसी फर्म अथवा समुदाय के विघटन पर सदस्यों में सम्पत्ति का बंटवारा। [४७(11)]

(४) उपहार, वसीयत अथवा अप्रत्यावर्तनशील ट्रस्ट (irrevocable trust) में दी गई सम्पत्ति । [४७ (iii)]

(५) निम्नलिखित शर्तों पर किसी कम्पनी द्वारा अपनी सहायक कम्पनी (Subsidiary) को हस्तांतरित सम्पत्ति ।

(क) मुख्य कम्पनी (Parent Company) अथवा उसके मनोनीत व्यक्ति के पास सहायक कम्पनी के समस्त अंश हैं ।

(ख) सहायक कम्पनी एक भारतीय कम्पनी है ।

लाभ का निर्धारण

लाभ की रकम निम्नलिखित प्रकार से निर्धारित की जाती है ।

लाभ = प्रतिफल का मूल्य (Value of Consideration) - (लागत + हस्तांतरण का व्यय)

लागत (Cost) —

लाभ के निर्धारण में लागत का विशेष महत्व है । लागत के निर्धारण के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रकार के नियम हैं ।

१ निम्नलिखित दस्तावेजों में कर दावा के लिए वही लागत मानी जायेगी जो उसके पिछले स्वामी के लिये थी । अर्थात् पिछले स्वामी द्वारा सम्पत्ति को खरीदने का व्यय + उसके किये हुए सुधार ।

- (१) संयुक्त हिन्दू-परिवार के पूर्ण अथवा आंशिक विभाजन पर सम्पत्ति का वितरण ।
- (२) भेंट अथवा वसीयत में प्राप्त सम्पत्ति ।
- (३) उत्तराधिकार में प्राप्त सम्पत्ति ।
- (४) फर्म अथवा समुदाय के विघटन पर विभाजित सम्पत्ति ।
- (५) कम्पनी के विघटन पर विभाजित सम्पत्ति ।
- (६) अप्रत्यावर्तनशील अथवा प्रत्यावर्तनशील ट्रस्ट में हस्तांतरित सम्पत्ति ।
- (७) मुख्य कम्पनी द्वारा सहायक कम्पनी को सम्पत्ति का हस्तांतरण । [४६]

२ जिन सम्पत्तियों पर ह्रास लगता है उनकी लागत निम्नलिखित प्रकार से निकाली जाती है ।

(१) सम्पत्ति का ह्रासित मूल्य (written down value)

(२) यदि सम्पत्ति करदाता के पास १ जनवरी १९५४ से पहले थी तो उसकी लागत, वास्तविक लागत अथवा १ जनवरी १९५४ को उसके बाजार मूल्य के आधार पर मानी जावगी, परन्तु इसमें से उस समय (१ जनवरी १९५४) के बाद दिये गये ह्रास इत्यादि के लिए समायोजन करना पड़ेगा।

(३) यदि सम्पत्ति कर दाता को धारा ४९ के अन्तर्गत प्राप्त हुई है, और वह पूर्व अधिकारी के पास १ जनवरी १९५४ से थी, तो भी उसकी लागत ऊपर भाग (२) में दी हुई विधि के अनुसार होगी।

३ यदि किसी व्यक्ति को कोई सम्पत्ति कम्पनी के विघटन पर प्राप्त हुई हो तथा उस पर पूँजीगत लाभ कर लगे तो उसकी लागत उसका उचित बाजार भाव मानी जायेगी।

४ यदि पूर्वाधिकारी की लागत का पता न लगाया जा सके तो कर दाता के लिए उसकी लागत 'उचित बाजार भाव' मानी जावेगी। [५५(३)]

५ यदि सम्पत्ति प्राप्तकर्ता हस्तांतरणकर्ता से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सम्बन्धित है तथा इनकम टैक्स आफिसर को विश्वास है कि उसका प्रतिकल (Consideration) उचित मूल्य से कम रखा गया है तो वह उसका उचित बाजार भाव प्रतिकल मान सकता है। [५२]

पूँजीगत लाभ से उन्मुक्तियाँ (Exemptions from Capital gains Tax)

निम्नलिखित दशाया में पूँजीगत लाभ पर कर नहीं पड़ेगा।

१ यदि हस्तांतरण मरगन या उसमें लगी हुई जमीन का हुआ है तथा उस पर 'गृहसम्पत्ति' से आय के अन्तर्गत कर लगता रहा है, और उसका प्रतिकल (Consideration) २५००० रु० से अधिक नहीं है।

यदि हस्तांतरण के समय कर दाता की समस्त गृह सम्पत्तियों का मूल्य ५०००० रु० से अधिक है तो यह सुविधा नहीं प्राप्त होगी। [५३]

२ यदि हस्तान्तरण की जाने वाली सम्पत्ति 'पूँजीगत सम्पत्ति' की परिभाषा में नहीं आती तो भी उस पर इस मद में कर नहीं लयेगा, क्योंकि उसे पूँजीगत लाभ नहीं माना जा सकता।

३ यदि हस्तातरण को अधिनियम में वर्णित हस्तातरण न माना जाय तो भी इस मद के अन्तर्गत कर न लगेगा। कौन से सौदे को हस्तातरण नहीं माना जायेगा, इस सम्बन्ध में इसी अध्याय में पहले देखिये।

४ यदि कर दाता की कुल आय १० हजार रुपया से अधिक नहीं है।

(५) यदि पूँजीगत लाभ ५ हजार रु० से कम है।

निजी रहने के मकान का हस्तातरण

यदि कोई ऐसी गृह सम्पत्ति हस्तातरित की जाती है जिस पर धारा ५३ में वर्णित छूट नहीं प्राप्त है, तथा

(१) हस्तातरण से पहले दो वर्षों में स्वयं कर दाता द्वारा अथवा उसके माता पिता द्वारा निजी निवास के काम आता था।

(२) कर दाता ने हस्तातरण से पहले साल भर के अन्दर, अथवा हस्तातरण के बाद में २ साल के अन्दर अपने निवास के लिए कोई मकान बनवाया अथवा ख़रीद किया है।

तो उसका पूँजीगत लाभ निम्नलिखित प्रकार से निर्धारित होगा।

(अ) यदि नए मकान की लागत पुराने मकान के पूँजीगत लाभ से कम है तो कर देय पूँजीगत लाभ = पुराने मकान का पूँजीगत लाभ — नए मकान की लागत।

(ब) यदि नए मकान की लागत पुराने मकान के पूँजीगत लाभ से अधिक है तो कर देय लाभ शून्य होगा।

यदि यह नया मकान निर्माण अथवा ख़रीद क तीन साल के अन्दर बेच दिया जाता है तो नए मकान पर पूँजीगत लाभ निकालने के लिये उसकी लागत निम्नलिखित प्रकार से मालूम की जायेगी।

(१) यदि पुराने मकान का कर देय लाभ ऊपर भाग (अ) के अनुसार निकाला गया है तो लागत शून्य मानी जायेगी।

(२) यदि पुराने मकान का कर देय लाभ ऊपर भाग (ब) के अनुसार निकाला गया है, तो लागत (नए मकान की लागत—पुराने मकान का पूँजीगत लाभ) के बराबर मानी जायेगी।

कर निर्धारण की विधि (Method of Computation of tax)

कम्पनियों को छोड़कर अन्य कर दाताओं के लिए—

१. यदि कर दाता की कुल आय १० हजार से अधिक नहीं है तो उस पर पूँजीगत लाभ के अन्तर्गत कर नहीं लगेगा।

२. कर की रकम निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी।

$$\frac{1}{2} (\text{पूँजीगत लाभ} - ५०००)$$

३. करदेय रकम निम्नलिखित प्रकार से निर्धारित होगी।

(१) पूँजीगत लाभ को छोड़ कर बाकी करदेय रकम निकालो। यदि कर दाता किसी भारतीय कम्पनी का, अथवा किसी अन्य कम्पनी के भारतीय कारबार का प्रबन्धक रहा है अथवा एजेंट रहा है तो प्रबन्धक या एजेंट का पद समाप्त करने या उसमें परिवर्तन करने के लिये कोई हरजाना मिला है तो इस हरजाने की रकम कुल आय में सम्मिलित नहीं की जावेगी। [आ^१]

(२) पहिले ऊपर वर्णित आय (आ^१) पर आय कर तथा अधिकर निकालो।

(३) पूँजीगत लाभ पर कर औसत दर से निकाला जावेगा। औसत दर का निर्धारण निम्नलिखित प्रकार से होगा।

औसत दर के लिए कुल आय (आ_२) = समस्त आय — मुआबिजे की रकम — $\frac{3}{4}$ पूँजीलाभ।

अथवा

औसत दर के लिए कुल आय (आ_२) = आ_१ + $\frac{3}{4}$ पूँजीगत लाभ।

इस रकम पर कर निकाल कर औसत दर से पूँजीगत लाभ पर कर निकाला जावेगा।

कम्पनियों के लिए

पुराने एक्ट में कम्पनियों के पूँजीगत लाभ पर अधिकर नहीं पड़ता था परन्तु नए एक्ट में अधिकर १०% की दर से लिया जावेगा। गणना की विधि इस प्रकार है।

(१) पूँजीलाभ को मिलाकर समस्त लाभ पर आयकर निकालो।

(२) पूँजीगत लाभ पर १०% की दर से अधिकर निकालो, बाकी आय पर सामान्यदर पर अधिकर निकालो ।

१९६२ के परिवर्तन

फाइनेंस एक्ट १९६२ में पूँजीगत लाभ के सम्बन्ध में अनेक महत्वपूर्ण सुधार किये गए हैं । ये सुधार निम्नलिखित हैं ।

(१) पूँजीगत सम्पत्ति को दो भागों में बाँटा गया है ।

(अ) अल्पकालीन पूँजीगत सम्पत्ति—जो सम्पत्ति कर दाता एक वर्ष से अधिक अपने पास नहीं रखता ।

(ब) दीर्घकालीन पूँजीगत सम्पत्ति—जो एक साल से अधिक समय बाद बेची जाती है ।

(२) १९६२ से पहले कम्पनी के अतिरिक्त अन्य करदाताओंको पूँजीगत लाभ पर अधिकर नहीं देना पड़ता था, परन्तु नए फाइनेंस एक्ट में अल्पकालीन पूँजीगत लाभ पर अधिकर भी लगाया गया है ।

(३) कर निर्धारण की विधि इस प्रकार है ।

(अ) कम्पनी को छोड़कर अन्य करदाताओं के लिए—

(१) अल्पकालीन पूँजीगत लाभ पर आयकर तथा अधिकर औसत दर से लगेगा ।

औसत दर के लिए कुल आय = समस्त आय — मुआविजे की रकम — दीर्घ-कालीन पूँजी लाभ ।

(२) दीर्घकालीन पूँजी के गतलाभ के लिए निम्नलिखित में जो भी कम हो ।

(अ) औसत दर से निकाला हुआ आयकर तथा अधिकर, औसत दर के लिए कुल आय = समस्त आय — मुआविजे की रकम-अल्पकालीन पूँजीगत लाभ ।

(ब) दीर्घकालीन पूँजीगत लाभ पर २५% की दर से निकाला हुआ केवल आयकर ।

(व) कम्पनियों के लिए—

(१) आय कर समस्त लाभ पर (पूँजीगत लाभ को मिलाकर) सामान्य दर पर पड़ेगा ।

(२) अधिकर दीर्घकालीन पूँजीगत आय पर ५% तथा अन्य समस्त आय पर औसत दर में पड़ेगा । अर्थात् नए परिवर्तन के अनुसार अन्वकालीन पूँजीगत आय पर कर उसी दर से पड़ेगा जिस दर पर सामान्य व्यापारिक लाभ पर पड़ता था । १९६२ से पहले दीर्घकालीन तथा अल्प कालीन दोनों ही प्रकार की पूँजीगत आय पर अधिकर १०% की दर से पड़ता था ।

Summary

1 Capital gain arises with transfer of capital asset at a price higher than cost

2 Following are not Capital asset

- (1) Stock in trade, Consumable store, raw-materials
- (2) Personal effects for use of assessee or any member of family e.g. dress jewellery, furniture etc
- (3) Agricultural land in India

3 Following is not taken as transfer

- (1) Distribution of the assets of company among share holders at the time of liquidation
- (2) Payment in money or other assets is chargeable under capital gains
- (3) Distribution of cash from undistributed profit is not taxable under capital gains
- (4) Distribution of the assets of H U F. at the time of partition
- (5) Distribution of capital assets of a firm or association among its members.
- (6) Transfer of capital asset under gift, will or irrevocable trust
- (7) Transfer by a company to its Subsidiary if
 - (i) If parent company holds whole of share capital &

(ii) Subsidiary is an Indian Company

4 Determination of Capital gains

Capital gain = Value of Consideration — (Cost + transfer charges)

5 Determination of Cost

1 Same as that of the past owner in following cases

- (i) Received through partition of H U F
- (ii) Received through succession
- (iii) Received through gift or will
- (iv) Received through dissolution of a firm
- (v) Received through liquidation of Company
- (vi) Received by a trust
- (vii) Received by subsidiary from parent company

2 Incase of depreciable assets—W D V

If the asset was in existence before jan 1 1954 its cost on that date would be taken at Market value or W D V according to choice of owner

Its Cost in 1962 will be

Market value on jan 1 1954—Dep allowed upto date

3 If Cost can not be determined—fair market price

6 Exempted income

1 Transfer of house property if not more than Rs 25000

2 Total value of house property of transfer at the time of transfer does not exceed Rs 50000

3 If it is not a transfer [see part 3 above]

4 If it is not a Capital asset [See part 2 above]

5 Transfer of residential house [See page—185]

7 Short term Capital asset

Capital asset transferred within one year of its acquisition

Practical Illustrations

Illustration 1

Explain whether the income in each of the following cases is taxable under Capital gains

1 A sells the ornaments of his wife worth 10 000 for a sum of Rs 15 000

2 B sells his agricultural land in Nepal for 8000, the Cost being Rs 3000

3 A cotton mill sells cotton @ Rs 890 per bale This was originally purchased @ Rs 850 per bale

4 Ms X before going to England sells his furniture for Rs 2000 which was Rs 400 more than the cost

Solution

1 Not taxable Ornaments of wife are not capital assets

2 Taxable Agricultural land in India is not taxable as it is not a capital asset but land outside India, is taxable

3 Not taxable Raw material is not a capital asset

4 Not taxable Personal effects are not taken as capital assets

Illustration 2

State whether the following are taxable under Capital gains

1 Mr X a share holder in Y Co Ltd receives the furniture of the company at the time of liquidation The W. D V of furniture was Rs 8000 and it was given in the settlement of claim of Rs 5000

2 Mr A is a share holder in a company holding 10 shares of Rs 100 each The company is liquidated and he receives in cash Rs 2600 for his share Rs 700 of this amount was distributed from the undistributed profits of the company

3 B is a partner in the firm with his capital amounting to Rs 10,000 The firm is dissolved and he receives in full settlement

of the claim a house valued at Rs. 15 000

4 C is a member of Hindu undivided family. He receives from the property of the family Rs. 10,000 as his share

Solution

1 The profit of Rs. 3000 is not taxable, as it does not arise from the transfer of capital assets. Distribution of the assets of a company at the time of liquidation is not a transfer.

2 Rs. 900 (2,600—700—1000) is taxable. The total gain is Rs. 1600 out of which Rs. 700 is in form of dividend, being the distribution from accumulated profits. Distribution of cash at the time of liquidation is taken as transfer and taxable under capital gains.

3 The gain of Rs. 5000 is not taxable, as it is not a transfer.

4 Not taxable. Amount received from H. U. F. on partition is not regarded as transfer.

Illustration 3

State which of the following are taxable under Capital gains

1 X transfers a house costing Rs. 8000 to a charitable Trust. The value of the house in the books of the trust is written at Rs. 12,000.

2. Y received a house worth Rs. 17,000 from his uncle under a will.

3 A company transfers a plant (book value Rs. 80,000) to its Subsidiary, B Co Ltd for Rs. 100,000. A company holds all the shares of B Company.

4 A Company Ltd owning 60% shares in Y Co transfers to it a factory building for Rs. 1,50,000. The cost of building was Rs. 1,00,000.

Solution

1. Not taxable. Transfer under trust is not regarded as transfer.

2 Not taxable. It is not a transfer of capital asset.

3 Not taxable Transfer of asset to Subsidiary wholly owned is not regarded a transfer

4 Rs 50,000 will be taxable in the hands of \ company This is because X Co does not hold all the shares in Y Co

Illustration 4

From the following statement of income of Mr X for the year ending 31st March 1962, calculate his income taxable under the head capital gains

- 1 A house costing Rs 20 000 was sold for Rs 24 000
- 2 Shares purchased by him for Rs 20,000 in 1955 were sold for Rs 28 000, Transfer fee Rs 100 was paid by him
- 3 Gold worth Rs 16,000 which he had purchased at the rate of Rs 100 per tola was sold at the rate of Rs 120 per tola
- 4 Shares in Y Co costing Rs 6,000 were sold for Rs 5,500

Solution

Capital gains—

1	Shares	8 000	
	Less Exp	100	7 900
2	Gold		3,200
	Total		11,100
	Less loss on shares of Y Co		500
			10 600

Note—Gain of Rs 4,000 in respect of house is exempted from tax as the consideration does not exceed Rs 25,000

Illustration 5

A is the owner of a house the cost of which is Rs 60,000 It is used for residential purpose by his parents In 1960 the house was sold for Rs 80,000 and A purchased a new house for Rs 45 000 for his own residence In 1962 he sold this house also for Rs 60,000

Calculate his income taxable under capital gains for the year 1961 and 1962.

Solution

1	Capital gain for 1960		
	Consideration of the house sold		80,000
	Less cost		60,000
			<hr/>
	Capital gain		20,000
	Cost of the house purchased		45,000
			<hr/>
	Taxable capital gain		Nil
			<hr/>
2	Capital gain for 1962		
	Consideration of house sold		60,000
	Less, cost—		
	1 Cost of the new house	45,000	
	Less capital gain of		
	previous house	20,000	25,000
		<hr/>	<hr/>
	Income taxable under		
	capital gains		35,000
			<hr/>

Illustration 6

Sharad Bajpai owns a house costing Rs 40,000 which he uses for his own residential purpose. On Jan 1960 he sold the house for Rs 65,000. On the same date he purchased a small plot and by June 1961 constructed a residential house for his own use at the cost of Rs 20,000. In May 1962 this house was also sold by him for Rs 30,000. What will be capital gain taxable in case of both the houses and when will it be payable.

Solution

1.	Capital gain in respect of the first house	
	Consideration for sale	
		65,000
	Less Cost	40,000
		<hr/>

Capital gain	25,000
Less Cost of newly constructed house	20,000
	5,000
Taxable Capital gain	
Tax will be payable in the assessment year 1962—63	
2 Capital gain in respect of the Second house	
Consideration for sale	30,000
Less Cost	Nil
	30 000
Taxable Capital gain	
The tax will be payable in the year 1963—64	

Illustration 7

Ram Prasad has submitted the following account of his income during 1961—62 Calculate his taxable income under capital gains

1 A house costing Rs 15,000 was sold for Rs 20 000 He has another house valued at Rs 45,000

2 500 Shares of Omega Co costing Rs 10 each were sold at Rs 12 per share

3 Received Bonus shares worth Rs 2000 from Snow products Ltd The bonus shares were paid from undistributed Profit of the company

4 He had purchased a car for Rs 2,500 and spent Rs 1 500 on its overhauling It was sold for 6000 to a person

Solution

1 Capital gain	
1 House property (20,000—15,000)	5000
2 500 Shares in Omega Co @ Rs 2/- pershare	1000
3 Profit on car (6000—4000)	2000
	8000

Note —

1 Bonus shares paid from undistributed profit are not Capital gain They are to be treated as dividend

2 Gain on house, is taxable in spite of consideration being less than 20,000 because total value of house property is more than Rs 50 000

Illustration 8

X Company Ltd had a plant purchased in 1950 at the cost of Rs 50,000 On 1st Jan, 1954 its market value was Rs 60 000 On Jan 1, 1962 it was sold for Rs 60 000 Depreciation allowed was Rs 40,000 of which Rs 20,000 was for the period after Jan 1, 1954

What will be the taxable income under capital gains

Solution

Sale consideration	65,000
Less cost (W D V) 60,000—20,000	40 000
	<u>25 000</u>
Total gain	<u>25 000</u>

Of this Rs 20,000 will be taxable under balancing charge and Rs 50,000 under capital gains

Illustration 9

From the following particulars regarding the income of Sri Johari for the year ending 31 Dec, 1961, calculate the income taxable under capital gains giving separately the short term and long term capital gains

- 1 A house costing Rs 50 000 built in 1958 was sold for Rs 70,000 on Nov 30, 1961 Commission paid to broker Rs 2,000
- 2 Shares worth Rs 15 000, were received by him from the partition of H U F on 1st July, 1961 These shares were sold by him for Rs 18,000 H U F had held these shares for 5 years
- 3 50 Pref Shares in Mahindra and Mahindra costing Rs 120 each (face value Rs 100 each) were sold at Rs 150 per share on Nov 25, 1961 These shares were acquired by him on Jan 1, 1961

4. He had purchased 100 shares in Ace Mining Co at the cost of Rs 50 per share on Nov., 1960. The company went into liquidation on July 1, 1961. The shares were sold by him in Dec., 1961 at Rs. 60 each.

Solution

Short term capital gain—		Rs
1.	50 Shares in Mahindra & Mahindra @ Rs 30/ per share	1,500
2	100 Shares in Ace Mining Co @ Rs 10 per shares	1,000
		<u>2,500</u>
Other capital gain—		Rs. Rs.
1	House property (70,000 – 50,000)	20,000
	Less expenses of sale	<u>2,000</u>
		18,000
2	Shares from H U F	3,000
		<u>21,000</u>

- Note—1 In case of shares from H U F the date of acquiring them will be taken as the date when they were acquired by H U F
- 2 In case of shares of company under liquidation the period since the company went into liquidation will not be counted

आय की मदें-अन्य साधनों की आय

[Income from Other Sources]

आयकर विधान की धारा ५६ के अनुसार 'अन्य साधनों की आय' के अन्तर्गत कर उसी दशा में पड़ेगा जब कि वह आय की मद अन्य किसी मद के अन्तर्गत न आती हो। इससे यह स्पष्ट है कि किसी आय को इस मद के अन्तर्गत तब तक नहीं रखा जा सकता जब तक यह सिद्ध न हो जाय कि इसे अन्य किसी भी मद के अन्तर्गत नहीं रखा जा सकता है। [C.I.T. Vs Basant Rai Takhat Singh 1933]

विधान में निम्नलिखित प्रकार की आय का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।

- (१) लाभांश
- (२) मशीन फर्नीचर इत्यादि को भाड़े पर उठाने से होने वाली आय।
- (३) यदि मकान या भूमि का किराया इस भाड़े से अलग नहीं किया जा सकता तो किराये की रकम पर भी इसी मद के अन्तर्गत कर लगेगा। अन्य प्रकार की आय जो इस मद के अन्तर्गत आती है।
- (१) सानो से मिलने वाली अधिवार शुल्क (Royalty) अथवा किराया। (C.I.T. Vs. Kamakhya Narain Singh 1953)
- (२) जमीन्दारी की ऐसी आय जो कृषि आय के अन्तर्गत नहीं आती।
[C.I.T. Vs Prabhat Chandra]

उदाहरणार्थ बाजारो की आय, जगली लकड़ी की आय इ०

- (३) किसी बसीयतनामे के अन्तर्गत प्राप्त वार्षिक वृत्ति ।
- (४) प्रतिभूतियों पर व्याज के अतिरिक्त अन्य प्रकार के व्याज की रकम ।
- (५) भूमि का किराया ।
- (६) मकान में शिकमी किरायेदार रखने (Subletting) की आय ।
- (७) डायरेक्टर की फीस, कमीशन आदि ।
- (८) किसी विदेशी सरकार से मिलने वाली पेंशन या वेतन
- (९) भारत के बाहर स्थित कृषि भूमि की आय ।
- (१०) अभिगोपन का कमीशन (Underwriting Commission)
- (११) किसी अध्यापक की परीक्षा अथवा निरीक्षक के रूप में काम करने से होने वाली आय ।
- (१२) विदेशी, बिना कर दो हुई आय, जो भारत में लाई गई है ।
- (१३) अपन नियोक्ता के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति से प्राप्त कोई फीस या कमीशन ।

घटाने योग्य व्यय

अधिनियम में घटाने योग्य खर्चों का विशेष उल्लेख नहीं है । परन्तु निम्न-लिखित प्रकार के व्यय घटाने योग्य माने गये हैं ।

- (१) लाभांश की रकम इकट्ठा करने के लिए दिया गया कमीशन ।
- (२) अन्य कोई व्यय जो,
 - (1) पूरातया सम्बन्धित आय प्राप्त करने के लिए किया गया हो ।
 - (ii) उसी वर्ष किया गया हो जिस वर्ष आय प्राप्त की गई है

निम्नलिखित प्रकार के व्यय घटाने योग्य नहीं हैं ।

- (१) बरदाता के व्यक्तिगत खर्च ।
- (२) कोई व्याज की रकम जो भारत के बाहर देय है तथा जिस पर न तो कर बाटा गया है और न भारत में उसका कोई प्रतिनिधि है जिससे कर वसूल किया जा सके ।

(३) वेतन के रूप में दिया गया रुपया जो भारत के बाहर देय है तथा जिस पर कर नहीं काटा गया है ।

(४) कम्पनी द्वारा किया गया ऐसा खर्च जिससे किसी डायरेक्टर अन्य व्यक्ति जिसका कम्पनी में पर्याप्त हित हो अथवा उसके किसी सम्बन्धी को लाभ या सुविधा प्राप्त होती है । यदि कर को रकम सम्बन्धित व्यक्तियों की श्राय में जुड़ जाती है तो भी छूट नहीं मिल सकती ।

लाभांश (Dividend)

अन्य साधनो की आय में सबसे महत्वपूर्ण आय लाभांश के रूप में मिलने वाली आय है अतएव उसको विस्तारपूर्वक समझने की आवश्यकता है ।

आयकर अधिनियम की धारा २ (२२) में लाभांश के अन्तर्गत निम्नलिखित को सम्मिलित किया गया है ।

(१) कम्पनी के संचित लाभ से से किसी प्रकार का विभाजन जिससे कम्पनी की कोई सम्पत्ति अशधारियों को प्राप्त हो जाती है ।

(२) कम्पनी के संचित लाभ में से अशधारियों को दिये गये डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक, डिपॉजिट सर्टिफिकेट (चाहे उन पर व्याज देय हो या न हो)

(३) कम्पनी के संचित लाभ में से अधिमान अंशो (Preference Shares) पर दिया गया बोनस । साधारण अंशो पर दिया गया बोनस इससे सम्मिलित नहीं है ।

(४) कम्पनी के विघटन के समय संचित लाभ में से बांटी गई कोई रकम

(५) किसी कम्पनी द्वारा किसी ऐसे अशधारी को जिसका कम्पनी में पर्याप्त हित है दिया गया कोई अग्रिम धन, अथवा ऋण अथवा ऐसे व्यक्ति के लिए दिया गया भुगतान या खर्चा यदि कम्पनी के पास संचित लाभ है ।

यह नियम ऐसी कम्पनियों पर नहीं लागू होगा जिनमें जनता का पर्याप्त हित है ।

लाभांश में निम्नलिखित रकम नहीं सम्मिलित की जाती ।

(१) यदि कम्पनी के विघटन के समय भुगतान ऐसे अंशो के लिए किया

गया है जिनको नकद रूपये के बदले बेचा गया है तथा जिनके साथ यह शर्त थी कि विघटन के समय आधिक्य (Surplus) में उन्हें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा।

यदि कम्पनी रुपया उधार देने का काम करती है और किसी अशायरी (चाहे उसका पर्याप्त हित ही क्यों न हो) को कोई अग्रिम राशि या ऋण दिया गया है।

(३) यदि ऊपर के भाग (५) में वर्णित व्यक्ति को किसी प्रकार की अग्रिम राशि दी गई है तथा बाद में लाभांश की रकम उस अग्रिम राशि में काट ली गई है तो ऐसी लाभांश की रकम फिर लाभांश नहीं मानी जायेगी।

लाभांश को सम्पूर्ण करना (Grossing up Dividends)

लाभांश पर कर उद्गम स्थान पर ही काट लिया जाता है अतएव प्रति-भूतियों पर ध्याज के समान ही उनको सम्पूर्ण करने की आवश्यकता पड़ती है। लाभांश की वास्तविक रकम-नकद लाभांश+काटे हुए कर के बराबर मानी जाती है। नकद लाभांश की रकम तो मालूम रहती है, काटे हुए कर की रकम मालूम करनी पड़ती है। लाभांश को सम्पूर्ण करने विधि में १९५६-६० में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है।

करदेय वर्ष १९५९-६० तक—ऐसा समझा जाता था कि कम्पनी अशायरियों के बदले आय कर दे देती है अतएव कम्पनी द्वारा दिये गये आय कर तथा अधिकर को अशायरी का अंश मान लिया जाता था। १९५६-६० तक कम्पनी के लाभांश पर ३० प्रतिशत आय कर तथा १५ प्रतिशत अधिकर लगता था। अतएव सम्पूर्ण लाभ शुद्ध लाभ का $2\frac{1}{3}$ गुना होता था।

$$\text{संक्षेप में, Gross Dividend} = \text{Net dividend} \times \frac{200}{100}$$

यदि कम्पनी का समस्त लाभ करदेय नहीं है केवल एक अंश पर ही कर लगता है तो लाभ को सबल बनाने का सूत्र निम्न लिखित है।

$$\text{Gross Dividend} = \frac{\text{Net dividend} \times 100}{T - (T \times \frac{1}{100}) + (100 - T)}$$

$$\text{अथवा} = \frac{\text{Net dividend}}{100 - 315 T}$$

यहां 'T' से तात्पर्य है लाभाश का वह प्रतिशत जिस पर कर लगेगा ।*

कर देय वर्ष १९५९-६० के बाद—ऐसा नहीं माना जावेगा कि कम्पनी द्वारा दिया गया आयकर अशकारी के बदले दिया गया है । अतएव यदि लाभाश की वितरित रकम दी गई है तो उसको सम्पूर्ण करने की आवश्यकता नहीं है परन्तु लाभाश बांटते समय कम्पनी कर उद्गम स्थान पर काट लेती है, अतएव यदि कर दाजा को प्राप्त होने वाली शुद्ध रकम दी है तो उसे सम्पूर्ण करने की आवश्यकता पडेगी । ऐसी दशा मे सम्पूर्ण करने की विधि इस प्रकार होगी.—

$$\text{सम्पूर्ण लाभाश} = \text{शुद्ध लाभाश} \times \frac{१००}{७०}$$

इसका कारण यह है कि उद्गम स्थान पर कर ३०% की दर से काटा जावेगा ।

SUMMARY

1 Income taxable under this head

1. Dividend.
2. Rent from machinery, plant or furniture let on hire.
3. Rent from building attached to machinery etc. let out if the same can not be separately determined.

*The formula has been derived as follows

Suppose total income of the Company is 100

Taxed portion = T

Therefore untaxed portion = (100—T)

Tax on taxed portion = $(T \times \frac{31.5}{100})$

Balance available = $T - (T \times \frac{31.5}{100})$

Net amount available = $[T - (T \times \frac{31.5}{100})] + [100 - T]$

$$= 100 - .315 T$$

When Net amount is (100—·315 T), gross amount is 100

There fore when net amount is 1 gross amount will be $\frac{100}{100 - .315 T}$

- 4 Royalty or rent from mines
- 5 Income from zamindari, not falling under the head Agr income
- 6 Annuities received under will
- 7 Interest other than interest on securities
- 8 Rent of vacant land
- 9 Rent of seb letting a house
- 10 Any fee or commission received by a director
- 11 Pension or salary from a foreign government
- 12 Agr income from land situated out side India
- 13 Under writing commission
- 14 Income of a teacher from examination or invigilation
- 15 Untaxed foreign income brought into India
- 16 Any fee or commission received from a person other than the employer

Deductions Allowed

- 1 In case of dividends—collection charges
- 2 Any other income—incurred exclusively and in the previous year

Income included in Dividends

- 1 Any amount paid in cash by way of distribution of profits
- 2 Debentures debenture stock or deposit certificates issued to share holders
- 3 Bonus shares issued to preference share holders from accumulated profits
- 4 Distribution to share holders from accumulated profits at the time of liquidation
- 5 Any advance or loan to a share holder having substantial interest
- 6 Any payment to such share holder from accumulated profits of company

Illustration 1

The following are the particulars of the income of Sri Ram Chandra Sharma who is ordinarily resident in the taxable territory for the year ended 31st March 1962. You are required to ascertain his total income for the year 1962-63

- (a) His salary was Rs 300 per month and his travelling allowance bills for the year amounted to Rs 1500, the actual expenditure incurred by him in travelling being only Rs. 1100
- (b) He was getting a house rent allowance of Rs 50 per month and a cycle allowance of Rs 10 per month
- (c) He contributed one anna in the rupee to a provident fund governed by the Provident Fund Act of 1925, his employer contributing an equal amount. Interest on his P F account amounted to Rs 400
- (d) He received Rs 300 from tax free Government Securities, Rs 500 as dividend and Rs 100 as interest on fixed deposits in banks
- (e) He owns a house half of which is occupied by his son for his residence and the other half is let out at Rs 50 per month
- (f) He gets 8% dividend from P Co Ltd on an investment of Rs 12,000

(Adapted from Agra B Com 1957)

Solution

1 Income from Salary

	Rs	Rs
Salary	3600	
House allowance	600	
Cycle allowance	120	
	4320	
Taxable income	4320	4320

2 Interest on Securities

Interest on Tax-free Government Securities	300
--	-----

3	Income from property		
	Annual value of the portion let	600	
	Annual value of residential portion—		
	Rental value	600	
	Less statutory allowance	300	300
	Total annual value		<u>900</u>
	Less $\frac{1}{8}$ for repairs		<u>150</u>
	Taxable income	750	750
4	Income from other sources		
	Dividend $\frac{500 \times 10}{7} =$	714	
	Dividend from P Co Ltd	960	
	Interest on fixed deposits	100	
	Travelling allowance (Surplus)	400	
	Taxable income	<u>2174</u>	<u>2174</u>
	Total Taxable income		<u><u>7544</u></u>

Exempted income

	Rs.
P F (Employee's Contribution)	225
Interest on tax free Government Securities	300
	<u>525</u>

Note—1 In case of cycle allowance deductions equal to the expenditure on maintenance and wear and tear on cycle will be allowed

2 The portion occupied by his son has been deemed to be occupied by him as it is not mentioned that the son is living separately from him

- 3 It is assumed that Rs 500 is the amount of dividend actually received and not the amount declared It has therefore been grossed up

Illustration 2

The following are the particulars of the income of P K Datta, a Government servant for the year ended 31st March 19०2

- (a) Salary at Rs 750 p m and travelling allowance bills for the year amounted to Rs 1800, the actual amount spent being Rs 1500
- (b) He contributed one anna per rupee for his P F to which the Government contributed an equal amount The interest on P F amounted to Rs 250
- (c) He owns two bungalows one of which is let at Rs 1०0 per month and the other is occupied by him for his residence, the annual value of the same being Rs 960 He has paid Rs 200 as ground rent and insurance charges in respect of the first bungalow and Rs 150 in respect of the second. Municipal taxes paid by him in respect of the two bungalows amounted to Rs 150 and Rs 100 respectively and he spent Rs 300 on white washing and petty repairs in respect of both bungalows
- (d) He received during the year Rs 250 as tax free interest on Government Securities and Rs 300 as dividend from a company He has insured his life and pays an annual premium of Rs 1250 on his policies Ascertain his total income, taxable income and exempted income

{Adapted from B Com Agra 1952}

Solution

1	Income from Salary	Rs	Rs
	Salary for 12 months	9000	
	Travelling allowance	300	9300
		<hr/>	
2	Interest on Securities	250	250
		<hr/>	

3.	Income from property			
	(a) Rented Bungalow—			
	Rental value	1440		
	Less $\frac{1}{2}$ M. Taxes	75		
	Annual value	<u>1365</u>	1365	
	Less—			
	Repairs ($\frac{1}{3}$ of A.V.)	227		
	Ground rent	<u>200</u>	<u>427</u>	938
	(b) Self occupied bungalow			
	Rental value	960		
	Less Statutory allowance	<u>480</u>		
	Annual value		480	
	Less—			
	Repairs ($\frac{1}{3}$ of A V.)	80		
	Ground rent	<u>150</u>	<u>230</u>	250
4	Income from other sources			
	Dividend gross ($\frac{300 \times 10}{7}$)			<u>428</u>
	Total taxable income			<u>11,166</u>
	Rebate			
			Rs.	
	1. Employee's contribution to P.F.		562	
	2. Insurance premium		1250	
	3. Interest on tax free Government Securities		<u>250</u>	
			<u>2062</u>	

Illustration 3

Following are the particulars of the income of a University professor.

- (a) Salary Rs. 1200 p m from which 8% is deducted for P. F. to which University contributes 12%.

- (b) Proctorship allowance Rs 1200 per annum.
- (c) Rent free bungalow of which the annual letting value is Rs 720.
- (d) 5% dividend on 50 shares of Rs 100 each in a limited company.
- (e) 3% tax free interest on Government Loan of Rs 5000.
- (f) Income from property let Rs 1200
- (g) Interest on Postal Savings Bank deposit Rs 120
- (h) Profit on sale of property Rs 100,000

During the year he paid Rs 900 as life insurance premium on his own policy

Find out his total income, taxable income and exempted income for the year 1962-63

(B Com Agra 1951)

Solution

1. Income from salary—

	Rs	Rs
1. Salary	14,400	
2 Proctorship allowance	1200	
3 House allowance	720	
	16320	
2. Income from Securities		
3% Tax free Government Loan	150	150
	150	
3. Income from property		
Annual value	1200	1000
Less Repairs ($\frac{1}{8}$ of A. V.)	200	
	1000	
4. Income from other sources		
5% tax free dividend	250	250
	250	
Total taxable income		17720

Rebate

Employee's contribution to P. F.	1152
Tax free Government Securities	150
Insurance premium	900
	<u>2202</u>

Illustration 4

Mr Hari Har Nath is an employee in the Capital Stores Ltd. New Delhi. The following are the particulars about his income for the year ending 31st March 1962

- Salary Rs 480 p m. He contributes $6\frac{1}{2}\%$ of his salary towards recognised P. F. his employer contributing an equal sum. On the occasion of independence day celebration he received two months salary as bonus. Rs 375 was credited to his P. F. account during the year in respect of interest on accumulated balance.
- He owns a house at Agra which is let at Rs 60 a month. At the same rent he hired a house for his residence in New Delhi.
- He received Rs 385 as dividend on his investment in the ordinary shares of the Indian Iron and Steel Co. Ltd.
- He received Rs 4000 from the Post Office in respect of cash certificates which he purchased 5 years ago at the rate of Rs. 88/2/-.
- He paid Rs. 370 as premium on his life insurance policy.

You are required to find out his total income, taxable income and exempted income.

(Agra B. Com. 1949)

Solution

1	Income from salary		
		Rs.	Rs.
	Salary	5760	
	Bonus	960	6720
		<u> </u>	

2. Income from property		
Annual value	720	
Less Repairs ($\frac{1}{3}$ of A. V.)	120	600
	<hr/>	
3. Income from other sources		
Dividend $(385 \times \frac{10}{7})$		550
		<hr/>
Total taxable income		7870
		<hr/>

Rebate

1. P.F. (Employee's contribution) 360
 2. Insurance premium 370
- 730
1. Income from Post Office Cash Certificates is totally free from tax.
 2. Relief in respect house is available only when residential house is kept vacant for his own use. As the same has been let out the income will be taxable.

Illustration 5

The following are the particulars about the income of Mr X of Allahabad University.

- (a) He was employed at a starting salary in the grade of Rs. 500—30—800 plus D. A. at 10% of salary.
- (b) He is a member of Statutory P. F. and contributes 8% of the salary towards his P. F. while the University contributes 12%.
- (c) As a proctor of University he received
 - (i) An allowance of Rs. 100 p. m.
 - (ii) House allowance Rs. 540.
 - (iii) An orderly who was paid Rs. 35 p. m. by the University.
 - (iv) A motor car allowance of Rs. 45 per month.

- (d) His income from examinership amounted to Rs 1150 and from royalty to Rs 750
- (e) He holds 50 shares of Rs 100 each in Upper India Trading Co Ltd on which he received dividend of 12% less tax
- (f) He received a prize of Rs 350 in a Common Sense Cross word competition

He paid Rs 1520 as premium on his life insurance policy You are required to prepare his assessment for the year 1962-63

(B Com Agra 1948)

Solution

1 Income from salary—

	Rs	Rs
1 Salary	6000	
2 D A	600	
3 Proctor's allowance	1200	
4 House allowance	540	
5 Motor Car allowance	540	8880

2 Income from other sources

1 Examinership	1150	
2 Royalty	750	
3 Dividend (gross)	600	2500

Total taxable income 11380

Rebate

1 Employees Contribution to P F	480
2 Insurance premium	1520
	<u>2000</u>

Note—1 Prize in common sense cross word is casual income and hence free from tax

2 Salary of the orderly is similarly not taxable being the actual expenditure of the company

Illustration 6

The following are particulars about the income of Mr. D. D. Pandey, a Government servant.

- (a) His salary was Rs. 750 per month and his T. A. bills for the whole year amounted to Rs. 1660. The actual expenditure incurred by him on travelling being Rs. 1140.
- (b) He contributed one anna in a rupee to a Government -Provident Fund. His employer contributing an equal amount. Interest on his P.F. account balance for the year amounted to Rs. 1580.
- (c) He owns two bungalows in the civil lines, one of these is let at Rs. 125 p. m. and the other, the monthly rental value of which is Rs. 150 is occupied by him for his own residence. He pays Rs. 150 per year as ground rent and insurance charges in respect of the first bungalow and Rs. 210 per year in respect of the second one.
- (d) His investments during the year were as follows.
 - (i) Rs. 5000 in 5% Free of Tax Government Securities.
 - (ii) Rs. 8000, 6% Preference Shares of a Sugar mill.
- (e) He is insured and pays an annual premium of Rs. 1250.

You are required to find out his total income and his exempted income.

B. Com. Agra 1947

Solution

1. Income from Salary

	Rs.	Rs.
1. Salary	9000	
2. Surplus of Travelling allowance	520	9520

2. Interest on Securities

5% Tax Free Government Securities	250	250
-----------------------------------	-----	-----

3. Income from property			
1 Annual value			
Rented house		1500	
Residential house	1800		
Less Statutory allowance	900	900	
		<hr/>	
Less--		2400	
1/6 for repairs	400		
Ground rent & Insurance	360	760	1640
		<hr/>	
4. Income from other sources—			
Dividend		480	480
		<hr/>	
			11890

-Exempted income -

1. Employee's contribution to P.F.	562
2. Insurance premium	1250
3. Interest on tax free Government Securities	250
	<hr/>
	2062
	<hr/>

Illustration 7

From the following particulars find the taxable income of A

- (a) Profit from an unregistered firm (untaxed) Rs. 750
 (b) Income from Postal Cash Certificates Rs. 600
 (c) 3% war bonds (Free of tax) of the value of Rs. 20,000
 (d) Shares in a bank of the value of Rs 5000, a dividend of 15% declared on them.
 (e) Shares in a cotton mill to the value of Rs 5000 and a dividend of 10% declared on them (less tax).
 (f) His wife's life insurance premium amounts to Rs 800 yearly.

Solution

1. Interest on Securities—		
	Rs.	Rs.
3% War bonds	600	600
	<hr/>	
2. Profits from business or profession —		
Shares of profit of unregd. firm	750	750
	<hr/>	
3. Income from other sources—		
1. Dividends on bank shares	750	
2. Dividend on cotton mill shares	500	1250
	<hr/>	<hr/>
Total taxable income		2600
		<hr/>

Exempted income—

1: Interest on Tax free Government Securities	600
2: Insurance Premium 1/4 of 2600	650
	<hr/>
	1250
	<hr/>

Illustration 8

A doctor's income consists of Rs. 5400 from profession, 5% interest on Rs. 10,000 tax free Government Securities and Rs. 100 as director's fees. He owns a bungalow which he uses for his residence. The Municipal valuation of this is Rs. 1000 and he paid Rs. 150 for fire insurance premium and Rs. 50 as ground rent. The bungalow is mortgaged and interest on it amounts to Rs. 800. He paid Rs. 1200 life insurance premium on his own life.

Ascertain his taxable income.

B. Com. Agra 1944

Solution

1. Interest on Securities—		
	Rs.	Rs.
	500	500
	<hr/>	

occupied by him for his own residence. He has paid Rs 300 as ground rent and insurance charges in respect of the first house and Rs 180 in respect of the second. The municipal taxes in respect of the two houses amounted to Rs 100 and Rs 175 respectively and he spent Rs 600 on white washing and other repairs in respect of both the houses.

- (d) He received Rs 350 as interest on tax free Government Securities and Rs 500 as dividend from a company.
- (e) He pays an annual premium of Rs 1800 on his life policies.

Prepare his assessment for 1962-63

(Adapted from All India B Com 1959)

Solution

1	Income from Salary			
			Rs	Rs
	Salary		10800	
	Excess of travelling allowance		275	11075
			<hr/>	
2	Interest on Securities			350
3	Income from property			
	Annual value of the house let	1720		
	Annual value of residential house	600		
		<hr/>		
	Total Annual Value		2320	
	Less—			
	1/6 for repairs	387		
	Ground rent	400	787	1533
		<hr/>	<hr/>	
4	Income from other Sources—			
	Dividends (gross)	$\frac{500 \times 10}{7}$		714
			<hr/>	<hr/>
	Total taxable income			13592
				<hr/>

Exempted income —

1. Employee's Contribution to P.F.	864	
2. Insurance premium	1800	2664
		<hr/>
3. Interest on tax free securities		350
		<hr/>
		3014
		<hr/>

Calculation

1. Annual value of rented house—	
Rental value	1800
Less $\frac{1}{2}$ M taxes	80
	<hr/>
	1720
	<hr/>
2. Annual value of residential house—	
Rental value less tax	1200
Less Statutory allowance	600
	<hr/>
	600
	<hr/>

Illustration 10

From the following particulars of income of Shri L. B. Saxena a Government servant ascertain his total income, taxable, income, and exempted income.

- (a) Salary for the year Rs. 6000, Travelling allowance bill for the whole year amounted to Rs. 1500 while the actual expenditure incurred by him on travelling was Rs. 1000 only.
- (b) He contributed $6\frac{1}{2}\%$ of his salary to the Government Provident Fund (under Act of 1925), the Government also contributes the same amount
- (c) His income from property is as follows.
 - (i) First house let at Rs. 100 per month, payment for ground rent and insurance charges being Rs. 100 and local taxes. Rs. 266.
 - (ii) Second house occupied by him for his own residence gross annual value being Rs. 2000.

(d) His income from investment was—

- (i) Tata debentures—interest received Rs 500
- (ii) Dividend gross Rs 800 from Modi Soap Co

(e) He pays Rs 800 as insurance premium on his life while a sum of Rs 200 is paid as insurance premium on the life of his wife

(Alld B Com 1958)

Solution

1	Income from Salary—		
	Salary	Rs	Rs
	Excess of travelling allowance	6000	
		500	6500
2	Interest on Securities—		
	Interest on Debentures ($\frac{500 \times 10}{7}$)		714
3	Income from property—		
	Annual value of house let	1067	
	A V of residential house	960	
	Total A V	2027	
	Less,		
	1/6 for repairs	338	
	Ground rent and Insurance	100	
		438	1589
4	Income from other sources—		
	Dividend	800	800
	Total taxable income	800	9603

Exempted income —

Employees contribution to P F	375
Insurance premium	1000
	<u>1375</u>

Calculations

1 Annual value of rented house—

Rental value	1200
Less $\frac{1}{2}$ of local tax	133
	<u>1067</u>

2 Annual value of residential house—

Gross annual value	2000
Less Statutory allowance	1000
	<u>1000</u>

1/10 of total income—

$$\left[(6500 + 714 + 1067 + 800) - \left(100 + \frac{1067}{6} \right) \right] + \frac{6}{55}$$

$$[9081 - 278] \times \frac{6}{55}$$

$$= 960$$

As 10% of income is less than Annual Value calculated on the basis of rental value 960 will be regarded as A V of residential house

Illustration 11

Sita Ram has following income for the year ending 31st March, 1967

- (a) Salary Rs 500 per month. He has contributed 6 per cent of his salary to a recognised P F to which an equal amount has been contributed by his employer. The interest at $4\frac{1}{2}\%$ p a on his P. F amounts to Rs 300.

(b) He owns a house, the municipal valuation of which is Rs 1800. The house has been let out on a rent of Rs 170 per month. He has incurred the following expenses in respect of this house

- 1 Interest on the mortgage of the property Rs 120
- 2 Land revenue Rs 40
- 3 Premium for fire insurance Rs 150
- 4 Municipal taxes Rs 50.

The house remained vacant for two months during the year

- (c) He has received dividend at 5% on 50 shares of Rs 100 each
- (d) 3% interest (free of tax) on Govt Securities of Rs 5,000
- (e) Profit on sale of property Rs 10,000
- (f) He is a member of Joint Hindu Family getting Rs 2,400 as his share of income

During the year he paid Rs 1,000 as premium on his life insurance policy

Prepare his assessment for 1962-63

(Adapted from All India B Com 1955)

Solution

	Rs	Rs
1 Income from Salary		
1. Salary	6,000	6,000
	150	150
2 Interest on Securities		
3 Income from property—		
Rental value	2,100	
Less $\frac{1}{2}$ of M tax	25	
Annual value	2,075	2,075
Less—		
$\frac{1}{2}$ for repairs	346	
Interest on Mortgage	120	
Land revenue	40	
Fire insurance premium	150	
Vacancy allowance $(2,075 \times \frac{2}{12})$	346	
	1,002	1,73

4 Income from other sources—

Dividends		250
	Total taxable income	<u>7,473</u>

Exempted income—

1 Employee's contribution to P F	360	
2 Premium	<u>1,000</u>	1,360
3 Interest on tax free securities		<u>150</u>
		<u>1,510</u>

Note —1. Share of income from H U. F is totally free from tax

2 Profit on sale of property is capital gain

Illustration 12

Prepare assessment of Mr X from the following particulars of his income for the previous year ended 31st March, 1962

- He is a Secretary in the company on a salary of Rs 750 per month. He contributes at the rate of 8 p c to a recognised P F to which employer contributes at the rate of 12%. Interest on his P F balance amounted to Rs 800 during the year.
- He owns a house which he lets out at Rs 12,000 p a. The admissible deduction for insurance is Rs 200. His collection charges are Rs 800.
- He earned Rs 2,600 from dividends and Rs 1,800 from tax-free Govt Securities.
- He is an equal partner with F in an unregistered firm from which he gets Rs 3,000 as his share of profit.
- As a member of Hindu joint family he gets Rs 3,600. During the year he paid Rs 1,200 as a premium on his life insurance policies.

(Adapted from All India B Com. 1954)

Solution

	Rs	Rs
1 Income from Salary		
1 Salary	9,000	
2 Employers contribution to P F in excess of 10% of salary	180	9,180
	<hr/>	
2 Interest on securities		1,800
3 Income from property		
Annual value of the house	12,000	
Less—		
$\frac{1}{8}$ for repairs	200	
Insurance	200	
Collection charges (6% of A V.)	720	
	<hr/>	
	,120	10,380
4 Profits from business—		
Share of profit from unregistered firm		3,000
5 Income from other sources		
Dividend (gross)		2,600
		<hr/>
Total taxable income		27,460
		<hr/>
Exempted income—		
1 Employer's contribution to P F	720	
2 Insurance premium	1,200	1,920
	<hr/>	
3 Profits of unregistered firm		3,000
		<hr/>
		4,920
		<hr/>

Illustration 13

A is a manager of a firm drawing a salary of Rs 600 and a house rent allowance of Rs 50 per month. He contributed Rs 700 to a recognised P F, the employer contributing the same amount. The interest on his P F account for the year was Rs 915. He received his two months salary as bonus during the year. His other income consisted of (a) Rs 900 as a share of profit from an

unregistered firm which has been taxed (b) Rs 1275 from property (c) Rs 500 interest from tax free Govt Securities (d) Rs 810 received as dividends The premium paid on his life insurance policy was Rs 600 and that on his wife's insurance policy was Rs 265 Find out his total income for the year ending 31st March, 1962

(Adapted from Raj B Com 1956)

Solution

1	Income from salary—	Rs	Rs
	1 Salary	7,200	
	2 House allowance	600	
	3 Bonus	1,200	9,000
		<hr/>	
2	Interest on securities		
	1 Tax free Govt Securities		500
3	Income from property		
	1 Annual value	1,275	
	2 Less $\frac{1}{8}$ for repairs	212	10,163
		<hr/>	
4	Business profits—		
	Profit of unregistered firm	900	900
		<hr/>	
5	Income from other sources		
	Dividend (gross) $\left(\frac{810 \times 10}{7} \right)$		1,157
			<hr/>
	Total taxable income		12,620
			<hr/>
	Exempted income—		
1	Employee's contribution to P F	700	
2	Life insurance premium	865	1,565
		<hr/>	
3	Profit from unregistered firm already taxed	900	
4	Interest on tax free Govt Securities	500	
		<hr/>	
		2 965	
		<hr/>	

Illustration 14

Sohan Lal is an ordinary resident of India His income for the year ended 31st March, 1962 is as follows :—

- (a) Salary Rs. 6000 p a.
- (b) Property income. Rs.
 - Annual value 8220
 - Municipal taxes 600
 - Interest on Mortgage of property 450
 - Fire insurance premium 350
 - Ground rent Rs. 50 p. a.
- (c) Share of profit in an unregistered firm 5000.
- (d) Interest on 3% Government Securities for Rs. 50,000.
- (e) Director's fee Rs. 500.

During the year in question he paid Rs 1500 as premium on his life policies of the face value of Rs. 12000. Find out his total income and exempted income.

(Adapted from Raj. B. Com, 1950)

Solution

	Rs.	Rs.
1. Income from Salary	6000	6000
2. Interest on Securities	1500	1500
3. Income from property		
Annual value	8220	
Less—		
Repairs ¹ ($\frac{1}{8}$ of A. V.)	1370	
Interest on Mortgage	450	
Fire insurance premium	350	
Ground rent	50	
	2220	6000

4	Profits from business—	
	Share of profit from unregistered firm	5000
5	Income from other Sources—	
	Director's fee	500
	Total taxable incom	<u>19000</u>

Exempted income—

1	Insurance premium	1200
2	Share of profit in unregistered firm	5000
		<u>6200</u>

Note—1. Rs 600 for Municipal tax have been ignored as Annual Value is already given

- 2 Insurance premium should not be more than 10% of the sum insured Hence only 1200 (10% of 1200) have been considered for exemption

Illustration 15

Mr Abraham, a structural engineer, has furnished particulars of his income as follows —

- (1) He received a salary of Rs 3500 p m and a fixed entertainment allowance of Rs 7200 during the year ending 31st March, 1962 from M/s Structural Engineers Ltd Bombay with whom he was employed as an engineer with effect from 1st April, 1961 He incurred an expenditure of Rs 6000 during the year on entertainment
- (2) Prior to joining M/s Structural Engineers Ltd Bombay he was employed with M/s Pioneer Builders Ltd According to his contract of service with that company the service with them was to continue for 3 years from 1st October, 1958 on a salary of Rs 3000 p m But due to some dis-

agreement with the management his services were terminated with effect from 31st March, 1961 before the expiry of his term of service and he was paid Rs 18000 on 4th April 1961 as compensation for the loss of his employment.

- (3) He wrote a book on Structural Engineering which had a great demand in the market. He took 48 months in writing this book. He assigned his interest in copy right there of to M/s Book Publishing Company and received Rs. 15000 on 1st June 1960 as consideration. He has claimed that this should be spread over for four years.
- (4) He owned a house at Nagpur, the annual value of which was Rs. 3600. It was kept reserved for his occupation. During the whole of the previous year ended March 1961 the property remained vacant as he had to remain at Bombay where he occupied another building through out the year during his employment.
- (5) He paid Life Insurance Premium amounting to Rs. 15000 on his own life and Rs. 15000 on the life of his wife.

calculate his taxable income for the year 1961-62.

Solution

1. Income from Salary—		
	Rs	Rs.
1. Salary from M/s Structural Engineers Bombay @ Rs 5500/- p m.	42000	
2. Entertainment Allowance	7200	
3. Compensation from previous employer	18000	
	<hr/>	
Income taxable under salary	67200	67200
	<hr/>	
2, Income from property	Nil	—
3. Income from other sources		
Consideration for the book	5000	5000
	<hr/>	
Total taxable income		<hr/> <hr/> 72200

Rebate

Life Insurance Premium Rs 10,000

- Note —1 As the property remained vacant throughout the year and the assessee had to stay in a rented house due to his employment, the income from such property will be Nil—under section 23 (3)
- 2 As he has taken more than 24 months to write the book the amount received may be spread over to 3 years
- 3 Life Insurance Premium Max limit from 1962 has been raised to Rs 10,000 or $\frac{1}{2}$ of total income which ever is less

Illustration 16

A is the manager of a firm drawing Rs 600 and a house rent allowance of Rs 50 per month. He contributed Rs 800 to a recognised provident fund. The employer contributed the same amount. The interest on his P F Account for the year was Rs 915. He received two months salary as bonus during the year. His other income consisted of (a) Rs 900 as share of profits from an unregistered firm which has been taxed (b) Rs 1275 from property and (c) Rs 500 interest from tax-free Government Securities and (d) Rs 810 received as dividend. The premium paid on his life insurance policy was Rs 600 and on his wife's insurance policy was Rs 265. Prepare his assessment for previous year ended 31st March, 1962.

Solution

1 Income from Salary	Rs	Rs
(1) Salary @ Rs 600 p m	7200	
(2) Bonus (2 months salary)	1200	
(3) House rent allowance @ 50 p m	600	
(4) Employers contribution to recognised P F in excess of 10% of salary (Rs 800—720)	80	9080
	<hr/>	

आय की मद्धे-अन्य साधनो की आय	२२०
2. Interest on Securities	500
3. Income from property	1275
4. Income from business profits (share of unregistered firm)	900
5. Income from other sources	
Dividend $(810 \times \frac{10}{7})$	1157
Total taxable income	<u>12912</u>

Exempted income

	Rs.	
1. P. F. (Employee's contribution)	850	
2. Interest on tax--free Government Securities	500	
3. Share of profit from unregistered firm (being already taxed)	900	
4. Insurance Premium	865	3065

करदाता-व्यक्ति तथा संयुक्त हिन्दू-परिवार

[Individual and H. U. F.]

कर निर्धारण के लिए करदाताओं को निम्नलिखित भागों में बाँटा गया है।

- (१) व्यक्ति।
- (२) संयुक्त हिंदू परिवार।
- (३) फर्म।
- (४) अन्य व्यक्तियों के समुदाय।
- (५) कम्पनी।
- (६) स्थानीय सरकार।
- (८) अन्य कृत्रिम व्यक्ति (An artificial juridical person)

१ व्यक्ति (Individual)

व्यक्ति से तात्पर्य किसी भी व्यक्ति से होता है, चाहे वह स्त्री हो अथवा पुरुष। व्यक्ति पर कर उसके निजी नाम पर लगता है। व्यक्ति की स्थिति सस्याओं से भिन्न होती है और प्रायः सस्याओं के कर दे चुकने के बाद भी व्यक्ति पर कर

निर्धारण का कार्यवाही की जाती है। अनेक देशों में व्यक्ति को ही दान्तविक तथा अंतिम रूप में करदाता मानते हैं। सस्थाओं पर कर को एक प्रकार से उद्गम स्थान पर कर बसूली मान लिया जाता है क्योंकि अन्त में व्यक्ति के आय की अनुसार ही उसमें परिवर्तन किया जाता है। व्यक्ति को निम्नलिखित प्रकार की आय पर कर देना पड़ता है।

१. निजी आय—यदि व्यक्ति स्वयं कोई नौकरी, व्यापार, व्यवसाय अथवा अन्य कोई कार्य करता है तो इस साधन से होने वाली आय पर उसे कर देना पड़ेगा।

२. संयुक्त हिन्दू-परिवार की आय का भाग—यदि कोई करदाता किसी संयुक्त हिन्दू परिवार का सदस्य है तथा सदस्य के रूप में उसे कोई आय प्राप्त होती है तो ऐसी आय पर न तो कर लगता है और न उसे व्यक्ति की कुल आय में सम्मिलित किया जाता है, चाहे संयुक्त परिवार न उस पर कर दिया हो या न दिया हो। परन्तु यदि किसी सदस्य ने स्वयं कोई रोजगार या व्यवसाय किया हो तो उस पर व्यक्ति के रूप में उसे कर देना पड़ेगा।

३. रजिस्टर्ड फर्म की आय का भाग—यदि कोई व्यक्ति रजिस्टर्ड फर्म में साझेदार है तो फर्म से प्राप्त होने वाला लाभ उसकी आय में जोड़ दिया जावेगा। इसके बाद यदि फर्म ने स्वयं कर दिया है, उस कर में उसके हिस्से के बराबर छूट दी जायेगी। उदाहरणार्थ यदि कोई व्यक्ति किसी फर्म में एक चौथाई का हिस्सेदार है और फर्म ने ४०० रु० कर दिया है तो उसे चौथाई भाग अर्थात् १०० रु० के बराबर छूट मिलेगी। यदि फर्म ने कोई कर न दिया हो तो उसे इस प्रकार की कोई छूट नहीं मिलेगी। फर्म की व्यापारिक आय पर केवल आयकर की छूट मिलती है, अन्य आय पर अधिकार की भी छूट मिलती है।

४. बिना रजिस्ट्री की फर्म का भाग—यदि कोई व्यक्ति बिना रजिस्ट्री वाली फर्म का साझेदार है तथा फर्म ने उस पर कर दिया है तो फर्म के हिस्से की आय को उसकी कुल आय में जोड़ दिया जाता है, बाद में अपने हिस्से की कर पर उसे छूट दी जाती है। यदि फर्म ने कोई कर नहीं दिया है तो कोई छूट न मिलेगी।

५. अन्य संस्थाओं के लाभ का भाग—यदि व्यक्ति किसी अन्य संस्था अथवा संप्रदाय का सदस्य है तथा सदस्य के रूप में उसे कोई आय प्राप्त होती है तो उसे भी उसकी आय में जोड़ दिया जावेगा।

६ कम्पनी का लाभांश—यदि व्यक्ति किसी कम्पनी का अंशधारी है तथा इम रूप में उसे कोई लाभांश प्राप्त होता है तो उसे भी उसकी कुल आय में जोड़ दिया जाता है। यद्यपि पुरानी व्यवस्था को, जिसके अनुसार यह माना जाता था कि कम्पनी कर दाताओं के बदले कर देती है, समाप्त कर दिया गया है, फिर भी कम्पनी उद्गम स्थान पर ३०% की दर से कर काट लेती है। लाभांश को सम्पूर्ण बनाकर उसे कुल आय में जोड़ दिया जाता है, परन्तु काटे हुए कर के बराबर छूट वाद में दी जाती है।

७. अन्य व्यक्तियों की आय—निम्नलिखित दशाओं में अन्य व्यक्तियों की आय भी व्यक्ति की आय में जोड़ दी जाती है।

(१) यदि व्यक्ति ने किसी सम्पत्ति की आय को किसी अन्य व्यक्ति को सौंप दिया हो परन्तु स्वयं सम्पत्ति को अपने अधिकार में रक्खा हो, उस आय को उसकी निजी आय ही माना जावेगा। हस्तांतरण चाहे नए अधिनियम बनने से पहले हुआ हो या बाद में, इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता है। [६०]

(२) यदि सम्पत्ति का हस्तांतरण प्रत्यावर्तनशील (Revocable) हो जिसमें हस्तांतरण कर्ता को हस्तांतरण वापस लेने का अधिकार हो तो उसकी आय को हस्तांतरण कर्ता की आय माना जायेगा, चाहे वह उसे मिली हो या न मिली हो।

(३) यदि व्यक्ति तथा उसकी पत्नी किसी फर्म में साझीदार हो तो पत्नी की आय को पति की आय में जोड़ा जावेगा। [६४ (i)]

(४) यदि व्यक्ति तथा उसकी नाबालिग सतान एक ही फर्म में साझीदार हों तो नाबालिग का हिस्सा पिता की आय में जुड़ जावेगा। [६४ (ii)]

(५) यदि किसी व्यक्ति ने अपनी पत्नी के नाम कोई सम्पत्ति लिख दी है, उससे मिलने वाली आय को उसकी निजी आय माना जावेगा।

इसके दो अपवाद हैं।

(अ) यदि सम्पत्ति का हस्तांतरण उचित प्रतिफल के बदले किया गया है तो उसकी आय पत्नी की आय मानी जावेगी।

(ब) यदि सम्पत्ति इस शर्त पर हस्तांतरित की गई है कि पत्नी पति से अलग रहेगी तो भी उसकी आय पति की आय में नहीं जोड़ी जावेगी। [६४ (iii)]

(६) यदि सम्पत्ति किसी नाबालिग सतान के नाम हस्तांतरित की गई है तो उसकी आय भी हस्तांतरण कर्ता की आय मानी जावेगी।

इसके भी दो अपवाद हैं।

(अ) यदि सतान विवाहित पुरुषी है, तो आय हस्तांतरण कर्ता की आय में न जुड़ेगी।

(ब) यदि हस्तांतरण उचित प्रतिफल के बदले किया गया है तो भी उसे हस्तांतरणकर्ता की आय में न जोड़ा जावेगा। [६४(iv)]

(७) यदि कोई सम्पत्ति बिना उचित प्रतिफल (Consideration) के किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था को दी गई है तथा उसकी आय का कोई अंश प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से हस्तांतरण कर्ता की नाबालिग सतान अथवा पत्नी को प्राप्त होवा है, तो उनना अंश उसकी आय में जोड़ दिया जावेगा। नाबालिग सतान में विवाहित पुरुषों को सम्मिलित नहीं किया जाता। [६४(v)]

संयुक्त हिन्दू परिवार

आयकर विधान के अन्तर्गत संयुक्त हिन्दू परिवार के कर निर्धारण की विशेष व्यवस्था है। यद्यपि संयुक्त हिन्दू परिवार के सम्पत्ति सम्बन्धी नियमों का निर्धारण हिन्दू विधि (Hindu Law) के अनुसार होता है परन्तु आयकर विधान संयुक्त हिन्दू परिवार को दूसरे ही अर्थ में लेता है। आयकर के लिए संयुक्त हिन्दू परिवार में दो विशेषताओं का होना आवश्यक है।

१. सम्मिलित सम्पत्ति।

२. सहभागिता।

१. सम्मिलित सम्पत्ति (Common Property)

यह सम्पत्ति तीन प्रकार की हो सकती है।

१. पतृक सम्पत्ति—वह सम्पत्ति जो पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है।

२. पतृक सम्पत्तिद्वारा प्राप्त सम्पत्ति—वह सम्पत्ति जो पतृक सम्पत्ति की सहायता से खरीदी अथवा प्राप्त की गई है।

३. व्यक्तिगत सम्पत्ति—यदि संयुक्त हिन्दू परिवार का कोई सदस्य निजी काम द्वारा कोई सम्पत्ति अर्जित करता है अथवा उसे संयुक्त परिवार के साधनों के

अतिरिक्त अन्य साधनो से कोई सम्पत्ति प्राप्त होती है तो उसे व्यक्तिगत सम्पत्ति कहा जावेगा। यदि परिवार के किसी सदस्य ने सम्पत्ति अर्जित करने के लिए सयुक्त परिवार से ऋण लिया हो तो भी उसे व्यक्तिगत सम्पत्ति माना जावेगा। व्यक्तिगत सम्पत्ति को सयुक्त परिवार की सम्पत्ति तभी माना जा सकता है, जब लिखित रूप से उसका हस्तांतरण सयुक्त परिवार को कर दिया गया हो।

२ सहभागिता (Coparcenary)

परिवार में कम से कम दो व्यक्ति ऐसे होने चाहिए जो सम्पत्ति को बँटवाने के अधिकारी हो। यदि किसी परिवार में एक ही व्यक्ति हो तो उसका कर निर्धारण व्यक्ति के समान होगा, सयुक्त हिन्दू परिवार की भाँति नहीं, भले ही पहले वह सयुक्त परिवार रहा हो। पैतृक सम्पत्ति पर अधिकार के सम्बन्ध में भारत में दो प्रकार के नियम प्रचलित हैं।

(क) दाय भाग।

(ख) मिताक्षर।

दायभाग

यह नियम बंगाल में प्रचलित है। इसके अनुसार पुत्र को पैतृक सम्पत्ति में अधिकार पिता की मृत्यु के बाद ही प्राप्त होता है। अपने जीवनकाल में पिता स्वयं निजी सम्पत्ति तथा पैतृक सम्पत्ति दोनों पर पूर्ण अधिकार रखता है और इच्छानुसार उपयोग कर सकता है। इस प्रकार यदि किसी व्यक्ति ने कुछ पैतृक सम्पत्ति प्राप्त की है, परन्तु उसके भाई नहीं हैं तो अपने पुत्रों के होते हुए भी उन्हें सहभागी नहीं माना जावेगा और उस पर व्यक्तिगत रूप से कर लगेगा। परन्तु उस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् यदि उसके दो या अधिक पुत्र हैं तो वे सम्पत्ति के सहभागी माने जावेंगे और उसे सयुक्त हिन्दू परिवार माना जा सकेगा।

मिताक्षर

यह नियम भारत के अन्य स्थानों में प्रचलित है। इससे पुत्र को जन्म के साथ ही पैतृक सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस नियम के अन्तर्गत वह सम्पत्ति दो प्रकार की होती है। (१) वह सम्पत्ति जो पूर्वजों से प्राप्त हुई है (२) वह सम्पत्ति जो उसकी स्वयं अर्जित है। पहले प्रकार की सम्पत्ति पर उसके पुत्रों का जन्म से ही अधिकार हो जाता है। पिता को सम्पत्ति के प्रबन्धका

अधिकार तो होता है परन्तु उसे बेचने, रेहन करने अथवा अन्य प्रकार से बला करने का अधिकारी नहीं होता। इस प्रकार यदि किसी परिवार में एक ही पुरुष सदस्य है शेष लड़कियाँ या विधवाएँ हैं तो उसे संयुक्त परिवार नहीं माना जा सकता तथा उसका कर निर्धारण व्यक्ति के समान होगा।

संयुक्त हिन्दू परिवार का कर निर्धारण

(Assessment of H U F)

संयुक्त हिन्दू परिवार के कर निर्धारण के दो अंग हैं।

(१) संयुक्त हिन्दू परिवार का कर निर्धारण।

(२) सदस्यों का कर निर्धारण।

१ संयुक्त हिन्दू परिवार का कर निर्धारण

संयुक्त हिन्दू परिवार पर कर उसी प्रकार लगाया जाता है जैसे वह एक स्वतंत्र व्यक्ति हो। उस पर आयकर तथा अधिकार दोनों ही स्वतंत्र रूप से लगते हैं। कर को अदा करने का भार परिवार के प्रबन्धक अथवा कर्ता पर होता है।

संयुक्त हिन्दू परिवार को कर सम्बन्धी निम्नलिखित सुविधाएँ प्राप्त होती हैं।

(१) यदि परिवार की आय ६००० रु० तक है तो उस पर कोई कर न पड़ेगा परन्तु गत वर्ष में निम्नलिखित दो शर्तों में किसी एक का पूरा होना आवश्यक है।

(क) उसके कम से कम दो वयस्क सदस्य हों जो सम्पत्ति विभाजन कराने के अधिकारी हों।

(ख) दो सदस्य हों जो विभाजन कराने के अधिकारी हों परन्तु एव दूसरे के वशधर न हों (जैसे पिता पुत्र) अथवा एक ही व्यक्ति के वशधर न हों।

(२) यदि संयुक्त परिवार की आय २०,००० रु० से कम है तो उस पर विवाहित व्यक्ति के समान ही कर लगगा। यदि परिवार में एक भी ताबालिग सहभागी नहीं है तथा ऊपर भाग (१) में वर्णित शर्तों में एक भी पूरी नहीं होती तो

करमुक्त आय की सीमा ३००० रु० होगी, यदि एक नावालिग सहभागी है तो ३३०० रु० यदि दो या अधिक नावालिग सहभागी है तो ३६०० रु० होगी ।

(३) यदि सयुक्त परिवार कोई व्यापार करता है तो वह किसी सदस्य को वेतन दे सकता है । परन्तु उसे दिखलाना पड़ेगा कि वेतन उचित तथा आवश्यक है और सदस्य ने उसके बदले अपनी सेवाएँ अर्पित की है । कर्ता को किसी प्रकार का वेतन नहीं दिया जा सकता है ।

(४) सयुक्त परिवार में बीमे की छूट तथा सच्यो डिपॉजिट (Post office Cumulative deposits) में खपया जमा करने पर छूट की सीमा व्यक्ति की अपेक्षा दूनी है । दोनों को मिलाकर यह सीमा कुल आय के $1/4$ अथवा २०,००० (जो भी कम हो) कर दी गई है । बीमे के लिए किसी भी पुरुष सदस्य अथवा उसकी पत्नी का बीमा कराया जा सकता है ।

२ सयुक्त परिवार के सदस्य का कर निर्धारण

यदि सयुक्त परिवार का कोई सदस्य अपना निजी व्यापार अथवा व्यवसाय करता है अथवा उसकी कोई निजी सम्पत्ति है तो उस पर उसे व्यक्ति के समान ही करदेना पड़ेगा । इस सम्बन्ध में मुख्य मुख्य नियम इस प्रकार है ।

(१) यदि किसी व्यक्ति को सयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य के रूप में कोई आय प्राप्त हुई है तो वह आय पूर्णतया कर मुक्त रहेगी । न तो वह उसकी कुल आय में जोड़ी जायेगी न उस पर कोई कर लगेगा । यदि सयुक्त परिवार ने स्वयं कर न दिया हो तो भी कोई अन्तर नहीं पड़ेगा ।

(२) यदि कोई सयुक्त हिन्दू परिवार का सदस्य अपनी व्यक्तिगत हैसियत से कोई व्यापार करता है तो इस व्यापार का लाभ उसकी व्यक्तिगत सम्पत्ति माना जावेगा । भले ही उसने सयुक्त हिन्दू परिवार के लिए धन लिया हो ।

(Sur Padampat Singhania Vs CJI, 1953)

(३) यदि कोई अविभाज्य सम्पत्ति है जैसे प्रतिभूतियाँ, मकान भूमि इत्यादि तो जिस व्यक्ति के अधिकार में वे होंगी उसकी सम्पत्ति मानी जायेगी । तथा उनसे होने वाली आय उनकी व्यक्तिगत सम्पत्ति मानी जायेगी । परन्तु यदि उस सम्पत्ति की आय से किसी सदस्य को कोई गुजारे की रकम देनी पड़े तो उसे सम्पत्ति की आय से घटा दिया जावेगा ।

(४) यदि किसी सयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता परिवार के बदले किसी फर्म का साझेदार बनता है अथवा किसी कम्पनी का मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजिंग एजेंट बनता है तो उसकी आय परिवार की आय मानी जावेगी। परन्तु यदि वह निजी हैसियत से ऐसा करता है तो वह उसकी व्यक्तिगत आय समझी जायेगी। कोई व्यक्ति सयुक्त हिन्दू परिवार की ओर से सदस्य बना है इसकी मुख्य पहिचान यह है कि उसने स्वयं सयुक्त परिवार से लिया हो। परन्तु यदि अन्य कोई सदस्य मैनेजिंग डायरेक्टर हो तो उसका कमीशन उसकी निजी आय माना जायेगा।

(५) यदि किसी सयुक्त परिवार के सदस्य फर्म के रूप में काम करते हैं तो उसे फर्म ही माना जायेगा और उसी के अनुसार कर लगेगा।

(६) मिताक्षर नियम के अन्तर्गत यदि किसी सयुक्त हिन्दू परिवार के कर्ता ने कोई सम्पत्ति अपनी पत्नी को उपहार में दे दी है तो उसे सयुक्त परिवार की सम्पत्ति नहीं माना जावेगा और पत्नी को व्यक्तिगत रूप से उस पर कर देना पड़ेगा।

संयुक्त हिन्दू परिवार का विभाजन

(Division of Hindu Undivided Family)

संयुक्त हिन्दू परिवार का विभाजन दो प्रकार का होता है।

- १ पूर्ण विभाजन
- २ आंशिक विभाजन

१ पूर्ण विभाजन (Partition)

परिवार का पूर्ण विभाजन निम्नलिखित दशाओं में माना जावेगा।

(१) यदि सम्पत्ति का भौतिक विभाजन (Physical division) हो सकता है तो भौतिक विभाजन होना चाहिये। यदि सम्पत्ति को विभाजित न करके केवल आय का विभाजन किया गया है तो उसे विभाजन नहीं माना जावेगा।

(२) यदि सम्पत्ति का भौतिक विभाजन सम्भव नहीं है तो जिस प्रकार का भी विभाजन सम्भव है वह किया गया हो। परन्तु यदि केवल स्थिति (Status) में परिवर्तन किया गया है तो उसे विभाजन नहीं माना जावेगा।

२. आंशिक विभाजन (Partial Partition)

आंशिक विभाजन दो प्रकार का हो सकता है ।

(१) आंशिक रूप से सम्पत्ति विभाजित कर दी गई हो परन्तु कुछ भाग अब भी सम्मिलित परिवार में हो ।

(२) कुछ सदस्यों को उनका हिस्सा बांट दिया गया हो, परन्तु शेष सदस्य अब भी सयुक्त परिवार के सदस्य हो ।

३. विभाजन का निर्धारण (Determination of Partition)

आयकर के लिये केवल विभाजन ही पर्याप्त नहीं है, आयकर अधिकारियों द्वारा उसकी स्वीकृति भी आवश्यक है । यदि कर निर्धारण के समय कोई करदाता इस बात की सूचना देता है कि उसका विभाजन हो गया है तो इनकम टैक्स ऑफिस उसकी स्वयं जांच करता है, तथा उसके फलस्वरूप पूर्ण अथवा आंशिक जो भी विभाजन हुआ हो उसे दर्ज करता है । यदि उसे पता चले कि विभाजन नहीं हुआ है तो उसका कर निर्धारण सयुक्त परिवार के रूप में ही किया जावेगा । यदि पूर्ण अथवा आंशिक विभाजन हुआ मान लिया जाय तो उसका कर निर्धारण उसी के अनुरूप किया जावेगा ।

यदि विभाजन वर्ष के बीच में हुआ हो तो आयकर अधिकारियों को विभाजन की तारीख भी नोट कर देना चाहिये । उसके पहले कर सयुक्त परिवार के रूप में लगता है परन्तु बाद में व्यक्तिगत रूप से । परन्तु समस्त सहभागी कर की रकम के लिये सम्मिलित तथा पृथक् रूप से उत्तरदायी होने हैं । सहभागियों का प्रत्येक दायित्व सयुक्त परिवार में उनके हिस्से के अनुसार निर्धारित किया जाता है । कर की वसूली के सम्बन्ध में जो नियम लागू होने हैं वही नियम जुमाने, व्याज, तथा अन्य वसूल की जाने वाली रकमों के सम्बन्ध में भी लागू होंगे ।

कर की दरें

(Rates of Tax)

सन् १९६५ के फाइनेंस एक्ट के अनुसार व्यक्ति तथा सयुक्त परिवार के लिये कर की दरें इस प्रकार हैं ।

(१) विवाहित व्यक्तियों तथा संयुक्त हिन्दू परिवार जिसकी आय २०,००० रु० से अधिक नहीं है।

यदि व्यक्ति के सतान नहीं है, या संयुक्त परिवार के नाबालिग सह-भागी न हो।	यदि व्यक्ति के १ सतान हो अथवा संयुक्त परिवार में १ नाबालिग सह-भागी हो।	यदि व्यक्ति के २ या अधिक सताने हैं अथवा संयुक्त परिवार में २ या अधिक नाबालिग सह-भागी हैं।	दर
प्रथम ३००० पर	३३००	३६००	कुछ नहीं
अगले २००० ,,	१७००	१४००	३%
२५०० ,,	२५००	२५००	७%
२५०० ,,	२५००	२५००	१०%
२५०० ,,	२५००	२५००	१२%
२५०० ,,	२५००	२५००	१५%
२५०० ,,	२५००	२५००	२०%
२५०० ,,	२,००	२५००	२३%

(२) अविवाहित व्यक्तियों तथा संयुक्त हिन्दू परिवार जिसकी आय २०,००० रु० से अधिक है।

प्रथम १०००	रु०	पर	कुछ नहीं
अगले ४०००	"	"	३%
" २५००	"	"	७%
" २५००	"	"	१०%
" २५००	"	"	१२%
" २५००	"	"	१५%
" २५००	"	"	२०%
" २५००	"	"	२३%
बाकी रकम पर			२५%

SUMMARY

Individual

1. Incomes included in his total income

- (1) Own income.
- (2) Share of profit from registered firm
- (3) Share of profit from unregistered firm
- (4) Share of profit from other Association of persons
- (5) Incomes of other people included
 - (i) Income of assets not transferred even though income itself may be transferred
 - (ii) *Income of assets given under revocable transfer.*
 - (iii) Share of profit of wife from a firm in which husband is also partner
 - (iv) Share of profit of minor children from the firm in which father is also a partner.
 - (v) Income from asset transferred to his wife

Exceptions —

 - (a) made for due consideration or
 - (b) made on consideration for living separately.
 - (vi) Income from asset transferred to minor children

Exceptions—

 - (a) given to married daughter
 - (b) transferred for due consideration
 - (vii) Income from property transferred to any other person or institution without consideration equal to the benefit derived by his wife or minor children.

H U F

1 Conditions for H U F

- (1) Joint property.
- (ii) *Coparcenary*

2. H U. F is assessed as an individual with following exceptions—

- (1) Exempted limit is Rs. 6,000

- (ii) Limit of rebate for Life insurance premium and Deposits in Cumulative Savings Deposits are double of those allowed for individual. It is $\frac{1}{4}$ of total income or Rs 20,000 in case of H U F.
- (iii) Salary to karta is not allowed, but to others it is allowed provided they have rendered due service.
- 3 Income from property held separately or business conducted separately by any member of H U F will be taxable as his personal income.
- 4 Share of income from H U F in the hands of a member is totally free from tax.
- 5 Income from an impartible estate is taxable in the hands of the owner.
- 6 A, H U F may be divided totally or partially. The division whether total or partial will be established only when enquiry has been made by the I T O and his findings recorded to that effect.

Practical Illustrations

Illustration 1

Mr X has submitted the following accounts of his income for the year ending 31st March, 1962

- 1 He is a grain merchant and the net profit from his business after deducting interest on capital Rs 1,000 and salary to his son Rs 1,200 is Rs 1,600.
- 2 He is also a partner in a registered firm holding $\frac{1}{3}$ share. His share of profit for the year is Rs 4,000. The firm paid no income tax upon it.
- 3 He is a member of a H U F, which owns several houses. His share of rent after deducting usual charges is Rs 1,200.
- 4 He has paid Rs 1,000 as insurance premium on his own life.

What will be his taxable income?

Solution

Statement of the total income of X for the year ending 31st March, 1962

1	Profit from business—		
	(1) Own business		
	Profit as per P & L A/c	16,000	
	Add—		
	Int on capital	1,000	
	Salary to his son	1,200	18,200
		<hr/>	
	(2) Share from Regd firm		4,000
			<hr/>
		Total taxable income	22,200
			<hr/>

Rebate

Insurance premium 1,000

Note—Income from H U F is not included in the total income

Illustration 2

From the following statement of the income of A, calculate his taxable income for the year ending 31st Dec 1961

- 1 Profit from his own business Rs 17,000
- 2 Dividend (gross) Rs 2,000
- 3 He is a partner of registered firm with $\frac{1}{4}$ share, to which his wife is also a partner with $\frac{1}{2}$ share His share of profit was Rs 8,000, while that of his wife was Rs 4,000 The firm paid Rs 350 as tax
- 4 He also owns a house Municipal valuation Rs 6,000, which he has transferred equally among his son and two daughters all of them minors One of the daughters was married last year

Solution

Statement of the income of A for the year ending 31st Dec, 1961

1	Income from property—		Rs
	Municipal valuation	6 000	
	Less $\frac{1}{3}$ for repairs	1,000	
		<hr/>	
		5,000	
		<hr/>	
	2/3 share of above		3,333

2	Profit from business—		
1	Own business	17 000	
2	Share (his own) from registered firm	8 000	
3	Share of his wife	4,000	29 000
		<u> </u>	
3	Income from other sources		
1	Dividend (gross)		2 000
			<u> </u>
	Total taxable income		34,333
			<u> </u>

- Rebate—

$$\left(350 \times \frac{3}{8} \right) = \text{Rs } 131, \text{ being}$$

the share of his wife and his own

Illustration 3

Ganesh Prasad, his brother and two major sons of Ganesh Prasad are members of a Hindu Undivided family. They submitted the account for the year ending 31st March 1962 as under

- 1 Profit from joint family business Rs 48000 after deducting the following expenses
Rs 12000 paid as salary to Ganesh Prasad for managing business and another Rs 2400 to his brother for working as accountant
- 2 The family owns three houses rental values 600, 4000 and 8000 respectively. The first house is occupied by joint family
- 3 The lives of the two sons of Ganesh Prasad are insured and the premium paid is Rs 12000
- 4 The family also owns shares jointly. Dividend declared upon them was Rs 1600

Solution

1	Profits from business		
	Profit as per Profit and Loss A/c	48,000	
	Add—		
	Salary paid to Karta	12,000	60,000
		<u> </u>	

2	Income from house property		
	Annual value—		
	First house—(6,000 × $\frac{1}{2}$)	3000	
	Second house	4000	
	Third house	8000	
		15,000	
	Less $\frac{1}{8}$ for repairs	2,500	12,500
3	Income from other sources		
	Dividend		1,600
			1,600
	Total taxable income		74,100

Rebate

Life insurance premium

(being less than $\frac{1}{4}$ of total
income and Rs 16,000)

Rs 12000

Note —Salary paid to Karta is not allowed, but it is permissible in case of other members provided they have worked

Illustration 4

Following persons are members of a Hindu family

- 1 Ram Prasad (Head of the family and Karta)
- 2 Gopi Nath (Ram Prasad's brother)
- 3 Ganga Prasad (Ram Prasad's son, major)
- 4 Shyama (Gopi Nath's daughter—unmarried)

The details of the income are as follows

- 1 The family has a grain business which showed a profit of Rs 36 000 after paying Rs 6000 to Ram Prasad as his salary and Rs 4000 to Gopi Nath
- 2 The family holds jointly controlling shares in Public Ltd, Company and Gopi Nath is its managing director. He is paid Rs 8000 as commission. Gross dividend received by the family on shares is Rs 2000

3. The family owns a house, rental value 3000 per year which was transferred to Shyama without consideration.
4. Gopi Nath is doing a separate business, the profit from which is Rs 500⁰. He had borrowed money from the joint family to start the business.

What will be the taxable income of the family

Solution

1	Profit from business—		
	Profit as per Profit and Loss Account	36000	
	Add—		
	Salary paid to Karta	6000	42000

2	Income from house property		
	Annual value	3000	
	Less $\frac{1}{2}$ for repairs	500	2500

3	Income from other sources		
	Dividend—		2000
	Total taxable income		46,500

- Note —1. Managing agency commission received by Gopi Nath will be treated as his personal income because it is earned by him through services rendered. It is immaterial that the post has been given to him because of the controlling shares in the hands of the joint family.
2. Income from separate business of Gopi Nath will be treated as his personal income irrespective of the fact that he borrowed money from the family.
 3. Transfer of house to unmarried daughter without due consideration is not recognised and the same has been taken as the income of the family.

करदाता- साझेदारी फर्म तथा समुदाय

[Partnership Firms and Associations]

परिभाषा

आयकर अधिनियम की धारा २ (२३) में फर्म, साझेदार तथा साझेदारी की वही परिभाषा रखी गई है जो साझेदारी अधिनियम १९३२ में दी गई है, आयकर के लिए नाबालिग को भी साझेदार माना गया है। साझेदारी अधिनियम में साझेदारी की परिभाषा इस प्रकार दी गई है।

‘साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच के सम्बन्ध को कहते हैं, जिन्होंने ऐसे व्यापार का लाभ बांटने का समझौता किया है जिसका संचालन समस्त व्यक्तियों द्वारा अथवा सबके बटने किसी एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है। व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक को साझेदार तथा सम्मिलित रूप से उन्हें फर्म कहा जायेगा।’
(धारा ४)

साझेदारी में इस प्रकार निम्नलिखित लक्षण होते हैं।

- (१) इसमें दो या अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है।
- (२) फर्म कोई व्यापार करती हो तथा सभी साझेदार लाभ में भाग बँटाते हो।

(३) यह कोई आवश्यक नहीं है कि सभी साझेदार सक्रिय रूप से व्यापार में भाग लेते हों, कोई एक व्यक्ति सबके बदले काम की देखरेख कर सकता है।

(४) साझेदारी पति तथा पत्नी के बीच में हो सकती है। यदि पति को फर्म के मामलों में पूरा अधिकार हो तो भी फर्म माने जाने में कोई अपत्ति नहीं होगी।

(५) साझेदारी में नाबालिग को साझेदारी का लाभ तो मिल सकता है परन्तु उसे साझेदार नहीं माना जाता। आयकर के दृष्टिकोण से बालिग तथा नाबालिग में इस प्रकार का अन्तर नहीं किया जाता।

फर्म की रजिस्ट्री

फर्म की रजिस्ट्री की विधि आयकर में साझेदारी से भिन्न है। संक्षेप में उसकी विधि निम्नलिखित है।

१. रजिस्ट्री का प्रार्थना पत्र [१८४]

रजिस्ट्री के लिए सबसे पहिले इनकमटैक्स आफिसर के पास एक प्रार्थना पत्र देना पड़ता है। रजिस्ट्री के लिए आवश्यक है कि साझेदारी का सविदा हो तथा प्रत्येक साझेदार के हिस्से का स्पष्ट उल्लेख हो। प्रार्थनापत्र फर्म के जीवन काल में अथवा उसके भंग हो जाने के बाद भी दिया जा सकता है। अन्य आवश्यकतायें इस प्रकार हैं।

(१) प्रार्थनापत्र आयकर अधिकारी को, जिसे फर्म का कर निर्धारण करना हो दिया जाता है।

(२) प्रार्थनापत्र पर सभी बालिग साझेदारों के हस्ताक्षर हो। यदि फर्म भंग हो चुकने के बाद प्रार्थना पत्र दिया जाय तो सभी साझेदार जो फर्म भंग होने के समय साझेदार थे हस्ताक्षर करेंगे। यदि किसी साझेदार की मृत्यु हो चुकी हो तो उसका कानूनी प्रतिनिधि हस्ताक्षर करेगा। यदि कोई व्यक्ति भारत से बाहर हो अथवा पागल, या मूर्ख हो तो प्रार्थनापत्र पर उसके बदले उसके प्रतिनिधि के हस्ताक्षर दिए जा सकते हैं।

(३) प्रार्थनापत्र गतवर्ष की समाप्ति के पहले देना चाहिए, परन्तु आयकर अधिकारी को उचित कारण होने पर इसके बाद भी प्रार्थनापत्र स्वीकार करने का अधिकार है।

(४) प्रार्थनापत्र के साथ साक्षीदारी का प्रसविदा तथा उसकी एक प्रतिलिपि भी होनी चाहिए। यदि आयकर अधिकारी इस बात से सतुष्ट हो कि असली सविदा पेश नहीं किया जा सकता है तो वह उसकी प्रतिलिपि स्वीकार कर सकता है, परन्तु इसकी शर्त यह है कि उस पर सभी वालिग साक्षीदारों के हस्ताक्षर हो।

(५) प्रार्थनापत्र एक छपे हुए फर्म पर दिया जाता है, जिसे भर कर भेजना पड़ता है।

(६) पहले प्रार्थनापत्र प्रतिश्रुति देना पड़ता था परन्तु अब एकबार स्वीकृत रजिस्ट्री अगले वर्षों में भी चालू रहेगी। इसकी दो शर्तें हैं।

(क) फर्म के सविधान तथा साक्षीदारों के हिस्सों में कोई परिवर्तन न हुआ हो।

(ख) फर्म आय के विवरण के साथ-साथ इस बात का घोषणा पत्र भेजे, कि फर्म के सविधान तथा साक्षीदारों के हिस्से में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

यदि इस प्रकार का परिवर्तन हो गया है तो फर्म को रजिस्ट्री के लिए फिर से प्रार्थनापत्र देना होगा।

२ प्रार्थनापत्र के पश्चात् [१८५]

प्रार्थनापत्र की जांच तथा रजिस्ट्री करने के सम्बन्ध में नियम इन प्रकार हैं।

(१) आयकर अधिकारी प्रार्थनापत्र के आधार पर उसमें लिखित तथ्यों की सत्यता की जांच करेगा। यदि उसे विश्वास हो जाय कि तथ्य सही हैं तो वह रजिस्ट्री का प्रमाणपत्र दे सकता है। परन्तु यदि वह सन्तुष्ट न हो तो प्रार्थनापत्र अस्वीकृत कर सकता है।

(२) आयकर अधिकारी केवल इस आधार पर प्रार्थनापत्र अस्वीकृत नहीं कर सकता कि वह सही रूप में नहीं है। उसे करदाना को इन बातों का मौखिक देना चाहिए कि वह एक महीने के अन्दर गलतियाँ सुधार दे।

३. रजिस्ट्री की समाप्ति (Cancellation of registration) [१८६]

यदि आयकर अधिकारी को इस बात का विश्वास हो जाय कि गत वर्ष में फर्म का अस्तित्व नहीं था अथवा फर्म द्वारा भेजे हुए तथ्य असत्य हैं तो वह

रजिस्ट्री को रद्द कर सकता है। इसके लिए निम्नलिखित शर्तों का पूरा होना आवश्यक है।

(१) फर्म को अपनी बात स्पष्ट करने का पूरा मौका दिया जाय।

(२) इन्सपेक्टिंग असिस्टेंट कमिश्नर से रजिस्ट्री रद्द करने की आज्ञा ले ली जाय।

(३) रजिस्ट्री के बाद यदि ८ साल हो चुके हो तो उसे रद्द नहीं किया जा सकता।

(४) यदि पुराना रजिस्ट्रेशन चालू हो तथा आयकर अधिकारी उसे रद्द करना चाहता है तो करदाता को १४ दिन का नोटिस देकर ऐसा कर सकता है।

फर्म के सविधान में परिवर्तन [१८७]

फर्म के सविधान में परिवर्तन निम्नलिखित दशाओं में माना जावेगा।

(१) यदि कोई साझीदार फर्म से अलग हो जाय या नया साझीदार सम्मिलित कर लिया जाय।

(२) यदि किसी एक या अधिक साझीदारों के हिस्से में परिवर्तन कर दिया जाय।

यदि कर निर्धारण के समय इस बात का पता लग जाय कि फर्म के सविधान में परिवर्तन हो गया है तो कर निर्धारण उसी आधार पर किया जावेगा जिस आधार पर फर्म का संगठन कर निर्धारण के समय था। इसका मुख्य प्रभाव दो बातों पर पड़ता है।

(१) प्रत्येक साझीदार के लाभ का हिस्सा निर्धारित करने में।

(२) यदि किसी साझीदार से कर न वसूल हीं सके तो फर्म से कर वसूल करने में।

फर्म का उत्तराधिकार [१८८]

यदि एक फर्म का उत्तराधिकार किसी दूसरी फर्म को प्राप्त हो जाय तो उस वर्ष दो बार निर्धारण होंगे। एक तो समाप्त होने वाली फर्म पर और दूसरा उत्तराधिकारी फर्म पर। कर निर्धारण की विधि निम्नलिखित है।

(१) उत्तराधिकार की तारीख तक की आय पर कर पूर्वाधिकारी को कर देना पड़ेगा। उसके बाद उत्तराधिकारी को।

(२) यदि पूर्वाधिकारी का पता न लग सके तो उत्तराधिकारी को पूरे वर्ष का कर देना पड़ेगा।

(३) यदि पूर्वाधिकारी पर गत वर्ष अथवा उसके पहले वर्ष की कुछ कर की रकम बाकी हो तो उसे उत्तराधिकारी से वसूल किया जा सकता है।

फर्म भंग होना अथवा व्यापार की समाप्ति [१८९]

यदि कोई फर्म भंग हो जाय अथवा उसका व्यापार समाप्त हो जाय तो उस पर आय कर यह समझ कर लगाया जावेगा जैसे फर्म भंग न हुई हो। तथा अधिनियम की समस्त व्यवस्थायें और जुमाने उसी प्रकार से लागू होंगी।

प्रत्येक व्यक्ति जो फर्म के भंग होने के समय साझेदार या कर की रकम अथवा जुमाने के लिए व्यक्तिगत रूप से तथा सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। यदि इस बीच में किसी साझेदार की मृत्यु हो गई हो तो उसका कानूनी प्रतिनिधि उसके लिए उत्तरदायी होगा। परन्तु कानूनी प्रतिनिधि उसी सीमा तक उत्तरदायी ठहराया जावेगा जिस सीमा तक रकम उसकी (मृत्युव्यक्ति) सम्पत्ति से वसूल की जा सकती है। उसे अपनी निजी सम्पत्ति से कर की रकम नहीं देनी पड़ेगी।

यदि फर्म के भंग होने से पहले कर निर्धारण का कार्य आरम्भ कर दिया गया है तो फर्म के भंग हो जाने पर भी वह उसी प्रकार चालू रहेगा, जैसे फर्म भंग न हुई हो तथा समस्त साझेदार उसके लिए उत्तरदायी होंगे।

फर्म पर कर निर्धारण

फर्म प्रायः व्यापार का काम करती है अतएव उसकी कर देय आय का निर्धारण विद्यमान अध्यायों में बतलाए हुए नियमों के अनुसार ही होता है। फर्म के सम्बन्ध में कुछ विशिष्ट बातें इस प्रकार हैं।

१. निम्नलिखित व्यय अमान्य समझे जाते हैं।

(१) साझेदारों को दिया हुआ वेतन, कमीशन, बोनस अथवा अन्य कोई पारिश्रमिक।

(२) साझेदारों की पूँजी पर व्याज ।

(३) साझेदारों द्वारा फर्म को दिये गये ऋण पर व्याज ।

२ यदि किसी साझेदार ने फर्म को कोई व्याज दिया हो तो उसे फर्म की आय में जोड़ा जा सकता है ।

३ फर्म की आय को ५ विभिन्न साधनों में उसी प्रकार बाँटा जाता है जिस प्रकार व्यक्ति की आय को । फर्म की जो आय जिस साधन के अन्तर्गत मानी गई है, साझेदार के व्यक्तिगत कर निर्धारण में वह उसी मद में रक्खी जायेगी । उदाहरणार्थ फर्म कर प्रतिभूतियों पर व्याज से होने वाली आय, साझेदार के लिये भी प्रतिभूतियों पर व्याज के अन्तर्गत रक्खी जावेगी ।

कर निर्धारण के लिए फर्मों को २ भागों में बाँटा जा सकता है ।

(१) बिना रजिस्ट्री की फर्म ।

(२) रजिस्ट्री शुदा फर्म ।

बिना रजिस्ट्री की फर्म (Unregistered Firm)

बिना रजिस्ट्री की फर्म पर कर निर्धारण के सम्बन्ध में मुख्य नियम निम्नलिखित हैं ।

१. फर्म को अपनी आय पर स्वयं कर देना पड़ेगा । इस प्रकार फर्म पर कर व्यक्ति के समान लगता है ।

२. यदि फर्म को कोई हानि हो तो साझेदार उसे व्यक्तिगत आय में अपलिखित नहीं कर सकते, परन्तु फर्म स्वयं अपनी हानि को आगे ले जा सकती और अपनी अगले वर्षों की आय से अपलिखित कर सकती है ।

३. साझेदारों के कर निर्धारण के समय फर्म का लाभ उनकी कुल आय में कर निर्धारण के लिए जुड़ जाता है, परन्तु बाद में उस पर छूट मिल जाती है । वे फर्म की हानि को अपने लाभ में नहीं घटा सकते ।

४. यदि फर्म की आय कर देय सीमा से कम है और इसलिए उसने स्वयं कर न दिया हो, तो साझेदार को उस पर छूट (rebate) नहीं मिलेगी ।

रजिस्टर्ड फर्म (Registered Firm)

१. रजिस्ट्री शुदा फर्म पर दो प्रकार का कर लगता है । एक तो फर्म को

स्वयं कर देना पड़ता और दूसरे साझेदारों को। कर देय वर्ष १९५५ तक फर्म को स्वयं कर नहीं देना पड़ता था। हानि अथवा लाभ साझेदारों में बाँट दिया जाता था और उन्हीं पर कर लगाया जाता था १९५६ से ४०,००० रु० से अधिक आय होने पर फर्म को स्वयं कर देना पड़ता था। फाइनेंस एक्ट १९६२ से कर मुक्त सीमा ४०,००० रु० से घटाकर २५,००० कर दी गई है।

२. यदि फर्म को कोई हानि हो तो साझेदार उसे अपनी व्यक्तिगत आय से अपलिखित कर सकते हैं।

३. साझेदारों का लाभ अथवा हानि उनको आय में जोड़ दिया जाता है और इस प्रकार शुद्ध हानि अथवा लाभ पर कर देना पड़ता है। परन्तु यदि फर्म ने कोई कर दे दिया है तो साझेदार को अपने हिस्से के अनुसार छूट मिल जाती है।

४. यदि फर्म का कोई साझेदार विदेशी है तो उसके हिस्से का कर निर्धारण कर लिया जाता है तथा फर्म को स्वयं वह कर जमा करना पड़ता है।

५. यदि कोई साझेदार कर न दे सके तो फर्म को उसके हिस्से का कर देना पड़ेगा अतएव फर्म को लाभ का ३० प्रतिशत तक अपने पास रोक रखना चाहिए। फर्म का दायित्व अधिक से अधिक ३० प्रतिशत तक ही हो सकता है।

यदि आयकर अधिकारी को यकीन हो कि किसी बिना रजिस्ट्री की फर्म को यदि रजिस्ट्री शुदा मान लिया जाय तो उसमें कर अधिक वसूल होगा तो वह बिना रजिस्ट्री की फर्म को रजिस्ट्री शुदा मान कर उसी के अनुसार कर निर्धारण कर सकता है। [१८३ (b)]

साझेदारों की सख्या

फाइनेंस एक्ट १९६२ में फर्मों को दो भागों में बाँटा गया है।

(१) वे फर्म जिनमें साझेदारों की सख्या ५ से कम है।

(२) वे फर्म जिनमें साझेदारों की सख्या ५ या अधिक है। दोनों के लिये कर की दरें इस प्रकार हैं।

	चार या कम साझेदारों में	कुछ नहीं	५ या अधिक साझेदारों में	कुछ नहीं
प्रथम	२५०००	रु० तक	कुछ नहीं	कुछ नहीं
„	१५०००	„ पर	५%	७%
„	२०,०००	„ „	६%	८%
„	४०,०००	„ „	७%	९%
„	५०,०००	„ „	८%	१०%
बाकी रकम पर			१०%	१२%

साझेदार का हिस्सा (Share of the Partner)

किसी फर्म में साझेदार का हिस्सा तथा उस पर कर निर्धारण की विधि इस प्रकार है ।

(१) पहले साझेदारों को मिलने वाला वेतन, कमीशन, पूजा पर व्याज अथवा अन्य कोई पारिश्रमिक उसकी आय में जोड़ दिया जाता है ।

(२) इसके बाद यदि फर्म को कोई लाभ हुआ है तो उसे समस्त साझेदारों में बाँट दिया जावेगा ।

(३) यदि फर्म को कोई हानि हुई है तो वह इस प्रकार दिये हुये धन में से घटा दी जायेगी और इस प्रकार उसकी शुद्ध हानि या लाभ का पता लग जायेगा ।

(४) यदि साझेदार ने फर्म में पूजा लगाने के लिए कोई रकम उधार ली है तथा उसे उस पर व्याज देना पड़ा है तो व्याज की रकम उसकी फर्म की आय में घटाई जा सकती है ।

(५) यदि साझेदार रजिस्टर्ड फर्म का साझेदार है तो वह फर्म की हानि को अपनी अन्य साधनों से होने वाली आय से अपलिखित कर सकता है । यदि वह बिना रजिस्ट्री की फर्म का साझेदार है तो वह ऐसा नहीं कर सकता ।

(६) रजिस्टर्ड फर्म के साझेदार को आधकर के अलावा अधिकार की भी छूट मिलती है परन्तु यह छूट व्यापारिक लाभ पर नहीं प्राप्त होती । यदि फर्म को व्यापारिक लाभ के अलावा अन्य कोई आय प्राप्त हुई हो तो उतने हिस्से पर साझेदारों को अधिकार की छूट मिलेगी ।

व्यक्तियों के समुदाय (Association of Persons)

आयकर विधान में कही भी व्यक्तियों के समुदाय की परिभाषा नहीं दी गई है अतएव इसके लिये उसके शाब्दिक अर्थ तथा विभिन्न निर्णयों का सहारा लेना पड़ता है । जब दो या अधिक लोगों का योग किसी आय के उपार्जन में होता है तो उसे समुदाय कहेंगे । समुदाय तथा फर्म का अंतर समझना आवश्यक है । फर्म की स्थापना प्रसविदे द्वारा होती है, उनका मुख्य उद्देश्य व्यापार होता है, उसकी समस्त व्यवस्थाएँ साझेदारी कानून के हिसाब से नियंत्रित होती हैं । समुदाय की स्थापना तात्कालिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी हो सकती है । उस पर साझेदारी कानून नहीं लागू होता है और न उसकी रजिस्ट्री आयकर विधान के अन्तर्गत हो सकती है ।

समुदाय के कुछ उदाहरण निम्नलिखित है।

(१) यदि दो या अधिक व्यक्ति सम्मिलित सम्पत्ति को नय करें।

(२) यदि किसी मुसलमान की सम्पत्ति को उसके वारिस एक साथ रखे और साथ साथ आय वसूल कर।

समुदाय पर कर व्यक्ति अथवा विना रजिस्ट्री की फर्म के अनुसार ही लगता है। अतएव आयकर के दृष्टिकोण से किसी सस्था के समुदाय व्यक्ति अथवा विना रजिस्ट्री की फर्म माने जाने में कोई अंतर नहीं पड़ता।

Illustration 1

A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of $\frac{3}{4}$ and $\frac{1}{4}$. During the year ending 31st March 1962 the firm showed a profit of Rs 40 000 after charging the following items

	A	B
Salary	2000	2000
Interest on capital	1000	200
Commission	1500	500

A had an income of Rs 10 000 from house property while B had loss of Rs 6000 from another business. Show the taxable income of the firm and the partners when (a) the firm is registered and (b) when it is not registered.

Solution

Taxable income of the firm

		Rs
Profit as per Profit and Loss Account		40,000
Add Expenses not allowed		
Partners Salary	4000	
Interest on capital	3000	
Commission to partners	2000	9000
		<u>49,000</u>

If registered, the firm will pay tax on 49000 - 25000 = Rs 24000

If unregistered the firm will pay tax on the whole of Rs 49000

Taxable income of Partners

	A	B
Salary	2000	2000
Interest on capital	1000	2000
Commission	1500	500
Profit	30,000	10000
	<hr/>	<hr/>
Taxable income from the firm	34,500	14500
	<hr/>	<hr/>

If the firm is registered

A will be required to pay tax on his total income (34500 + 10,000) Rs 44,500 He will get rebate for his share of income tax paid by the firm

B can set off his loss of Rs 6,000 against the income of Rs 14500 and would be liable to pay tax on 8 500 only He will also get rebate for his share of income tax paid by the firm

If the firm is unregistered—

A will pay the same amount of tax

B can set off his loss against income of the firm

It is however assumed that loss suffered is either in the individual capacity or as partner of some registered firm If the loss suffered as a partner of unregistered firm the same can not be set off

Illustration 2

X has furnished you with the following particulars of his income and losses for the year ended 31st March 1967.

- Income from interest on Securities (gross) Rs 2,400 the income tax deducted at source being Rs 720
- Five eighth share of income from B and Co. assessed as an unregistered firm for the year 1962-63 the profits of which were taxed in the hands of the firm Rs 22,000
- One half share of loss in A and Co assessed as unregistered firm for the year 1962-63 Rs 10,000

- (d) One third share of loss in C & Co also assessed as a registered firm for the year 1962-63, Rs 8,000. You are required to work out for the information of X his total income for assessment year 1962-63 and to indicate whether he will be entitled to benefit of carry forward of his share of losses in the two registered firms.

Solution*Statement of total taxable income of X*

	Rs
1 Interest on Securities (gross)	2,400
2 Income from business—	
<i>Profit from unregistered firm</i>	22000
Less loss from registered firms	18000
	4000
	6400

If the loss from registered firms could not be set off totally against the profits from other sources X would be entitled to carry it forward and set off in the succeeding years.

Illustration 3

Following are the particulars of the income of Y from various sources. Find out his taxable income and the loss that can be set off.

- 1 Income from house property Rs 1800
- 2 Income from securities (net) Rs 1400 tax deducted at source Rs 200
- 3 Share of profit in a registered firm 2400
- 4 Share of loss in an unregistered firm A B & Son Rs 1600
- 5 Share of profit in an unregistered firm C D & Co Rs 2000

Solution*Statement of the taxable income of Y*

	Rs
1 Income from property	1800
2 Interest on Securities (gross)	1600

3 Profit from business

Registered firm	400	
Unregistered firm C D & Co	2070	4400
		<u>4400</u>
Total Taxable income		<u>7800</u>

Share of loss in the unregistered firm can not be set off against income from other sources, not even profit from other unregistered firm. The loss can be carried forward by the firm itself, and set off against its income during the successive years.

Illustration 4

A and B are partners in a firm working in the name of A B & Co. During the year ending 31st December 1961 the firm showed a loss of Rs 1500 after deducting the following expenses

	A	B
1. Interest on capital	2000	3000
2. Salary	1000	1200
3. Commission	1800	
4. Interest on loan advanced	500	
	<u>5300</u>	<u>4200</u>

A and B share profits and losses in the ratio of 2 : 1. Following are other sources of income of the two partners

	A	B
Interest on Securities	1200	3700
Income from other business	9600	

Solution

Taxable profit of the firm

	Rs
Loss as per Profit and Loss Account	15000
Deduct Expenses not allowed.	
1. Interest on Capital	5000
2. Salary to partners	2200

3	Commission to partners	1800	
4	Interest on loan advanced	500	9500
		<u> </u>	<u> </u>
	Loss (Net)		5500
			<u> </u>

Share of the partners

	A	B
1 Interest on Capital	2000	3000
2 Salary	1000	1200
3 Commission	1800	
4 Interest on loan advanced	500	
	<u> </u>	<u> </u>
Total income from firm	5300	4200
Less share of loss 15000	-10000	-5000
	<u> </u>	<u> </u>
Loss from the firm	-4700	-800
	<u> </u>	<u> </u>

If the firm is registered

- 1 A can set off the loss of Rs 4700 against his other income and will be required to pay tax on Rs 6100 (9600+1200-4700)
- 2 B can also set off his share of loss of Rs 800 against his other income. As his net income will be only Rs 2900 (3700-800), he will not be required to pay any tax

If the firm is unregistered

The partners can not set off the loss of the firm from other sources of their personal income. The firm can however, carry forward the loss of Rs 5500 for 8 years and set off against its own profit

A will be required to pay tax on Rs 10800 (9600+1200)

B will also pay tax on Rs 300

Illustration 5

A and B are partners in a registered firm sharing profits and losses in the ratio of 3 : 2. During the year 1961, the firm showed a profit of Rs 40,000 after making allowance for the following deductions

Interest on capital

Ramesh	Rs. 4000
Mahesh	Rs. 3,000
Naresh	Rs. 2,000

Salary—

Ramesh	Rs. 1000
Mahesh	Rs. 800
Naresh	Rs. 2000

Taxable income of Ramesh from other sources was Rs. 8000 while Mahesh and Naresh had no other incomes

Explain how the assessment would be made (a) when the firm is registered (b) when it is unregistered.

(Adapted from Agra B. Com 1949)

Solution

		Rs	Rs
Loss as per Profit and Loss Account			20,000
Less—			
Interest-on capital	Rs		
Ramesh	4000		
Mahesh	3000		
Naresh	2000	9000	
	<hr/>		
Salary to partners.			
Ramesh	1000		
Mahesh	800		
Naresh	2000	3800	12800
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
			7200
			<hr/>
Share of the partners—			
	Ramesh	Mahesh	Naresh
Interest on capital	4000	3000	2000
Salary	1000	800	2000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	5000	3800	4000
Less share of firms loss	-10000	-7500	-2500
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-5000	-3700	+1500
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

When the firm is registered

- 1 Ramesh can set off his share of firm's loss of Rs 5000 against his taxable income from other sources Rs 8,000. As the net income left is only Rs 3000 (8000-5000) he will not be required to pay any tax.
- 2 Mahesh can carry forward his loss of Rs 3700 for 8 years and set off against his income during these years.
- 3 Naresh has net income of Rs 1500 but as it is below the exempted limit he will not be required to pay any tax.

When the firm is unregistered

- 1 The firm itself can carry forward the loss of Rs 7200 for 8 years.
- 2 Ramesh will pay tax on Rs 8000. He is not entitled to set off his loss from unregistered firm against his other sources of income.
- 3 Mahesh can not carry forward the loss of Rs 3700, but he will not be required to pay tax as he has no other source of income.
- 4 Naresh has net income of Rs 1500, but as it is below exemption limit he will not be required to pay tax.

Illustration 7

Profit and Loss Account for 1961 of a firm consisting of three partners A, B and C (with shares 4, 3, and 1) showed a net loss of Rs. 15000 after charging the following items:

Interest on Capital A Rs 3,000 B, Rs 2000 C's salary Rs 3000. A's taxable income from other sources is Rs 5000 while B and C have no other income. Explain how the assessment would be made (a) when the firm is registered (b) when it is unregistered.

(Adapted from *Agra B Com* 1945)

Solution

Taxable income of the firm		Rs.
Net loss as per profit and Loss Account		16,000
Less—		
Interest on A's capital	3000	
Interest on B's capital	2000	
Salary to partner C	3000	8000
	Net Loss	8000

Share of the partners

	A	B	C
Interest on capital	3000	2000	—
Salary	—	—	3000
	3000	2000	3000
Let's share of firms' loss	— 8000	— 6000	— 2000
Net loss	— 5000	— 4000	+ 1000

When the firm is registered

1. A can set off his loss of Rs. 5000 from the registered firm against his other sources of income. He will not be required to pay any tax, as his net income will be zero.
2. B can carry forward his loss for 8 years, and set off against his income from either firm or any other source.
3. C has income of Rs. 1000 but he will not be required to pay any tax as the same is below exemption limit.

When the firm is unregistered

1. The firm can carry forward the loss of Rs. 8000 for 8 years.
2. A can not set off his loss against other sources of income and he will therefore be required to pay tax on Rs. 500.
3. C will not pay any tax as his income of Rs. 1000 is below exemption limit.

Illustration B

A, B and C are partners in a registered firm whose Profit and Loss Account for the year ending 31 December 1960 shows a loss of Rs. 30,000 after charging Rs. 10,000 interest on B's Capital

The other incomes of the partners for the same period are A, Rs. 10,000 from director's fees and B Rs 3000 from bank interest C had no other income that year but he claimed a loss of Rs. 10,000 brought forward from preceding assessment year on account of his individual cloth business which he managed himself personally On 1st April 1961 A retired and D joined as a partner taking over A's share

The firm's loss for the year ended 31st December 1961 has been computed at Rs. 12,000 the partners having no other income that year.

State clearly how the assessment, would be made for the years 1961-62 and 1962-63

(Adapted from Raj B Com. 1951)

Solution**Assessment year 1961-62****Taxable income of the firm**

	Rs
Loss as per Profit and Loss Account	40,000
Less interest on partners capital	10,000
Net loss	30,000

Shares of the partners—

	A	B	C
Interest on capital	—	10,000	—
Firms Loss	— 10,000	— 10,000	— 10,000
	— 10,000	0	— 10,000

- 1 A can write off his share of firm's loss against his other income Rs 10,000 His net income will therefore be zero
- 2 B has net income of Rs 3000 but he will not be required to pay any tax as his income is below exemption limit
- 3 C can carry forward his loss of Rs 20,000 to the next 8 year The loss from the firm can be carried forward upto 8 years

Assessment year 1962-63

Total loss of the firm 12 months	Rs 12000
proportionate loss upto 1st April (3 months)	Rs 3000

Distribution of loss among partners

	A	B	C	D
Share of loss upto 1st April (total Rs 3000)	1000	1000	1000	—
Share of loss after this (total Rs 9000)	—	3000	9000	3000
	1000	4000	4000	3000

All the partners can carry forward their loss to next years

Illustration 9

A, B and C are three partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 4 : 3 : 1. The Profit and Loss Account of the firm for the year ended 31st March showed a net loss of Rs 24,000 after charging the following items:

		Rs		Rs		Rs
Interest on Capital	A	2000	B	1000	C	1000
Salary	A	4000	B	3000	C	2000
Commission	A	1500	B	1000	C	500

Taxable income of A from other sources was 7500 while B and C had no other incomes. Explain how assessment would be made (a) when the firm is registered (b) when it is unregistered.

[Adapted from Raj B Com 196]

Solution

Taxable income of the firm	Rs
Loss as per Profit and Loss Account	24,000
Less Expenses not allowed	

1	Interest on partners capital			
	A	2000		
	B	1000		
	C	1000	4000	
		—		
2	Salary to partners			
	A	4000		
	B	3000		
	C	2000	9000	
		—		
3	Commission to partners			
	A	1500		
	B	1000		
	C	500	3000	16,000
		—		—
			Net loss	8000
				—

Share of the partners—

	A	B	C
Interest on capital	2000	1000	1000
Salary	4000	3000	2000
Commission	1500	1000	500
	—	—	—
	7500	5000	3500
Less share of firms loss	12000	9000	3000
	—	—	—
	- 4500	- 4000	+ 500
	—	—	—

When the firm is registered

1 A can set off his loss of Rs 4500 from other income and his net income would therefore, be $7500 - 4500 = 3000$. He will not be required to pay any tax as it is within the exemption limit

2 B can carry forward his loss for 8 years

3 C will not be required to pay any tax, his income being less than taxable limit

When the firm is unregistered

1 A can not set off his firm's loss and will have to pay tax on Rs 7500

2 B can not carry forward the loss, nor can he set it off against his income next year

3 C's position will remain unchanged

4. The firm can carry forward the loss of Rs 8000 for 8 years and set off against its own profit,

Illustration 10

A and B are in partnership under the name of Mr X & Co. They share profit and loss in the ratio of 2 and 1 respectively and their profit and loss account for the year ending 31st December 1961 is as follows

		Rs		Rs.	
Office salaries		75,000		Gross profit	1,64,000
Gen Expenses		20,000		Other receipts	
Bad debts		5,000		(Business)	19,000
Bad debts reserve		5 000			
Interest on A's loan		6,000			
Partner s salary					
A	6,000				
B	3,000	9,000			
Interest on capital					
A	5,000				
B	10,000	15 000			
Balance					
A	32 000				
B	16,000	48,000			
		1,83 000			1,83,000

A's other incomes for the year 1961 consisted of the following—

- 1 A net dividend of Rs 2/8/- per share on 2,000 ordinary shares in a jute mill
- 2 Rs 750 as director's fees
- 3 Interest on Rs 30 000 $3\frac{1}{2}\%$ Govt. paper
- 4 Rs 350 interest on postal cash certificates

During the year A paid Rs. 8,500 as premium on his life policy.

Ascertain A's taxable income if the firm is (a) registered (b) unregistered.

[Adapted from Agra B. Com. 1941]

Solution

Total income of the firm.	Rs.
Profit as per profit and loss account	48,000

Add inadmissible expenses—		Rs.
Bad debts reserve		5,000
Partners salary		
A	6,000	
B	3,000	9,000

Interest on capital		
A	5,000	
B	10,000	15,000

Interest on A's loan	6,000	35,000
		83,000

Share of partners

	A	B
Salary	6,000	3,000
Interest on capital	5,000	10,000
Interest on loan	6,000	—
Share of profit (Rs. 53,000)	35,333	17,667
	52,333	30,667

Note—The sum of Rs 53,000 has been arrived at in the following manner

Total income of the firm		83 000
Less income already distributed among partners		
Salary	9,000	
Interest on capital	15,000	
Interest on loan	6,000	30,000
		<u>53,000</u>

Statement of A's Total Income

(a) *When the firm is registered*

1	Interest on securities		Rs
	Rs 30,000, 3½% Government paper		1,000
2	Profit from business		
	Share of registered firm		52,333
3	Income from other sources	Rs	
	Director's fees	750	
	Dividend gross	7,143	7,893
	Total taxable income		<u>61,276</u>

Rebate will be available to him in respect of tax paid by the firm on its own profit and insurance premium of Rs 8,500 Interest on Postal Cash Certificates is totally free from tax

(b) *When the firm is unregistered*

A's taxable income will be Rs 61,276

The firm will pay tax on the whole of its income viz Rs 83 000 less usual exemption

A will get rebate on his share of profit from unregistered firm

Illustration 11

A and B are partners in a registered firm Their Profit and Loss Account for the year ending 31st March 1962 is as follows.

	Rs		Rs.
To Salaries	20,000	By Gross profit	50,000
„ Rent	2,400	„ Dividend (gross)	900
„ Advertisement	2,600	„ Bad debts	
„ Charity	1,000	recovered	1,000
„ Bad debts reserve	2,500		
„ Income Tax	5,000		
„ Sundry Expenses	6,000		
„ Interest on capital			
A	1,000		
B	1,000		
	2,000		
„ Partner's commission			
A	2,500		
B	2,000		
	4,500		
„ Net profit	5,900		
	51,900		51,900

The item salaries includes partners salaries A, Rs 3,000 and B, Rs 3,000 Furniture purchased for Rs. 2,000 has been debited to Sundry Expenses Find the total income of the partners.

[Adapted from Alld. B. Com 1957]

Solution

Profit as per Profit and Loss Account	Rs. 5,900
Add Expenses not allowable	Rs
1. Charity	1,000
2. Bad debts reserve	2,500
3. Income Tax	5,000

4	Interest on partner's capital		
	A	1,000	
	B	1,000	2,000
		<hr/>	
5	Commission to partners		
	A	2,500	
	B	2,000	4,500
		<hr/>	
6	Salary to partners		
	A	3,000	
	B	3,000	6,000
		<hr/>	
7	Capital expenditure		2,000
			<hr/>
			23,000
			<hr/>
	Less Dividends		28,900
			900
			<hr/>
	Income from business		28,000
			<hr/>
	Total income of the firm		
	1 Income from business		28,000
	2 Income from other sources		900
			<hr/>
		Total	28,900
			<hr/>
*	Balance divisible among partners		
	Total income of the firm	28,900	
	Less Amount already distributed		
	(2,000 + 6,000 + 4,00)	12,500	
		<hr/>	
		16,400	

* This could also be calculated in the following manner

Divisible profit for income tax purposes		
Divisible profit as per Profit and Loss Account		5,900
Add—		
Expenses not allowed and not already transferred to partners' account		
Charity	1,000	
Bad debts reserve	2,500	
Income Tax	5,000	
Capital Expenditure	2,000	10,500
		<hr/>
		16,400
		<hr/>

Distribution of firms income

	A	B
1. Interest on Capital	1,000	1,000
2. Salaries	3,000	3,000
3. Commission	2,500	2,000
4. Profit (16,400 distributed equally)	8,200	8 200
	<u>14,700</u>	<u>14,200</u>

Illustration 12

A and B are partners in a registered firm sharing profits and losses equally and the following in their Profit and Loss Account.

	Rs.		Rs.
Salaries	10,750	Gross profit	51,040
Rent, rates and insurance	1,200	Interest on tax-free	
Travelling Expenses	954	Government Securities	900
Interest on Bank loan	1,650	Profit on sale of	
Legal charges	1,103	investment	1,200
Discounts	897		
Carriage (Car)	601		
General Expenses	2,050		
Marketing	2,300		
Depreciation (Car)	500		
Interest on Capitals			
A	1,700		
B	1,550		
	<u>3,250</u>		
Reserve for bad debts	1,000		
Net profit	26,885		
	<u>53,140</u>		<u>53,140</u>

After considering the following matters compute the total income of the firm for the year ended 31st March, 1962.

- 1 Salaries include a partnership salary of Rs. 200 p m to B
- 2 Legal charges consist of Rs 500 for alteration of partnership agreement and balance for debt collection
- 3 Rs 200 paid as premium on an insurance policy on the life of a debtor is included in the insurance
- 4 General expenses include Rs 210 for additional filing cabinet and Rs 360 for a new type writer
- 5 The car was used for domestic purpose

(Adapted from Raj B Com 1959)

Solution

	Rs	
Net profit as per profit and loss account		26,885
Add Expenses not allowable	Rs	
1 Carriage	601	
2 Depreciation on car	500	
3 Interest on partners capitals		
A	1,700	
B	1,550	3 250
4 Reserve for bad debts	1,000	
5 Partner's salary	2,400	
6 Legal charges for alteration in partnership deed	500	
7 Premium on the life of debtor	200	
8 Capital expenditure		
Filing cabinet	210	
Typewriter	360	570
		9,021
		35,906
Less—		
Interest on Tax-Free Government Securities	900	
Profit on sale of investment	1,200	2 100
		33,806
Profit from business		33,806

Statement of Taxable Income of the firm

1. Interest on securities	900
2 Profits from business	33 806
	<hr/>
Total taxable income	34,706
	<hr/>

Rebate—

Interest on Tax free Government securities 900

प्रश्न

- 1 State briefly the difference between the registered and unregistered firm
(Agra B Com 1949, 50, 52, 56 58)
 - 2 Differentiate between
 - (1) Losses of a registered firm and unregistered firm
 - (2) Assessment of a registered firm and unregistered firm
(Raj B Com 1956)
-

करदाता-कम्पनी (Assessee-Company)

कम्पनी की परिभाषा—

आय कर विधान की धारा [२(१७)] में कम्पनी में निम्नलिखित सस्याएँ सम्मिलित की गई हैं।

- (१) कोई भारतीय कम्पनी।
- (२) अन्य कोई सस्या चाहे उसका पजीयन (incorporation) हुआ हो या न हुआ हो, वह चाहे देशी हो अथवा विदेशी परन्तु निम्नलिखित शर्तों में किसी एक को पूरा करती हो।
 - (क) कर देय वर्ष १९४७-४८ में आय कर विधान १९२२ के अन्तर्गत उसका कम्पनी के रूप में कर निर्धारण हुआ हो अथवा हो सकता हो।
 - (ख) बोर्ड आफ रेवेन्यू ने किसी सामान्य आर्डर (General order) अथवा विशिष्ट आर्डर द्वारा उसे कम्पनी घोषित कर दिया हो।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कम्पनी की परिभाषा आयकर के लिए, भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत दी गई परिभाषा से कहीं अधिक व्यापक है। इसमें समस्त भारतीय तथा विदेशी कम्पनियाँ तो शामिल हैं ही इसके अलावा अन्य सस्याएँ भी जिनका स्वभाव कम्पनियों के समान है सम्मिलित है।

कम्पनी जिसमें जनता का पर्याप्त हित है—

आय कर विधान में ऐसी कम्पनियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है जिसमें जनता का पर्याप्त हित है। अधिनियम की धारा २ (१८) में निम्नलिखित प्रकार की कम्पनियों को इस वर्ग के अन्दर सम्मिलित किया गया है।

- (१) ऐसी कम्पनियाँ जिनका स्वामित्व सरकार के हाथ में है।
- (२) ऐसी कम्पनियाँ जिनके कम से कम ४० प्रतिशत अंश सरकार के पास हैं।
- (३) अन्य पब्लिक कम्पनियाँ जिन पर निम्नलिखित शर्तें लागू होती हैं।
 - (क) ५० प्रतिशत से अधिक मताधिकार के अंश (निश्चित दर से मिलने वाले लाभांश के अंशों को छोड़कर) सरकार अथवा केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित कारपोरेशन, या जनता (डायरेक्टर अथवा कम्पनी को छोड़कर) के पास गत वर्ष थे।
 - (ख) गतवर्ष में किसी स्वीकृत स्टॉक एक्सचेंज में उन अंशों की खरीद बिक्री हुई है अथवा उसके स्वामियों ने जनता को ऐसे अंश बेचे हैं।
 - (ग) कम्पनी का प्रबन्ध अथवा ५० प्रतिशत से अधिक मताधिकार वाले अंश किसी भी समय ५ या उससे कम व्यक्तियों के पास नहीं थे।

कम्पनी का निवास स्थान—

कम्पनी या तो निवासी (resident) हो सकती है अथवा विदेशी (non-resident)। कोई कम्पनी निवासी निम्नलिखित दशाओं में हो सकती है।

- (१) वह भारतीय कम्पनी हो, अर्थात् उसका पंजीयन भारत में भारतीय कम्पनी अधिनियम अथवा किसी विशेष कानून के अंतर्गत हुआ हो।
- (२) उसका प्रबन्ध तथा संचालन पूर्णतया भारत से हुआ हो।

कर सम्बन्धी दायित्व

आय कर के लिए कम्पनी स्वयं उत्तरदायी होती है। कर देय वर्ष १९५६-६० तक कम्पनी का कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं था। अतएव कम्पनियों द्वारा दिये गये कर को ऐसा माना जाता था मानो वह अशुधारियों के बदले दिया गया हो। परन्तु

कर देय वर्ष १९६०-६१ से वह व्यवस्था समाप्त कर दी गई तथा अब कम्पनी का स्वतन्त्र अस्तित्व माना जाता है। उसकी स्थिति अराधारियों की स्थिति से भिन्न है।

यदि कम्पनी ने पजीयन (incorporation) से पहले कोई लाभ प्राप्त किया है तो उस पर कर व्यापारिक लाभ के अनुसार ही लगेगा यद्यपि लाभ प्राप्त करने के समय कम्पनी की कोई कानूनी स्थिति न थी।

कम्पनी एक कृत्रिम व्यक्ति होता है अतएव आय कर के लिए उसका मुख्य अधिकारी उत्तरदायी माना जाता है। चालू कम्पनी के लिए उसका सेक्रेटरी, मैनेजर, मैनेजिंग एजेंट अथवा अन्य कोई व्यक्ति मुख्य अधिकारी (Principal officer) माना जा सकता है। यदि कम्पनी भंग होने की दशा में है तो liquidator को मुख्य अधिकारी माना जावेगा।

कम्पनी को अपने समस्त लाभ पर आयकर तथा अधिकर देना पड़ता है। उसके लिए न्यूनतम सीमा कुछ भी नहीं होती है। कर की दर, कर देय वर्ष १९६१-६२ तक आयकर २०% तथा अधिकर के लिए २५% थी अर्थात् प्रत्येक कम्पनी को अपनी कुल आय पर ४५% कर देना पड़ता था। कर देय वर्ष १९६२-६३ से आयकर की दर बढ़ाकर २५% कर दी गई है अर्थात् अब प्रत्येक कम्पनी की साधारण अवस्था में ५०% की दर से कुल लाभ पर कर देना पड़ेगा। परन्तु कुछ विशेष प्रकार की कम्पनियों को विशेष सुविधाएँ दी गई हैं जिनका वर्णन आगे किया गया है।

घ्राय सम्बन्धी विवरण फाइल करना (Filing of Returns)

कम्पनी को व्यक्तियों के ही समान, अपना आय सबधी विवरण इन्कमटैक्स आफिसर के पास भेजना पड़ता है। आय कर विधान के अन्तर्गत कम्पनी को निम्न-लिखित प्रकार की सूचना भेजना अनिवार्य रहता है।

- (१) कम्पनी का कुल आय का विवरण। [१३६ (१)]
- (२) विदेशियों को दिये गये व्याज तथा लाभांश इत्यादि का विवरण। [२०३] ऐसे समस्त भुगतान करते समय कम्पनी को उद्गम स्थान पर ही, कर काट लेना चाहिए तथा एक विवरण पत्र में काटी हुई रकम, दर, तथा पाने वाले के नाम, इन्कमटैक्स आफिसर के पास भेज देने चाहिए।
- (३) एक निश्चित रकम से अधिक वेतन पाने वालों के नाम व पते—यदि

किसी व्यक्ति का वेतन कर मुक्त सीमा से अधिक है तो कम्पनी को उस पर उद्गम स्थान पर, कर काट लेना चाहिए। ऐसे समस्त लोगों के नाम व पते तथा काटे हुए कर की रकम इन्कम टैक्स आफिसर के पास प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष आरम्भ होने के ३० दिन के अन्दर भेज देना चाहिये। [२०६(१)]

- (४) ४०० रु से अधिक ब्याज पाने वालों के नाम व पते—यदि कम्पनी ने किन्हीं लोगों को ४०० रु से अधिक ब्याज (प्रति भूतियों पर ब्याज छोड़कर) दिया है तो उनके नाम व पते भी इन्कम टैक्स आफिसर के पास १५ जून से पहले प्रतिवर्ष भेजने चाहिये। [२०५]
- (५) अशधारियों के नाम व पते—१५ जून से पहले प्रतिवर्ष उन समस्त अशधारियों के नाम व पते भी आयकर अधिकारी के पास भेज देने चाहिये, जिन्हे वास्तव में लाभांश दिया गया है।

करदेय आय का निर्धारण [Determination of Taxable income]

कम्पनियों का मुख्य कार्य प्रायः व्यापार अथवा उद्योग होता है अतएव उनकी कर देय आय बहुत कुछ 'व्यापारिक आय' में वर्णित नियमों के आधार पर निश्चित की जाती है। कम्पनी के कर निर्धारण की कुछ निजी विशेषताएँ इस प्रकार हैं।

धारा १०४

कम्पनियों के सम्बन्ध में धारा १०४ अत्यन्त महत्वपूर्ण है। पुराने अधिनियम में यह धारा २३ A कहलाती है। नई धारा में अनेक सुधार किये गये हैं तथा संबंधित नियम धारा १०४ से १०६ तक दिये हैं।

धारा १०४ अविभाजित लाभ के संबंध में है। जिन कम्पनियों में किसी एक व्यक्ति अथवा समूह का अधिकार होता है उसमें लोग लाभांश कम बाँट कर आय कर बचाते हैं। इसको रोकने के लिये सरकार ने पिछले अधिनियम में धारा २३ A का निर्माण किया था। धारा १०४ इस प्रकार है।

"यदि इन्कम टैक्स आफिसर को इस बात का यकीन है कि गतवर्ष में किसी कम्पनी ने अपनी 'विभाजन योग्य आय' में से 'निर्धारित प्रतिशत' लाभांश के रूप में नहीं बाँटा है तो वह एक लिखित आर्डर कम्पनी के पास भेजेगा जिसके अनुसार कम्पनी को 'अतिरिक्त अधिकार' देना पड़ेगा।

अतिरिक्त अधिकार की दरें इस प्रकार हैं।

(१) विनियोग कंपनी के लिए ५०%

(२) अन्य कंपनियों के लिए ३७%

ऊपर की धारा में वर्णित कुछ विशिष्ट वाक्यांशों का अर्थ इस प्रकार है।

[१०६]

१ विभाजन योग्य आय (**Distributable income**)— विभाजन योग्य आय से तात्पर्य कंपनी की कुल आय से है। इसमें निम्नलिखित खर्च घटाने योग्य माने जाते हैं।

- (१) आय कर तथा अधिकार। धारा १०४ के अंतर्गत अधिकार को छोड़कर।
- (२) आय कोई कर जो घटाया नहीं गया है।
- (३) दान के निमित्त दी हुई रकम जिस पर धारा ८८ के अन्तर्गत छूट मिलती है।
- (४) पूंजीगत हानियां।
- (५) ऐसे देश में उपार्जित आय, जिसके नियमों के अनुसार उसे भारत में नहीं लाया जा सकता। परन्तु यदि इस प्रकार भारत में आय को लान की पाबन्दी हटा ली जाय तो उसे गत वर्ष (जिसमें पाबन्दी हटाई गई है) की आय माना जावेगा।
- (६) बैंक के लिए, बैंकिंग कंपनी एक्ट की धारा १७ के अन्तर्गत रिजर्व फण्ड में लिखी गई रकम। [१०६ (१)]

२ निर्धारित प्रतिशत (**Statutory percentage**)— विभिन्न प्रकार की कंपनियों के लिए विभाजन योग्य लाभांश की दर अधिनियम की धारा [१०५ (iii)] में दी गई है। ये प्रतिशत निम्नलिखित हैं।

- (१) विनियोग कंपनियों के लिए ९०%
- (२) ऐसी भारतीय कंपनियां, जो निम्नलिखित में कोई काम करती हों।
 - (क) निर्माण अथवा प्रोसेस करने का काम।
 - (ख) खान खोदने का काम।
 - (ग) विद्युत के निर्माण अथवा वितरण का कार्य।
 - (घ) अन्य किसी प्रकार की शक्ति का उत्पादन ४५%
- (३) जहां संचित लाभ तथा रिजर्व की रकम मिलाकर निम्नलिखित से अधिक हो।

(क) कम्पनी की चुकता पूँजी (ऋण तथा रिजर्व को छोड़ कर)

(ख) स्थायी सम्पत्ति (कम्पनी के खातों में लिखे मूल्य पर) ६०%

(४) यदि किसी कम्पनी पर आंशिक रूप से ऊपर भाग (२) की शर्त लागू होती हो तो उसकी आय के लिए दर ४५% होगी शेष रकम के लिए यदि उस पर भाग (३) में वर्णित शर्तें लागू होती हैं तो दर ९०%, यदि नहीं लागू होती तो दर ६०%

(५) अन्य सभी कम्पनियों पर दर ६०%

३. विनिमय कम्पनी स तात्पर्य उस कम्पनी से है जिसका मुख्य कार्य पूर्णतया अथवा मुख्यतया विनिमय करने से है। [१०६ (ii)]

धारा १०४ निम्नलिखित दशाओं में नहीं लागू होगी।

१. कम्पनी को पिछले वर्षों में घाटा होता रहा है अथवा गत वर्ष में उसे लाभ बहुत कम हुआ है जिसमें घोषित लाभांश से अधिक देना उचित न होगा।

[१०४(२-i)]

२ अधिक लाभांश घोषित करने से सरकारी आय में कोई वृद्धि न होगी।

[१०४ (२-ii)]

३ पूँजी का कम से कम ७५ प्रतिशत लगातार गत वर्ष ऐसी भारतीय सस्था या फण्ड के पास रहा जिसकी आय धारा ११ के अंतर्गत कर मुक्त है।

[१०४ (२-iii)]

४. यदि विनियोग कम्पनी ने विभाजन योग्य आय का ८० प्रतिशत तक बाँट दिया है। [१०५(१-i)]

५. अन्य किसी कम्पनी के लिए, यदि घोषित लाभांश की दर तथा निश्चित दर में १० प्रतिशत से अधिक का अंतर नहीं है। [१०५ (१-ii)]

६ यदि कम्पनी ने अपने रिटर्न में जो लाभ दिखाया है उसके हिसाब से लाभांश की दर निर्धारित दर के बराबर है, परन्तु बाद में इन्कमटैक्स आफिसर न आय को बढ़ा दिया है जिसमें प्रतिशत कम हो गया है।

परन्तु रिटर्न में लिखित आय तथा आयकर अधिकारी द्वारा निर्धारित आय में अन्तर निम्नलिखित कारणों से न हुआ हो—

(क) खाता रखने की गलत विधि के कारण

(ख) सही सही तथा पूरे खाते न रखने के कारण

(ग) जान बूझ कर आय को छिपाने के कारण

७. कम्पनी का धारा १४७ के अंतर्गत दुबारा कर निघरिण हुआ है तथा उसके अनुसार आय बढ जाने के कारण लाभांश की दर जो पहले ठीक थी अब कम हो गई है ।

नोट .— ऊपर भाग ४, १, ६ तथा ७ में बणित कम्पनियो में आय कर अधिकारी सम्बन्धित कम्पनी को इस बात का नोटिस देगा कि उसका लाभांश निर्धारित दर से कम है तथा कम्पनी तीन महीने के अंदर घोषित लाभांश की दर बढा कर निर्धारित दर के बराबर कर देती है तो धारा १०८ न लागू होगी । परन्तु यदि कम्पनी ३ माह के अन्दर दर नहीं बढा पाती तो धारा १०४ लागू हो जावेगी ।

८. ऐसी कम्पनी के लिए जिसने जनता का पर्याप्त हित है धारा १०४ की पाबन्दी नहीं लागू होगी । [१०८ (a)]

९. यदि किसी मातहत कम्पनी के दत्त प्रतिष्ठत अथ एक ही कम्पनी के पास हो तो मातहत कम्पनी पर भी धारा १०४ न लागू होगी । [१०८ (b)]

धारा १०४ से सम्बन्धित अन्य नियम इस प्रकार हैं ।

() कर देय वर्ष स चार वष बीत जाने पर अथवा कर निर्धारण के बाद एक वष समाप्त हो जाने पर धारा १०४ के अन्तर्गत कारवाई नहीं की जा सकती । [१०६]

दोनों में जो भी समय बाद में होगा वही माना जावेगा ।

(२) धारा १०४ के अंतर्गत नोटिस निकालने के पहले, इन्कम टैक्स आफिसर, इस्पेक्टिंग असिस्टेंट कमिश्नर की स्वीकृति अवश्य ले लेगा तथा इस्पेक्टिंग असिस्टेंट कमिश्नर तभी इस बात की इजाजत देगा जब कि वह सम्बन्धित पक्ष को बुला कर उसे अपनी बात कहने का अवसर द चुका हो । [१०७]

आयकर अधिकारी

[Income Tax Authorities]

भारतवर्ष में आयकर के प्रबन्ध के लिए निम्नलिखित ६ अधिकारियों की व्यवस्था की गई है।

१. सेन्ट्रल बोर्ड आफ रेवेन्यू-५।
२. डायरेक्टर आफ इस्पेक्शन।
३. कमिश्नर आफ इन्कम टैक्स।
४. असिस्टेंट कमिश्नर आफ इन्कम टैक्स।
 - (अ) अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर।
 - (ब) इस्पेक्टिंग असिस्टेंट कमिश्नर।
५. इन्कम टैक्स आफिसर।
६. इस्पेक्टर।

प्रत्येक के कार्य क्षेत्र तथा अधिकारों का वर्णन नीचे दिया जाता है।

१. इस्पेक्टर (Inspector of Income Tax)

यह आयकर अधिकारियों में सबसे निचली सीढ़ी है। आयकर विधान में इस्पेक्टर के कार्यों का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। उसमें केवल इतना वर्णन है कि "इन्सपेक्टर को इस अधिनियम के कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में वे सब कार्य करने पड़ेंगे जो इन्कम टैक्स आफिसर अथवा अन्य कोई अधिकारी उन्हें सौंपे।" [१२८]

इससे स्पष्ट है कि इस्पेक्टर को साधारणतया इन्कम टैक्स आफिसर के मातहत काम करना पड़ेगा। सामान्य रूप से उनका काम पर्यवेक्षण करना होता है। यह पर्यवेक्षण सामान्य पर्यवेक्षण (General Survey) हो सकता है, जिसमें इस्पेक्टर किसी विशेष क्षेत्र में जाकर प्रत्येक व्यक्ति की आय का पता लगाते हैं तथा कर देय आय होने पर उन्हें नोटिस भेजते हैं। इसके अलावा इस्पेक्टर विशिष्ट पर्यवेक्षणों के द्वारा सम्बन्धित मामलों की जांच भी करते हैं।

२. इन्कम टैक्स आफिसर (Income Tax Officer)

यह आयकर प्रबन्ध में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। वास्तविक कर निर्धारण इन्कम टैक्स आफिसर ही करते हैं। इन्कम टैक्स आफिसर को कमिश्नर तथा इस्पेक्टिंग असिस्टेंट कमिश्नर के मातहत काम करना पड़ता है। परन्तु डायरेक्टर आफ इस्पेक्शन का अधिकार भी उन पर रहता है। [११८ (२)] तथा उपर्युक्त अधिकारियों द्वारा निकाशे गए निर्देशों का पालन इन्कम टैक्स आफिसरों को करना होगा। [११९ (२)]

इन्कम टैक्स आफिसर का अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित होगा। [१२०]

- १ कमिश्नर, इन्कम टैक्स आफिसरों के काम का विभाजन कर देगा। यह विभाजन क्षेत्रीय आधार पर हो सकता है अथवा व्यक्तियों के अनुसार अथवा आय की मदी के अनुसार।
२. यदि काम का विभाजन क्षेत्रीय आधार पर हुआ है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले सभी लोगों के आयकर का निर्धारण उस इन्कम-टैक्स आफिसर द्वारा होगा। यदि आय, व्यापार अथवा पेशे से प्राप्त हुई है तो उसका निवास स्थान वहाँ माना जायेगा जहाँ कि व्यापार का काम होता है। यदि व्यापार की एक से अधिक शाखाएँ हैं तो जहाँ प्रमुख स्थान होगा, वही निवास माना जावेगा।
३. यदि कभी इस बात पर विवाद उत्पन्न हो, कि किसी विशेष व्यक्ति के आयकर निर्धारण का अधिकार किसी विशिष्ट इन्कम टैक्स आफिसर का है या नहीं, तो इसका निर्णय कमिश्नर द्वारा किया जायेगा।
४. निम्नलिखित दशाओं में कर दाता इन्कम टैक्स आफिसर के अधिकार क्षेत्र के सम्बन्ध में विवाद नहीं कर सकता।
 - (अ) आय का हिसाब दाखिल करने के एक महीने बाद अथवा कर निर्धारण समाप्त हो जाने के बाद यदि कर निर्धारण एक माह के अंदर हो गया है।

(ब) यदि धारा १३६ (२) अथवा १४८ के अंतर्गत नोटिस देने पर भी आय का हिसाब नहीं दाखिल किया गया है।

५. कमिश्नर को इस बात का अधिकार है, कि वह आयकर सम्बन्धी किसी मामले को एक इन्कम टैक्स आफिसर से दूसरे इन्कम टैक्स आफिसर को सौंप सकता है। परन्तु इसमें उसे हस्तांतरण का कारण दिखलाना पड़ेगा और करदाता को सूचना देकर अपनी बात करने का मौका देना पड़ेगा। मामले को उस दशा में भी हस्तांतरित किया जा सकता है जब कि कर निर्धारण की कुछ कार्य वाही हो चुकी तो, तथा इसके लिए द्वारा नोटिस की भी आवश्यकता नहीं होगी। [१२७]

इन्कम टैक्स आफिसर के अधिकार [१३१]

- १ आयकर सम्बन्धी किसी मुकदमे में इन्कम टैक्स आफिसर का वही अधिकार प्राप्त होगा जो कि सिविल प्रोसीजर कोड (Civil Procedure Code) के अंतर्गत किसी अदालत को प्राप्त होते हैं। जिन मामलों में इस प्रकार के अधिकार उसे प्राप्त होने वे निम्नलिखित हैं।

- (क) कर देय आय का पता लगाने अथवा जांच करने में,
- (ख) किसी व्यक्ति को अपने यहाँ बुलवाने में।
- (ग) खाते अथवा अन्य कागजात माँगवाने में।

- २ यदि कोई व्यक्ति बुलाने पर जानबूझ कर नहीं आता, या खातावही अथवा कागजात माँगने पर उन्हें जानबूझ कर पेश नहीं करता तो इन्कम टैक्स आफिसर उस पर ५०० रु० तक जुर्माना कर सकता है। [१३१-(२)]

३ यदि इन्कम टैक्स आफिसर आवश्यक समझे तो वही खाते अथवा कागजात को अपने अधिकार में लेकर रोक सकता है। परन्तु इसकी आवश्यक शर्त यह है कि उसे इसके लिए उचित कारण बतलाना पड़ेगा और यदि वह कागजात को १५ दिन से अधिक रोक रखना चाहता है तो उसे कमिश्नर से आज्ञा लेनी पड़ेगी।

४ कमिश्नर से आज्ञा प्राप्त करके इन्कम टैक्स आफिसर आय की जाँच के लिए किसी भी मकान में प्रवेश करके उसकी तलाशी ले सकता है, आवश्यक कागजात को अपने अधिकार में ले सकता है, किसी भी वही खाते या अन्य कागजात

पर हस्ताक्षर बना सकता है, उसके किसी भी अंश की नकल कर सकता है अथवा आवश्यक कागजात या बहीखातो की सूची बना सकता है। इस प्रकार की पडताल में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (Criminal Procedure Code) के नियम लागू होंगे। [१३२]

५. सूचना प्राप्त करने के सम्बन्ध में इन्कमटैक्स आफिसर के निम्नलिखित अधिकार हैं : [१३३]

- (१) किसी फर्म से उनके साझेदारों के नाम, पते अथवा उनके हिस्से से सम्बन्धित सूचना माँगना।
- (२) किसी सयुक्त हिन्दू परिवार से प्रबन्धक, तथा अन्य सदस्यों के नाम व पते माँगना।
- (३) किसी ट्रस्टी, अभिभावक (Guardian) अथवा एजेंट से उन व्यक्तियों के नाम व पते माँगना जिनका कि वह ट्रस्टी, अभिभावक अथवा एजेंट है।
- (४) किसी कर दाता से ऐसे समस्त लोगों के नाम व पते माँगना जिसको किसी वर्ष उसने किराया, व्याज, कमीशन, रायल्टी, दलाली अथवा अन्य कोई वार्षिक वृत्ति दी है। समस्त मामलों में भुगतान की रकम ४०० से अधिक होनी चाहिए।
- (५) किसी स्टॉक एक्सचेंज अथवा वस्तु एक्सचेंज के किसी डीलर, दलाल अथवा एजेंट से ऐसे लोगों के नाम व पते माँगना, जिनको उसने स्वयं अथवा एक्सचेंज ने किसी सम्पत्ति की बिक्री अथवा हस्तान्तरण के सम्बन्ध में कोई रकम दी हो अथवा प्राप्त की हो। वह ऐसे समस्त सौदे का विवरण भी माँग सकता है।
- (६) किसी भी अन्य व्यक्ति से (इसमें बैंक भी शामिल है) ऐसी कोई भी सूचना माँगना जो इन्कमटैक्स आफिसर की राय में किसी मामले में कर निर्धारण के लिए उपयोगी होगी।
- (७) इन्कमटैक्स आफिसर यदि आवश्यक समझे तो किसी कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर, ऋणपत्रों के स्वामियों के रजिस्टर (Register of debenture holders) अथवा रेहननामे (Mortgage) के रजिस्टर में से नाम नोट कर सकता है अथवा कोई भी अंश नकल कर सकता है। [१३४]

असिस्टेंट कमिश्नर आफ इनकमटैक्स
(Assistant Commissioner of Income Tax)

असिस्टेंट कमिश्नरों की दो श्रेणियाँ हैं ।

- (१) अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर (Appellate Assistt. Commissioner)
- (२) इन्स्पेक्टिंग असिस्टेंट कमिश्नर (Inspecting Assistt Commissioner)

अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर

इसका मुख्य कार्य इन्कमटैक्स आफिसरों के मुकदमों की अपील सुनना और उनपर निर्णय देना होता है । अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर का कार्यक्षेत्र बोर्ड आफ रेवेन्यू द्वारा निर्धारित किया जाता है जो भौगोलिक आधार पर, व्यक्तियों के आधार पर अथवा आय की मदों के आधार पर हो सकता है । अपील सुनते समय अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर को वे समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं जो इन्कमटैक्स आफिसरों को प्राप्त होने हैं । उन समस्त अधिकारों का वर्णन पहले किया जा चुका है । अपील इत्यादि के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक अगले अध्याय में दिया गया है ।

इन्स्पेक्टिंग असिस्टेंट कमिश्नर

इसका मुख्य कार्य अपने मातहत इनकमटैक्स आफिसरों के काम का निरीक्षण करना होता है । इनके कार्य क्षेत्र का विभाजन भी अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर की ही भाँति होता है । उसे अपने क्षेत्र के कमिश्नर के मातहत काम करना पड़ता है ।

कमिश्नर (Commissioner of Income Tax)

प्रत्येक क्षेत्र में एक कमिश्नर की नियुक्ति की जाती है । कमिश्नर का कार्य मुख्यतः प्रबन्ध सम्बन्धी होता है । क्षेत्र के समस्त आयकर अधिकारी उसके मातहत काम करते हैं । उसे द्वितीय श्रेणी के इन्कमटैक्स आफिसर तथा इन्स्पेक्टरों की नियुक्ति का भी अधिकार है । कर सम्बन्धी पद्धति के सम्बन्ध में वह उचित निर्देश निकाल सकता है जिसका पालन समस्त अधिकारियों के लिए आवश्यक होगा । इनकमटैक्स आफिसरों के कार्यक्षेत्र का विभाजन भी वही करता है । आवश्यक समझने पर वह आयकर के मुकदमों को एक इन्कमटैक्स आफिसर से दूसरे इन्कमटैक्स आफिसर के पास हस्तांतरित कर सकता है । वह लिखित आज्ञा द्वारा किसी विशेष

मुकदमे अथवा मुकदमों में इनकमटैक्स आफिसर अथवा अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर के अधिकार, इ सपेक्टिंग असिस्टेंट कमिश्नर को प्रदान कर सकता है अथवा स्वयं ले सकता है।

डायरेक्टर आफ् इ स्पेक्शन (Director of Inspection)

आयकर सम्बन्धी विशिष्ट मामलों की जाच पड़ताल तथा उससे सम्बन्धित नियम निर्धारित करने के लिए डायरेक्टर आफ् इ स्पेक्शन होता है। इस प्रकार के डायरेक्टरों की तीन कोटियाँ हैं।

१ डायरेक्टर आफ् इ स्पेक्शन-जाच (Director of Inspection—Investigation)—इसका कार्य बड़े-बड़े आयकर के मुकदमों की छानबीन करना तथा बड़े बड़े कर दाताओं की द्विपी रकम का पता लगाना होता है।

२ डायरेक्टर आफ् इ स्पेक्शन इनकमटैक्स (Director of Inspection—Income Tax) इसका कार्य सामान्य रूप से आयकर सम्बन्धी मामलों की जाच करना तथा उनसे सम्बन्धित नियम निर्धारित करना होता है।

३ डायरेक्टर आफ् इ स्पेक्शन-अनुसंधान तथा प्रकाशन (Director of Inspection—Research, Statistics and Publication)—इसका कार्य आयकर सम्बन्धी अनुसंधान करना, उससे सम्बन्धित आँकड़े एकत्र करना तथा प्रकाशित करवाना होता है।

४ डिप्टी डायरेक्टर—प्रत्येक डायरेक्टर आफ् इन्स्पेक्शन के मातहत कई डिप्टी डायरेक्टर होते हैं। डायरेक्टर का पद कमिश्नर के समकक्ष होता है, डिप्टी डायरेक्टर असिस्टेंट कमिश्नर के समकक्ष माना जाता है। इस प्रकार कुछ इनकमटैक्स आफिसर दो अफसरों के मातहत हो जाते हैं, कुछ मामलों में वे असिस्टेंट कमिश्नर के अधीन होते हैं तथा उनसे राय लेकर काम करते हैं, परन्तु कुछ विशिष्ट मामलों में वे डिप्टी डायरेक्टर इ सपेक्शन के अधीन रहते हैं।

बोर्ड आफ् रेवेन्यू (Board of Revenue)


यह आयकर प्रबन्ध की सबसे ऊँची सीढ़ी है। बोर्ड के ५ सदस्य होते हैं जिनमें एक चेयरमैन होता है। दोष चार सदस्य निम्नलिखित चार विभागों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

- १ आयकर (Income Tax)
- २ उत्पादन कर (Excise)
- ३ तट कर (Customs)

५. अन्य प्रत्यक्ष कर जैसे धन कर, उपहार कर, इत्यादि ।

बोर्ड कर सम्बन्धी अनुसंधान करता है, प्रबन्ध सम्बन्धी नियम निर्धारित करता है, विशिष्ट मामलों में अपनी सलाह देता है । बहुत से पदाधिकारियों की नियुक्ति का काम बोर्ड के ही जिम्मे होता है ।

SUMMARY



प्रश्न

1. Name and describe the functions of various officers of Income Tax department ?
2. Write short notes on the following —
 - (1) Central Board of Revenue
 - (2) Director of Inspection
 - (3) Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax.
3. Describe the powers and duties of Income Tax Officer ?

कर-निर्धारण की विधि

[Procedure of assessment]

आयकर का नोटिस—

आय कर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में देना पड़ता है। वर्तमान अधिनियम से पहले का प्रकार की नोटिसों की व्यवस्था थी। एक तो सामान्य नोटिस, जिसको अक्टूबरी में १ अप्रैल तथा १ मई के बीच प्रकाशित किया जाता था और दूसरा विशेष नोटिस जिसे खास तौर से लोगों के पास भेजा जाता था। अब आम नोटिस समाप्त कर दिया गया है तथा प्रत्येक करदाता को अपने आय का विवरण भेजना चाहिए।

विशेष नोटिस—यदि आय कर अधिकारी को पता चल जाय कि किसी व्यक्ति की आय कर देय सीमा के अन्दर है तो वह वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पहले उसे नोटिस दे सकता है तथा नोटिस पाने के ३० दिन के अन्दर उसे आय का विवरण भेजना पड़ेगा।

आय का विवरण (Return of Income)

आय का जो विवरण पेश किया जाता है, उसे आय का विवरण पत्र (Return of Income) कहते हैं। यह विशेष फार्म पर भरा जाता है जो आय कर के दफ्तर से प्राप्त होता है। विभिन्न प्रकार की आय के लिए अलग-अलग फार्म का उपयोग होता है। आय के विवरण में हानि अथवा पूंजीगत हानि का विवरण भी देना पड़ता है। इससे उस हानि को अगले वर्ष ले जाने तथा भविष्य की आय से अपलक्षित करने में सहायता होगी।

यदि कर दाता कोई व्यापार अथवा व्यवसाय करता है, तो उसे निम्नलिखित सूचना अलग से देनी पड़ेगी।

- (१) व्यापार का नाम, तथा स्थान।
- (२) समस्त शाखाएँ।
- (३) साक्षीदारों अथवा सदस्यों के नाम व पते।
- (४) कर दाता तथा अन्य सदस्यों या साक्षीदारों का हिस्सा।

आय के विवरण पर हस्ताक्षर होना आवश्यक है। व्यक्ति के विवरण पर स्वयं व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए, परन्तु यदि वह देश के बाहर है तो अन्य कोई व्यक्ति जिसको इस बात का अधिकार दिया गया हो, हस्ताक्षर कर सकता है। यदि व्यक्ति मानसिक रूप से विवरण तैयार करने में समर्थ न हो, तो उसका अभिभावक हस्ताक्षर कर सकता है।

संयुक्त हिन्दूपरिवार के लिए कर्ता के हस्ताक्षर होने चाहिए परन्तु यदि वह देश के बाहर हो अथवा मानसिक रूप से काम की देखभाल न कर सकता हो, तो कोई भी बालिग सदस्य हस्ताक्षर कर सकता है।

कम्पनी तथा स्थानीय संस्था के लिए मुख्य अधिकारी हस्ताक्षर करेगा। फर्म के लिए कोई साक्षीदार (नाबालिग को छोड़कर) हस्ताक्षर कर सकता है। अन्य संस्थाओं के लिए कोई भी सदस्य अथवा मुख्य अधिकारी हस्ताक्षर कर सकता है।

आय विवरण पेश करने का समय—

आय विवरण पेश करने के समय के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियम लागू होंगे।

- (१) यदि आय में व्यापारिक लाभ की कोई रकम सम्मिलित है तो व्यापार का गतवर्ष समाप्त हो जाने के ६ महीने के अन्दर 'आय का विवरण' भेजा जा सकता है।
- (२) अन्य समस्त लोगों के लिए रिटर्न दाखिल करने की अन्तिम तारीख ३० जून होगी। विशेष परिस्थितियों में आयकर अधिकारी इसे बढ़ाकर ३० सितम्बर तक कर सकता है।
- (३) यदि करदाता की आय में कोई व्यापारिक आय सम्मिलित है तथा व्यापार के खाते ३१ दिसम्बर से पहले बन्द किये जाते हैं तो आय कर

अधिकारी तारीख ३० सितम्बर तक बढ़ा सकता है, यदि खाते ३१ दिसम्बर के बाद में बन्द किये गये हैं तो रिटर्न दाखिल करने की तारीख ३१ दिसम्बर तक बढ़ाई जा सकती है।

- (४) उपर्युक्त तारीखों (३० सितम्बर तथा ३१ दिसम्बर) के बाद रिटर्न दाखिल करने पर ६ प्रतिशत की दर से व्याज देना पड़ेगा। व्याज की गणना १ अक्टूबर अथवा १ जनवरी से की जावेगी।
- (५) कोई भी व्यक्ति जिसने समय पर आपका विवरण नहीं भेजा है, कर निर्धारण के पहले किसी भी समय रिटर्न दाखिल कर सकता है। इसका अधिकतम समय गत वर्ष से संबंधित कर देय वर्ष से ४ वर्ष तक होता है। अर्थात् खाते बन्द करने के बाद पड़ने वाले वित्तीय वर्षों में ५ साल के अन्दर कभी भी रिटर्न दाखिल किया जा सकता है।
- (६) यदि एक बार रिटर्न दाखिल करने के बाद उसमें कोई सुधार करना हो तो नया रिटर्न बनाकर निर्धारण के पहले किसी भी समय दाखिल किया जा सकता है।

तात्कालिक कर निर्धारण (Provisional Assessment) [१४१]

रिटर्न मिल जाने के पश्चात् आय कर अधिकारी तात्कालिक रूप से काम चलाऊ कर निर्धारण कर सकता है तथा कर वसूल कर सकता है। तात्कालिक कर निर्धारण का नियमित कर निर्धारण पर कोई प्रभाव न पड़ेगा तथा वह इससे अधिक या कम हो सकता है। यदि नियमित कर निर्धारण के अनुसार कर अधिक हो तो बकाया कर उसे और जमा करना पड़ेगा। यदि वह कम हो तो बाकी रकम उसे वापस मिलेगी। तात्कालिक कर निर्धारण के खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती।

तात्कालिक कर निर्धारण में पिछली हानि का जो आगे लाई गई है, विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। किसी साक्षीदार पर तात्कालिक कर निर्धारण फर्म द्वारा दाखिल किये हुए रिटर्न के आधार पर हो सकता है, चाहे उसने स्वयं रिटर्न न दाखिल किया हो।

किसी फर्म पर बिना रजिस्ट्री की फर्म मानकर तात्कालिक कर निर्धारण हो सकता है, परन्तु निम्नलिखित दशाओं में यह सम्भव नहीं है।

- (१) यदि पिछले वर्ष तक फर्म का कर निर्धारण रजिस्टर्ड फर्म के रूप में

हुआ है तथा वनमान रिटर्न के साथ फर्म ने इस बात की घोषणा की है कि फर्म के सविधान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है अथवा रजिस्ट्रेशन चालू रखने का प्रार्थना पत्र दिया है।

(२) यदि फर्म का इससे पहले कोई नियमित कर निर्धारण नहीं हुआ है तथा फर्म ने रजिस्ट्रेशन के लिये प्रार्थना पत्र दिया है।

नियमित कर निर्धारण (Regular Assessment) [१४२, १४३]

आयकर अधिकारी दाखिल किए हुए रिटर्न को भलीभांति अध्ययन करता है, इसके पश्चात् यदि वह आवश्यक समझता है तो आय के सम्बन्ध में अन्य सूत्र जैसे बहीखाते, दस्तावेज अथवा अन्य कागजात मांग सकता है। इनकमटैक्स आफिसर ऐसी सम्पत्तियों तथा दायित्वों का विवरण भी मांग सकता है जिन्हें खाते में सम्मिलित नहीं किया गया है, परन्तु इसके लिए इन्सपेक्टर असिस्टेंट कमिश्नर की आज्ञा प्राप्त करना आवश्यक होता है। इनकमटैक्स आफिसर ३ साल से पहले के खाते नहीं मांग सकता है। [१४२(१)]

इनकमटैक्स को आफिसर आय अथवा हानि से सम्बन्धित पूरा सूचना प्राप्त करने के लिए हर प्रकार की जांच करने का अधिकार है। [१४२ (२)]

यदि इनकम टैक्स आफिसर ने आय विवरण में दी गई सूचना के अनिश्चित और कोई सूचना प्राप्त की है तथा वह उसका उपयोग कर निर्धारण के लिए करने वाला है, तो उसे करदाता को बुलाकर उसको अपनी बात कहने का मौका अवश्य देना चाहिए। [१४२(३)] परन्तु यदि इनकम टैक्स आफिसर को यकीन हो कि आय विवरण में दी गई सूचना सही है, तो वह करदाता को बिना बुलाए ही कर, निर्धारण कर सकता है। [१४३(१)]। यदि उसे रिटर्न में लिखित तथ्य पूर्णतया विश्वसनीय न मालूम पड़े तो वह करदाता के नाम नोटिस भेज कर आग और प्रमाण मांग सकता है।

खाते की जांच तथा करदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणों की जांच करने के पश्चात् इनकम टैक्स आफिसर कर देय आय का निर्धारण कर देता है तथा कर की रकम निश्चित कर देता है।

उत्तम निर्णय के अनुसार कर निर्धारण (Best judgement Assessment)

निम्नलिखित दशाओं में इनकम टैक्स आफिसर अपने निर्णय के अनुसार करदेय आय तथा कर की रकम निर्धारित कर सकता है। [१४४]

(१) यदि कोई व्यक्ति विशेष नोटिस भेजने के बावजूद आय का विवरण इन्कम टैक्स आफिसर के पास नहीं भेजता है अथवा धारा [१२६(५)] में दी गई अवधि समाप्त होने पर भी रिटर्न नहीं दाखिल करता है।

(२) यदि वह आयकर अधिकारी द्वारा माँगने पर आवश्यक खाते अथवा कागजात पेश नहीं करता।

(३) यदि आयकर अधिकारी के संदेह के निराकरण के लिए उचित प्रमाण नहीं पेश करता।

(४) यदि इन्कम टैक्स आफिसर को खातों की शुद्धता तथा पूर्णता पर विश्वास नहीं है अथवा जहाँ नियमित रूप से खाते नहीं रखे गये हैं, तो इन्कम टैक्स आफिसर अपने निर्णय के अनुसार कर निर्धारण कर सकता है [१४५(२)]

उक्त निर्णय के अनुसार कर निर्धारण के खिलाफ कर दाता के पास निम्नलिखित उपाय होते हैं।

१. वह कर की माँग (Demand notice) के एक महीने के अन्दर स्वयं इन्कम टैक्स आफिसर के पास पुराने आर्डर को रद्द करने तथा नए सिरे से कर निर्धारण की अपील कर सकता है। इन्कम टैक्स आफिसर निम्नलिखित दशाओं में उसके प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर सकता है।

(१) यदि रिटर्न भेजने में देरी का उचित कारण था।

(२) यदि करदाता को धारा [१४२(१)] तथा [१४३(२)] के अन्तर्गत भेजी हुई नोटिस न प्राप्त हुई हो।

(३) यदि भाग (२) में वर्णित नोटिसों पर अमल न करने का उसके पास उचित कारण है।

२ वह इस प्रकार के निर्णय के खिलाफ अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर के पास अपील कर सकता है।

असाधारण कर निर्धारण (Emergency Assessment) [१७४]

इस प्रकार का कर निर्धारण उन व्यक्तियों पर होता है जिनके बारे में इन्कम टैक्स आफिसर को संदेह है कि वे गत वर्ष के अन्दर अथवा उसके समाप्त होते ही भारत छोड़कर चले जायेंगे और फिर भारत में नहीं लौटेंगे। ऐसे लोगों पर कर अगले वर्ष के बजाय उसी वर्ष लगाया जाता है, जिस वर्ष आय उपार्जित की गई है।

इस प्रकार के कर निर्धारण में इन्कम टैक्स आफिसर करदाता को जल्दी से जल्दी रिटर्न दाखिल करने का नोटिस दे सकता है जो कम से कम ७ दिन तक हो सकता है। आय का लेखा भारत छोड़ने की सम्भावित तारीख

तक का दिया जाता है। यदि कई साल से कर निर्धारण नहीं हुआ है तो पिछले वर्षों का भी कर निर्धारण इसी समय होगा। प्रत्येक वर्ष का कर निर्धारण अलग-अलग होता तथा उस वर्ष में चालू कर की दरों के आधार पर किया जावेगा।

यदि किसी समय की आय का ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता तो आय कर अधिकारी अपने विवेक के अनुसार उसका निर्धारण करेगा।

यदि पहले धारा [१३६(२)] अथवा [१४८(१)] के अन्तर्गत कोई नोटिस निकाला जा चुका है तो रिटर्न दाखिल करने की अवधि धारा [१७४] के अन्तर्गत निकाली हुई नोटिस के अनुसार मानी जायेगी। अर्थात् यदि इस नोटिस में ७ दिन की अवधि दी गई है तो रिटर्न ७ दिन के अन्दर ही दाखिल करने होंगे चाहे पहले अधिक समय ही क्यों न दिया गया हो।

अतिरिक्त कर निर्धारण (Additional Assessment)

इसे दुबारा कर निर्धारण (Reassessment) भी कहते हैं। एक बार कर निर्धारण हो जाने तथा उसका भुगतान हो जाने के बाद भी यदि आयकर अधिकारी को विश्वास हो कि कुछ आय कर लगने से छूट गई है तो वह दुबारा नोटिस निकाल कर फिर से कर निर्धारण की कार्यवाही कर सकता है।

इस प्रकार का नोटिस निम्नलिखित दशाओं में निकाला जा सकता है।

- (१) यदि कर देय आय कम आंकी गई है।
- (२) यदि कर निर्धारण की दर कम है।
- (३) यदि आवश्यकता से अधिक छूट मिल गई है।
- (४) यदि ह्रास उचित से अधिक प्रदान किया गया है।

इस प्रकार की भूल चाहे करदाता की गलती के कारण हो अथवा अन्य कारणों से, दुबारा कर निर्धारण का नोटिस दिया जा सकता है। यदि करदाता ने कोई सूचना छिपाई नहीं है फिर भी करदेय आय किसी कारण से कम लग गई है तो भी दुबारा कर निर्धारण किया जा सकता है। करदाता दुबारा कर निर्धारण से बचने के लिये यह दलील नहीं दे सकता कम कर निर्धारण आयकर अधिकारी की गलती से हुआ है, उसने कागजात पेश कर दिये थे और सामान्य बुद्धि का प्रयोग करके इनकम टैक्स आफिसर उचित कर निर्धारण कर सकता था।

नोटिस—यदि इनकम टैक्स आफिसर को इस प्रकार दुवारा कर निर्धारण करना हो तो वह करदाता के पास इस प्रकार का नोटिस भेजेगा। नोटिस में सभी आवश्यक बातों पर सूचना भाँगी जाती है। इनकम टैक्स आफिसर को दुवारा कर निर्धारण की कार्यवाही चालू करने के लिए कारण भी देना होगा। [१४८]

समय की सीमा (Time limit) — धारा १४७ के अन्तर्गत दुवारा कर निर्धारण करने के लिए समय की सीमा होती है जो निम्नलिखित है।

(१) यदि कर में कमी करदाता की साजिश अथवा भूल के कारण नहीं हुई है तो सम्बन्धित कर देय वर्ष (जिस वर्ष उस आय पर कर लगना चाहिये) के बाद ४ वर्ष तक इस प्रकार का नोटिस निकाल कर दुवारा कर निर्धारण किया जा सकता है।

(२) यदि कर में कमी करदाता की गलती से हुई है तो समय की सीमा ८ साल होगी।

(३) यदि उस वर्ष आय कर में बची हुई रकम ५० हजार से ऊपर है तो समय की सीमा १६ साल होगी।

पुराने अधिनियम में यदि आयकर में बची हुई आय १ लाख से ऊपर हो उसके लिए समय की कोई सीमा नहीं थी। परन्तु ३१ मार्च १९४१ के पहले की आय का फिर से कर निर्धारण नहीं हो सकता था। नये एक्ट में अधिकतम सीमा १६ साल कर दी गई है।

चार साल बाद नोटिस निकालने के लिये कमिश्नर की अनुमति आवश्यक है [१५१(२)] तथा ८ साल बाद नोटिस निकालने के लिए बोर्ड आफ रेवेन्यू की अनुमति आवश्यक है। [१५१(१)]

यदि दुवारा कर निर्धारण किसी अपीलेट अधिकारी के निर्णय को लागू करने अथवा उसकी आज्ञानुसार किया गया है तो समय को उपर्युक्त सीमा लागू नहीं होगी। [१५०]

दुवारा कर निर्धारण में कर की दरें वही होगी तथा समस्त सुविधाएँ वहीं लागू होंगी जो सम्बन्धित करदेय वर्ष में थी।

कर का अग्रिम प्रदान करना (Advance payment of Tax)

कर अग्रिम में भुगतान की योजना द्वितीय महायुद्ध के समय लागू की गई। उसका मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करना तथा सरकार के आर्थिक साधनों को मजबूत करना था। इस योजना का नाम “जैसे कमाओ वैसे ही

चुनावो (Pay as you earn) रक्खा गया था। अग्रिम भुगतान में करदाता को कर उसी वर्ष देना पड़ता है जिस वर्ष आय प्राप्त की जाती है। इस सम्बन्ध में मुख्य नियम इस प्रकार हैं।

१. कर सम्बन्धी दायित्व

(१) कर 'पूँजीगत आय' को छोड़कर समस्त आय पर लिया जाता है। यदि किसी आय पर कर उद्गम स्थान में कट जाता हो तो उस पर भी अग्रिम कर नहीं देना पड़ेगा।

(२) अग्रिम कर उसी अवस्था में लगाया जायेगा जब गत वर्ष के कर निर्धारण के अनुसार आय (पूँजीगत लाभ को ओडकर) न्यूनतम करदेय सीमा से २५०० रु० अधिक हो। [२०८ (a)]

२. अग्रिम कर की गणना

अग्रिम कर की गणना निम्नलिखित प्रकार से की जाती है।

(क) आयकर अधिकारी द्वारा [२०९]—यदि गत वर्ष उसका नियमित कर निर्धारण किया गया है तो आयकर अधिकारी उसकी करदेय आम पिछले वर्ष के आधार पर निर्धारित करेगा। इसका सूत्र इस प्रकार है।

करदेय आय = [पिछले वर्ष की करदेय आय—(पूँजीगत आय+ऐसी आय जिस पर उद्गम स्थान पर कर काटा जायेगा)]

(ख) करदाता द्वारा—निम्नलिखित दशाओं में स्वयं करदाता वर्तमान वर्ष में अपनी आय का अनुमान भेज सकता है। [२१२]

(१) यदि इनकम टैक्स आफिसर ने अग्रिम कर का नोटिस दिया है और उसे विश्वास है कि उसकी वर्तमान वर्ष की आय गतवर्ष की अपेक्षा कम होगी तो वह अपना निजी अनुमान बना कर भेज सकता है। यदि उसने कुछ किश्तें भुगतान कर दी हैं तो भी वह इस प्रकार का अनुमान बीच में भेज सकता है। यदि पहली किश्तों में अधिक रकम जमा कर दी गई है तो उसे अगली किश्तों में काट लिया जावेगा।

(२) यदि करदाता पर कभी भी पहले कर निर्धारण नहीं हुआ है और उसका अनुमान है कि उसकी आय करदेय सीमा (न्यूनतम कर मुक्ति सीमा+२५०० रु०) से अधिक है तो वह स्वयं अपना अनुमान वित्तीय वर्ष में १ मार्च से पहले इनकम टैक्स आफिसर के पास भेज देगा।

यदि करदाता ने स्वयं अपना अनुमान दिया है और उसके अनुसार अग्रिमकर बाद में निर्धारित कर के ७५% से कम है तो ऐसी बकाया रकम पर ४% की दर से व्याज देना पड़ेगा। परन्तु यदि कर की रकम नए वित्तीय वर्ष में कर की दर बढ़ जाने के कारण बढ़ गई है तो यह नियम न लागू होगा। [१२]२

३ भुगतान की किश्तें (*Instalments of payment*)

(१) अग्रिम कर का भुगतान किश्तों में किया जाता है। सामान्यतः चार किश्तें इस प्रकार होती हैं। ८ जून, १ सितम्बर, १ दिसम्बर, १ मार्च।

(२) यदि करदाता को किसी आय के लिए गत वर्ष ३१ दिसम्बर के बाद तथा ३० अप्रैल के पहले समाप्त होता है तो उसका अग्रिमकर तीन बराबर किश्तों में १ सितम्बर, १ दिसम्बर तथा १५ मार्च को दिया जावेगा। [२११ (१)]

(३) यदि इनकम टैक्स आफिसर अग्रिम कर का नोटिस भाग (१) में वर्णित तारीखों में किसी एक तारीख के बाद देता है तो समस्त कर बाकी तारीखों पर बराबर बराबर देना पड़ेगा। इस प्रकार यदि नोटिस १ सितम्बर के बाद तथा १ दिसम्बर के पहले दिया गया है तो दो किश्तों में रुपया जमा करना पड़ेगा। यदि नोटिस १ दिसम्बर के बाद दिया जाय तो एक ही किश्त में सब रुपया १ मार्च को जमा करना पड़ेगा। [२११ (२)]

(४) यदि आय में कुछ रकम कमीशन इत्यादि की है जिसका भुगतान करदाता को किसी किश्त की तारीख के बाद मिलना है तो वह उतनी आय पर अग्रिम कर उस तारीख को रोक सकता है। परन्तु ऐसी आय प्राप्त होते ही १५ दिन के अन्दर उस पर अग्रिम कर जमा करना पड़ेगा। यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसे ४% की दर से व्याज देना पड़ेगा। [२१३]

४ अन्य शर्तें

अग्रिम भुगतान के सम्बन्ध में अन्य शर्तें इस प्रकार हैं।

(१) अग्रिम कर के लिए दर चालू कर देय वर्ष में प्रचलित दरों पर लगाया जावेगा।

(२) नियमित कर निर्धारण के समय जो भी कर देय रकम होगी, उसमें से अग्रिम कर घटाकर बाकी रकम देनी पड़ेगी। यदि नियमित कर निर्धारण के अनुसार कर अग्रिम कर से कम है तो बाकी रकम वापस दी जावेगी।

(३) यदि कुल अग्रिम कर, देय कर से अधिक है तो अधिक दी गई रकम पर सरकार ४% की दर से व्याज देगी। व्याज १ अप्रैल से चालू होगा तथा नियमित कर निर्धारण तक चालू रहेगा। [२१४]

भूल सुधार (Rectification of Mistake) [१५४]

यदि कर निर्धारण में कोई भूल रह गई हो तो उसे बाद में ठीक किया जा सकता है। भूल सुधार निम्नलिखित लोग कर सकते हैं।

(१) इन्कम टैक्स आफिसर स्वयं अपने आर्डर में सुधार कर सकता है।

(२) अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर स्वयं अपने अपील सम्बन्धी निर्णय में सुधार कर सकता है।

(३) कमिश्नर ने यदि किसी इन्कम टैक्स आफिसर के निर्णय में धारा २६३ या २६४ के अन्तर्गत सुधार किया है, तो वह बाद में अपने निर्णय को सही कर सकता है।

भूल सुधार उपर्युक्त अधिकारी स्वयं अपनी इच्छा से अथवा करदाता के ध्यान दिलाने पर कर सकते हैं। अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर की मलती की ओर उसका ध्यान करदाता के अलावा इन्कम टैक्स आफिसर भी दिला सकता है।

यदि भूल सुधार से करदाता का भार बढ जाता हो, या उसकी वापसी कम हो जाती हो तो उसको नोटिस दिये बिना सुधार नहीं किया जा सकता। सुधार हो जाने पर लिखित आर्डर दिया जाना जरूरी होता है। भूल सुधार का अधिकतम समय चार वर्ष है। चार वर्ष बाद उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता।

कर की वापसी (Refund of Tax)

यदि करदाता से आवश्यकता से अधिक कर ले लिया गया है अथवा, चूल्गा, स्थान पर कर काट लिया गया है जब कि उसकी आय अधिकतम कर मुक्त सीमा के अन्तर्गत आती है अथवा उस पर कम दर से कर लगना चाहिए, जबकि अधिक दर से कर काटा गया है, तो करदाता अधिक रकम को वापस ले सकता है। [२३७] कर की वापसी का अधिकार उमी व्यक्ति को है जिसने कर दिया है, परन्तु उसकी मृत्यु, दीवालिया हो जाने या अन्य कारण से अयोग्य हो जाने पर उसके प्रतिनिधि को भी वापसी लेने का अधिकार होता है।

रिफण्ड की रकम चार साल के अन्दर अवश्य ले लेनी चाहिए। रिफण्ड के लिए प्रार्थनापत्र एक निश्चित फार्म पर देना पड़ता है। यदि अजील के कारण कर की मात्रा घटा दी गई है, तथा पहिले कर जमा किया जा चुका है तो इन्कम टैक्स आफिसर को बाकी रकम वापस करनी पड़ेगी। [२४०]

यदि करदाता की आय में लाभांश तथा प्रतिभूतियों पर व्याज के अतिरिक्त अन्य आय भी सम्मिलित है तो कर निर्धारण के ३ माह के अन्दर बाकी रकम रिफण्ड कर देना चाहिए। अन्य मामलों में रिफण्ड मागने के ६ माह के अन्दर दे देना चाहिये। यदि वह इस अवधि के अन्दर नहीं दे देता तो सरकार को ४% की दर से व्याज देना पड़ेगा।

कर की वसूली (Collection of Tax)

कर निर्धारित हो जाने के पश्चात् अगला काम कर की वसूली का होता है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित क्रियाएँ होती हैं।

१. कर जमा करने का नोटिस (Notice of Demand) [१५६]

कर वसूल करने के लिये इन्कम टैक्स आफिसर एक कर जमा करने का नोटिस देता है। इस प्रकार का नोटिस न केवल कर के लिए बल्कि व्याज, जुर्माना इत्यादि रकम को जमा करने के लिए भी दिया जाता है। बिना नोटिस पाए करदाता कर जमा करने के लिए बाध्य नहीं होगा और न उसके खिन्नाकार कार्यवाही ही की जा सकती है।

कर की वसूली दो प्रकार से हो सकती है।

- (१) उद्गम स्थान पर कर काटकर
- (२) करदाता द्वारा सीधे जमा करके।

उद्गम स्थान पर कर की कटौती (Deduction at Source)

निम्नलिखित दशाओं में रकम का भुगतान करते समय भुगतान करने वाले को उद्गम स्थान पर कर काट लेना आवश्यक है। कर की रकम उस व्यक्ति को उस साधन से मिलने वाली साल भर की आय के आधार पर काटी जाती है।

१. वेतन—यदि नियोक्ता अपने किसी कर्मचारी को वेतन का भुगतान करता है और उसकी कुल रकम करमुक्त सीमा से अधिक है, तो वह उस पर उद्गम स्थान

पर ही औसत दर से कर काट लेगा। वेतन में वे समस्त भुगतान आते हैं जिन्हें आयकर के अन्तर्गत 'वेतन' की मद में सम्मिलित किया जाता है।

२. स्वीकृत प्राविडेण्ट फण्ड का भुगतान—साधारणतया स्वीकृत प्राविडेण्ट फण्ड का हफ्ता वापस देने पर कर नहीं पड़ता, परन्तु यदि कर्मचारी ने ५ वर्षों से कम सेवा की हो, अथवा अन्य किसी कारण से उसे मिलने वाली रकम पर कर देना पड़े तो भुगतान करने वाले को उद्गम स्थान पर ही कर काट लेना चाहिए।

३. मायता प्राप्त सुपरएन्युएशन फण्ड का भुगतान—यदि किसी मायता प्राप्त सुपर एन्युएशन फण्ड का भुगतान किसी व्यक्ति को करना हो, तो नियोक्ता के अशदान तथा उसके व्याज पर आयकर तथा अधिकर लगता है। अतएव भुगतान के पहले ऐसी रकम पर कर काट लेना आवश्यक है। [१६२(५)]

४. प्रतिभूतियों पर व्याज—यदि 'प्रतिभूतियों पर व्याज' के अन्तर्गत कोई भुगतान करता है तो उसे आय कर तथा अधिकर उद्गम स्थान पर ही काट लेना चाहिए। [१६३]

५. लाभांश—कम्पनी लाभांश बाटने के पहले उस पर आयकर तथा अधिकर काट लेती है। परन्तु यदि अशधारी ने इन्कमटैक्स आफिसर से इस बात का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया हो कि उसकी आय कर मुक्त सीमा में अधिक नहीं है तो उसके लाभांश पर कर नहीं काटा जावेगा। [१६४]

यदि सरकार अथवा रिजर्व बैंक को कोई व्याज अथवा लाभांश देना हो तो उस पर कर नहीं काटा जावेगा। [१६६]

६. विदेशियों को भुगतान—यदि विदेशियों अथवा विदेशी कम्पनियों को कोई भुगतान व्याज, कमीशन अथवा अन्य आय का भुगतान करना हो, जिस पर कर पड़ता हो तो भुगतान करने वाले को उद्गम स्थान पर ही कर काट लेना चाहिये। [१६५ (१)]

यदि भुगतान करने वाले को यकीन हो कि पाने वाले को समस्त रकम पर कर नहीं देना पड़ेगा तो वह इन्कमटैक्स आफिसर के पाम करदेय रकम निर्धारित करने के लिए प्रार्थना पत्र दे सकता है और फिर उतनी ही रकम पर कर देना पड़ेगा। [१६५(२)]

कर काटने वाले का दायित्व

(१) प्रत्येक कर काटने वाले व्यक्ति को निर्धारित समय के अन्दर वाटे हुए कर की रकम सरकारके पास जमाकर देनी चाहिये। [२००]

(२) यदि कोई व्यक्ति जिसे कर काट लेना चाहिए, कर नहीं काटता, अथवा काटने के बाद उसे सरकार के पास जमा नहीं करता तो उसके साथ वही कार्यवाही की जायेगी जो कर न देने वाले करदाता के साथ की जाती है। परन्तु उस पर जुर्माने की कार्यवाही तब तक नहीं की जा सकती, जब तक इनकमटैक्स आफिसर को यह यकीन न हो जाय कि उसने जान-बूझ कर कर नहीं काटा है अथवा जान-बूझ कर उसे अदा नहीं किया। [२०१ (१)]

(३) यदि कर इस प्रकार काटा नहीं गया है अथवा काट कर अदा नहीं किया गया है तो उसे ऐसे व्यक्ति (जिसे कर काटना चाहिये) की सम्पत्ति से वसूल किया जा सकता है। [२०१ (२)]

(४) कर काटने वाले व्यक्ति द्वारा भुगतान पाने वाले व्यक्ति को कर काटने का प्रमाणपत्र दिया जाना चाहिए। इसमें कर की रकम, दर, जिस पर कर काटा गया है, इत्यादि का हवाला रहना चाहिए। [२०३]

(५) 'वेतन' की रकम से कर काटने वाले व्यक्ति को ३१ मार्च तक निम्नलिखित सूचना इनकमटैक्स आफिसर के पास भेजनी चाहिये। [२०६]

- (i) प्रत्येक व्यक्ति का नाम, पता तथा वेतन के रूप में दी जाने वाली रकम।
- (ii) रकम देने का समय।
- (iii) आयकर तथा अधिकर के रूप में काटी गई रकम।

अन्य नियम

उद्गम स्थान पर कर काटने के सम्बन्ध में अन्य नियम इस प्रकार हैं।

(१) काटे हुए कर की रकम, भुगतान पाने वाले की आय मानी जाती है। अतएव उसकी आमदनी की गणना करने में भुगतान की रकम में कर की रकम भी जोड़ दी जायेगी। उदाहरणार्थ यदि किसी व्यक्ति को ४६०० रु० वेतन मिला और १०० रु० आयकर के काटे गए तो वेतन ५००० रु० माना जायेगा।

(२) कर काटने की जिम्मेदारी नियोक्ता अथवा सस्था के मुख्याधिकारी की होती है।

उद्गम स्थान पर कटने वाले कर की मदें

फाइनेंस एक्ट १९६२ के अनुसार उद्गम स्थान पर आयकर तथा अधिकर कटने की दरें इस प्रकार हैं।

	आयकर (सरचार्ज सहित)	अधिकर (सरचार्ज सहित)
--	------------------------	-------------------------

१. कम्पनी के अतिरिक्त अन्य लोगों के लिए

- | | | |
|--|----|---------------------------|
| (क) समस्त आय पर (केन्द्रीय तथा राज्य सरकार की कर मुक्त प्रतिभूतियों से मिलने वाले व्याज को छोड़कर) | ३० | |
| (ख) इसके अतिरिक्त यदि व्यक्ति विदेशी है तो समस्त आय पर | | धारा ११३ (१-b) के अनुसार। |

२. कम्पनियों के लिए

- | | | |
|--|-----|----|
| (क) आयकर के लिए—समस्त आय पर (केन्द्रीय तथा राज्य सरकार की कर मुक्त प्रतिभूतियों पर व्याज को छोड़ कर) | २५% | |
| अधिकर के लिए—समस्त आय पर (भारतीय कम्पनी से मिल लाभांश को छोड़ कर) | | ५% |
| (ख) इसके अतिरिक्त जहाँ कम्पनी न तो भारतीय कम्पनी है और न उसने भारत के अन्दर लाभांश की घोषणा तथा भुगतान का निर्धारित प्रबन्ध किया है। | | |

- (१) लाभांश की आय पर [धारा ६६ (१-V1) के अन्तर्गत भारतीय कम्पनी से मिले लाभांश को छोड़कर]

- (अ) १ अप्रैल १९६१ से पहले स्थापित सहायक कम्पनी का लाभांश । बुद्ध नहीं
- (ब) १ अप्रैल १९५९ से पहले बनी ऐसी भारतीय कम्पनी के लाभांश पर जो सहायक कम्पनी नहीं है । २०
- (स) १ अप्रैल १९५९ से बाद में स्थापित अन्य समस्त भारतीय कम्पनियों द्वारा घोषित लाभांश पर । ५%
- (२) एक भारतीय कम्पनी द्वारा दूसरी भारतीय कम्पनी को दिये जाने वाली रायल्टी की रकम पर (रायल्टी का प्रसञ्चिदा १ अप्रैल १९६४ से पहले हुआ हो तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित हो) २०%
- (२) लाभांश व अनिश्चित अन्य आय पर ३३%

करदाता से कर की वसूली

(Direct recovery from the Tax payer)

जहाँ कहीं भी उद्गम स्थान पर कर नहीं काटा गया है, कर दाता को स्वयं ही कर देना पड़ता है। वस्तु में कर दाता आय का विवरण भेजते समय स्वयं इस बात का उल्लेख कर देता है कि कितनी रकम उद्गम स्थान पर कर के रूप में काटी गई है। इस प्रकार कुल कर की रकम में ऐसी काटी हुई रकम घटाकर बाकी रकम का भुगतान उसे करना पड़ता है।

करदाता से कर की वसूली को हम दो भागों में बाँट सकते हैं।

(१) जब करदाता समय पर कर जमा कर देता है।

(२) जब करदाता कर नहीं जमा कर पाता।

जब करदाता कर जमा कर देता है—

कर जमा करने का नोटिस मिलने के ३५ दिन के अन्दर कर दाता को कर की रकम सरकारी खजाने में जमा कर देनी चाहिए। परन्तु यदि इन्कमटैक्स आफिसर को यकीन हो कि इससे सरकारी आय को हानि होगी तो वह इन्सपेक्टिंग

असिस्टेंट कमिश्नर की अनुमति लेकर कर जमा करने की अवधि घटा भी सकता है। [१२०(३)]

भुगतान की तारीख के पहिले कर दाता की प्रार्थना पर यदि इन्कमटैक्स आफिसर उचित समझे तो वह भुगतान की अवधि बढ़ा सकता है अथवा किश्तों में भुगतान करने की अनुमति दे सकता है। परन्तु किश्तों में भुगतान करने पर यदि एक भी किश्त का भुगतान समय पर न हो पाया तो करदाता का यह अधिकार छिन जाता है और समस्त बाकी रकम तुरन्त देय हो जाती है। [२२०(५)]

हफ्ता जमा कर देने पर जमा करने वाले को उसकी रसीद मिल जाती है जिसे वह भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकता है।

ख जब कर दाता कर नहीं दे पाता

जब कर दाता कर नहीं दे पाता तो उसे भुगतान न करने वाला कर दाता (assessee in default) मान लिया जाता है। किसी कर दाता को भुगतान न करने वाला निम्नलिखित दशाओं में माना जा सकता है।

(१) यदि वह नोटिस मिलने के ३५ दिन के अन्दर अथवा जितना समय नोटिस में दिया हो उसके अन्दर समस्त कर का भुगतान नहीं करता।

(२) यदि करदाता समय पर किश्त का भुगतान नहीं कर पाता।

(३) यदि करदाता ने धारा २४२ के अन्तर्गत कर के विरुद्ध कोई अपील की है तो इन्कमटैक्स आफिसर उसे फौसला होने तक वी छूट दे सकता है।

(४) यदि करदाता को कुछ रकम ऐसे देश से प्राप्त करनी है जिसके कानून के अनुसार उसे उस देश से बाहर नहीं ले जाया जा सकता तो ऐसी रकम पर कर तब तक नहीं देय होता जब तक वह भारत में न लायी जाय और उसको न जमा करने के कारण करदाता को 'भुगतान न करने वाला' नहीं माना जा सकता।

दण्ड की व्यवस्था

करदाता द्वारा भुगतान रुक जाने पर उसके लिए निम्नलिखित दण्ड की व्यवस्था है।

(१) ध्याज—भुगतान न करने पर या आंशिक भुगतान करने पर यकाया रकम पर करदाता को ४% की दर से ध्याज देना पड़ेगा।

(२) जुर्माना—भुगतान न करने पर इन्कमटैक्स आफिसर व्याज के अतिरिक्त जुर्माना भी कर सकता है। बार-बार भुगतान रोकने पर जुर्माना की रकम बड़ा दी जाती है। परन्तु जुर्माना करने के पहले करदाता को अपनी बात कहने का मौका देना आवश्यक है।

वसूली की विधि (Procedure of Recovery)

ला कमीशन तथा ट्यागी कमेटी (Direct Tax Administration Committee) के सुझावों के आधार पर वसूली की विधि में बहुत बड़े परिवर्तन कर दिए गए हैं, तथा वसूली से सम्बन्धित नियम अत्यन्त कठोर बना दिये गये हैं। इनके मुख्य-मुख्य नियम इस प्रकार हैं।

१ रिक्वरी आफिसर द्वारा वसूलो—इन्कमटैक्स आफिसर कर की बकाया रकम के सम्बन्ध में रिक्वरी आफिसर को नोटिस दे सकता है। आयकर विधान की धारा [२ (४४)] के अनुसार निम्नलिखित अधिकारियों में किसी को भी 'रिक्वरी आफिसर' बनाया जा सकता है।

(क) जिलाधीश।

(ख) अतिरिक्त जिलाधीश अथवा उसका समकक्ष अधिकारी।

(ग) राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार का कोई गजट्टेड आफिसर जिसे इस प्रकार का अधिकार दिया गया हो।

भिन्न भिन्न स्थानों के लिये अलग अलग रिक्वरी आफिसर होते हैं। नोटिस मिलते ही रिक्वरी आफिसर कर वसूल करने की कार्यवाही करता है वह निम्नलिखित काम इस सम्बन्ध में कर सकता है।

(१) करदाता की चल सम्पत्ति पर अधिकार तथा विक्री।

(२) करदाता की अचल सम्पत्ति पर अधिकार तथा उसकी विक्री।

(३) करदाता को गिरफ्तारी।

(४) करदाता की सम्पत्ति पर अधिकार तथा उसके प्रबन्ध के लिये रिसेवर की नियुक्ति।

नोटिस तथा रिक्वरी के सम्बन्ध में अन्य नियम इस प्रकार हैं।

(१) कोई भी कर दाता रिक्वरी आफिसर से कर के उचित अथवा अनुचित होने पर तर्क नहीं कर सकता। उसे नोटिस में दी हुई रकम माननी ही पड़ेगी।

२, इन्कम टैक्स आफिसर स्वयं नोटिस की रकम में भूल सुधार तथा आवश्यक परिवर्तन कर सकता है।

(३) इन्कमटैक्स आफिसर उचित कारण होने पर नोटिस को वापस भी ले सकता है अथवा उसमें परिवर्तन कर सकता है।

(४) यदि किसी रिक्वरी आफिसर को कर वसूल करने का नोटिस दिया गया है तथा वह केवल आशिक रूप से ही कर वसूल कर पाया है और उसे कर दाता की किसी ऐसी सम्पत्ति का पता लगा है जो किसी अन्य रिक्वरी आफिसर के क्षेत्र में पड़ता है तो वह उस रिक्वरी आफिसर को बाकी रकम वसूल करने के लिए लिख सकता है।

(५) इन्कम टैक्स आफिसर नोटिस निकालने के बाद भी भुगतान का समय बढ़ा सकता है तथा रिक्वरी आफिसर को सूचना देकर रिक्वरी की कार्यवाही रूकवा सकता है।

(६) इन्कमटैक्स आफिसर को रिक्वरी आफिसर के पास नोटिस के बाद जमा की गई कर सम्बन्धी रकम अथवा नोटिस की शर्तों में दिये जाने वाले परिवर्तनों की सूचना बराबर देते रहना चाहिये।

(७) यदि किसी अपील के कारण कर की रकम घटा दी जाय अथवा वसूली की विधि में कोई परिवर्तन हो जाय तो इन्कमटैक्स आफिसर को इस बात की सूचना रिक्वरी आफिसर के पास भेज देनी चाहिए।

२ अन्य लोगों द्वारा वसूली

(१) यदि करदाता को किसी व्यक्ति से कोई रकम वेतन के रूप में मिलने वाली है तो इन्कमटैक्स आफिसर वेतन देने वाले को नोटिस देकर वेतन की रकम सरकारी खजाने में जमाकरने का आदेश दे सकता है। [२२६ (२)]

(२) यदि किसी अन्य व्यक्ति के पास करदाता को कोई रकम जमा हो तो इन्कम-टैक्स आफिसर उस रकम को सीधे कर के रूप में सरकारी खजाने में जमा करने का आदेश दे सकता है। ऐसा आदेश बैंक, पोस्टऑफिस अथवा बीमा कम्पनी को भी दिया जा सकता है तथा इसके लिए पास बुक, बीमा पालिसी अथवा अन्य किसी प्रकार के कागजात पेश करने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी के पास करदाता का संयुक्त खाता है तो उसे भी रुकवाया जा सकता है।

(३) कोई भी व्यक्ति जिसको इस प्रकार भुगतान रोकने का नोटिस दिया गया है, उतनी रकम के लिए कर दाता माना जावेगा। यदि वह भुगतान कर देता है तो इन्कमटैक्स आफिसर उसके खिलाफ कार्यवाही करके रकम उसकी निजी सम्पत्ति से वसूल कर सकता है।

राज्य सरकार द्वारा वसूली—यदि सविधान की धारा २५८ (१) के अन्तर्गत किसी राज्य सरकार को कर की वसूली का अधिकार दे दिया गया है। तो उसकी वसूली स्थानीय करों के साथ साथ की जावेगी। [२२७]

पाकिस्तान से वसूली—यदि करदाता की कोई सम्पत्ति पाकिस्तान में है तो इन्कम टैक्स आफिसर, सेम्ट्रल बोर्ड आफ रेवेन्यू की मार्फत पाकिस्तान के कलेक्टर के पास कर की वसूली का पत्र भेज सकता है तथा कलेक्टर को ही रिकवरी आफिसर माना जावेगा। पाकिस्तान के आय कर अधिकारियों को भारत में भी इसी प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। [२२८]

कर भुगतान का प्रमाणपत्र (Tax clearance certificate)

कोई व्यक्ति आयकर बचाकर विदेश न भाग जाय इसके लिए आयकर में निम्नलिखित व्यवस्था की गई है।

१. यदि कोई विदेशी भारत में रहने के बाद वापस जा रहा हो अथवा भारत का निवासी हमेशा के लिये बाहर जा रहा हो तो विदेश जाने के पहले उस इस बात का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा कि उसके जिम्मे Excess Profits Act 1940, Business Profits Act 1947, Income Tax Act 1922, Wealth Tax Act 1957, Expenditure Tax Act 1957 अथवा Gift Tax 1958 के अन्तर्गत कोई रकम बकाया नहीं है, अथवा उनकी वसूली की उचित व्यवस्था कर दी गई है। [२३० (१)]
२. यदि कोई जहाजी कम्पनी अथवा वायुयान कम्पनी किसी व्यक्ति को इस प्रकार का प्रमाण पत्र देके विना विदेश जाने देती है तो सरकार उससे सारी कर की रकम वसूल कर सकती है। [२३० (२)]

१७

अपील

[Appeal]

वरदाता को इन्कम टैक्स आफिसर के निर्णय के विरुद्ध अपील करने का अधिकार प्राप्त है। अपील के लिये निम्नलिखित अधिकारी होते हैं।

१. अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर।
२. अपीलेट ट्रिब्यूनल।
३. हाईकोर्ट।
४. सुप्रीम कोर्ट।

अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर (Appellate Assistant Commissioner)

इन्कम टैक्स आफिसर के निर्णय के विरुद्ध पहली अपील अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर के पास होती है। निम्नलिखित प्रकार के निर्णयों की अपील की जा सकती है।

१. धारा १०४ के अन्तर्गत अविभाजित लाभ पर अतिरिक्त अधिकार लगाने पर।
२. धारा १३१ (२) के अन्तर्गत इन्कम टैक्स आफिसर द्वारा बुलाने पर हाजिर न होने, अथवा मंजूर जाने पर कागजात उपस्थित न करने के कारण यदि इन्कम टैक्स आफिसर ने जुर्माना कर दिया हो।
३. धारा १४३ अथवा १४४ के अन्तर्गत कर निर्धारण होने पर। अपील निम्नलिखित आधार पर हो सकती है।

- (क) कर देय रकम के सही न होने पर ।
 (ख) कर की रकम सही न हो ।
 (ग) हानि की स्विकृत रकम ठीक न हो ।
 (घ) करदाता का पद (Status) जिस पर उसका कर निर्धारण हुआ है ठीक न हो । जैसे व्यक्ति, सयुक्त परिवार अथवा कंपनी इत्यादि ।

४ धारा १४६ के अन्तर्गत करदाता ने कर निर्धारण द्वारा करने का प्रार्थना पत्र इन्कम टैक्स आफिसर को दिया हो और उसने उसे अस्वीकार कर दिया हो ।

५ यदि धारा १४ अथवा १५० के अन्तर्गत द्वारा कर निर्धारण हुआ है और वह ठीक नहीं है ।

६. यदि धारा १५४ अथवा १५५ के अन्तर्गत विद्यमान कर निर्धारण में कोई परिवर्तन किया गया है जिसमें कर की रकम बढ गई है, अथवा वापसी (refund) की रकम कम हो गई है अथवा करदाता के किसी अधिकार (Claim) को अस्वीकार कर दिया गया है ।

७ यदि धारा १६३ के अन्तर्गत इन्कम टैक्स आफिसर ने किसी विदेशी के बदले उसका प्रतिनिधि मानकर कर लगा दिया हो ।

८ यदि कर दाता को सम्पत्ति उत्तराधिकार में मिली हो और पूर्वाधिकारी का पता न लगने के कारण अथवा उससे कर न वसूल हो सकने के कारण इन्कम टैक्स आफिसर ने धारा १७० (२) अथवा १७० (३) के अन्तर्गत उत्तराधिकारी से कर वसूल कर लिया हो ।

९ यदि सयुक्त हिन्दू परिवार के विभाजन को अस्वीकार कर दिया गया हो । (धारा १७१)

१० यदि इन्कम टैक्स आफिसर ने धारा [१८५ (१-b)] अथवा [१८५ (५)] के अन्तर्गत किसी फर्म को रजिस्टर करने से इन्कार कर दिया हो ।

११. यदि धारा १८६ (२) के अन्तर्गत किसी रजिस्टर्ड फर्म का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया हो ।

१२ यदि कर दाता ने उद्गम स्थान पर कर न काटा हो और इन्कम टैक्स आफिसर ने धारा २०१ के अन्तर्गत उससे कर की रकम वसूल कर ली हो ।

१३. यदि कर के पेगगी भुगतान में कर दाता ने अपनी आय कम बताई हो और नियमित कर निर्धारण के समय अधिक आय निकलने पर इन्कम टैक्स आफिसर ने बाकी रकम पर धारा २१६ के अंतर्गत व्याज लगा दिया हो।

१४. यदि धारा २३७ के अंतर्गत कर की वापसी (refund) का प्रार्थना पत्र देने पर उसे अस्वीकृत कर दिया गया हो अथवा कम रकम स्वीकृत की गई हो।

१५. यदि निम्नलिखित धाराओं में से किसी के अंतर्गत जुर्माना किया गया हो।

(क) धारा २२१ के अंतर्गत कर न जमा करने पर।

(ख) धारा २७० के अंतर्गत प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में सूचना न देने पर।

(ग) धारा २७१ के अंतर्गत रिटर्न न दाखिल करने, नोटिस की आज्ञाओं को न मानने अथवा आय की रकम छिपाने पर।

(घ) धारा २७२ के अंतर्गत व्यापार समाप्त हो जाने की सूचना न देने के कारण।

(च) पेगगी कर न जमा करने के कारण।

अपील का अधिकारी कौन है ?

सामान्यतया कर दाता ही अपील का अधिकारी होता है। रजिस्टर्ड फर्म में जहाँ प्रत्येक साझीदार पर अलग-अलग कर लगना है कोई भी साझीदार फर्म की कर देय आय के सम्बन्ध में अपील कर सकता है [२४७]। यदि आयकर अधिकारी ने किसी व्यक्ति से उद्गम स्थान पर कर काटने के लिए कहा हो तो वह ऐसी आज्ञा के विरुद्ध अपील कर सकता है। [२४८]

अपील की विधि (Procedure of Appeal)

अपील निर्णय की सूचना मिलने के ३० दिन के अंदर की जा सकती है। परन्तु अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर उचित कारण होने पर इसके बाद भी अपील स्वीकार कर लेते हैं। प्रत्येक अपील एक निश्चित फार्म के रूप में की जानी चाहिए। [२४९]

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर सुनवाई की तारीख निर्धारित करता है तथा इसकी नोटिस कर दाता तथा इन्कम टैक्स आफिसर को

देता है। कर दाता तथा इन्कम टैक्स आफिसर दोनों को ही अपनी-अपनी बात कहने का अधिकार है। अपीलट असिस्टेंट कमिश्नर सुनवाई के समय की स्थिति बर सक्ता है। अपील का निर्णय करने के पहले यदि वह आवश्यक समझे तो स्वयं कोई जांच कर सकता है अथवा इन्कम टैक्स आफिसर को जांच का आदेश दे सकता है। अपीलट असिस्टेंट कमिश्नर अपने लिखित निर्णय को कर दाता तथा कमिश्नर दोनों के पास भेज देता है।

अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर के अधिकार [२५१]

- (१) बट कर निर्धारण को स्वीकार कर सकता है अथवा उसकी रकम घटा देता सकता है।
- (२) इन्कम टैक्स आफिसर को बनाए हुए निर्देशों के आधार पर दुबारा कर निर्धारण की आज्ञा दे सकता है।
- (३) जुमाने के खिलाफ अपील में इसी प्रकार परिवर्तन कर सकता है।

अपीलेट ट्रिब्यूनल (Appellate Tribunal)

अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर के निर्णय के खिलाफ अपील करने के लिये अपीलेट ट्रिब्यूनल का व्यवस्था की गई है। इसमें एक लोग नियुक्त किए जाते हैं जो कानून तथा वही खान का विविष्ट ज्ञान रखते हों। ट्रिब्यूनल में अपील करने का अधिकार कर दाता तथा इन्कम टैक्स आफिसर दोनों को ही है परन्तु इन्कम टैक्स आफिसर को अपील करने के पहले कमिश्नर की अनुमति लेना आवश्यक है। करदाता निम्न-लिखित निर्णयों के विरुद्ध अपील कर सकता है।

- (१) यदि अपील धारा १३१ (२), धारा २५० अथवा धारा २७१ के अन्तर्गत दिए हुए निर्णय के विरुद्ध की गई हो।
- (२) यदि धारा २६३ के अन्तर्गत कमिश्नर ने किसी कर निर्धारण को जांच करके उसमें कर बढ़ा दिया हो अथवा अन्य कोई परिवर्तन कर दिया हो।
- (३) यदि धारा २७४ के अन्तर्गत इसपेक्टिंग असिस्टेंट कमिश्नर ने कोई जुमाना किया हो।

अपील का समय ६० दिन का होता है। यह उस तारीख से गिना जायेगा जब अग्रेट असिस्टेंट कमिश्नर का निर्णय पहुँचाया गया हो।

अपील प्राप्त होने ही ट्रिब्यूनल दूसरे पक्ष (इन्कम टैक्स आफिसर अथवा करदाता) को नोटिस देता है और वह २० दिन के अन्दर अपील के खिलाफ अपने

तक भेज सकता है। अपील एक निश्चित फॉर्म में होनी चाहिए तथा उमकी फीस १०० रु० जमा करनी पड़ेगी।

ट्रिब्यूनल में प्रत्येक मामला एक बेंच (Bench) के सुपुर्द पर दिया जाता है जिसमें एक कानून का विशेषज्ञ तथा एक खाले का विशेषज्ञ होना है। यदि किसी मामले में दोनों की एक राय न हो तो प्रेसीडेंट स्वयं निर्णय देगा। ट्रिब्यूनल को वे समस्त अधिकार होते हैं जो अन्य किसी आयकर अधिकारी को प्राप्त हैं।

ट्रिब्यूनल दोनों पक्षों को अपनी बात कहने का मौका देता है। वह स्वयं भी आवश्यक जांच कर सकता है या कागजात मांग सकता है। उसका निर्णय दोनों पक्षों के पास भेज दिया जाता है।

हाईकोर्ट

आयकर सम्बन्धी अधिकतर मामलों में अपीलेट ट्रिब्यूनल का निर्णय अन्तिम निर्णय होता है परन्तु यदि मुकदमे में कोई सामान्य कानून से सम्बन्धित प्रश्न जुड़ा हो तो उसकी अपील हाईकोर्ट में भी हो सकती है। हाईकोर्ट में अपील करने का अधिकार कमिश्नर तथा करदाता दोनों को ही है। इसके लिए समय की सीमा ६० दिन की है, तथा फीस १०० रु० है।

कमिश्नर अथवा करदाता अपील को सीधे हाईकोर्ट नहीं ले जा सकता। उसे पहिले अपीलेट ट्रिब्यूनल को प्रार्थना पत्र देना होगा कि यह मुकदमे में सन्निहित कानूनी मसले पर हाईकोर्ट की राय लेने के लिए उस मुकदमे को हाईकोर्ट में भेजे। ट्रिब्यूनल इस प्रार्थना पत्र पर विचार करता है, यदि उमकी राय में उसमें कोई कानूनी प्रश्न लगा है तो वह १२० दिन के अन्दर मुकदमे का विवरण बनाकर हाईकोर्ट में दाखिल कर देगा।

यदि ट्रिब्यूनल की राय में उसमें कोई कानूनी प्रश्न नहीं जुड़ा है तो वह प्रार्थना पत्र रद्द कर देगा। ऐसी दशा में अपील करने वाले के पास दो उपाय हैं। या तो वह अपील ३० दिन के अन्दर वापस ले ले, ऐसी दशा में उसकी कोर्ट फीस वापस हो जावेगी। या ट्रिब्यूनल के इस निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करे। हाईकोर्ट सबसे पहले इस बात का निर्णय करता है कि मुकद्दमा हाईकोर्ट में लाने लायक है या नहीं। यदि वह इस बात से सहमत हो जाता है कि मुकद्दमा हाईकोर्ट में ले जाने लायक है तो वह ट्रिब्यूनल को मुकद्दमे का विवरण भेजने का आदेश देता है तथा ट्रिब्यूनल को उसकी आज्ञा माननी पड़ती है।

हाईकोर्ट में केवल मुकद्दमे के कानूनी पहलू पर बहस होती है। निर्णय के लिए कम से कम दो जज अवश्य रहते हैं। उनमें मतभेद होने पर मुख्य न्यायाधीश स्वयं निर्णय देता है। हाईकोर्ट कानूनी प्रश्न पर अपना निर्णय ट्रिब्यूनल के पास भेज देता है और ट्रिब्यूनल उसके अनुसार स्वयं अपने निर्णय में सुधार करके करदाता तथा कमिश्नर के पास भेज देता है।

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)

सुप्रीम कोर्ट में दो प्रकार के मुकद्दमे जाते हैं। एक तो सीधे ट्रिब्यूनल से सुप्रीम कोर्ट, दूसरे हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। यदि मुकद्दमे में कोई कानूनी प्रश्न लगा है जिस पर विभिन्न हाईकोर्टों की अलग-अलग राय है तो ट्रिब्यूनल स्वयं उस मामले का हाईकोर्ट को देने के बजाय सुप्रीम कोर्ट को दे सकता है।

यदि हाईकोर्ट के निर्णय से करदाता अथवा कमिश्नर को सतोष न हो तो वह उस मामले को सुप्रीम कोर्ट में भेज सकता है। परन्तु उसमें हाईकोर्ट का इस बात का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाने लायक है।

कमिश्नर द्वारा दुबारा जाँच [२६३]

धारा २६३ के अंतर्गत कमिश्नर को इस वान का अधिकार है कि वह किसी भी मामले को इन्कम टैक्स आफिसर के पास से मँगा सकता है। उसकी जाँच करने पर यदि उसे पता चले कि इन्कम टैक्स आफिसर का निर्णय सरकारी आय के हित में ठीक नहीं है तो वह उसके आर्डर को रद्द कर सकता है तथा नया आर्डर दे सकता है। इस सम्बन्ध में उसे जाँच करने अथवा आवश्यक प्रमाण मगवाने का अधिकार है। अपने निर्णय द्वारा वह कर वृद्धि भी कर सकता है परन्तु इस के लिए उसे करदाता को अपनी बात कहने का मौका अवश्य देना चाहिए।

निम्नलिखित दशाओं में कमिश्नर आर्डर में परिवर्तन नहीं कर सकता—

(१) यदि धारा १४७ के अंतर्गत दुबारा कर निर्धारण किया गया है।

(२) यदि इन्कम टैक्स आफिसर ने आर्डर को निकाले दो वर्ष हो चुके हैं।

कमिश्नर के निर्णय की अपील अपीलेट ट्रिब्यूनल में हो सकती है।

आयकर से सम्बन्धित अन्य समस्याएँ

[Other Problems relating to
Income Tax]

१. हानि को अपलिखित करना तथा आगे ले जाना

[Set off and carry forward of losses]

कर निर्धारण के सम्बन्ध में हानि को अपलिखित करने तथा उसे अगले वर्षों में ले जाने की सुविधा प्रदान की गई है। हानि को अपलिखित करने का तात्पर्य यह है कि एक मद से होने वाली हानि को दूसरे मद से होने वाले लाभ में घटाया जा सके। इस प्रकार यदि किसी व्यक्ति को एक व्यापार से हानि तथा दूसरे व्यापार से लाभ होता है तो हानि को लाभ से कम करके बची हुई रकम पर ही कर लगाया जावेगा। इस सम्बन्ध में मुख्य-मुख्य नियम इस प्रकार है—

१. यदि एक ही मद के अन्तर्गत दो साधनों से एक में हानि तथा दूसरे में लाभ हुआ है तो उस हानि को लाभ में से अपलिखित किया जा सकता है। जैसे एक व्यापार की हानि को दूसरे व्यापार के लाभ से घटाना [७०]।

२. हानि को अन्य मदों की आय से भी घटाया जा सकता है। उदाहरणार्थ यदि किसी व्यक्ति को व्यापार में घाटा लगा हो, तो उसे सम्पत्ति की आय से घटाया जा सकता है [७१]।

३ यदि हानि को पूर्णतया अपलिखित न किया जा सके तो उसे आगे ले जाया जा सकता है तथा भविष्य के लाभ से अपलिखित किया जा सकता है। यदि व्यापार चालू रहे तो कर देय वर्ष के बाद ८ साल तक बराबर उसे आगे बढ़ाया जा सकता है।

कुछ विशेष प्रकार की हानियों के सम्बन्ध में नियम इस प्रकार है।

१ सट्टे की हानि (Losses in speculative business) [७३]

सट्टे से होने वाली हानि को अन्य किसी लाभ से अपलिखित नहीं किया जा सकता। उसे सट्टे की आय से ही अपलिखित किया जा सकता है। अतएव यदि गतवर्ष की कोई सट्टे की आय है तो उसे उसमें से अपलिखित किया जा सकेगा। यदि पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से उसे अपलिखित नहीं किया जा सकता तो उसे आगे ले जाया जा सकता है तथा उसी प्रकार के सट्टे अथवा अन्य प्रकार के सट्टे की आय से अपलिखित किया जा सकता है। आगे ले जाने का अधिकतम समय आठ साल है।

२ पूँजीगत हानियाँ (Capital losses) [७४]

पूँजीगत हानि को अन्य किसी लाभ की मद से अपलिखित नहीं किया जा सकता। उस पूँजीगत लाभ से ही अपलिखित किया जा सकता है, भले ही लाभ किसी अन्य पूँजीगत सम्पत्ति की बिक्री से हुआ हो। यदि किसी पूँजीगत हानि को पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से उसी वर्ष अपलिखित न किया जा सके तो उसे अगले ८ साल तक आगे ले जाया जा सकता है। कम्पनी को छोड़कर अन्य कर दाताओं के लिए यदि हानि ५००० रु० से कम है, तो आगे नहीं ले जाया जा सकता।

३ रजिस्टर्ड फर्म की हानि [७५]

रजिस्टर्ड फर्म अपनी एक साधन से होने वाली हानि को दूसरे साधन से होने वाले लाभ से अपलिखित कर सकती है। परन्तु यदि किसी वर्ष हानि को पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से अपलिखित न किया जा सके तो फर्म उसे आगे नहीं ले जा सकती। हानि साक्षीदारों के खातों में डाल दी जाती है, वे उसी वर्ष अपने अन्य साधनों की आय से उसे अपलिखित कर सकते हैं। यदि पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से उसे अपलिखित न किया जा सके, तो अगले ८ साल तक आगे ले जाया जा सकता है।

४. बिना रजिस्ट्री की फर्म की हानि [७७]

यदि फर्म रजिस्टर्ड न हो तो व्यक्ति के समान उसे अपनी एक मद से होने वाली हानि दूसरी मदों से होने वाले लाभ से अपलिखित करने का अधिकार है। वह हानि को स्वयं ८ साल तक आगे ले जा सकती है। परन्तु साक्षीदारों को ऐसी फर्म की हानि अपने निजी लाभ से अपलिखित करने का, अथवा उसे आगे ले जाने का अधिकार नहीं है।

५. फर्म के सविधान में परिवर्तन होने पर [७८]

यदि किसी साक्षीदार के रिटायर हो जाने अथवा उसकी मृत्यु हो जाने के कारण फर्म की संरचना में कोई अन्तर हुआ गया है तो मृत अथवा रिटायर्ड साक्षीदार के हिस्से की हानि को फर्म आगे नहीं ले जा सकती।

६. कुछ विशिष्ट कम्पनियों की हानि [७९]

यह नियम उन कम्पनियों के लिये बनाया गया है जो अग्रे में परिवर्तन करके आयकर बचाने का प्रयत्न करती हैं। स्यागी कमेटी ने लिखा है—ऐसे अनेक उदाहरण हमारी निगाह में आये जहाँ लोगों ने ऐसी कम्पनियों को खरीद लिया जिन्होंने पिछले वर्षों में हानि उठायी हो। इसके बाद अगले वर्षों में होने वाले लाभ को वे हानि से अपलिखित करते रहे और इस प्रकार कर बचाते रहे।* अतएव कमेटी के सुझाव पर अधिनियम में यह परिवर्तन कर दिया गया है कि “यदि किसी कम्पनी का स्वामित्व बदल गया हो तो वह पिछले वर्षों की हानि को आगे नहीं ले जा सकती।”

यह निम्नलिखित दशाओं में नहीं लागू होगा।

- (१) यदि कम से कम ५१% मताधिकार के वोट अब भी उन्हीं लोगों के हाथ में हैं जिनके पास पहले थे।
- (२) यदि कम्पनी ऐसी कम्पनी है जिसमें जनता का पर्याप्त हित है।
- (३) यदि आयकर अधिकारी को विश्वास हो कि स्वामित्व परिवर्तन कर बचाने की नियत से नहीं किया गया है।

* Report of the Direct Taxation Administration Enquiry Committee. P. 184

हानि का विवरण (Return of Losses) [८०]

हानि का विवरण भी उसी प्रकार आयकर अधिकारी के पास भेजना चाहिए जिस प्रकार लाभ का। आयकर अधिकारी लाभ के ही समान हानि की मात्रा भी निर्धारित करता है। यदि हानि का विवरण नहीं भेजा गया है तो उसे आगे ले जाने का अधिकार न होगा।

फाइनेंस एक्ट १९६२ के परिवर्तन

फाइनेंस एक्ट १९६२ के अनुसार हानि को अपलिखित करने अथवा आगे ले जाने के सम्बन्ध में काफी परिवर्तन किये गये हैं। वे परिवर्तन इस प्रकार हैं।

- (१) फाइनेंस एक्ट में अल्पकालीन पूंजीगत सम्पत्ति तथा दीर्घकालीन पूंजीगत सम्पत्ति में भेद किया गया है। जो सम्पत्ति कर दाता एक वर्ष से अधिक अपने पास नहीं रखता, उसे अल्पकालीन पूंजीगत आय माना गया है, इसमें अधिक समय तक रखने को दीर्घकालीन पूंजीगत आय माना गया है।
- (२) अल्पकालीन पूंजीगत हानि को किसी भी पूंजीगत लाभ से अपलिखित किया जा सकता है [७० (२-1)] परन्तु दीर्घकालीन पूंजीगत हानि को केवल दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ से अपलिखित किया जा सकता है। [७० (२-11)]
- (३) पूंजीगत हानि को छोड़ कर अन्य हानि, प्रायः पूंजीगत लाभ को छोड़ कर अन्य लाभ से अपलिखित की जा सकती हैं, परन्तु करदाता को इस बात की सुविधा दी गई है कि वह एसी हानि को पूंजीगत लाभ (दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन) से अपलिखित कर सके। [७१ (१)]
- (४) अल्पकालीन पूंजीगत हानि यदि अपलिखित न की जा सके तो उसे ८ साल तक आगे बढ़ाया जा सकता है, परन्तु दीर्घकालीन पूंजीगत हानि को आगे नहीं ले जाया जा सकता। यदि कोई ऐसी हानि पिछले वर्षों से आगे लाई जा रही हो तो उसे अब आगे नहीं बढ़ाया जा सकेगा।

२. दुहरे कर से बचत (Double Taxation Relief)

कभी कभी जब एक देश का निवासी दूसरे देश में कुछ आय उपार्जित करता है तो उस पर दुहरा कर पड़ जाता है, एक तो उस देश में जिसमें कि आय उपार्जित की गई है और दूसरा उस देश में जिसका कि वह निवासी है। इस दुहरे कर से बचने के लिए सरकार द्वारा छूट दी जाती है।

भारत में इसके लिए निम्नलिखित नियम हैं।

(१) भारत सरकार ने विभिन्न देशों के साथ इस प्रकार का समझौता कर लिया है, जिसके आधार पर यह निर्धारित किया गया है कि कौन देश कितनी आय पर कर वसूल कर सकता है। उदाहरणार्थ वेतन सम्बन्धी आय जिस देश में उपार्जित होगी वही देश उस पर कर वसूल करेगा। जिस देश का वह निवासी है, उसे कर लेने का अधिकार नहीं है।

इस प्रकार के समझौते दो प्रकार के हैं, एक तो कर की छूट का समझौता (Tax relief) और दूसरा कर मुक्ति का समझौता (Agreement of Tax avoidance) पहले प्रकार के समझौते के अन्तर्गत पहले कर ले लिया जाता है बाद में उस पर छूट मिलती है। दूसरे प्रकार के समझौते में कर लिया ही नहीं जाता।

(२) यदि किसी देश के साथ इस प्रकार का समझौता न हो, और भारत के किसी निवासी को किसी विदेशी आय पर कर देना पड़ जाय तो उसे ऐसी आय पर भारत में छूट मिलेगी। यह छूट ऐसी रकम पर मिलती है जिस पर इस प्रकार दुहरा कर पड़ा हो। छूट की दर भारत तथा विदेश की दरों में जो भी कम हो मानी जाती है। यदि दोनों की दरें बराबर हों तो भारत की दर लागू होगी।

(३) यदि भारत के किसी निवासी की कृषि सम्पत्ति पाकिस्तान में है और उस पर उसे कृषि आय कर अथवा लगान देना पड़ा हो तो भारत में ऐसी आय पर कर की छूट मिलती है। छूट की रकम भारत की दरों पर कर तथा पाकिस्तान में दिए हुये दरों में जो भी कम हो उसके बराबर मानी जाती है।

(४) यदि किसी भारतीय फर्म का कोई विदेशी साझेदार है तो उसे ऐसी फर्म के हिस्से पर कर की छूट मिलती है। छूट की दरें ऊपर वर्णित दरों के समान ही हैं।

३. कुल आय तथा कुल संसार की आय (Total Income and Total world Income)

आय कर के अनुसार कुल आय तथा कुल विश्व की आय का अन्तर रक्ता गया है। धारा २ (४५) के अनुसार कुल आय से तात्पर्य उस समस्त आय से होता है जिस पर धारा ५ के अन्तर्गत कर देय होता है तथा जिसकी गणना एक्ट में दी हुई विधि के अनुसार की गई हो।

कुल संसार की आय की परिभाषा धारा २ (४६) में दी गई है। इसके अनुसार कुल संसार की आय में वह समस्त आय सम्मिलित है जो भारत के बाहर उपाजित तथा प्राप्त की गई है। कुल संसार की आय की गणना मुख्यतः विदेशी की आय पर कर निर्धारण के लिए की जाती है। उसकी कुल आय में तो भारत में अर्जित तथा भारत में प्राप्त आय आती है, परन्तु कुल संसार में भारत के बाहर प्राप्त तथा अर्जित आय भी आ जाती है।

४ विदेशियों पर कर निर्धारण (Tax in case of non-resident)

कोई व्यक्ति या तो निवासी हो सकता है अथवा विदेशी। निवासी दो प्रकार का होता है साधारण निवासी तथा असाधारण निवासी। कोई व्यक्ति विदेशी किन दशाओं में कहलाएगा इस सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक तीसरे अध्याय में बतलाया गया है। उसी अध्याय में इस बात का भी उल्लेख है कि विदेशियों को किस प्रकार की आय पर कर देना पड़ेगा।

विदेशियों को दो प्रकार की आय पर कर देना पड़ेगा।

(१) भारत में उपाजित आय।

(२) भारत में प्राप्त आय।

विदेशी स्वयं कर दे सकता है अथवा उसका एजेंट। धारा १६३ के अन्तर्गत निम्नलिखित ५ प्रकार के लोग विदेशी के एजेंट माने जा सकते हैं।

(१) विदेशी द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति

(२) कोई व्यक्ति जिसका विदेशी से व्यापारिक सम्बन्ध है।

(३) ऐसा कोई व्यक्ति जिसके द्वारा विदेशी को आय प्राप्त होती है।

(४) कोई व्यक्ति, जो विदेशी का ट्रस्टी है।

(५) अन्य कोई व्यक्ति जिसने उससे भारत में पूर्णजीगत सम्पत्ति प्राप्त की है।

विदेशियों को (कम्पनियों को छोड़कर) अपनी समस्त करदेय आय पर अधिकतम दर से कर देना पड़ेगा। सुपर टैक्स उसी दर पर पड़ेगा जिस पर निवासियों को देना पड़ता है, परन्तु उसकी दर १६% से कम नहीं हो सकती। [११३(१)]

धारा ११२ (३) के अन्तर्गत विदेशियों को इस बात की सुविधा दी गई है कि ऊपर बतलाए हुए नियम के अनुसार अपनी भारत में अर्जित अथवा प्राप्त रकम पर कर दें अथवा सामान्य दर पर समस्त ससार की आय पर कर दे। इस बात की घोषणा उन्हें ३० जून तक इन्कम टैक्स आफिसर के पास कर देनी चाहिये। एक बार घोषित कर देने पर फिर कर उसी आधार पर लगेगा, उसे बदला नहीं जा सकता। कम्पनियों पर चाहे वे निवासी हो अथवा विदेशी, एक दर पर समस्त आय पर कर देना पड़ता है।

५. कर की बचत रोकने के लिए विशेष व्यवस्था

[Special provision relating to avoidance of tax]

नए आय कर विधान में कर की बचत को रोकने के लिये विशेष व्यवस्था की गई है। प्रायः सभी कर सम्बन्धी विशेषज्ञों की राय है कि आय कर का करोड़ों रुपया लोग बचा-जाते हैं और कर बचाने का काम काफी लम्बे पैमाने पर होता है। इसलिए डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के सुझावों के अनुसार नए आय कर विधान में कुछ विशेष व्यवस्थाएँ की गई हैं।

१ यदि कोई निवासी किसी विदेशी के साथ व्यापार करता है तथा उन्होंने परस्पर इस प्रकार की व्यवस्था कर ली है, जिसमें निवासी अपने खातों में यह दिखला सकता है कि उसे कोई लाभ नहीं होता अथवा बहुत थोड़ा लाभ होता है तो इन्कम टैक्स आफिसर उस पर उचित कर बांध सकता है। [६२]

२ कभी कभी लोग अपनी सम्पत्ति किसी विदेशी के नाम हस्तातरित कर देते हैं तथा ऐसी व्यवस्था कर देते हैं, जिससे उसका लाभ उन्हें मिलता रहे। ऐसी चालाकी को रोकने के लिए निम्नलिखित व्यवस्था की गई है।

यदि निवासी ने किसी विदेशी को कोई ऐसा हस्तातरण किया है जिसके द्वारा वह उसी समय अथवा भविष्य में उससे होने वाली आय को प्राप्त कर सके, तो उस समस्त आय को निवासी की आय माना जावेगा। कर उसी दशा में पड़ेगा यदि वह आय हस्तातरण न होने पर निवासी के पास कर देय होती। [६३(१-a)]

३. आय में सहभागी होने के स्थान पर निवासी सम्पत्ति का हस्तांतरण करके ऐसी व्यवस्था कर सकता है जिसके अनुसार उसे उसकी आय तो न मिले, परन्तु एक निश्चित समय बाद कोई सम्पत्ति प्राप्त हो जाय। यदि ऐसी बात का पता इन्कम टैक्स आफिसर को लग जाय तो वह विदेशी को हस्तांतरित सम्पत्ति पर होने वाली आय को निवासी की आय मान सकता है। [६३(१-b)]

४ प्रतिभूतियों का नकली न्य विक्रय—कुछ लोग प्रतिभूतियों को व्याज मिलने के पहले बेच देते हैं और व्याज मिल जाने के बाद खरीद लेते हैं। इस प्रकार वे व्याज का रकम बचा जाते हैं, क्योंकि आयकर विधान के अन्तर्गत प्रतिभूतियों पर व्याज के अन्तर्गत कर उसी व्यक्ति पर लगता है, जिसे वास्तव में व्याज की रकम मिलती है। इस प्रकार के नकली सौदी को रोकने के लिए धारा ६४ के अन्तर्गत व्यवस्था की गई है। उसे विस्तार पूर्वक पृष्ठ ८५ पर बतलाया गया है।

INDEX

Agricultural Income	9, 10, 11	Earned income	15
Assessee	12, 13	Exempted income	35
Annual value	96	Extra shift Allowance	162
Association of persons	201	Emergency Assessment	290
Appellate Assistant Commissioner	283, 305	Firms	244
Additional Assessment	291	Firms [Regd]	245
Additional Dep	163	Firms [Unregd]	249
Advance payment of tax	292	Grossing up [Securities]	83
Avoidance of tax	317	, [dividends]	200
Appellate Tribunal	308	H U F [Def]	231
Bond Washing Transactions	85	[assessment]	233
Business [def]	126	[division]	235
Balancing Dep	166	High Court	309
Best judgement Assessment	289	Income	16
Capital asset [def]	18	Income of Cooperative Societies	41
Casual income	36	Income of marketing Society	42
Charitable donations	46	Insurance prem	63
Cum int and ex-int	84	Interest on Securities	81
Capital expenditure	133	Initial Depreciation	163
Capital Loss	134	Individual [Assessment of]	228
Capital gains	181	Inspector	279
Company	272	Income Tax Officer	280
Central Board of Revenue	284	Inspecting Asstt Commissioner	285
Commissioner of Income Tax	282	Less tax Securities	83
Collection of Tax	296	Newly established concerns and hotels	43
Depreciation	161	Normal depreciation	162
Development rebate	164	Notice of tax	286
Dividends	199	Previous year	13
Director of Inspection	284	Person	17
Deduction of tax at Source	296		
Double taxation relief	315		

Provident Fund	38, 57	Superannuation fund	62
Perquisites	53	Sec 104	
Provisional assessment	288	Set off and carry forward	
Residence	20	of losses	311
Rebate	45	Supreme Court	210
Returns	274, 285	Taxable territory	14
Regular assessment	289	Tax liability	25
Rectification of error	295	Tax free Securities	82
Refund	295	Total income and total	
Recovery	300	world income	316
Return of Losses	314	Unabsorbed depreciation	165
Salary	51		
